मंगलवार, 18 नवंबर 1980

27 कार्तिक, 1902 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 2, मंगलवार, 18 नवम्बर, 1980/ 27 कार्तिक, 1902 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या	21 से 23	1—15
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या	24 से 40	15—31
अतारांकित प्रश्न संख्या	201 से 272, 274 से 323 तथा 325 से 400 3355, दिनांक 8-7-1980	31— 84
तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 6046 दिनांक 29-7-1980 के उत्तरों में शुद्धि करने वाले विवरण		184—186
सभा पटल पर रखे गये पत्र		186—189
विधेयकों पर अनुमति		189
स्थगन प्रस्तावों के बारे में		18 —197
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		
राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक के निष्कर्ष		197—218
श्री धनिक लाल मंडल		
श्री जैल सिंह		
श्री हरिकेश बहादुर		
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति		
दूसरा प्रतिवेदन		218—223
ईरान-ईराक संघर्ष के बारे में वक्तव्य		
श्री पी० वी० नरसिंह राव		
कार्य-मंत्रणा समिति		
आठवां प्रतिवेदन		223—233
नियम 377 के अधीन मामले		233—236
(एक) देश में सांम्प्रदायिक हिंसा		233—234
श्री जी० एम० बनातवाला		
(दो) केरल स्थित दो रेलवे डिवीजनों के बारे में		234
श्री वी० एस० विजय राघवन		

*किसी नाम पर अंकित यह चिह्न † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(तीन) बिहार में मस्तिष्क ज्वर का फैलना	235
श्री कमला मिश्र मधुकर	
(चार) कन्याकुमारी स्थित विवेकानन्द शिला स्मारक	235
श्री आर० के० महालगी	
(पांच) राजस्थान में बिजली की कमी	235
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	
(छः) इलायची के विषणन के लिए पूल पद्धति	235—236
श्री कुम्बुम एन० नटराजन	
प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक	237—250
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री शिवराज वी० पाटिल	
श्री हन्नान मौल्हा	
श्री अजीत सिंह दाभी	
श्री मूलचन्द डागा	
श्री चतुर्भुज	
श्री आर० एस० स्पैरो	
श्री नग्नगोम महेन्द्र	
श्री जेवियर अराक्कल	
खण्ड 2 तथा 1	
पारित करने का प्रस्ताव	
श्री शिवराज वी० पाटिल	
चैकोस्लोवाकिया संसदीय शिष्ट मंडल के स्वागत के बारे में घोषणा	243
बंगाल कैमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) विधेयक	250—262
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री प्रकाश चन्द्र सेठी	
श्री एम० इस्माईल	
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	
श्री मूलचन्द डागा	
श्री भीम सिंह	
श्री जेवियर अराक्कल	
श्री नारायण चौबे	
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	

लोक-सभा

मंगलवार, 18 नवम्बर, 1980/27 कार्तिक, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ईरान-ईराक युद्ध के कारण तेल सप्लाई का अस्त-व्यस्त हो जाना

*21 **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान-ईराक युद्ध के कारण भारत को प्राप्त होने वाली तेल की सप्लाई अस्त-व्यस्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस युद्ध के कारण अशोधित तेल की हुई कमी को पूरा करने के लिए कोई प्रयास किये हैं;

(ग) यदि हां, तो इसे कहां तक पूरा किया जा सका है;

(घ) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस कठिनाई पर काबू पाने के लिए भारत की सहायता की है;

(ङ) क्या इन देशों ने उन दरों की तुलना में अधिक ऊंची दरों पर तेल दिया है जिन पर हम इन दो देशों से खरीदते थे;

(च) क्या इस कारण सरकार ने देश में तेल के उपयोग में मितव्यायिता करने के उपाय किए हैं; और

(छ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाशचन्द सेठी) (क) से (घ) : ईराक-ईराक युद्ध के फलस्वरूप हमारे खनिज तेल के आयात कुछ अव्यवस्थित हुए हैं। फिर भी दूसरी

जगहों से आवश्यकतानुसार सप्लाई की व्यवस्था कर कमी को पूरा करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। यह आशा की जाती है कि हमारी शोधनशालाओं को आयातिति खनिज तेल की सप्लाई कायम रखी जायेगी। इस सम्बन्ध में और ब्यौरे देना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा।

(ड) जी, नहीं। सरकार से सरकार के आधार पर की गई खरीदों पर भुगतान उन्हीं मूल्यों के अनुसार किया गया है जो तेल उत्पादक और निर्यातक देशों द्वारा तय किए गये थे।

(च और छ) राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वह हाई स्पीड डीजल आयल और मिट्टी के तेल के सम्बन्ध में एक उपयुक्त कंट्रोल प्रणाली आरम्भ करें जिससे सर्व साधारण की आवश्यक आवश्यकताओं उनके किए गए आवंटन स्तरों के अन्तर्गत पूरी की जा सकें और इन उत्पादों की बिक्री और वितरण में किए जा रहे दुराचारों को बहुत कठोर उपायों से समाप्त किया जाये।

श्री बी० बी० देसाई : मंत्री महोदय का उत्तर अत्यन्त अस्पष्ट है। वास्तव में भारत सरकार को अपने दूतावासों तथा अन्य माध्यमों से पता लगा लेना चाहिए था कि ईरान और ईराक के सम्बन्ध बिगड़ रहें है तथा कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। इस सूचना के साथ यह भी जानना चाहता हूं कि आप अपनी पूरी आवश्यकता का तेल इन दो माध्यमों से ही क्यों लेते हैं? 160 लाख टन की कुल मांग में से 127 लाख टन कच्चा तेल इन दो देशों से लिया जाता है। अन्य संसाधनों को क्यों नहीं जुटाया गया तथा मूल्य क्यों नहीं निर्धारित किये गये?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : इस मंत्रालय के लिए यह अनुमान लगाना कठिन था कि ईराक और ईरान के मध्य लड़ाई छिड़ पड़ेगी। ये देश काफी समय से हमारे परम्परागत सप्लाई करने वाले रहें हैं; परन्तु चिन्ता की कोई बात नहीं है। इस युद्ध के कारण जो भी कमी आती है उसे हम अन्य संसाधनों से पूरा करेंगे।

श्री बी० बी० देसाई : किस मूल्य पर?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : सरकार से सरकार के स्तर पर।

श्री बी० बी० देसाई : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। भारत सरकार यह क्यों नहीं जान सकी कि इन दो देशों के सम्बन्ध बिगड़ रहे हैं। बुद्धिमानी इसी में थी कि समय पर अन्य स्रोतों को जुटाया जाता। प्रश्न का पहला भाग यह है।

आप मुझे और अवसर नहीं देंगे। इसीलिए मैं जानना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री देसाई आप इस बारे में सजग हैं। मुझे इस बात का सन्तोष है।

श्री बी० बी० देसाई : वास्तव में बुद्धिमान सरकारी अधिकारी अपने राजदूतावासों आदि के माध्यम् से यह जान सकते थे कि ये दो देश युद्ध की ओर बढ़ रहें हैं—160 लाख टन में से 127 लाख टन तेल हम इन दो देशों से आयात करते हैं। यह पहली बात है। दूसरे, उन्होंने बताया "सरकार द्वारा सरकार के साथ" वास्तव में यह उत्तर नहीं है—इसकी अदायगी तुरन्त करनी पड़ती है दर का निर्णय भी उसी समय होता है—इस प्रकार विदेशी मुद्रा बाहर जाती है। अन्य सभी वस्तुयें भी पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भर करती है तथा सरकार द्वारा थोड़ी सी भी जागरूकता द्वारा देश महान विपत्ति से बच सकता था।

एक माननीय सदस्य : यह उपयुक्त प्रश्न है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : प्रश्न वास्तव में अच्छा है ; मैं समझता हूं कि आप उत्तर को भी समझेंगे ।

श्री मान जी, जहां तक कच्चे तेल की सप्लाई का प्रश्न है हमने न केवल मन्त्री स्तर पर अपितु प्रधान मन्त्री के स्तर पर भी मित्र देशों से सम्पर्क स्थापित किया है । प्रधान मन्त्री राज्य-ध्यक्षों को पत्र लिखती रहीं है, शिष्ट मंडल मैक्सिको, वेनजुला साऊदीअरब और कुवैत गये थे । मैं स्वयं उनका पत्र लेकर लीबिया गया था इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि अन्य देशों से कच्चा तेल प्राप्त करने के कोई प्रयत्न नहीं किए गए । जो कुछ भी हमें ईराक तथा ईरान से मिलता था उसका मूल्य भी हमें तेल तथा पेट्रोल निर्यात कर्त्ता देशों के संघ द्वारा निर्धारित मूल्यों पर देते हैं । इसी प्रकार जो कच्चा तेल अन्य मित्र देशों से प्राप्त करते हैं उसकी अदायगी भी हम तेल तथा पेट्रोल निर्यात कर्त्ता देशों के संघ की दर पर करते हैं तथा कमी क्रय द्वारा पूरी करते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री त्रिदिव चौधरी ।

श्री त्रिदिव चौधरी : मन्त्री महोदय ने बताया है कि प्रयत्न किए जा रहे हैं तथा मित्र देशों के साथ पत्र-व्यवहार किया जा रहा है और हम भी जानते है—आज भी समाचार पत्रों में छपा है—के वित्त मन्त्री को साऊदी-अरब तथा अरब तथा खाड़ी के अन्य देशों की यात्रा पर तुरन्त जाना पड़ा मेरा इससे पूर्व भी पेट्रोलियम मंत्रालय से एक समाचार निकला था कि सोवियत रूस ने पहले ही बचन दिया है कि वह तेल की कमी को पूरा करेगा । परन्तु विभिन्न मंत्रालयों के क्रिया-कलापों से ऐसा लगता है कि अभी तक हमारे प्रयत्न इतने सफल नहीं हुए हैं । नि:सन्देह हम जानते हैं कि जहां तक इस वर्ष के आयात का सम्बन्ध है—लगभग 120 लाख टन उपलब्ध कर लिया गया है । यदि 10-20 लाख टन की कमी है तो उसे ऊंचे मूल्यों पर तुरन्त खरीद द्वारा पाटा जा सकता है अथवा मित्र देशों के साथ कोई विकल्पी प्रबन्ध किए जा सकते हैं परन्तु क्या वह बता सकते हैं कि क्या अगले वर्ष यह 120 लाख टन नि:सन्देह खपत बढ़ने की उम्मीद है—कि कमी पूरी की जा सकेगी । क्या वह अब इस प्रकार की घोषणा करने की स्थिति में है ?

श्री प्रकाशचन्द्र सेठी : सोवियत रूस ने कभी भी हमें पूरी कमी दूर करने का वचन नहीं दिया था ईराक-ईरान के युद्ध के कारण उन्होंने कमी में से 15-17 लाख टन माल देने को कहा । वह ब्लैक सी० पोर्ट से पूरा करने को राजी हैं । अब हमने उनसे डाक में एक निवेदन किया है कि 15 लाख टन के स्थान पर अतिरिक्त 15 लाख टन अथवा 10 लाख टन माल और दें । इस प्रकार सोवियत रूस से 25 लाख टन प्राप्त हो सकेगा ।

इस तरह सोवियत संघ से मिलने वाले तेल की मात्रा केवल 25 लाख टन होगी । 17 लाख 50 हजार टन के लिए हमने एक समझौता किया है जिस पर हालही में मैक्सिकों के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं । गत दो दिनों से हमारा एक दल कुवैत में है जो कुवैत कम्पनी के नियंत्रण पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए गया है । एक दूसरा प्रतिनिधि मंडल यू० ए० ई० (सं० अ० अमीरात) कम्पनी के नियन्त्रण पर शनिवार को संयुक्त अरब अमीरात जा रहा है । हमारे वित्त मन्त्री अभी हाल में सऊदी अरब गए थे । हमारे पेट्रोलियम सचिव हाल ही में वेनेजुएला गए थे । इसलिये, हम सभी मित्र देशों के साथ सम्पर्क बनाए हुए हैं और मैं नहीं समझता कि कमी को दूर कर पाना एक दम असम्भव है । केवल एक करोड़ टन के लगभग की और आवश्यकता पूरी करनी है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : माननीय मंत्री महोदय ने अभी सदन को सूचित किया कि हमारे प्रतिनिधि मण्डल उन सभी देशों की यात्रा पर जा रहे हैं जहां तेल की अधिकता है और वे उनसे हमारी तेल की कमी को पूरा करने की आश्वासन देने को कह रहे हैं। मन्त्री महोदय देशों की सूची पेश करते समय एक ऐसे देश का नाम भूल गये हैं जिसके पास बहुतायत में अतिरिक्त तेल है अर्थात जनवादी गणराज्य चीन। मैं जानना चाहूंगा कि क्या तेल के लिये कोई प्रतिनिधि मंडल चीन भेजने का विचार है अथवा क्या ऐसी बात है कि उसे सोवियत संघ को भय है जिसकी वजह से सरकार ऐसा नहीं कर रहीं ?

(**पेट्रोलियम, रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री प्रकाश चन्द्र सेठी :** डा० स्वामी का यह दावा कि हमें भय है, सही नहीं है। हमें किसी का भय नहीं है, यहां तक कि चीन का भी। यदि चीन हमें कच्चा तेल देने को तैयार है और यह हमारी परिस्थितियों के अनुरूप होता है तो हम निश्चित रूप से एक दल वहां भेजेंगे क्योंकि मुझे ज्ञात है कि इंडोनेशिया का कच्चा तेल हमारी परिस्थितियों के अनुरूप नहीं होता और इंडोनेशिया के कच्चे तेल तथा चीन के कच्चे तेल में कम या अधिक एकरूपता है। परन्तु यदि चीन ऐसा कोई प्रस्ताव करता है। तो हम निश्चित रूप से एक दल भेजेंगे। जहां कहीं भी हमारे दल जा रहे हैं। वे सम्बद्ध देशों की तेल कम्पनियों के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं।

श्री जेवियर अराक्कल : क्या मैं जान सकता हूं कि हमारे राष्ट्रीय उत्पादन की क्षमता क्या है ? दूसरे, क्या हम आसाम से तेल हासिल करने के लिये सख्त कार्यवाही करने जा रहे हैं ? इन दोनों प्रश्नों का सहीरूप से उत्तर दिया जाए।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : इस वर्ष बम्बई हाई से तेल का उत्पादन करने की हमारी क्षमता 50 लाख टन के स्थान पर 60 लाख टन हो जाएगी। गुजरात के तेल क्षेत्रों से कच्चे तेल का उत्पादन 45 लाख टन के आसपास होगा। आसाम के कच्चे तेल के सम्बन्ध में, इस समय हमने पाइप लाइनों की सफाई का सीमित कार्य शुरू किया है, जहां तक और आगे आसाम से तेल की आपूर्ति का सम्बन्ध है, यह एक बड़ा मसला है, अकेले इस मंत्रालय द्वारा उसका निर्णय नहीं किया जा सकता।

श्री निरेन घोष : यह बताया गया है कि भंडारी मिशन कई देशों को गया है। यदि ऐसी बात है तो उन यात्राओं के क्या परिणाम रहे हैं ? क्या मैं जान सकता हूं कि तेल की कमी को पूरा करने के लिये क्या आप किसी तरह की तत्काल खरीद करने जा रहे हैं ? यदि ऐसा है तो, आपने क्या खरीद की है और प्रति बैरल किस मूल्य पर ? क्या यह भी सच है कि भारत द्वारा की जा रही तत्काल खरीद के भुगतान किए जाने वाला मूल्य पश्चिमी जर्मनी और जापान को भुगतान किए गये मूल्य की तुलना में दो से तीन डालर तक ज्यादा है ? यह बताया जाता है कि दिसम्बर के पश्चात यह अन्तर प्रतिमाह 10 लाख टन का हो जायेगा। इस अन्तर को पूरा करने के लिये आप क्या करने जा रहे हैं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : हमने तत्काल खरीद के रूप में केवल 12 लाख टन की खरीद की है। यह सही है कि तेल उत्पादक एवं निर्यातक देशों के तेल मूल्य सऊदी अरब में 30 डालर और दूसरी जगह 32 डालर हैं। जबकि 12 लाख टन की तत्काल खरीद का औसत खरीद मूल्य 36 डालर के लगभग होता है।

जहां तक कमी के प्रश्न का सम्बन्ध है, मैंने अभी कहा है कि हम विभिन्न देशों की सरकारों से खरीद कर इस कमी को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री निरेन घोष : किस एजेंसी के माध्यम से आप तत्काल खरीद कर रहे हैं ? उन फर्मों के नाम क्या हैं, जिनकी मार्फत आपने इस तरह की खरींद की है ?

श्री प्रकाश सेठी : तत्काल खरीद के नियमानुसार प्रतिष्ठित कम्पनियों से निविदायें आमंत्रित करनी होती हैं। हम किसी भी तरह के कार्य के लिए कमीशन या अन्य किसी तरह के प्रकार का भुगतान नहीं करते। यह भारतीय तेल निगम और कम्पनी के बीच एक या दूसरे पक्ष के साथ संविदा होती है और इसमें सम्बद्ध पक्ष को (पार्टी को) संविदा के निष्पादन के लिए पांच प्रतिशत और निष्पादन अनुबन्ध पत्र देना होता है।

श्रीमती कृष्णा साही : उपाध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए यह स्पष्ट है कि तेल की प्राप्ति में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं जानना चाहती हूँ कि अपने देश में तेल उत्पादन के लिए सरकार कौन-कौन से कदम उठा रही है ?

श्री प्रकाश चन्द सेठी : इस सम्बन्ध में हम अनेक उपाय कर रहे हैं। यह कहते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि बम्बई हाई से कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है और 1984-85 तक बम्बई हाई से 13 लाख 50 हजार टन का उत्पादन होने की संभावना है। इसी तरह दूसरे तरीकों से भूमि पर तेल के कुओं से तेल का उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन कुओं से हमें 80 लाख से 90 लाख टन कच्चा तेल मिलने की आशा है। इसके अतिरिक्त हम तेल की खोज करने के लिए अनेक क्षेत्र तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग एवं आयल इण्डियन को दे रहे हैं क्योंकि अनेक क्षेत्रों में कार्बन पाया गया है और तेल की खोज का कार्य शुरू किया जाना है। इसके अलावा, हमने कुछ खण्ड विदेशी कम्पनियों को देने के लिए बोली लगाने के लिए उन्हें आमंत्रित किया है। सितम्बर-अक्तूबर तक ये कम्पनियां तेल की खोज का कार्य शुरू कर देंगी।

श्री चन्द्रजीत यादव : ईरान और ईराक के बीच दुर्भाग्य पूर्ण लड़ाई के कारण सरकार कच्चा तेल प्राप्त करने में कठिनाई का सामना कर रही है और सरकार कच्चे तेल की हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दर्जनों देशों से सम्पर्क कर रही है। परन्तु क्या 1981 के लिए हमारी पेट्रोल, एच.एस.डी , डीजल, पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकताओं का श्रेणीवार कोई समुचित मूल्यांकन किया गया है ? अब तक हम इसकी कितनी मात्रा प्राप्त कर सकने का पता लगा सके है ? अथवा अब तक हमें इसकी कितनी मात्रा मिलने का आश्वासन मिल चुका है ? क्या सरकार इस कठिन परिस्थिति में वितरण प्रणाली पर पुनर्विचार करने और प्राथमिकता निर्धारित करने का भी विचार कर रही है ताकि इस समय कठिनाई से मिलने वाली वस्तुओं की अनावश्यक रूप से बर्बादी न हो ? क्या सरकार कुछ क्षेत्रों में राशनिंग शुरू करने का भी विचार कर रही है ताकि हम यह देख सकें कि हम पेट्रोल, डीजल तथा अन्य दूसरे उत्पादों को नष्ट तो नहीं कर रहे हैं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : वर्ष 1981 के लिए हमारी कच्चे तेल की आवश्यकता 3 करोड़ 10 लाख टन तथा पेट्रोलियम उत्पादों की 75 लाख टन के लगभग होगी। इसमें से 10 करोड़

40 लाख से 10 करोड 50 लाख टन के लगभग हमें अपने ही देश से प्राप्त हो जाने की आशा है तथा 1 करोड़ 60 लाख टन का आयात किया जाना है।

जहां तक पेट्रोलियम उत्पादों का सम्बन्ध है लगभग 75 लाख टन का आयात किया जाना है। अब इन उत्पादों को हम उन देशों की सरकारी कम्पनियों से प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं जिनसे कि हम सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं। महोदय, हमें इस बात का विश्वास है कि हम इस कमी को पूरा करने में समर्थ होंगे। इन वस्तुओं की राशनिग शुरू करने का हमारा कोई विचार नहीं है। ऐसा करने से और अधिक समस्याएं पैदा हो जायेंगी। परन्तु इसके साथ ही हमने राज्य सरकारों से इस बात पर जोर दिया है कि वे अपनी वितरण प्रणाली को सुचारु बनाएं और इस बात का ध्यान रखें कि इन वस्तुओं का कोई दुरुपयोग न हो।

उर्वरकों का कम उत्पादन

***22 श्री छांगुर राम :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि देश में उर्वरक संयंत्र अपनी निर्धारित क्षमता से कम काम कर रहे है और उर्वरकों के उत्पादन में हानि बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो अनुमानित कितनी हानि हुई है और चालू वित्तीय वर्ष में उर्वरकों के उत्पादन में अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के अनुसार कितनी हानि होने का अनुमान है;

(ग) उपरोक्त (क) के परिणाम स्वरूप उर्वरकों के उत्पादन में तेजी से होने वाली कमी के क्या कारण हैं, और

(घ) देश में उत्पादन में कमी होने के कारण उर्वरकों की कमी पूरी करने के लिए देश को अनुमानतः कितनी मात्रा में उर्वरक का (विदेशी मुद्रा में मूल्य सहित) आयात करना पड़ेगा।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) से (ग) : वर्ष 1980-81 के दौरान उर्वरकों के उत्पादन पर अनेक कारणों से बहुत गम्भीर प्रभाव पड़ा, जैसे विजली की कटौती/विजली की समस्या, असम आन्दोलन के कारण अनेक उर्वरक प्लांटों को फीड-स्टाक की सप्लाई में बाधा और रुकावट, श्रमिक समस्या आदि। इन समस्याओं के कारण उत्पादन में लगभग 7 लाख टन नाइट्रोजन की हानि का अनुमान है जिसका मूल्य 300 करोड़ रुपए है।

(घ) मांग और स्वदेशी उत्पादन के अन्तर को आयात द्वारा पूरा किया जाता है। चालू वर्ष के लिए आयात की अनुमानित मात्रा और मूल्य को बताना जनहित में नहीं है।

श्री छांगुर राम : उपाध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने अभी स्वीकार किया है कि फर्टिलाइजर के उत्पादन में देश में कमी हो रही है लेकिन उन्होंने यह बताने से इंकार किया है कि देश में मांग की पूर्ति के लिए वे कितना फर्टिलाइजर विदेशों से मंगायेंगे और उसकी कितने रुपये लागत होगी। इसके बारे में उन्होंने कहा है कि यह बताना जनहित में नहीं है।

उपाध्यक्ष जी, यह देश की एक सर्वोच्च संस्था है और यहां इसके बारे में बताना वे ठीक नहीं समझते। .8 नवम्बर को डिप्टी मिनिस्टर फाइनेंस का बयान आता है कि 15 सौ करोड़

रुपये की लागत का फर्टिलाइजर सरकार बाहर से मंगाती है। यह उनका बयान है। 23 अक्तूबर को प्रधान मन्त्री जी ने फर्टिलाइजर से सम्बन्धित जूनियर आफिसर्स की मीटिंग बुलायी थी और उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे देश में फर्टिलाइजर का उत्पादन कम हो रहा है और इस तरह से कम हो रहा है कि हमें दो हजार टन की कमी का प्रतिदिन सामना करना पड़ रहा है। इसकी लागत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में 40 लाख रुपये है और इस वर्ष इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें एक हजार करोड़ रुपये का फर्टिलाइजर बाहर से और मंगाना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष जी, यह चीज अखबार में आ जाती है और मीटिंग में कह दी जाती है जो कि पब्लिक में भी आ जाती है लेकिन जो यह सर्वोच्च संस्था है, यहां इस चीज को बताना वे जनहित में नहीं समझते। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो उनका बयान अखबारों में आया और आफिसर्स की मीटिंग में जो बात कही गयी क्या वह सही है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : संसद के माननीय सदस्य यह बात जानते हैं कि नाइट्रोजन से उर्वरकों की उर्वरक खपत गत वर्ष 34.98 लाख टन के लगभग थी। इस वर्ष कृषि मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई मांग 36 लाख टन के आस-पास है। जहां तक नाइट्रोजनस उर्वरकों के उत्पादन का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने बताया, हम 22.5 लाख टन से ज्यादा का लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। यद्यपि मैंने सम्बद्ध मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई हैं और उनसे इस बात पर जोर दिया है कि उन्हें कम से कम 24 लाख टन की संख्या तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, परन्तु फिर भी खपत 12 लाख टन बाकी रहती है तो यह कमी 36 लाख टन हो जाएगी। अभी मेरे लिए यह कह सकना सम्भव नहीं है कि कृषि मंत्रालय कितनी मात्रा का आयात करेगा।

श्री छांगुर राम : गोरखपुर का फर्टिलाइजर प्लांट सब से अच्छा है और कानपुर का भी अच्छा है। गोरखपुर प्लांट की उत्पादन क्षमता 500 टन है और उत्पादन हो रहा है 320 टन। वैसे ही कानपुर प्लांट की उत्पादन क्षमता है 850 टन और उत्पादन हो रहा है 500 टन। मैं जानना चाहता हूँ कि जैसा कि प्रधान मन्त्री जी ने अक्तूबर की मीटिंग में यह कहा था कि नेपथा की कमी है जिसके कारण उत्पादन कम हो रहा है, उस कमी को दूर करने के लिए आपने क्या प्रयास किया है ? बिजली की कमी और असम आन्दोलन के कारण तो कमी है लेकिन आप नेपथा की कमी के कारण जो हमारे उत्पादन पर प्रभाव पड़ रहा है उसको दूर करने के लिए क्या कर रहे है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मान्यवर, जहां तक गोरखपुर प्लांट का सवाल है, अप्रैल से सितम्बर तक 28500 टन के उत्पादन का नुकसान केवल बिजली की बजह से हुआ। फीड स्टाक की कमी की बजह से 1500 टन का नुकसान हुआ। जहाँ तक कानपुर का सवाल है फीड स्टाक की कमी की बजह से 44000 टन का नुकसान हुआ, जबकि बिजली की कमी की वजह से 12000 टन का नुकसान हुआ। बरौनी रिफाइनरी बन्द रहने की बजह से नेफ्था की सप्लाई में कठिनाई है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात चीत करने के बाद कुछ बेलेंस स्ट्राइक किया गया है, लेकिन इसमें नेपथा मूव करने से डीजल मूवमेंट में कमी आती है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर का जो ख्याल है, उससे हम भी सहमत हैं। किसानों की रबी सीजन की आवश्यकता को देखते हुए डीजल के मूवमेंट में कमी नहीं आनी चाहिए इसलिए नेफ्था की सप्लाई हम दूसरी जगह से नहीं कर पा

रहे हैं लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि अक्तूबर-नवम्बर में उत्पादन बढ़ायें, लेकिन नेफ्था की कमी अब भी पूरी नहीं हो रही है।

श्री बी० एस० विजयराघवन : उर्वरक संयंत्र क्षमता से बहुत कम कार्य कर रहे हैं इसलिए उनकी पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : यदि आप भारत में उर्वरक के औसत उत्पादन को लेते हैं तो कुल मिलाकर 51 प्रतिशत है जो बहुत कम है। हालांकि मद्रास उरवर्क जैसे कुछ संयत्र 106 प्रतिशत की क्षमता से कार्य कर रहे हैं। यदि कम की गई बिजली को पूरा कर दिया जाता है और सम्भरक मंडार उपलब्ध कर दिया जाता है और यदि उस श्रमिक स्थिति में सुधार कर दिया जाता है जो बिगड़ चुकी थी और जो गोवा संयत्र में अभी जारी है तो निर्धारित क्षमता लगभग 70 से 80 प्रतिशत तक होगी जिस पर वे कार्य कर सकते हैं।

श्री चित्त बसु : माननीय मन्त्री ने कहा है कि उर्वरक उत्पादन में गिरावट आई है, हमारी कुल मांग तथा देशीय उत्पादन के बीच अन्तर लगभग 12 लाख टन होगा और यदि हमें अपने देश की आवश्यकताओं को पूरा करना है तो उसका आयात किया जाना है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उत्तर भी दे रहे हैं। प्रश्न पूछिए।

श्री चित्त बसु : मैं समझता हूं कि आप सहमत होंगे कि उर्वरक के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि हो रही है। इस संदर्भ में क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि उर्वरक के मूल्य में और वृद्धि नहीं होगी जो पहले ही बड़ा ऊंचा है, इस तथ्य की दृष्टि से कि आपके राज्य समेत समस्त देश में कृषि निवेश की लागत कम करने के लिए व्यापक आवागमन रहा है ? क्या सरकार सदन को यह आश्वासन देगी कि उर्वरक मूल्यों में कोई आगे वृद्धि नहीं होगी ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : श्रीमान, जहाँ तक किसी उर्वरकों में वृद्धि और गिरावट के प्रश्न का सम्बन्ध है मुझे आशंका है कि मैं इसके बारे में कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि दूसरा मंत्रालय स्थिति अनुसार इसको तय करेगा।

श्री एम० सत्यानारायण राव : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, माननीय मन्त्री ने उत्तर देते समय यह कहा कि बिजली की कमी तथा श्रमिक संकट आदि के कारण संयत्र प्रभावित हुए हैं। केवल यहीं नहीं है। आंध्र प्रदेश में रामगुडम उर्वरक संयम जैसे कुछ संयंत्र हैं जो कोयले पर आधारित हैं। उस संयंत्र का निर्माण लगभग 12 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था परन्तु मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा और मन्त्री महोदय को भी शायद मालूम हो रहा होगा कि पिछले समय मन्त्री महोदय ने यह कहा था कि यह तैयार है परन्तु दुर्भाग्यवश इसने अभी तक भी उर्वरक का उत्पादन करना शुरू नहीं किया है। मैं कारण जानना चाहता हूं। आप कारण बता सकते हैं कि यह बिजली के कारण है परन्तु आंध्र प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं है जबकि यह सच है तो आप इस संयंत्र को शुरू करने में समर्थ क्यों नहीं हो ? मैं इस बात को जानना चाहता हूं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आप इसे कब शुरू करने वाले हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : यह बात कहने में माननीय सदस्य ठीक है कि आंध्र प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं है और आंध्र प्रदेश सरकार ने हम को वांछित बिजली दी है न केवल

रामगुंडम संयत्र को बल्कि तलचरे तथा रामगुडम दोनों कोयला आधारित उर्वरक संयंत्रों ने नवम्बर से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : श्रीमान, मन्त्री महोदय ने देश में उर्वरक संयंत्रों के कम उत्पादन के अनेक कारण बताये हैं। उन्होंने कहा कि यह बिजली आदि की कमी के कारण है। जैसा कि श्री सत्यानारायणराव ने रामगुंडम की कमियों के बारे में कहा है, मैं यह कह सकता हूं कि दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र अथवा रूरकेला उर्वरक संयंत्र में तकनीकी दोषों के कारण उत्पादन नहीं हो रहा है। मैंने सी० आई० टी० यू० से सम्बद्ध उस कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष की हैसियत से उन तकनीकी दोषों के बारे में गत वर्ष एक पत्र लिखा और कहा कि उन्हें दूर किया जाना चाहिए। परन्तु उत्तर संतोषजनक नहीं था। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं (व्यवधान) तकनीकी दोषों को दूर करने के लिए रचनात्मक सुझाव क्या है ताकि दुर्गापुर में उर्वरक संयंत्र उत्पादन शुरू कर सके। मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या उन मुद्दों पर विचार किया जाएगा और दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र के तकनीकी दोषों को यथासम्भव दूर किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : श्रीमान, मुझे माननीय सदस्य के पत्र की जानकारी नहीं है जो उन्होंने गत वर्ष लिखा। मैं यह कह सकता हूं कि दुर्गापुर का संयंत्र शुरू से ही खराब है और तकनीकी दोषों को सही करने के लिए बाहर से एक दल बुलाया गया है और कुछ सुधार हुए हैं। परन्तु मैं माननीय सदस्य महोदय की इस बात से सहमत हूं कि वह अभी पूर्ण रूप से सही नहीं है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हम सभी सम्भव उपायों को करने का प्रयास करेंगे कि तकनीकी दोष यथा सम्भव दूर किये जा सकें।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : इस देश में उर्वरक एककों की उत्पादक क्षमता लगभग 35 लाख टन है। क्या यह सच है कि उत्तरी भारत में इन सभी कारखानों में केवल 15 लाख टन का उत्पादन किया जा रहा है। यदि ऐसा है तो क्या मंत्रिमण्डलीय उप-समिति ने दोषों के जांच की है जो इन समस्याओं आधारभूत मांग की जांच करने के लिए गठित की गई थी। क्या माननीय मन्त्री महोदय इस बात से अवगत है कि अक्तूबर से इस देश में ऊर्जा उत्पादन 20% तक बढ़ गया है ? उन उर्वरक कारखानों ने निर्धारित क्षमता तक पहुँचने के लिए अपना उत्पादन क्यों नहीं बढ़ाया है जो बिजली की कमी के कारण कम उत्पादन कर रहे है। क्या मन्त्री महोदय इस बात से अवगत है कि कृषि मंत्रालय तथा राज्य सरकारों समेत भी बहुत से मामलों में वे उर्वरकों के अधिक मांग को पेश कर रहे हैं ? बहुत से राज्यों में यह बात सामने आई है कि दो वर्ष, तीन वर्ष तथा पांच वर्ष और इससे भी अधिक पुराने उर्वरक विभिन्न गोदामों में पड़े है। क्या सरकार इन सब मामलों की जांच करेगी ताकि 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का आयात रोका जा सके ?

श्री प्रकाशचन्द्र सेठी : देश में नाइट्रोजन उर्वरक की क्षमता लगभग 37 लाख टन है न कि 15 लाख टन। इस वर्ष हमें 22.5 लाख टन उत्पादन करने की आशा है। जहां तक राज्य सरकारों के साथ भंडार का सम्बन्ध है मैं उस पर कृषि मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसके बारे में माननीय सदस्य ने कहा है। हम उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्रि-मंडलीय समिति ने संयत्र स्तर पर और मंडार रेलवे आवागमन में कठिनाई आदि की जाँच की

है। वे उनसे निरन्तर सम्पर्क बनाये हुए हैं और वे स्थिति में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि जुलाई, 1980 में उत्पादन 1,29,000 टन था। सौभाग्यवश हमने अक्टूबर में 1,91,00 टन उत्पादन किया। इसलिये उत्पादन में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही हैं।

प्रो० मधु दंडवते : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि उप्पादन में 300 करोड़ रुपये की हानि हुई है। वर्ष, 1969-70 और 1978-79 में मौसम तथा वर्षा का स्तर समान थे। 1969-70 में उर्वरक की खपत 21 लाख टन थी। खाद्यानों का उत्पादन ९9,5 लाख टन था। 1978-79 में उवरंक की खपत 51 लाख टन थी। उत्पादन 13 करोड़ टन तक हुआ अनुभव की दृष्टि से क्या वे यह महसूस करते हैं कि जब उत्पादन में 300 करोड़ रुपये की हानि हुई है तो खाद्यान के उत्पादन में भी कमी होने जा रही हैं? इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये और तेल की कठिनाइयों पर विचार करते हुये क्या आप यह सुनिश्चित करेंगे आगे जो भी उर्वरक परियोजनायें स्थापित की जायेगी वे तेल पर आधारित नहीं होगी बल्कि वे असल में कोयला तथा गैस पर आधारित होंगी।

श्री प्रकाशचन्द्र सेठी : मैं माननीय सदस्य का आभारी हूँ। अब अनुभव के आधार पर स्थिति यह है कि हमारी परियोजना तलचेर और रामगुन्डम कोयलें पर आधारित है। यदि हमें वहाँ पर सफलता प्राप्त होती है तो हम कोयले पर आधारित योजनायें ही बनायेंगे। परन्तु अब सौभाग्यवश हमें देश के विभिन्न भागों में गैस प्राप्त हुई हैं। भविष्य की योजनायें तेल पर आधारित न होकर गैस पर आधारित होगी या ईंधन पर आधारित होगी।

श्री जनार्दन पुजारी: क्या माननीय मंत्री महोदय का असम के आन्दोलन तथा हड़तालों के कारण उर्वरक क्षेम मैं हुई हानि के बारे में बताने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रकाशचन्द्र सेठी : असम आंदोलन के कारण धन की कुल हानि लगभग 200 करोड़ रुपये है। मैं हड़ताल आदि के कारण ब्यौरे नहीं दे सकता हूं। परन्तु बिजली की कमी हड़तालों तथा सम्मारक मंडार की कमी के कारण हानि 7 लाख टन है।

श्री रामावतार शास्त्री : मन्त्री महोदय ने खाद के उत्पादन में कमी का कारण बिजली की कमी और हड़ताल वगैरह बताया है। लेकिन वह एक बात बताना भूल गये कि सरकार के पास बुद्धि की भी कमी है। अगर उसके पास बुद्धि की कमी न होती, तो उसने सिन्दरी के कोल-बेस्ड खाद कारखाने को स्क्रैप के नाम पर वेच कर वहाँ पर आयल-बेस्ड कारखाना बनाने का फैसला न किया होता। एक तरफ देश में खाद की मांग बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ सरकार उतना उत्पादन नहीं कर पा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि धनबाद में जो आयल-बेस्ड खाद कारखाना बनने वाला है, वह कब तक तैयार हो जायेगा और सरकार बरौनी के खाद कारखाने को कब ठीक से चलाने का विचार कर रही है, ताकि देश में खाद की कमी पूरी हो। विहार में तो खाद के लिये हाहाकार मचा हुआ है। विहार की ओर से सात हजार टन खाद की मांग की गई है, जिसको सरकार नहीं दे रही है। इसकी व्यवस्था कैसे की जायेगी ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : सरकार के पास बुद्धि की कमी नहीं है, बल्कि हम उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आप भी हमसे ले रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : निर्यात के आंकड़े सरकारी रूप से गोपनीय है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहाँ तक सिन्दरी कारखाने का सवाल है, उसका राशनलाइजेशन और माड्रनाइजेशन करना जरूरी था और वह कर दिया है जो बेचा है, वह करीब करीब स्क्रैप था, जो चार करोड़ और कुछ लाख रुपये में बेचा है। माननीय सदस्य ने भी पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस सेल को अपहोल्ड किया है। जहां तक बरौनी के कारखाने को चालू करने का प्रश्न है, माननीय सदस्य जानते हैं कि वह आसाम एजीटेशन की वजह से बन्द है। लेकिन फिर भी जैसे ही इस प्रकार की सुविधा होगी कि वहां पर या मैटीरियल पहुँच सके, हम उसको जल्दी प्रारम्भ करने का प्रयत्न करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री रामनगीना मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी एक सवाल पूछने दीजिये। यह मेरे साथ अन्याय हो रहा है।

असम आन्दोलन के कारण कच्चे तेल के उत्पादन में कमी की मात्रा एवं उसका मूल्य

*23. **श्री चन्द्रजीत यादव :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम आन्दोलन के कारण तेल शोधन कारखानों के बन्द होने के परिणाम स्वरूप कच्चे तेल के उत्पादन में हानि के प्राक्कलित आंकड़े क्या हैं और उनका प्राक्कलित मूल्य कितना है;

(ख) इसके परिणाम स्वरूप सरकार को कितनी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करना पड़ा और विदेशी मुद्रा में उसका मूल्य क्या है; और

(ग) देश में तेल की खोज में तीव्रता लाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) असम आंदोलन के कारण कच्चे तेल के उत्पादन में होने वाली अनुमानित हानि नीचे दी गई है :—

	मात्रा	
तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने 18 अक्तूबर, 1980 तक	मि० 1.16/मी० टन	सितम्बर, 1980 के अन्त तक उत्पादन में हुई हानि को लगभग मूल्य 626 करोड़ रुपये
आयल इण्डिया लि० ने 30 सितम्बर, 1980 तक	1.55 मि०मी० टन	52 करोड़

(ख) केवल असम आन्दोलन के कारण होने वाले अतिरिक्त आयातों की मात्रा दर्शाना कठिन है। सरकार को असम आन्दोलन के कारण अतिरिक्त खनिज तेल का आयात नहीं कराना पड़ा था। तथापि, अतिरिक्त उत्पादों को आयात करना पड़ेगा।

(ग) प्रत्याशित क्षेत्रों में तेल की खोज करने के लिये और जाने गये क्षेत्रों के उत्पादन का अनुकूलतम-उपयोग करने के लिये वार्षिक और पंचवर्षीय योजनायें तैयार की गई हैं। तेल एवं

प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इण्डिया लिमिटेड (भारत) द्वारा नए क्षेत्रों में अन्वेषण करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। इन प्रयत्नों को बढ़ाने के लिए विदेशी पार्टियों को इस देश में तेल के खोज के कार्य में अपनी रुचि जाहिर करने के लिए आमंत्रित किया गया है।

श्री चन्द्रजीत यादव : असम आन्दोलन के कारण देश को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी है इसके अतिरिक्त यह कहा जाता है कि 626 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तेल नाका बन्दी के कारण 750 किलोमीटर की पाइप लाइन को गम्भीर खतरा है, और यह कहा जाता है कि जब तक कच्चे तेल की नाकाबन्दी नहीं हट जाती है और पाइप कार्य शुरू नहीं कर देते हैं तब तक यह खतरा है कि 65000 टन कच्चा तेल रुक जायेगा और पाइप लाइन के लिए खतरा होगा। सर्दी का मौसम शुरू होने से पूर्व यह आशा की जाती थी कि यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे कि पाइप कार्य शुरू करेंगे अन्यथा इसे दुबारा खोलना होगा यदि इसे भूमिगत कर दिया जाता है और सामान्य स्थिति हो जाने पर की असम से कच्चा तेल को ले जाना प्रभावित होगा—जिसमें कई महीने लगेंगे और कुल हानि को बढायेगा जो हमें इस समय तक हुई है। इसलिये क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या मंत्री महोदय ने इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए तेल व प्राकृतिक गैस आयोग कर्मचारियों तथा भारतीय कर्मचारियों से बातचीत की है और उन्हें इस बात पर राजी किया है कि उन्हें इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कमसे कम काम करना शुरू करना चाहिए? यदि मंत्री महोदय द्वारा कोई पहल की गई है तो उस सम्बन्ध में न की न तक स्थिति क्या है?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : यह सच है कि यदि असम पाइप लाइनों को साफ नहीं किया गया जाता तो उनके खराब हो जाने का खतरा था। इस खतरे को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस पाइप लाइन में रुके हुए 50,000 टन कच्चे तेल को निकालने का निर्णय लिया। शुरू में तेल निगम अथवा भारतीय तेल के कर्मचारियों तथा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों दोनों ने सहयोग किया परन्तु बाद में—हालांकि कुछ अधिकारी कार्य करते रहे हैं उनमें से अधिकांश ने हड़ताल की। परन्तु, सौभाग्यवश सेना के प्राधिकारियों की सहायता से जिन्हें इस काम के लिए बुलाया गया है पाइप लाइन साफ की जा रही है और तेल बरौनी पहुँच गया है। हमें आशा है कि इस सीमित कार्य में जिसमें वे लगे हुए है हम और आठ दिन में लाइन की सफाई कर सकेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव : आप सदा सेना के प्राधिकारियों पर निर्भर कर सकते हैं। मैंने यह पूछा कि कर्मचारियों ने हड़ताल क्यों की है और क्या मंत्री महोदय ने उनकी यूनियन के नेताओं से बात करने में पहल की है कि उन्हें कम से कम काम शुरू कर देना चाहिए।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : हम इन दोनों संगठनों के यूनियन नेताओं से सम्पर्क स्थापित नहीं कर सके हैं क्योंकि हड़ताल असम की सारी स्थिति पर आधारित है। हमारे प्रबन्ध निदेशक वहां हैं और वे अपना उन्हें वापस काम पर आने के लिए राजी करने के लिए अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं। परन्तु व्यक्तिगत रूप से मैं वहां नहीं जा सका हूं और मुझे यह मालूम नहीं है कि क्या महोदय इस संकट में वहां तेल मंत्री महोदय को भेजना अच्छा समझेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव : अब मैं अपना दूसरा प्रश्न पूछता हूं।

इस उत्तर में कहा गया है—यह उत्तर बहुत ही सामान्य प्रकार का है—कि वार्षिक योजना बनाई गई और पंचवर्षीय योजनाएं संभावित क्षेत्रों में तेल का पता लगाने तथा ज्ञात क्षेत्रों से अधिक

तक उत्पादन करने के लिए भी बनाई गई है ।

सच तो यह है कि पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग निरन्तर बढ़ रही है । यदि हम गत वर्ष के आंकड़े देखें तो हमारी खपत 300 लाख टन की, परन्तु अब 1985-86 में इसके 570 लाख टन तक बढ़ जाने का अनुमान है । इस प्रकार हम देखेंगे कि यह विगत कुछ वर्षों की दुगुनी होगी । हमारी खपत लगभग दुगनी होने वाली है और देश पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के खपत से लगभग बोझ को सहन नहीं कर सकता । दूसरे हम प्रतिवर्ष 15,000 करोड़ रुपये से अधिक का आयात कर भी रहे हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मन्त्री महोदय इस सदन को यह बताने की कृपा करेंगे कि उनकी निश्चित वार्षिक योजनाएं क्या हैं और पंचवर्षीय योजना के क्या कार्यक्रम हैं ? क्या वे इस सदन को यह बताने की भी कृपा करेंगे कि 1985-86 तक, छठी योजना के अन्त तक और अगले दस वर्षों में हम देश के अन्दर कितने तेल का उत्पादन कर सकेंगे और इस बात का कोई अन्दाजा है कि किस समय तक भारत वर्ष तेल में आत्मनिर्भर हो जायेगा, क्या ऐसी सम्भावनाओं का पता लगाया गया है ? उनका यह भी कहना है कि कुछ पार्टियों को आमन्त्रित किया गया है······

उपाध्यक्ष महोदय : हमारी तो केवल पंचवर्षीय योजनाएं ही है, परन्तु आप दस वर्षीय योजनाएं चाहते हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव : समस्त विश्व इस शताब्दी के अन्त तक की योजनाएं बना रहा है । 'भावी योजनायें' इसका अर्थ वार्षिक योजनायें या पंच-वर्षीय योजनायें नहीं हैं, अपितु 15 वर्षीय, 25 वर्षीय योजनाएं आदि आदि । मैं यह जानना चाहता हूँ कि वे कौन सी पार्टियां हैं जिन्हें अपनी रुचि दिखाने के लिए आमन्त्रित किया गया है, वे कौन-कौन से देश हैं, तथा उन देशों की कैसी प्रतिक्रिया है और क्या सम्भावनाएं हैं ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : हमने आयल इण्डिया और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग दोनों के ही लिए पंच-वर्षीय योजनायें तैयार की हैं । मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि योजना आयोग ने आयल इण्डिया के लिये अगले पांच वर्षों के लिए 400 करोड़ रुपये की राशि-स्वीकृत की है । इसी प्रकार तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लिए हम योजना आयोग से बात-चीत कर रहे हैं और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लिए अनुमानित राशि में 20,200 करोड़ रुपये तो समुद्र-तट पर खोज-कार्य करने, खुदाई करने तथा तेल का पता लगाने के लिए रखे गये हैं । तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इण्डिया के हाथ में पर्याप्त कार्यक्रम हैं । आयल इण्डिया को असम, अरुणाचल प्रदेश, महानदी घाटी जैसे कुछ क्षेत्र तथा आन्ध्र-प्रदेश आदि जैसे देश के कुछ अन्य भाग आवंटित किए गए हैं और समुद्र-तट से दूर के क्षेत्रों में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग कार्यरत हैं । हमें बड़ी आशा है कि वे और अधिक तेल खोज निकालने और उसका उत्पादन करने में सफल होंगे । परन्तु तेल तभी मिलता जब वास्तव में ही यह फूट निकले या मिल जाये । अतः यह कहना बड़ा ही कठिन है कि हम तेल के मामले में आत्म निर्भर कब बनेंगे । इसीलिए तो समस्या की तत्कालिकता और भारी आयात को ध्यान में रखते हुए हमने तेल की खोज और उत्पादन कार्यक्रम के लिए विभिन्न पार्टियों को बोली देने से पूर्व की शर्तों को पूरा करने के लिए आमन्त्रित किया गया और 67 पार्टियों ने अपनी प्रतिक्रियायें भेजीं, जिसमें अमरीका, फ्रांस जापान, ब्रिटेन और अन्य प्रमुख देश जैसे सभी मुख्य तेल उत्पादक देशों की पार्टियां थीं, उनमें से योग्यताओं के

आधार पर 34 पार्टियों को स्वीकृत-सूची में सम्मिलित किया गया है। मैंने मन्त्रालय और समिति से मार्च तक इन पार्टियों से बातचीत पूरी करने के लिए कहा है, जिससे कि हम उन्हें उन 28 खण्डों में कार्य दे सकें जिनका हम सितम्बर-अक्तूबर, 1981 तक चयन कर लेंगे।

श्री जैनुल बशर : हम तेल संकट का सामना कर रहे हैं और आसार ऐसे नजर आ रहे हैं कि हमें इस संकट का भविष्य में भी सामना करना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि (क) तेल की खपत में मितव्ययता बरतने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, (ख) मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई दीर्घकालीन ऊर्जा-नीति तैयार की गई है—ऊर्जा नीत से मेरा मन्तव्य है कि एक समन्वित ऊर्जा-नीति जिसमें, विद्युत, कोयले और तेल की भूमिकाओं को अलग-अलग स्थान दिया जाए। हमने देखा है कि विद्युत के क्षेत्र में असफलता के कारण और कोयले की ढुलाई में ढील के कारण तेल पर दबाव अधिक बढ़ गया है।

अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि तेल संकट को समाप्त करने हेतु क्या मन्त्री महोदय भविष्य में भी दीर्घकालीन ऊर्जा नीति के प्रतिपादन पर विचार करेंगे ?

श्री प्रकाशचन्द्र सेठी : महोदय, ऊर्जा नीति का प्रतिपादन करना कहीं बड़ा काम है। यह तो केवल इस मन्त्रालय पर ही नहीं, अन्य अनेक पहलुओं, तथ्यों पर भी निर्भर करता है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम तो तेल के, जोकि बहुत ही मूल्यवान और कीमती वस्तु हैं, परिरक्षण का विभिन्न तरीकों से प्रयत्न कर रहे हैं। उदाहरण स्वरूप, अलकोहल से पेट्रोल बनाने का प्रस्ताव है। इस प्रकार हम फरनेस-तेल पर आधारित उद्योगों और कोयला पर आधारित विद्युत संयन्त्रों को अपनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह सच है कि यदि क्षेत्रों के भीतर ही भरपूर मात्रा में बिजली मिलने लगे तो परिवहन पर से डीजल का दबाव निश्चित रूप से कम हो जायेगा क्योंकि देश की कुल डीजल की आवश्यकता का साठ प्रतिशत इसी पर खर्च होता है। ये सभी उपाय अन्य मन्त्रालयों से समन्वय स्थापित करके किए जा रहे हैं। परन्तु, मुझे यह कहना पड़ रहा है कि जहां तक ऊर्जा नीति का सम्बन्ध है, हमारे पास ऐसी कोई नीति नहीं है। यह केवल भारत की ही नहीं बल्कि समस्त विश्व की समस्या है। अत: अभी तक किसी निश्चित ऊर्जा नीति को विकसित नहीं किया गया है।

श्री सन्तोष मोहन देव : मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि योजना अवधि में असम में तेल की खोज के प्रयत्न किए जा रहे हैं। कच्छार में पेट्रोल निकाला जा सकता है। इसी प्रकार त्रिपुरा में भी। उनके यहां सात वर्ष पूर्व तेल के कुए पर काम आरम्भ किए गये थे। परन्तु चारगोला में गत दो वर्ष से 'रिग' काम नहीं कर रही है। इस तथ्य के बावजूद कि उनके पूर्ववर्ती मन्त्री ने मुझे पत्र में यह आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही एक नई 'रिग' वहां भेज दी जायेगी, वह अभी तक वहां नहीं पहुंच सकी है। थोड़े समय का मतलब है कि वहां नई 'रिग' भेजने में उन्हें कितना समय लगेगा जिससे कि उसे चालू किया जा सके और कच्छार तथा त्रिपुरा क्षेत्रों में तेल के कुगु काम शुरू कर सकें। वहां पर तो बन्द और हड़तालें भी नहीं हो रही हैं। आपका कहना है कि आप असम में ही कार्यरत हैं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि नूनमती, दुलियाजन और भारतीय उर्वरक निगम में काम करने वाले कर्मचारी जोकि वहां हड़ताल पर हैं उन्हें उनका दैनिक वेतन विभिन्न स्रोतों से दिया जा रहा है। वे कौन

से स्रोत हैं ? और स्रोत को समाप्त करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, क्योंकि वे लोग राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं और उनको कुछ राष्ट्रीय-दल भी समर्थन दे रहे हैं। (व्यवधान)। उस सबको रोकने के लिए, मन्त्रालय क्या उपाय करने जा रहा है ? हमें तो ईरान और ईराक से भीख मांगने जाने के बजाय असम से ही तेल क्यों नहीं लेना चाहिए ? मुझे मन्त्री महोदय से यही पूछना है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : श्रीमन, जहां तक कच्छार और त्रिपुरा में तेल की खोज का काम करने का सम्बन्ध है और जहां तक त्रिपुरा की बात है मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि रूस की पार्टी आने वाली है और उनसे समन्वय करके हम त्रिपुरा में कुए खोदने का काम शुरू कर रहे हैं। जहां तक कच्छार का सम्बन्ध है, वहां नई 'रिग' भेजने के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, परन्तु मैं माननीय सदस्य को इतना आश्वासन दे सकता हूं कि मैं समस्या पर विचार करूंगा जबकि उनके पत्र लिखने और 'रिग' वास्तव में ही वहां भेजने में पर्याप्त समय बीत चुका है। जहां तक हड़ताली अधिकारियों की बात है हमने यह बात आयल इण्डिया तथा तेल और प्रकृितिक गैस आयोग दोनों के ही कर्मचारियों से स्पष्ट कर दी है कि जितने दिन वे अनुपस्थित रहते हैं, उसका उन्हें वेतन नहीं मिलेगा। अब, यदि उन्हें अपना वेतन और भत्ते अन्य स्रोतों से मिल रहे हैं तो मेरे विचार से यह प्रश्न तो किसी अन्य को ही भेजा जाए।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दामोदर घाटी निगम द्वारा इस्पात संयंत्र को बिजली की सप्लाई

* 24 **श्री सपर मुखर्जी** : क्या ऊर्जा मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 12 महीनों में दामोदर घाटी निगम द्वारा इस्पात संयंत्रों को महीने वार कितनी बिजली सप्लाई की गई है; और

(ख) प्रत्येक इस्पात संयंत्र की मांग और दामोदर घाटी निगम द्वारा की गई वास्तविक सप्लाई के बीच कितना अन्तर है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) (क) और (ख) : सूचना देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

चालू—

विवरण

इस्पात संयंत्र का नाम	इस्पात संयंत्र की संविदात्मक मांग, एम.वी.ए. में	दामोदर घाटी निगम द्वारा प्रतिदिन वास्तविक (औसत) सप्लाई अक्तू०, 79	नव०, 79	दिस०, 79	जन०, 80	फर०, 80	मार्च, 80	अप्रै०, 80	मई, 80	जून, 80	जुला०, 80	अगस्त, 80	सितम्बर 80
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. बोकारो स्टील लि०	145.0	65.8	52.4	55.0	63.6	57.2	47.6	44.3	61.3	56.5	60.6	49.6	43.6
2. बिहार अलाय स्टील लि०	35.0	12.3	10.6	11.2	10.9	11.7	11.6	10.9	10.7	9.2	11.5	11.2	11.4
3. हिन्दुस्तान मैलिएबल्स एण्ड फोरजिंग	3.0	1.1	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.0	1.2
4. बिहार फाउण्डरी एण्ड कास्टिंग लि०	6.3	1.8	2.3	2.0	1.8	1.7	1.9	1.8	0.5	0.6	1.9	1.8	1.9
5. दुर्गापुर स्टील संयंत्र	50.0	31.2	23.9	26.2	27.4	25.9	20.9	21.0	18.8	20.3	24.6	26.7	22.4
6. अलाय स्टील प्लांट, दुर्गापुर	50.0	19.6	17.7	18.6	21.2	18.2	17.3	12.7	12.2	15.2	17.7	16.8	16.2
7. इण्डियन आयरन एण्ड स्टील, बर्नपुर	25.0	12.4	10.8	12.7	17.2	16.6	10.0	8.1	8.2	10.0	11.2	10.4	9.1

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.	इण्डियन आयरन एण्ड स्टील, कुल्टी	8.0	3.9	4.2	3.9	4.2	3.8	3.3	2.7	2.9	2.7	2.8	2.7	2.3
9.	राजहंस स्टील लि०	4.0	0.25	0.33	0.62	0.25	0.60	0.80	1.1	1.0	0.9	0.9	1.0	1.1
10.	टाटा आयरन एण्ड स्टील, जमशेदपुर	100.0	53.2	43.1	41.9	49.8	46.2	35.0	34.0	30.1	40.8	47.6	39.6	37.7
	जोड़	426.3	201.55	166.53	173.42	197.65	182.5	150.8	137.8	146.9	157.4	181.4	160.8	146.3

टिप्पणी : एम० बी० ए० में औसत सप्लाई का हिसाब लगाने के लिए, यूनिट उपभोग को घण्टों की संख्या तथा 0.85 के औसत विद्युत अनुपात से भाग दिया गया है।

राजधानी में बिजली की कटौती

*25 श्री रशीद मसूद :

श्री भीकूराम जैन : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 अगस्त, 1980 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कार्यकरण के बारे में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि वह इस वर्ष ग्रीष्म ऋतु के शुरू होने से राजधानी में बिजली में लगातार कटौती कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संस्थान के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या ठोस कार्यवाही की है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी ऊर्जा मंत्री : (क) दिल्ली में बिजली की लोड शैडिंग के बारे में 22 अगस्त, 1980 को "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित प्रेस रिपोर्ट की जानकारी सरकार को है।

(ख) बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र से विद्युत सप्लाई की व्यवस्था करके तथा पड़ोसी उत्तरी ग्रिड से समय-समय पर आवश्यक सहायता की व्यवस्था करके दिल्ली की विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को आवश्यक सहायता दी जा रही है। कुल मिलाकर, दिल्ली की विद्युत की मांग को पूरा करना सम्भव है। इन्द्रप्रस्थ तथा बदरपुर ताप विद्युत केन्द्रों पर अधिक विद्युत उत्पादन यूनिटों की बन्दी के कारण कुछ अवसरों पर जब कम विद्युत उपलब्ध थी, तब स्थिति का सामना करने के लिए लोड शैडिंग का सहारा लेना पड़ा था। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि सामान्यत: लोड शैडिंग सम्बन्धी सूचना का व्यापक प्रचार समाचार पत्रों के जरिए किया जाता है तथा समाचार पत्रों में दिए गए लोड शैडिंग कार्यक्रम का सख्ती से पालन किया जाता है। जब अचानक ही विद्युत की कमी हो जाती है, तब उपभोक्ताओं को लोड-शैडिंग की पहले से सूचना देना उनके लिए सम्भव नहीं होता। तथापि, अगस्त, 1980 से दिल्ली में विद्युत सप्लाई की स्थिति सन्तोषजनक बनी हुई है।

दिल्ली में विद्युत सप्लाई के प्रबन्ध के लिए नया ढांचा बनाना भी सरकार के विचाराधीन है।

विद्युत सम्बन्धी राज्याध्यक्ष समिति की सिफारिश

*26 श्री मूलचन्द डागा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्याध्यक्ष समिति ने किसानों को बिजली की दरों में दी गई राहत वापस लेने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी ऊर्जा मंत्री (क) और (ख) : सुदृढ़ वित्तीय प्रबंध व्यवस्था तथा इसे प्राप्त करने के लिए समुचित टैरिफ ढांचों के संदर्भ में, विद्युत पर राजाध्यक्ष समिति ने सिफारिश की है कि कृषकों तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं को एक वर्ग के रूप में आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता नहीं है तथा ऐसी आर्थिक सहायता के लिए जो ग्रुप पात्र ठहराए जा

सकते हैं वे हैं लघु तथा सीमान्त किसान तथा भूमिहीन श्रमिक और गन्दी बस्तियों के निवासी।

समिति की रिपोर्ट की प्रतियां राज्यों को भेजी जा चुकी हैं, जो विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए सक्षम हैं। रिपोर्ट पर विद्युत मंत्रियों के अगले सम्मेलन में विचार-विमर्श किया जाएगा ताकि इसकी सिफारिशों पर राज्यों के साथ परामर्श करके शीघ्रतापूर्वक निर्णय लिये जा सकें।

न्यायाधीशों के रिक्त पद

***27 श्री जी० एम० बनातवाला श्री मुकुन्द मंडल : क्या विधि, न्याय और कम्पनी** कार्य मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 अक्तूबर, 1980 को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों के रिक्त पद कितने थे,

(ख) इनमें से प्रत्येक पद कितने समय से रिक्त है;

(ग) रिक्त पद भरे जाने में बिलम्ब होने के क्या कारण हैं, और

(घ) ये रिक्त पद कब तक भरे जायेंगे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तारीख 20 अक्तूबर, 1980 की स्थिति के अनुसार रिक्त पदों की संख्या निम्नलिखित थी, अर्थात :—

(1) उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों की संख्या 5

(2) उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधिपतियों के रिक्त पदों की संख्या 5

(3) उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों की संख्या 44

(ख) उच्च न्यायालयवार इन पदों की संख्या और वे तारीखें जब से वे पद रिक्त हैं, संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) जहाँ तक उच्च न्यायालयों का सम्बन्ध है अधिकांश मामलों में राज्य प्राधिकारियों से पूर्णरूप से निश्चित प्रस्ताव अभी प्राप्त होने हैं। तारीख 20 अक्तूबर, 1980 तक उच्च न्यायालयों में केवल 12 रिक्त पदों की बाबत पूर्णरूप से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्य प्राधिकारियों को बराबर स्मरण दिलाया जा रहा है। जिन पदों के रिक्त होने की सम्भावना है उन्हें भरने के लिए पहले से ही कार्रवाई करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में बल देकर मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधिपतियों को लिखा गया है। जहाँ तक उच्चतम न्यायालय में रिक्त पदों का सम्बन्ध है। उन्हें भरने के विषय में विचार किया जा रहा है और संविधान के उपबंधों के अनुसार परामर्श पूरे किए जा रहे हैं।

(घ) यह बताना सम्भव नहीं है कि ये पद किस तारीख तक भरे जायेंगे।

विवरण

विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में 20-10-1980 को न्यायाधीशों के रिक्त पद

क्र० सं०	उच्च न्यायालय	रिक्त पद	तारीख जिससे स्तम्भ (3) में दर्शित विद्यमान पद रिक्त पड़े हैं
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	इलाहाबाद	5	25-7-1980
			30-7-1980
			30-7-1980
			30-7-1980
			30-7-1980
2.	आन्ध्र प्रदेश	4	16-3-1979
			6-1-1980
			1-7-1980
			4-7-1980
3.	मुम्बई	1	8-10-1980
4.	कलकत्ता	8	1-8-1978
			12-8-1978
			23-11-1979
			23-11-1979
			23-11-1979
			23-11-1979
			26-12-1979
			1-2-1980
5.	दिल्ली	4	23-11-1979
			28-5-1980
			27-6-1980
			4-9-1980
6.	गोहाटी	3	6-4-1978
			7-7-1979
			1-3-1980
7.	गुजरात	3	16-12-1978
			31-7-1979
			18-5-1979

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	हिमाचल प्रदेश	1	11-1-1980
9.	जम्मू-कश्मीर	1	23-2-1980
10-	कर्नाटक	2	26-10-1979
			23-7-1980
11.	केरल	1	1-8-1980
12-	मध्य प्रदेश	2	21-2-1980
			21-7-1980
13.	मद्रास	4	25-5-1979
			25-1-1979
			6-11-1979
			27-3-1980
14.	उड़ीसा	3	14-9-1979
			1-8-1980
			1-10-1980
15.	पटना	2	1-8-1979
			1-2-1980
16.	पंजाब और हरियाणा	3	9-2-1979
			19-3-1980
			15-10-1980
17.	राजस्थान	2	15-6-1980
			10-7-1980
		49	
	उच्चतम न्यायालय	5	दिसम्बर, 1977*
			दिसम्बर, 1977*
			1-8-1980
			12-9-1980
			15-10-1980

*उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अधिनियम, 1977 द्वारा उच्चतम न्यायालय की मंजूरीकृत संख्या दिसम्बर, 1977 में 13 (इसमें मुख्य न्यायाधिपति सम्मिलित नहीं है) से बढ़ाकर 17 (इसमें मुख्य न्यायाधिपति सम्मिलित नहीं है) कर दी गई थी। किन्तु सरकार द्वारा उस समय यह विनिश्चय किया गया था कि तत्समय वास्तव में केवल 15 पद (इसमें मुख्य न्यायाधिपति सम्मिलित नहीं है) भरे जाएं। नवम्बर, 1979 में सरकार ने शेष दो पदों को भी भर देने का विनिश्चय कर लिया।

फिल्मों में यौन सम्बन्ध और अश्लीलता

*28 **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि कुछ फिल्मों में यौन सम्बन्धों को अश्लील ढंग से पेश किया जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि बहुत सी फिल्में यौन-हिंसा और अपराधों के दृश्यों से भरी होती हैं जिनसे छात्रों और युवकों की नेतिकता पर कुप्रभाव पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (ग) कुछ फिल्मों, भारतीय और विदेशी दोनों, में सेक्स, अशिष्टता, हिंसा, आदि दिखाने वाले दृश्य अवश्य होते हैं। चलचित्र अधिनियम, 1952 के उपबंधों और उनके अधीन जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, फिल्म, सेंसर बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि हिंसा जैसी समाज-विरोधी क्रियायें उत्कृष्ट या न्यायोचित न ठहरायी जायें और अशिष्टता, अश्लीलता और भ्रष्टता द्वारा मानविक संवेदनशीलता क्षुब्ध न की जाए। मार्गदर्शी सिन्द्धातों के अनुसार जिन दृश्यों को आपत्तिजनक समझा जाता है, उनको सेंसर किया जाता है और जिन फिल्मों को अवयस्कों के लिए प्रदर्शन के लिए अनुपयुक्त समझा जाता है उनको "ए" प्रमाणपत्र दिए जाते हैं। जिन फिल्मों को वयस्कों के लिए भी प्रदर्शन के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता उनके प्रमाणपत्र देने से इन्कार कर दिया जाता है। फिल्मों के बारे में समाचारपत्रों में और अन्य सार्वजनिक मंचों पर लोगों की जो प्रतिक्रिया होती हैं, फिल्म सेंसर बोर्ड उसपर ध्यान देता है और उपयुक्त सुधार करने के लिए समय समय पर सेंसर दृष्टिकोण की समीक्षा करता है।

हाई स्पीड डीजल में मिट्टी तेल की मिलावट

*29. **श्री वालेसाहेब विखे पाटिल**

श्री चिन्तामणि जेना : क्या पेट्रोलियम, तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हाई स्पीड डीजल में मिट्टी तेल की मिलावट को रोकने हेतु कार्यवाही करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्र ने सभी राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे मिट्टी तेल की डिलीवरी तथा बिक्री पर नियंत्रण रखने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि तेल कम्पनियों द्वारा सप्लाई किया जाने वाले सम्पूर्ण उत्पाद प्रयोगता तक पहुंच सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) एवं (ख) जी, हां।

(ग) 8 जून, 1980 से पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि होने के कारण हाई स्पीड डीजल तेल व मिट्टी के तेल के मूल्य में प्रति लिटर 65 पैसे या अधिक की मूल्य भिन्नता उत्पन्न हो गई है। चूंकि इसके फलस्वरुप खाना पकाने एवं जलाने के अलावा अन्य उद्देश्यों तथा डीजल में मिट्टी के तेल की मिलावट के लिए मिट्टी के तेल की सीधी मांग में वृद्धि हो सकती है, राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों से प्रार्थना की गई थी कि वह हाई स्पीड डीजल तेल में मिट्टी के तेल के मिलाए जाने की रोकथाम के लिए अपनी वितरण प्रणाली को कारगर बनायें। राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी गई थी कि यह मिट्टी के तेल की डिलीवरी तथा विक्रय की अधिकाधिक जांच के लिए विस्तृत योजना तैयार करें जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि तेल कम्पनियों द्वारा सप्लाई किया गया सारा उत्पाद उपभोक्ताओं तक जिनके लिये यह दिया गया है, पहुंचे।

मथुरा तेल शोधक कारखाने के पूरा होने में विलम्ब

*30. श्री जगपालसिंह :

प्रो० अजीत कुमार मेहता : क्या पेट्रोलियम, तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मथुरा तेल शोधक कारखाना कब चालू होना था तथा इसके पूरे होने की कब तक सम्भावना है;

(ख) इस परियोजना के पूरे होने में विलम्ब होने के क्या कारण है; और

(ग) इसके पूरे होने में हुए विलम्ब के कारण लागत में कितनी वृद्धि हुई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) मथुरा शोधनशाला प्रायोजना को सरकार ने अगस्त, 1973 में अपनी स्वीकृति प्रदान की थी और इसको वर्ष 1978 के मध्य तक चालू करना निर्धारित किया गया था। बाद में, खनिज तेल मूल्यों में वृद्धि होने के कारण और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग के रूप में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप, शोधनशाला के कार्यक्रम पर पुन: विचार किया गया और सितम्बर, 1975 में यह तय किया गया था कि शोधनशाला को यांत्रिकी रूप से वर्ष 1979 तक पूरा कर लिया जायेगा और इसको अप्रैल, 1980 तक चालू कर दिया जायेगा। बाद में नीचे भाग (ख) में वर्णित अनेक कारणों से इस कार्यक्रम को पूरा नहीं किया जा सका था। वर्तमान संकेतों के अनुसार शोधनशाला को वर्ष 1981 के अन्त तक चालू करने की संभावना है। तथापि इस बात के प्रयत्न किए जा रहे हैं कि शोधनशाला के कम से कम एक भाग को जून, 1981 तक चालू किया जाये।

(ख) प्रायोजना को विलम्ब से चालू करने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) सोवियत संघ से काम में आने वाली ड्राइंगों का विलम्ब से प्राप्त होना और उसके परिणामस्वरुप देशी उपकरण और सामग्री जुटाने के कार्य को देर से आरम्भ करना;

(2) देशी और विदेशी सप्लायरों द्वारा उपकरण और सामग्री सप्लाई में विलम्ब ।

(3) देशी उपकरण और सामग्री को प्रयोग में लाने की दृष्टि से सोवियत संघ से प्राप्त हुई ड्राइंगों में पर्याप्त पुन: इंजीनियरिंग करने की आवश्यकता;

(4) अभूतपूर्व वर्षा और बाढ़ जो वर्ष 1978 के दौरान आये थे;

(5) अक्तूबर, 1978 से 1979 के मध्य तक विभिन्न ठेकेदारों द्वारा लगातार अनुभव की गई श्रमिक कठिनाइयां;

(6) सितम्बर, 1979 से राज्य सरकार द्वारा विद्युत पर लगाई गई कटौती ।

(ग) प्रायोजना की मूल स्वीकृति लागत 97 करोड़ रुपये की थी । सरकार ने मई, 1979 में संशोधित लागत अनुमानों पर स्वीकृति प्रदान की थी जो 192.32 करोड़ रुपये के होते हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रायोजना की लागत लगभग 230 करोड़ रुपये तक पहुंच जायेगी । प्रायोजना को विलम्ब से चालू करने के परिणामस्वरूप लागत में कितनी वृद्धि होगी उसकी मात्रा यथार्थ रूप में नहीं निकाली गई है ।

विदेशी फर्मों द्वारा तेल की खोज

*31. **श्री आर० वाई० घोरपाड़े :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल की खोज का द्रुत अभियान चलाने के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो विदेशी फर्मों से इसके लिये क्या क्या पेशकश प्राप्त हुई है;

(ग) तेल की खोज के लिये तट दूर तथा तट पर कौन-कौन से क्षेत्र नियत किए गए हैं; और

(घ) इस मामले को सरकार संभवत: कब अन्तिम रूप दे देगी और यह कार्य कब आरम्भ हो जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) तथा (ख) जी, हां । तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इण्डिया लि० द्वारा देश में तेल अन्वेषण कार्य को तेज करने के लिए किए गये उपायों के अतिरिक्त सरकार ने निर्णय किया है कि इच्छुक विदेशी कम्पनियों को भी तटीय एवं अपतटीय क्षेत्रों में चुने हुए खण्डों में हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण एवं विकास में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाए ।

इस कार्य के लिए अगस्त, 1980 में पूर्ण अहर्ता बोलियां (प्री क्वाली फाइंग बिड्स) आमंत्रित की गई थीं जिसमें इच्छुक पार्टियों से अपनी रुचि दिखाने के लिए तथा अपनी तकनीकी एवं आर्थिक संक्षमता का ब्योरा देने के लिये कहा गया था । इस पूर्व अहर्ता बोली (प्री क्वाली फाइंग बिड) के लिए 67 पार्टियों ने अपने विवरण भेजे थे जिनमें से 34 पार्टियों को अन्तरिम रूप से विस्तृत बोलियों के लिये छोटी सूची में रखा गया है ।

(ग) 28 खण्डों—तटीय एवं अपतटीय दोनों को देने के लिये चुना गया है।

(घ) जितना जल्द हो सका मामले को अन्तिम रूप दिया जायेगा तथा छोटी सूची में रखी पार्टियों को विशेष खण्डों के लिए बोलियों के लिए आमंत्रित किया जायेगा। आशा है कि 1981-82 के फील्ड सीजन से इस व्यवस्था के अन्तर्गत वास्तविक कार्य प्रारम्भ हो सकेगा।

अन्य देशों से पेट्रोलियम अशोधित तेल की सप्लाई

***32. श्री पीयूष तिरकी :**

श्री छीतूभाई गामित : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पेट्रोलियम अशोधित तेल की अधिक मात्रा में सप्लाई के लिये अन्य देशों से अनुरोध किया है :

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और पेट्रोलियम अशोधित तेल का कितनी मात्रा में आयात किया जाएगा; और

(ग) प्रत्येक देश को कितनी राशि का तथा कितने वर्षों में भुगतान किया जायेगा और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) से (ग)—हमारे परम्परागत सप्लायरों के अतिरिक्त हमने दूसरे कई देशों के साथ अशोधित तेल की सप्लाई के लिए सम्पर्क किया है। जबकि कुछ देशों ने निश्चित वायदे किये हैं अन्य देशों से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

पेट्रोल की खपत पर प्रतिबन्ध

***33. श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री के० प्रधानी : क्या पेट्रोलियम, तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोल की खपत पर प्रतिबन्ध लगाकर पेट्रोल की बचत करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं अथवा किये जा रहे हैं; और

(ख) अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्रक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) सरकार द्वारा पेट्रोल के उपभोग को सीमित कर इसकी बचत के लिये उठाये गए कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्न हैं :—

1. पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई थी जिससे यह पेट्रोल वाहनों के अंधाधुंध प्रयोग पर अंकुश के रूप में कार्य कर सके;

2. केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को परामर्श दिया गया है कि वह अपनी स्टाफकारों में पेट्रोल की खपत में बचत करें;

3. मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में पेट्रोल और अल्कोहल के मिश्रण के प्रयोग की संभाव्यता का मूल्यांकन करने के लिए कदम उठाये गए हैं।

(ख) पेट्रोल के उपभोग को नियंत्रित करने के लिए वित्तीय उपाय सबसे प्रभावकारी साधन सिद्ध हुये हैं। 1973-74 में तेल संकट से इस उत्पाद की दरों में लगातार वृद्धि के फलस्वरूप 1979-80 में पेट्रोल की कुल खपत में 1.52 मि.मि. टन की कुल खपत के मुकावले केवल 1.48 मि. मी. टन थी।

पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश में लोक सभा और विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचन

*34. **श्री नारायण चोबे :**

श्री भोगेन्द्र झा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश में विधान सभा और लोक सभा के निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचन स्थगित कर दिये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस विषय में राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया गया था ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 149 और 150 के अधीन जबकि लोक सभा/किसी राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्य का स्थान रिक्त हो जाता है या रिक्त घोषित कर दिया जाता है या लोक सभा/विधान सभा के लिये उसका निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाता है, तब निर्वाचन आयोग उक्त धाराओं की उप-धारा 2 के अध्यधीन रहते हुए सम्पृक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/सभा निर्वाचन क्षेत्र से भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे हुई रिक्त को भरने के प्रयोजन के लिये ऐसी तारीख से पूर्व, जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, एक व्यक्ति निर्वाचित कर दे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश में उप-निर्वाचन कराने के लिये अधिसूचनायें अभी तक जारी नहीं की हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लम्बित मामले

*35. **श्री विजय कुमार यादव :**

श्री गगनगोम मोहेन्द्रा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में वर्षों से हजारों मामले लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों में (एक) 3 वर्ष या अधिक (दो) पांच वर्ष या अधिक (तीन) 10 वर्ष या अधिक समय से लम्बित मामलों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) क्या तीन वर्षों से अधिक समय से लम्बित मामलों को विनिदिष्ट समय के भीतर निपटाने के लिए कोई योजना तैयार करने के लिये सरकार के पास कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी हाँ।

(ख) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों से इस सम्बन्ध में जो जानकारी प्राप्त हुई है वह संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) इस समय सरकार तीन वर्ष से कम और तीन वर्ष से अधिक पुराने बकाया मामलों में विभेद करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में जो बकाया मामले इकट्ठे हो गए हैं, उनके बारे में सरकार गंभीर रूप से चिंतित है। सरकार ने उच्चतम न्यायालय को विभिन्न सुझाव दिए हैं और उन सुझावों के सम्बन्ध में जो सिफारिशें प्राप्त हुई हैं उनकी तथा विधि आयोग की 79वीं रिपोर्ट की समीक्षा अधिकारियों की एक अन्तरविभागीय समिति कर रही है। इस समिति की रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त हो जाने की आशा है। इस बीच इस समस्या से बरतने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं या उन पर विचार किया जा रहा है इसमें कुछ महत्वपूर्ण कदम, अन्य रूप से बकाया मामलों को निपटाने के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, एकल न्यायाधीश के निर्णयों के विरुद्ध लेटर्स पेटेन्ट अपील को समाप्त करना, प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करना और न्यायिक सुधारों पर विचार करने के लिए समिति नियुक्त करना है।

विवरण

31-12-1979 को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में 3 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक, और 10 वर्ष से अधिक समय से लम्बित मामलों की संख्या।

न्यायालय का नाम	31-12-1979 को लम्बित मामलों की संख्या		
	3 वर्ष या अधिक	5 वर्ष या अधिक	10 वर्ष या अधिक
1	2	3	4
उच्चतम न्यायालय			
(नियमित सुनवाई वाले मामले)	7223	4675	102
उच्च न्यायालय			
इलाहाबाद	37705	17585	1231
आन्ध्र प्रदेश	752	8	1
मुम्बई	21868	9712	953
कलकत्ता*	33310	18942	8109
दिल्ली	12301	7704	846
गोहाटी	2649	1123	60
गुजरात	2320	251	12

1	2	3	4
हिमाचल प्रदेश	1338	638	18
जम्मू-कश्मीर	832	241	17
कर्नाटक*	12180	2626	1
केरल	2306	44	कुछ नहीं
मध्य प्रदेश*	11337	5993	549
मद्रास	4219	505	4
उड़ीसा	1235	551	6
पटना*	10116	5648	1104
पंजाब और हरियाणा	15731	9518	1662
राजस्थान*	9251	4984	398
सिक्कम	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कुल	179450	86073	14971

*कलकत्ता, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पटना और राजस्थान उच्च न्यायालयों की बाबत आँकड़े केवल मुख्य मामलों के ही हैं।

सोवियत संघ द्वारा तेल की सप्लाई

** 36. श्री पी० एम० सईद : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के इराक-ईरान युद्ध के कारण हुई तेल की कमी को पूरा करने के बारे में सोवियत संघ ने सहमति व्यक्त की थी; और

(ख) क्या रूसी तेल भारत पहुंच चुका है तथा सोवियत संघ ने क्या शर्तें लगाई हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) ईरान-ईराक युद्ध के कारण आयातित अशोधित तेल की सप्लाई में आई कमी को पूरा करने के लिए हमने सोवियत रूस सहित कई देशों से बात की है। इससे अधिक ब्यौरे देना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा।

रंगीन टेलीविजन

*37. श्री एच० एन० नन्जेगौड़ा :

श्री डी० एम० पुत्तेगौडा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रंगीन टेलीविजन के बारे में सही स्थिति क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में समाचार पत्रों में हो रहे प्रतिकूल प्रचार पर विचार

करने के लिए कोई कदम उठाये हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) देश में रंगीन टेलीविजन प्रारम्भ करने के प्रश्न पर सरकार द्वारा अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है समूचा मामला विचाराधीन है ।

रंगीन टेलीविजन प्रारम्भ करने के प्रस्ताव के बारे में विविध प्रतिक्रियाएं पत्रों में छपी हैं। सरकार देश में रंगीन टेलीविजन प्रारम्भ करने के बारे में निर्णय लेते समय इन सभी विचारों को ध्यान में रखेंगी ।

कर्नाटक में बिजली की कमी

*38. **श्री एस० बी० सिवनाल** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक में विद्युत उत्पादन क्षमता अपर्याप्त है और राज्य को बिजली की मांगें पूरी करने के लिए बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) उक्त कमी दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) इस समय कर्नाटक में विद्युत की कोई कटौती नहीं है और आवश्यकताएं पूर्णतः पूरी की जा रही है। राज्य की वर्तमान आवश्यकताएं लगभग 25 मिलियन यूनिट प्रतिदिन हैं। ये आवश्यकतायें कर्नाटक के अपने जल विद्युत केन्द्रों से प्रतिदिन होने वाले 22.5 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन से तथा केरल से लगभग 2.5 मिलियन यूनिट की सहायता लेकर भली भांति पूरी की जा रही हैं। तथापि, केरल से लगभग 2 से 3 मिलियन यूनिट प्रतिदिन प्राप्त करने के बाद भी, दिसम्बर, 1980 से जून, 1981 की अवधि के दौरान कर्नाटक में प्रतिमाह 89 मिलियन यूनिट से 214 मिलियन यूनिट तक की कमी हो सकती है। इस कमी को पूरा करने के लिए राज्य को दिसम्बर के बाद उद्योगों पर सीमान्त कटौती लागू करनी पड़ सकती है। राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने की दृष्टि से 1980-87 की अवधि के दौरान चालू किए जाने के लिए कुल 1922 मेगा० क्षमता के कई विद्युत केन्द्र इस समय निर्माण की विभिन्न स्थितियों में हैं। इनका विवरण निम्नानुसार है:—

विद्युत केन्द्र	यूनिटों की संख्या तथा क्षमता (मेगा०)	कुल क्षमता (मेगा०)	चालू करने की निर्धारित तारीख
1	2	3	4
1. काली नदी विद्युत केन्द्र चरण-1	1 × 135	135	1980-81 (अगस्त, 80)
	4 × 135 यूनिट 3 से 6	540	2 यूनिटें 1981-82 2 यूनिट 1982-83
2. काली नदी जल विद्युत केन्द्र चरण-2	2 × 25 × 4 × 32 + + 4 × 25	278	अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

1	2	3	4
3. सुफा जल विद्युत परियोजना	2×50	100	1984-85
4. वराही जल विद्युत परियोजना	2×1·15	230	1986-87
5. मणि जल विद्युत परियोजना	2×4.5	9	1983-84
6. गंगावथी (बेदथी) जल विद्युत परियोजना चरण-1	2×105	210	1985-86/86-87
7. रायचूर (ताप विद्युत)	2×210	420	1—1983-85 1—1984-85
	जोड़	1922	

आशा की जाती है कि ये परियोजनाएं कर्नाटक की आवश्यकताओं को पूरा करेंगी।

मंगलोर में तेल शोधक कारखाना और पेट्रो-रसायन काम्प्लेक्स की स्थापना

*39. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मंगलोर में तेल शोधक कारखाना और पेट्रो-रसायन काम्प्लेक्स स्थापित करने किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है :

(ख) क्या फैडरेशन आफ कर्नाटक चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री के प्रतिनिधि मण्डल ने भी एक रूप रेखा प्रस्तुत की है जिसमें इस की आवश्यकता पर बल दिया गया है और मंगलोर में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने से होने वाले विभिन्न फायदों को बताया गया है : और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त (क) भाग सम्बन्धी विवरण क्या है और उपरोक्त (ख) के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने मार्च 1979 में पश्चिमी तट पर नई शोधनशाला के लिए संभावित स्थल के लिए मंगलोर की सिफारिश की थी। सरकार द्वारा कर्नाटक में पेट्रो-रसायन समूह की शीघ्र स्थापना की सम्भावना नहीं है।

(ख) जी, हां।

(ग) जहां तक (क) का सम्बन्ध है विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद सरकार ने अतिरिक्त शोधन क्षमता के स्थल के लिए विशेष सिफारिश करने के लिए स्थल चयन समिति की नियुक्ति की है।

जहां तक (ख) का सम्बन्ध है विशेषज्ञ समिति ने मंगलोर की उपयुक्तता पर पहले ही विचार कर लिया है।

निर्वाचनों में इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीन का उपयोग करने का प्रस्ताव

*40. जी० वाई० कृष्णन :

श्री एन० ई० होरो : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचनों में इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीन का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में राजनीतिक दलों के विचार भी व्यक्त किये गये हैं; और

(ग) क्या सरकार सभी मतदाताओं के लिए पहचान-पत्र जारी कर रही है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) निर्वाचन आयोग, भावी निर्वाचनों में इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीन को उपयोग में लाने के प्रश्न पर विचार कर रहा है।

(ख) आयोग विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष इस मशीन के कार्यकरण का प्रदर्शन कर चुका है।

(ग) यह मामला विचाराधीन है।

दूरदर्शन केन्द्र

201. **श्री सी० पी० जदेजा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने दूरदर्शन केन्द्र तथा प्रसारण केन्द्र कार्यरत हैं तथा वे कहां कहां स्थापित हैं; और

(ख) आगामी दो वर्षों में कितने नये दूरदर्शन केन्द्र तथा प्रसारण केन्द्र स्थापित किए जाने की सम्भावना है तथा कहां-कहां ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) इस समय दिल्ली, बम्बई, श्रीनगर, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ और जलन्धर में कार्यक्रम तैयार करने की सुविधाओं से युक्त 7 पूर्णरूपेण दूरदर्शन केन्द्र हैं। पुणे, मसूरी, कानपुर और अमृतसर में 4 रिले केन्द्र हैं जो क्रमशः बम्बई, दिल्ली, लखनऊ और जलन्धर के दूरदर्शन केन्द्रों के कार्यक्रम रिले करते हैं। हैदराबाद, दिल्ली और कटक में तीन बेस प्रोडक्शन सेंटर हैं जो हैदराबाद और गुलबर्गा रायपुर, जयपुर, तथा मुजफ्फपुर सम्बलपुर तथा के 6 "साइट" उत्तरवर्ती प्रेषण केन्द्रों के लिए कार्यक्रम तैयार करते हैं। इसके अलावा, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, अहमदाबाद के स्टूडियो का पिज के "साइट" उत्तरवर्ती प्रेषण केन्द्र के लिए कार्यक्रम तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है।

(ख) अगले दो वर्ष के दौरान किसी नए दूरदर्शन केन्द्र या रिले केन्द्र के चालू होने की सम्भावना नहीं है ।

अतिरिक्त भूमि की सिचाई हेतु राजस्थान सरकार के प्रस्ताव

202. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने गंगा और यमुना के पानी से 45,000 एकड़ भूमि और गुड़गांव नहर से 300,000 एकड़ भूमि की सिंचाई करने के प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किए हैं :

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन प्रस्तावों पर विचार कर लिया है और यदि हां, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र को यह भी सूचित किया है कि वे पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तावित सामान्य नहर परियोजना के विरुद्ध है; और

(घ) क्या सरकार ने उक्त मामले में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न किया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) चुरु लिफ्ट सिंचाई स्कीम को व्यवहार्यता रिपोर्ट, जिसमें राजस्थान के चूरू और झुनझुनु जिलों में 1.39 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई परिकल्पित है, राजस्थान के मुख्य इन्जीनियर द्वारा 1975 में प्रस्तुत की गई थी । इस स्कीम में अंशत: गंगा और अंशतः यमुना से 3000 क्यूसेक जल के उपयोग का प्रस्ताव था उत्तर प्रदेश सरकार का विचार है कि उनकी प्रस्तावित स्कीमों के पूरा होने के पश्चात गंगा नदी के जल में से कोई फालतू जल उपलब्ध नहीं होगा । सम्बद्ध बेसिन राज्यों के बीच यमुना के जल के बंटवारे का प्रश्न अभी तय नहीं हुआ है ।

गुड़गांव नहर परियोजना को 1976 में अनुमोदित किया गया था । इस परियोजना में जुलाई से नवम्बर तक के दौरान राजस्थान के भरतपुर जिले में 42169 हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई के लिए यनुना के 500 क्यूसेक जल के उपयोग की परिकल्पना की गई है । परियोजना के 1984-85 में पूर्ण होने हो जाने की सम्भवना है ।

(ग) और (घ) माननीय सदस्य का प्रश्न सम्भवत: राजस्थान की गंगा नहर के लिए, जिसे पंजाब में बीकानेर नहर के नाम से जाना जाता है, सिचाई-सप्लाई के वैकल्पिक प्रवन्धों के रूप में एक संयुक्त चैनल के निर्माण के लिए पंजाब सरकार के प्रस्ताव के बारे में है । राजस्थान सरकार इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है ।

राजस्थान सरकार द्वारा यह मामला केन्द्र को निर्दिष्ट किये जाने पर दोनों राज्यों को स्वीकार्य हल ढूंढने के लिए, बैठकें आयोजित की गई थीं । फरवरी, 1980 में हुई गत बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि अभिग्रहीत की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल तथा लागत के आधार पर दोनों राज्यों को इन दोनों प्रस्तावों के अनुमानों की जांच करनी चाहिये इस अध्ययन का परिणाम अभी राज्य सरकारों से प्राप्त नहीं हुआ है ।

यूरिया का उत्पादन औरमांग

203. **श्री सुसील भटटाचार्य:** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उवंरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान यूरिया का वर्षवार, कितना उत्पादन हुआ, और

(ख) उत्पादन और मांग के बीच कितना अन्तर है'

पेट्रोलियम, रसायन और उवंरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीरसिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान सभी उर्वरक प्लांटों द्वारा नाइट्रोजन के रूप में यूरिया का उत्पादन, नाट्रोजन का कुल उत्पादन और नाइट्रोजन के उत्पादन और उसकी खपत में अन्तर को नीचे दर्शाया गया है ।

(आंकड़े लाख टनों में)

वर्ष	नाइट्रोजन के रूप में यूरिया का उत्पादन	नाइट्रोजन का कुल उत्पादन	नाइट्रोजन के उत्पादन और खपत में अन्तर
1977-78	14.13	20.00	9.13
1978-79	15.12	21.70	12.50
1979-80	16.13	22.26	12.72

उत्तर अंडमान में कलपोंग नदी पर सिचाई बांध

204. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर अंडमान में कलपोंग नदी पर एक सिंचाई बांध के प्रस्तावित निर्माण का पता है, जिसकी जांच केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के जांच प्रभाग द्वारा की गई थी;

(ख) क्या जांच प्रभाग ने सिंचाई के लिए और जल-विद्युत उत्पादन के लिए बांध के निर्माण के बारे में कोई प्रतिवेदन पेश किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बात पर विचार करते हुए कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में एक एकड़ भूमि की भी सिंचाई नहीं होती है और यदि वहां एक बांध बना दिया जाए तो केवल वही एक ऐसा बांध होगा जिससे वहां सिंचाई सुविधायें उपलब्ध हो सकेगी, कलपोंग नदी पर बांध का निर्माण करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार किया है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी : (क) और (ख) कलपोंग परियोजना चरण-एक की रिपोर्ट, जिसमें 940 किलोवाट विद्युत के उत्पादन और 400 हेक्टेयर सिंचाई शक्यता सृजित करने की परिकल्पना की गई थी, अण्डमान और निकोबार प्रशासन से दिसम्बर, 1977 में प्राप्त हुई थी परन्तु यह आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं पायी गई । केवल विद्युत-उत्पादन के लिए संशोधित की गई इस परियोजना की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच की जा रही है ।

कलपोंग परियोजना चरण-दो का प्रस्ताव भी, जिसमें 215 किलोवाट विद्युत के उत्पादन तथा दिगलीपुर तहसील में 1080 हेक्टेयर सिंचाई शक्यता सृजित करने की परिकल्पना की गई थी, आर्थिक दृष्टि मे व्यवहार्य नहीं पाया गया ।

एक केन्द्रीय दल ने जनवरी, 1978 में अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह का दौरा किया था और उसने दिसम्बर, 1978 में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । इस केन्द्रीय दल का विचार था कि वहां सिंचाई के लिए बृहद और मध्यम जल-संचयन स्कीमों की बजाय लघु सिंचाई स्कीमों को हाथ में लेने की गुंजाइश है । अण्डमान और निकोबार प्रशासन ने संघ राज्य क्षेत्र में भूतल जल संसाधनों का अनुमान लगाने के लिए एक अन्वेषण डिवीजन भी स्थापित किया है । स्कीमों का अन्वेषण-कार्य पूरा हो जाने और व्यवहार्यता रिपोर्टों के तैयार हो जाने के बाद लघु सिंचाई स्कीमें हाथ में ली जायेंगी ।

विदेशी संवाददाताओं के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

205. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान टेलीविजन ने दर्शकों को मुरादाबाद और श्रीनगर में हुई हिंसात्मक घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर और बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है; और

(ख) यदि हां, तो इन परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा विदेशी संवाददाताओं और विदेशी फोटोग्राफरो के लिए क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन० एम० जोशी) : (क) समाचार पत्रों में छपे इस आशय के समाचार कि पाकिस्तान दूरदर्शन ने मुरादाबाद और श्रीनगर की घटनाओं पर प्रकाश डाला था, सरकार के ध्यान में आए हैं ।

(ख) इस बारे में विदेशी संवाददाताओं/फोटोग्राफरों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त नहीं है ।

उच्च स्तरीय ऊर्जा आयोग की स्थापना करना

206. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या ऊर्जा **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्च स्तरीय ऊर्जा आयोग की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) (क) जी, नहीं उच्च-स्तरीय ऊर्जा आयोग की स्थापना करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

"कोल शार्टेक हिट्स प्लान टु रेज पावर आउटपुट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

207. **श्री एस० एम० कृष्ण** :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या ऊर्जा **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 19 अक्तूबर, 1980 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "कोल शार्टेज हिट्स प्लान टु पावर आउटपुट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) कोयले का इष्टतम उत्पादन तथा तापीय बिजलीघरों को कोयले की समय पर सप्लाई और आगामी महीनों में अधिक विद्युत उत्पादन सुनिश्चित करने में आई बाधाओं को दूर करने के लिए क्या प्रभावी कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) अप्रैल-सितम्बर, 1980 की अवधि में देश में ताप बिजली का उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि के उत्पादन की तुलना में अधिक रहा। यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं कि वर्ष के शेष भाग में कोयले का उत्पादन और बढ़ जाए। अप्रैल-अक्तूबर, 1980 की अवधि में कोयले का उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 3.75 मिलियन टन अधिक हुआ। इस सम्बन्ध में जो उपाय किए गए हैं वह इस प्रकार हैं—कोयला खानों को बिजली की अधिक सप्लाई, राज्य सरकारों की सहायता से कोयला क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार, वेहतर प्रबंध, आदि। ताप विजली घरों को रेल द्वारा कोयले की ढुलाई को बहुत उच्च अग्रता दी गई है और इस समय ताप बिजली घरों को औसतन 3070 वैगन प्रति दिन भेजे जा रहे हैं। निकट भविष्य में ही यह सप्लाई और भी बढ़ाई जाएगी ताकि ताप बिजली घरों की मांग भली-भांति पूरी हो सके परन्तु ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि यदि विजली घरों में वैगनों को जल्दी खाली कर दिया जाए और खानों में वैगनों की लदाई में कम समय लगे तो बिजली घरों और अन्य उपभोक्ताओं के लिए लदाई हेतु अधिक वैगन उपलब्ध हो सकेंगे।

दिरपोट्रियेट्स कोआपरेटिव फाइनेंस एण्ड डेवेलप्मेंट बेंक लि०

208. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में दरिपोट्रियेट्स कोआपरेटिव फाइनेंस एण्ड डेवेलमेंट बैंक लि० मद्रास ने कोई ऋण मंजूर किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो जिन कार्यों के लिए ऋण दिया गया था उनका ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० के० थंसन) (क) जी, हाँ।

(ख) विवरण अनुबन्ध-1 तथा 2 में दिए गए हैं। अनुबंध में उल्लिखित कार्य ऋण प्राप्तकर्त्ताओं के दृष्टिकोण से हैं जबकि बैंक के दृष्टिकोण से "ब्रिजलोन" को छोड़कर शेष सभी ऋण श्रीलंका प्रत्यावासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हैं। जो संस्थान "ब्रिजलोन" का लाभ उठा रहे हैं उन्होंने विगत में श्रीलंका प्रत्यावासियों को रोजगार पर लगाया है।

(जारी)

विवरण—1

अनुबंध-1

1-4-1980 से 31-10-1980 की अवधि के दौरान वितरित किया गया ऋण

1. ऋणों की संख्या	5
2. वितरित की गई राशि	12.90 लाख रुपए (इसमें चिराला सहकारी कताई मिल चिराला (आंध्र प्रदेश) को दिया गया 10.00 लाख रुपए का "ब्रिजलोन" भी शामिल है।
3. प्रयोजन	मशीनरी की खरीद, सिल्क ट्विस्टिंग यूनिटों को चालू करने के लिए कार्यकारी पूंजी और प्रत्यावासियों को रोजगार।
4. रोजगार पर लगाए गए प्रत्यावासियों की संख्या	21

वितरित किए गए ऋण ब्यौरों का विभाजन

क्र० सं०	संख्या का नाम	राशि	प्रयोजन	प्रत्यावासियों की की संख्या
1.	मैसर्स प्रेमी बेल्ट, कोयम्बटूर	0.20 लाख रु० (अन्तिम किस्त)	मशीनरी की खरीद	3
2.	मैसर्स शाहबुद्दीन टैक्सटाइल, अन्थियूर, जिला पैरीयार	0.90 लाख रु०	अतिरिक्त मशीनरी की खरीद और कार्यकारी पूंजी के लिए	6
3.	तमिलनाडु सिल्क प्रोड्यूसर्स इन्डस्ट्रीज कोआपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन, कांचीपुरम	0.90 लाख रु० (प्रथम किस्त)	यूनिटों को चालू करने के लिए	6 युगल
4.	मैसर्स टी एम एम टैक्सटाइल अन्थियूर, जिला पैरीयार	0.90 लाख रुपये	विस्तार के लिए	6
5.	चिराला कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स, चिराला, आंध्र प्रदेश	10.00 लाख रुपये	ब्रिज लोन	—

विवरण—2

अनुबन्ध-II

1-4-1980 से 31-10-1980 की अवधि के दौरान ऋण के लिए मंजूर किया गया आवेदन पत्र

क्रम संख्या	संस्था का नाम	राशि	प्रत्यावासियों की संख्या	प्रयोजन
1.	खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, मद्रास	22.84 लाख रु०	240 युगल	यूनिटों को चालू करने के लिए
2.	गांधीग्राम, मदुरै	5.98 लाख रु०	75 युगल	—वही—
3.	तमिलनाडु चायबागान निगम, कूनूर, जिला	15.00 लाख रु०	(ब्रिज लोन)	—
4.	सन इन्डस्ट्रीज, बंगलोर	4.95 लाख रुपए	33	कार्यकारी पूंजी
5.	शेरवारायन इस्टेट येरकोड	3.00 लाख रुपए	20 युगल	सम्पदा के सुधार लिए
6.	श्री प्रसाद इन्टर-प्राइजिज बंगलौर	120 लाख रुपए	8	कार्यकारी पूंजी
7.	चिराला कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स, चिराला, आंध्र प्रदेश	10.00 लाख रुपए	(ब्रिजलोन)	
8.	श्री गणेश ऑयल इन्डस्ट्रीज, मद्रास	7.50 लाख रुपए	50	क्रशिंग यूनिट की स्थापना

समस्तीपुर के लिए केन्द्रीय विशेष सिंचाई योजना

209. श्री रामसिंह शाक्य क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समस्तीपुर जिले के बारे में कोई विशेष केन्द्रीय सिंचाई योजना बनाने का है क्योंकि यह जिला पिछड़ा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) जी, नहीं। सिंचाई राज्य-विषय है और सिंचाई आदि पिछड़े क्षेत्रों में सिंचाई के विकास के लिए कारंवाई राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ऐसे क्षेत्रों में सिंचाई के शीघ्र विकास और इस प्रयोजन से मास्टर योजना तैयार करने की आवश्यकता के बारे में राज्यों पर जोर डाला गया है।

क्षेत्रीय भाषा में फिल्मों के लिए वित्तीय सहायता

210. श्री आचार्य भगवान देव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने फिल्मों के निर्माण के लिए कितनी क्षेत्रीय भाषा फिल्मों को वित्तीय सहायता दी है;

(ख) क्या सिंधी भाषा में फिल्में बनाने के लिए कोई वित्तीय सहायता की गई है; और

(ग) यदि हां, तो सिंधी भाषा की उन फिल्मों के नाम क्या हैं और उनके निर्माण की तारीख क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी बेन० एम० कुमुद जोशी) : (क) 11-4-1980 से पहले, वित्तीय सहायता फिल्म वित्त निगम द्वारा दी जाती थी। 11-4-1980 को, इस उपक्रम को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के साथ मिला दिया गया था। अब फिल्म निर्माण के लिए वित्तीय सहायता समामेलित राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा दी जाती है। प्रादेशिक भाषायी फिल्मों को दी गई वित्तीय सहायता के बारे में ब्योरा इस प्रकार है :—

978	—2
979	—7
980	—2
[31-10-80 तक]	——
कुल :	11

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० द्वारा क्लोरएम्फेनिकाल का आयात

211. **श्री आरिफ मोहम्मद खां :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स कारपोरेशान आफ इण्डिया लि० ने पहले दिये गए आर्डरों पर वास्तव में सप्लाई प्राप्त किए बिना ही रूमानिया से क्लोरएम्फेनिकाल के आयात के लिए और आदेशों की पुष्टि की है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या इस मामले में किन्हीं कर्मचारियों को पक्षपात करता हुआ पाया गया है;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) और (ख) स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन आफ इण्डिया, (सी० पी० सी०) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार चालू वर्ष के दौरान उन्होंने मैसर्स चिमइमपोर्ट एक्सपोर्ट, बुचारेस्ट (रूमानिया) से क्लोरमफैनीकल का आयात करने के लिए 3 करार किए थे जिनके ब्यौरे नीचे दिये गए हैं :—

आर्डर की तारीख	(मात्रा टनों में)
11-4-1980	7.2
28-5-1980	7.8
11-7-1980	5.0

सी० पी० सी० ने सूचित किया है कि दिनांक 11 अप्रैल, 1980 को किए गए पहले करार के अन्तर्गत जहाज में स्थान की कमी के आधार पर सप्लायर के अनुरोध पर डिलीवरी कार्यक्रम को दो बार बढ़ाया गया था, एक बार 20-6-1980 तक और दूसरी बार 20-7-1980 तक अब यह रिपोर्ट मिली है कि माल बम्बई पहुंच गया है और उसे उठाया जा रहा है।

जहां तक शेष दो करारों का सम्बन्ध है, सी० पी० सी० ने सूचित किया है कि वे करार रद्द हो गये हैं क्योंकि मूल्य घटाने के लिए सी० पी० सी० द्वारा किये गये प्रयासों से रूमानियना पार्टी सहमत नहीं थी अथवा उन्होंने उसके लिए अधिक समय मांगा था जिससे सी० पी० सी० सहमत नहीं हुई।

(ग) सी० पी० सी० ने सूचित किया है कि रूमानियन सप्लायर को दिया गया आर्डर उनके द्वारा निकाले गए टैन्डरों पर प्राप्त प्रतियोगी कोटेशनों और उनकी क्रय पद्धति पर आधारित था, अत: इस मामले में पक्षपात का कोई प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई में टेक्सटाइल मिलो को बम्बई हाई
गैस का अतिरिक्त आबंटन

212. **श्री बापूसाहिब परुलेकर :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में प्रदूषण कम करने के लिए, जिसने विकट रूप धारण कर लिया है और स्वास्थ्य के लिए खतरा बन गया है और क्या सरकार का विचार बम्बई गैस कम्पनी द्वारा उत्पादित गैस और बम्बई में टैक्सटाइल मिलों में इस्तेमाल किए जा रहे मिट्टी तेल की जगह इस्तेमाल के लिए 6.3 लाख क्यूनिक मीटर अतिरिक्त गैस आवंटित करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में अपतटीय गैस के उपयोग का अध्ययन करने के लिए जिस कार्यकारी दल को 1977 में गठित किया गया था उसने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि महाराष्ट्र सरकार पाइप लाइनों के तन्त्रजाल के माध्यम से घरेलू उपभोक्ताओं और इसके साथ-साथ दल की रिपोर्ट में दी गई 45 टैक्सटाइल मिलों को अपतटीय गैस की सप्लाई के प्रस्ताव से सम्बन्धिन विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करें जिसमें टैक्सटाइल मिलों द्वारा प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए गैस के स्थान पर एल० एस० एच० एस० और भट्टी के तेल का मिश्रण इस्तेमाल में लाने का प्रश्न भी शामिल है। तदनुसार महाराष्ट्र सरकार ने आवश्यक अध्ययन करने के लिए सितम्बर, 1978 में एक अध्ययन दल नियुक्त किया था। अध्ययन दल की रिपोर्ट अभी तक केन्द्रीय सरकार को प्राप्त नहीं हुई है और इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही दल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर की जायेगी।

दूरदर्शन केन्द्र

213. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें कोई दूरदर्शन केन्द्र नहीं हैं; और

(ख) उन राज्यों के लोगों को विशेषकर दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को टेलीविजन की सुविधा अब तक उपलब्ध कराई जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी बेन० एम० कुमुद जोशी) : (क) निम्नलिखित राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में इस समय कोई दूरदर्शन केन्द्र नहीं हैं :—

राज्य

1. असम
2. हिमाचल प्रदेश
3. हरियाणा
4. केरल
5. मेघालय
6. मणिपुर
7. नागालैण्ड
8. सिक्किम
9. त्रिपुरा

संघ शासित क्षेत्र :

1. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह
2. अरुणाचल प्रदेश
3. दादर तथा नागर हवेली
4. लक्षद्वीप
5. मिजोरम
6. पांडिचेरी
7. चण्डीगढ़
8. गोवा, दमण और दीव

(ख) इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लोगों, विशेषकर दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की दूरदर्शन सेवा कब तक उपलब्ध होगी, क्योंकि दूरदर्शन के विस्तार सम्बन्धी योजनाओं का कार्यान्वयन संसाधनों के आबंटन और दूरदर्शन के विस्तार के के लिए दी जाने वाली प्राथमिकता पर निर्भर करेगा ।

क्षतिपूर्ति और दावों के लम्बित मामले

214. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास विभाग के सैंटलमेंट विंग की अभिलेख शाखा में पड़ी क्षतिपूर्ति और दावों की सभी फाइलों को पूरी तरह निपटा दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे विचाराधीन मामलों की संख्या और उनका क्षत्र-वार ब्योरा क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स, महाराष्ट्र में कच्चे माल और भण्डार के लिए वस्तु सूची की पद्धति।

215. **श्री आर० के० महालगी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स, रसायनी (महाराष्ट्र) में गत तीन वर्षों के दौरान श्रेणीवार, वर्ष-वार कच्चे माल, भण्डार (अर्थात अतिरिक्त पुर्जों और तैयार उत्पादों) के लिए वस्तु सूची की पद्धति कौन-सी है; और

(ख) क्या सरकार इन स्तरों को अत्यधिक ऊंचा समझती है; यदि हां, तो सरकार इस मामले में कौन से कदम उठाने का विचार रखती है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) वित्तीय वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के अन्तिम दिन तक वस्तु सूची की पद्धति निम्न प्रकार थी :—

	1777-78 रुपए लाखों में	1978-79 रुपए लाखों में	1979-80 रुपए लाखों में
(क) कच्चा माल	45.56	59.92	165.79
(ख) स्टोर और अतिरिक्त पुर्जे	224.22	295.41	387.25
(ग) प्रक्रिया धीन स्टाक	43.47	27.85	68.78
(घ) तैयार स्टाक	287.75	176.96	388.53

(ख) जी, नहीं। कम्पनी की आवश्यकताओं और अतिरिक्त पुर्जों के स्टाक की कमी को पूरा करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और तैयार उत्पादों के लिए उपभोक्ताओं की मांग में उतार-चढ़ाव को पूरा करने के लिए अपेक्षित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए वस्तु सूची का वर्तमान स्तर बहुत अधिक नहीं माना जा सकता।

दनकुनी लोटेम्प्रेचर कार्बनाइजेशन प्रोजक्ट में प्रगति

216. **श्री ए० के० राय :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दनकुनी लोटेम्प्रेचर कार्बनाइजेशन प्रोजेक्ट में अब तक कितनी प्रगति हुई है और वह लगभग किस तारीख तक पूरी हो जायेगी;

(ख) क्या दनकुनी परियोजना का एक उद्देश्य कलकत्ता में उपभोक्ताओं को गैस सप्लाई करना है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) दनकुनी परियोजना में किस प्रोद्योगिकी को अपनाया जायेगा और सी० एफ० आर० आई० में विकसित तथा मानकीकृत प्रौद्योगिकी और इसमें क्या अन्तर हैं;

(घ) क्या दनकुनी में अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकी के बारे में अभी कुछ निश्चय नहीं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) दनकुनी कम ताप कार्तनीकरण परियोजना सरकार ने 19-7-1980 को मंजूर की थी और इसका अनुमानित पूंजी निवेष 49.27 करोड़ रुपए था। कोल इण्डिया लिमिटेड ने इस परियोजना के लिए मुख्य परियोजना प्रबन्धक पहले ही नियुक्त कर दिया है और भूमि के अधिग्रहण, बिजली के कनेक्शन, पहुंच सड़कों के निर्माण, स्थाई भवनों के निर्माण, आदि के लिए काम शुरू हो चुका है। कोल इण्डिया लिमिटेड के अधिकार में 67 एकड़ जमीन पहले ही है और पश्चिम बंगाल सरकार जनवरी, 1981 तक परियोजना के लिए अपेक्षित अतिरिक्त जमीन भी उपलब्ध करा देगी। उसके तुरन्त बाद निर्माण स्थल की भराई का काम शुरू हो जायेगा। दुर्गापुर एक्सप्रेस मार्ग की मरम्मत और टेलीफोन तथा टेलेक्स संचार सुविधाओं की व्यवस्था के लिए सम्बन्ध प्राधिकारियों से बातचीत शुरू कर दी गई है। आशा है कि परियोजना चार वर्षों में पूरी हो जायेगी।

(ख) जी, हां, ! प्रस्तावित दनकुनी कम ताप कार्तनीकरण परियोजना से 18-20 मिलियन स्टेंडर्ड घन फीट गैस का प्रति दिन उत्पादन होगा जो कि विद्यमान पाइप लाइनों से कलकत्ता को सप्लाई की जायेगी।

(ग) दनकुनी कम ताप कार्तनीकरण परियोजना के लिए कार्तनीकरण की बुडऑल-डकहैम प्रक्रिया अपनाने का प्रस्ताव है। बुडऑल-डकहैम प्रौद्योगिकी अपनाने की सिफारिश वरिष्ठ विशेषज्ञों की एक टीम ने की है जिसमें केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान के निदेशक भी थे।

(घ) जी, नहीं। इस प्रौद्योगिकी पर आधारित संयंत्र विदेशों में भी हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

फिल्म सेंसर बोर्ड में महिलाओं की नियुक्ति

217. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ने सरकार मे फिल्म सेंसर बोर्ड में 'सत्यनिष्ठा और ख्याति प्राप्त महिला" को शामिल किए जाने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या इसने सैक्स और हिंसा के प्रति सेंसर बोर्ड की "उदारता" पर भी आपत्ति उठाई है और यह दलील दी है कि बोर्ड के सदस्यों का चुनाव करते समय सरकार को 'और अधिक सजग" रहना चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन० एम० जोशी) : (क) से (ग) अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ने, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

(1) ऐसी भारतीय और विदेशी फिल्मों, जिनमें हिंसा और सैक्स के दृश्य हों तथा बलात्कार के दृश्य हों, का बड़ाई से सेंसर किया जाना चाहिए, और

(2) यह सम्मेलन इस बात पर खेद व्यक्त करता है कि सेंसर बोर्डों में महिलाएं कम हैं। हम सरकार से यह अनुरोध करती हैं कि वह इसके बारे में देखें और सेंसर बोर्डों में महिला सदस्यों की संख्या बढ़ाएं।

फिल्म सेंसर शिप का एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फिल्म का माध्यम समाज के मूल्यों और मानकों के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील बना रहे। इस उद्देश्य के अनुसरण में, केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुनिश्चित करता है कि हिंसा, क्रूरता और आतंक के निरर्थक या वर्जनीय दृश्य न दिखाए जायें और अशिष्टता, अश्लीलता और भ्रष्टता द्वारा मानविक संवेदन शीलता क्षुब्ध न की जाए। तथापि, बोर्ड केवल चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5 (ख) और इसके अन्तर्गत जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निहित उचित पाबंदियां ही लगा सकता है।

केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड और इसके सलाहकार पैनलों में महिला सदस्यों की खाली संख्या है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड — 9 में से 2 महिला सदस्य
(2) बम्बई सलाहकार पैनल —56 में से 25 महिला सदस्य
(3) कलकत्ता सलाहकार पैनल —18 में से 2 महिला सदस्य
(4) मद्रास सलाहकार पैनल —41 में से 17 महिला सदस्य

इसके अलावा, इस समय बोर्ड के 3 प्रादेशिक अधिकारियों में से 2 महिलाएं हैं।

भारत आने वाले आप्रवासी

218. **श्री अर्जुन सेठी : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वाधीनता के बाद के वर्षों में पाकिस्तान, नेपाल और अन्य स्थानों से आने वाले आप्रवासियों का भार न केवल असम को वहन करना पड़ रहा है बल्कि पश्चिम बंगाल, पंजाब और उड़ीसा जैसे राज्य भी यह भार वहन कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो 1951, 1961 और 1971 की जनगणना के आप्रवासी आंकड़ों के विश्लेषण का ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) तीन विवरण, जिनमें जन्म स्थान की धारणा पर आधारित 1951, 1961 तथा 1971 की जनगणना के प्रवजन आंकड़ों का विश्लेषण दर्शाया गया है, सभा की मेज पर रख दिए हैं। आंकड़े संचित हैं।

विवरण-1

जन्म स्थान के अनुसार चुने हुए देशों से आए प्रवासी तथा 1951 की जनगणना के अनुसार कुल प्रवासियों के विभाजन की प्रतिशतता

राज्य	प्रवासी			
	बर्मा	श्रीलंका	नेपाल	पाकिस्तान
आसाम	1,395	31	44,151	8,01,227
	(0.17)	(एन)	(5.20)	(94.31)
बिहार	440	26	34,942	1,07,405
	(0.30)	(0.02)	(24.23)	(74.48)

राज्य	बर्मा	श्रीलंका	नेपाल	पाकिस्तान
बम्बई	6,326	735	9,323	4,10,278
	(1.38)	(0.16)	(2.03)	(89.52)
मध्य प्रदेश	524	46	2,986	2,10,305
	(0.24)	(8.02)	(1.38)	(97.28)
पंजाब	2,822	22	4,578	24,32,754
	(0.12)	(एन)	0.19	(99.52)
राजस्थान	62	2	1,577	3,72,837
	(0.02)	(एन)	(0.42)	(99.48)
त्रिपुरा	122	—	270	2,10,161
	(0.06)	(—)	(0.13)	(99.80)
उत्तर प्रदेश	7,013	141	83,900	4,91,499
	(1.20)	(0.02)	(14.32)	(83.87)
पश्चिम बंगाल	6,454	204	73,300	26,24,973
	(0.24)	(0.01)	(2.69)	(96.32)
दिल्ली	635	20	1,073	4,79,744
	(0.13)	(0.01)	(0.22)	(99 16)
उड़ीसा	157	4	836	23,928
	(0.62)	(0.02)	(3.31)	(94 80)

टिप्पणी:—कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

विवरण-2

		प्रवासी		
राज्य	बर्मा	श्रीलंका	नेपाल	पाकिस्तान
आसाम	554	3	69,409	7,40,750
	(0.07)	(एन)	(8.54)	(91.07)
बिहार	1,392	33	108,971	1,00,763
	(0.64)	(0.01)	(50.81	(46.99)
गुजरात	3,277	176	3,352	1,38,590
	{(1.93)	(0.10)	(1.98)	(81.77)
महाराष्ट्र	(3.949)	772	13,704	2,73,268
	(0.95)	(0.19)	(3.29)	(65.66)
मध्य प्रदेश	861	72	7,605	1,79,202
	(0.04)	(0.45)	(3.99)	94.11)

राज्य	बर्मा	श्रीलंका	नेपाल	पाकिस्तान
पंजाब	4,458	111	11,719	21,15,955
	(0.21)	(एन)	(0.55)	(98.51
राजस्थान	425	55	2,053	3,04,607
	(0.14)	(0.02)	(0.67)	98.92)
त्रिपुरा	289	1	861	3,94,883
	(0.07)	(एन)	(0.22)	(99.70)
उत्तर प्रदेश	5,643	167	111,718	3,35,085
	(1.23)	(0.04)	(24.40)	(73.18)
पश्चिम बंगाल	6,885	139	109,190	30,68,760
	(0.21)	(0.01)	(3.40)	(95.71)
उड़ीसा	348	24	2476	22,698
	(1.33)	(0.09)	(9.41)	(86.29)
दिल्ली	1,682	89	5,892	5,08,490
	(0.32)	(0.02)	(1.13)	97.78)

टिप्पणी :—कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

विवरण-3

		प्रवासी		
राज्य	बर्मा	श्रीलंका	नेपाल	पाकिस्तान
आसाम	2,335	5	78,268	9,03,429
	(0.24)	(एन)	(7.93)	(91.55)
बिहार	2,730	10	1,22,528	1,07,468
	(1.16)	(0.01)	(52.14)	(45.73)
गुजरात	4,910	150	(4,315	1,18,615
	(2.90)	(0.09)	(2.55)	(70.17)
हरियाणा	360	5	6,885	5,34,953
	(0.07)	(एन)	(1.27)	(98.50)
महाराष्ट्र	5,445	775	18,422	2,69,177
	(1.72)	(0.24)	(3.81)	(84.91)
मध्य प्रदेश	1,830	80	8,825	2,95,138
	(0.59)	(0.03)	(2.85)	(95.31)
पंजाब	2,650	20	3,915	10,58,198
	(0.25)	(एन)	(0.36)	(98.53)
राजस्थान	740	15	2,626	2,39,012
	(0.30)	(0.01)	(1.08)	(98.14)

राज्य	बर्मा	श्रीलंका	नेपाल	पाकिस्तान
त्रिपुरा	302	2	930	5,27,355
	(0.06)	(एन)	(0.18)	(99.76)
उत्तर प्रदेश	4,667	95	83, 59	3,11,124
	(1.14)	(0.02)	(20.46)	(76.26)
पश्चिम बंगाल	8,837	150	1,00,365	30.78,202
	(0.28)	(एन)	(3.14)	(96.21)
उड़ीसा	2,040	10	3,555	68,566
	(2.52)	(0.01)	(4.39)	(84.61)
दिल्ली	4,267	141	9,670	4,87,289
	(0.84)	(0.03)	(1.91)	(96.10)

टिप्पणी :—कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

नलकूप लगाने का लक्ष्य

219. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस वर्ष कितने नलकूपों के लगाये जाने का लक्ष्य है; और

(ख) आन्ध्र प्रदेश में कितने नलकूप लगाये जायेंगे ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) (क) और (ख) सूचना निम्न प्रकार है :—

	संख्या	
	1980-81 के लिए लक्ष्य	
	समूचे देश के लिए	आंध्र प्रदेश के लिए
गैर-सरकारी उथले नलकूप	2,40,000	2,000
सरकारी नलकूप	3,600	170

थाल-वैशेट में अमोनिया संयंत्र के बारे में इन्जीनियरिंग परामर्श अनुबंध

220 **श्री सूर्यनारायण सिंह** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या अक्तूबर, 1977 में श्री लवराज कुमार को अध्यक्षता में एक कर्मी दल का गठन किया गया था जो उन अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों की सूची तैयार करे जो थाल-वैशेट और हजीरा उर्वरक कम्प्लेक्सों में अमोनिया संयंत्रों के लिए इन्जीनियरिंग परामर्श अनुवन्ध के वास्ते उपयुक्त हों;

(ख) यदि हां, तो इस तरह के चयन के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) कर्मी-दल द्वारा क्या प्रस्ताव किए गए हैं;

(घ) क्या जिन छः बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने उक्त परियोजना के लिए टेंडर भरे थे उनके दावों और प्रत्यय पत्रों का बारीकी से अध्ययन करने के लिए बाद में कोई विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी;

(ङ) यदि हां, तो उस अध्ययन का पूर्ण ब्यौरा और निष्कर्ष क्या है;

(च) क्या इन्जीनियरिंग परामर्श का ठेका देने के मामले में कोई निर्णय किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो उसका पूर्ण ब्यौरा क्या है;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां। दक्षिण बम्बई में स्थापित किये जाने वाले नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक कम्पलैक्स के लिए बोली लगाने वाले इन्जीनियरिंग परामर्शदाता की योग्यता का निर्धारण करने के लिए श्री लवराज कुमार की अध्यक्षता में एक कार्य-दल स्थापित किया गया था और उसने दिसम्बर, 1977 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी।

(ख) अमोनिया प्लांटों के बारे में कार्य-दल ने चयन के लिए निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये थे। परामर्शदाता को प्रस्तावित कम्पलैक्स के आकार के एक स्ट्रीम की क्षमता वाले प्राकृतिक गैस पर आधारित प्लांटों को शीघ्र बनाने का अनुभव होना चाहिए और ऐसे प्लांट उपयुक्त अवधि तक चालू रहे हों, परामर्शदाता में विख्यात प्रौद्योगिकी इन्जीनियरिंग डिजाइन को हस्तान्तरित (अथवा हस्तान्तरण की व्यवस्था) करने की क्षमता हो और प्रायोजना प्रबन्ध में पर्याप्त अनुभव हो तथा प्रायोजना कार्यान्वियन में परामर्शदाता विख्यात हो।

(ग) कार्य-दल ने यह सिफारिश की थी कि अमोनिया परामर्शी सेवाओं के लिए मैसर्स सी. एफ. ब्राउन, टोयो इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, हल्डोर टोप्सो, पुलमैन कैलौग, हमफ्री एण्ड ग्लासगो तथा टैक्नीमोन्ट से बोली मांगी जाय।

(घ) और (ङ) : थाल और हाजिरा प्रायोजनाओं में अमोनिया परामर्शी सेवाओं के लिए मैसर्स राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स द्वारा बोलियां मांगी गई थी। पार्टियों से प्राप्त बोलियों की जांच करने के लिए सितम्बर 1978 में एक प्रबन्ध समिति स्थापित की गई थी। इस समिति ने सिफारिश की थी कि सी. एफ. ब्राउन की बोली को स्वीकार किया जाय। सभी बोलियों की सम्बन्धित योग्यताओं का मूल्यांकन करने और यह जांच करने के लिए फरवरी 1980 में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी क्या दोनों प्लांटों (थाल वैसेट और हाजिरा) के लिए एक परामर्शदाता नियुक्त करना वांछनीय होगा। समिति ने सिफारिश की थी कि सी. एफ. ब्राउन को थाल वैसेट प्रायोजना के लिए परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया जाय। समिति में बहुमत की यह राय थी कि दोनों प्लांटों के लिए एक ही परामर्शदाता नियुक्त करना मान्य नहीं होगा। दूसरे प्लांट के लिए अलग परामर्शदाता नियुक्त करने के बारे में समिति में एक राय नहीं थी।

(च) और (छ) सरकार ने थाल वैसेट और हाजिरा स्थित अमोनिया प्लांटों के लिए क्रमशः मैसर्स हल्दोर टोप्सो और मैसर्स पुलमैन कैलोग को परामर्शदाता नियुक्त कर दिया है।

तमिलनाडु में समुद्र द्वारा कटाव

221. **श्री के० टी० कोसलराम : क्या सिंचाई मन्त्री यह** बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) क्या समुद्र द्वारा कटाव से कन्याकुमारी जिले में 39 गाँवों को बचाने के लिए सरकार को तमिलनाडु सरकार से 6 करोड़ रुपये की परियोजना के क्रियान्वयन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार ने 1979 में 590 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर कन्याकुमारी जिले के 39 गांवों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए समुद्र-कटाव रोधी वर्क्स की एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की थी। इस बीच इस रिपोर्ट की केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे और केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जांच की गई है और उन्होंने अपनी टिप्पणियाँ राज्य सरकार को भेज दी हैं। तट कटाव बोर्ड (बीच इरोजन बोर्ड) के सदस्यों ने भी सितम्बर, 1980 में कुछ प्रभावित स्थलों का दौरा किया था। केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे की टिप्पणियों के प्रकाश में राज्य सरकार के संशोधित प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

गांधी जी पर फिल्म का निर्माण

222. **श्री शिव कुमार सिंह :**

श्री फूल चन्द वर्मा :

श्री सत्य नारायण जाटिया :

श्री अमरसिंह वी० राठवा : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक विदेशी द्वारा गाँधी जी पर फिल्म बनाए जाने के सम्बन्ध में विभिन्न वर्गों से सरकार को कुछ रोष-पत्र प्राप्त हुए हैं: जैसा कि दिनांक 18 अक्तूबर, 1980 के "इन्डियन ऐक्सप्रेस" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उन रोष-पत्रों का ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या फिल्म की पटकथा में कुछ त्रुटियों की और भी सरकार का ध्यान दिलाया गया है; यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या अन्तिम निर्णय किया गया है/किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन. एम. जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ व्यक्ति गांधी जी पर एक विदेशी द्वारा फिल्म बनाए जाने के विरुद्ध हैं; अन्यों का विचार है कि सरकार को आर्थिक सहायता नहीं देनी चाहिए। सरकार का विचार है कि फिल्म मुख्यतया विदेशी दर्शकों के लिए है और इससे विश्व में भारत के प्रति काफी सद्भावना पैदा होने की सम्भावना है।

(ग) फिल्म की स्क्रिप्ट की जांच भारत के उन प्रख्यात लोगों द्वारा की गई थी जो

महात्मा गांधी के जीवन और संदेश के निर्वचन से काफी समय तक सहयोजित रहे हैं। स्क्रिप्ट में परिवर्तनों के बारे में उनके सुझावों को संशोधित स्क्रिप्ट में शामिल कर लिया गया है।

(घ) सरकार ने सर रिचर्ड एटनबोरो को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के सहयोग से भारत में "गांधी" नामक फिल्म बनाने की अनुमति दे दी है।

वार्षिक विवरणियों को प्रस्तुत न करने के लिए कुछ कम्पनियों के विरुद्ध शिकायतें

223. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने तुलन-पत्र, लाभ तथा हानि की 1977-78 की वार्षिक विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की है अथवा बोर्ड की वार्षिक बैठक नहीं बुलाई है;

(ख) क्या कम्पनियों के रजिस्ट्रार ने दिल्ली महानगरीय मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध शिकायतें दर्ज कराई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अपर्णा एग्रो प्रा० लिमिटेड के निदेशकों, श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और मुरली चौधरी के विरुद्ध शिकायतें दर्ज कराई गई थीं;

(ङ) क्या उनमें से प्रत्येक को 30 रुपये जुर्माना किया गया था; और

(च) क्या फैसले के विरुद्ध कोई अपील की जा रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(घ) हां, श्रीमन् जी, शिकायतें, मैसर्स अपर्णा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड और उनके निदेशक श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और श्री मुरली चौधरी के विरुद्ध 30-6-1977 तक के तुलन-पत्र को प्रस्तुत न करने, 31-12-1977 तक की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत न करने के लिए धारा 220 और 159/162 के उपबन्धों का उल्लंघन तथा कम्पनी के शेयरधारियों के समक्ष 30-6-1977 तक तुलन-पत्र को वित्तीय वर्ष के बन्द होने के छः माह के अन्दर जो 30 जून, 1977 को समाप्त हुआ था, न रखने के लिए धारा 210 के उल्लंघन के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थीं।

(ङ) नहीं,—श्रीमन् जी।

(च) अभी तक मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई।

हाल्दिया-पेट्रो-कैमिकल्स कम्पलैक्स

224. **श्रीमती गीता मुखर्जी** :

श्री मुकुन्द मंडल :

श्री चित बसु : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रस्तावित हाल्दिया-पेट्रो-कैमिकल्स कम्पलैक्स के बारे में कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री(श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख)—पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रस्तुत की गई विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट और प्रायोजना के लिए प्रस्तावित वित्तीय व्यवस्थाओं की जांच की गई है और अन्तिम निर्णय शीघ्र लिया जाना है।

पेट्रोलियम उत्पादों में चोर-बाजारी और जमाखोरी

225. **श्री निरेन घोष : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को पेट्रोलियम उत्पादों में चोर-बाजारी और जमाखोरी करने वालों के विरुद्ध निवारक निरोध तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन कठोर कार्यवाही करने की सलाह दी है ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन, राज्यवार कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं; और

(ग) समाज विरोधी तत्वों से जिन्होंने व्यापारियों के साथ सांठगांठ करके उत्पाद जमा कर लिए थे कितनी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पाद मिले हैं।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों को पेट्रोलियम उत्पादों जैसे मिट्टी का तेल और डीजल में जमाखोरी, चोरबाजारी आदि अनाचार करने वालों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उसके अन्तर्गत बने नियमों और आदेशों और चोरबाजारी को रोकने और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के अनुरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन कठोर कार्यवाही करने की सलाह दी है।

(ख) और (ग)—अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

तट दूर छिद्रण ठेकों के लिए प्रस्ताव

226. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दो बड़े भारतीय व्यापार-गृहों डी० सी० एम० और गोयन्का बन्धुओं को तट दूर छिद्रण ठेकों के लिए पेशकश देने की अनुमति देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अब तक केवल तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ही तट दूर छिद्रण ठेकों के लिए पेशकश देता रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के विचार परिवर्तन के क्या कारण है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। किसी भी क्षेत्र के लिए बोलियों की प्रणाली नहीं रही है किन्तु केवल

मात्र तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इण्डिया लिमिटेड दो संस्थाएं ही इस समय अपतटीय क्षेत्र में कार्य कर रहीं हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में रंगीन टेलीविजन आरम्भ करने के लिए समय-बद्ध कार्यक्रम

227. **श्री पी० के० कोडियन :**

श्री डी० पी० जदेजा : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में रंगीन टेलीविजन आरम्भ करने के लिए कोई निर्णय किया गया है और समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) दूरदर्शन केन्द्रों में किए जाने वाले परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत में रंगीन टेलीविजन सेट बनाए जाने लगे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और उसका खुदरा मूल्य-क्या होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री कुमारी कुमुद बेन० एम जोशी : (क) और (ख) देश में रंगीन टेलीविजन प्रारम्भ करने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। समूचा मामला अभी विचाराधीन है।

(ग) रंगीन प्रेषण के लिए, कैमरा-चैनों, सिन्क जैनेरेटरों, मानिटरिंग उपकरणों, आदि-जैसे वर्तमान स्टूडियो उपकरणों को बदलना पड़ेगा। ट्रांसमीटरों, वीडियो टेप रिकार्डरों, आदि जैसे कतिपय अन्य उपकरणों का रंगीन प्रेषण के लिए उपयोग उनमें परिवर्धन/आपरिवर्तन करके किया जा सकता है।

(घ) और (ङ) : रंगीन सैट जब भी चालू होंगे, इनको भारत में बनाया जाएगा, क्योंकि भारत में इनको बनाने की क्षमता है। इनका मूल्य निर्माण की मात्रा और इन पर लगने वाले शुल्कों सहित विभिन्न बातों पर निर्भर होगा। अत : इस अवस्था पर इसका खुदरा मूल्य बताना संभव नहीं है।

जम्मू और कश्मीर राज्य में बसे शरणार्थी

228. **श्री गिरधारी लाल डोगरा** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर के अथवा पाकिस्तान के 1947 के शरणार्थी, 1965 के छम्ब शरणार्थी और 1971 के छम्ब शरणार्थी जम्मू और काश्मीर राज्य में बसे इन सभी प्रकार के शरणार्थियों से सम्बन्धित विभिन्न अभ्यावेदन और प्रतिवेदन उनके मन्त्रालय में अनिर्णीत पड़े हैं।

(ख) क्या यह भी सच है कि ये सभी शरणार्थी भारतीय राष्ट्रिक हैं; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार उन अभ्यावेदनों और प्रतिवेदनों पर अंतिम कार्यवाही कब करेगी ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) 197' संघर्ष के कुछ छम्ब परिवारों को छोड़ कर, जिन्हें अभी कृषि भूमि/मकान के लिए प्लाट आवंटित किए जाने हैं, 1947 के विस्थापित व्यक्तियों, तथा भारत-पाक संघर्ष, 1965 और 1971 में छम्ब से बेघर हुए व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित कार्य प्राय : पूरा हो चुका है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने दिसम्बर, 1980 के अंत तक अपेक्षित कृषि भूमि/मकानों के लिए प्लाट उपलब्ध कराने का वचन दिया है। तथापि, पुनर्वास अनुदान/ऋण न दिए जाने के बारे में व्यक्तिगत विस्थापित व्यक्तियों से, समय-समय पर, जो अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, उचित सत्यापन के पश्चात् उनका निपटान सामान्य रीति से कर दिया जाता है। 1947 के पाक अधिकृत काश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन करने के लिए राज्य सभा की याचिका समिति ने जम्मू क्षेत्र में पुनर्वास स्थलों का दौरा किया था और जून, 1980 में अपनी रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत कर दी थी। याचिका समिति द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

केरल में केप्रोलेक्टम परियोजना और एरोमेटिक कम्पलक्स स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव

229. **श्री ए० नीलालोहिथा दसन नाडार :**

श्री के० ए० राजन : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को केरल में केप्रोलेक्टम परियोजना और एरोमेटिक कम्पलेक्स की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्योरा क्या है;

(ग) भारत सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) भारत सरकार का विचार केरल में इन परियोजनाओं को कम आरम्भ करने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम ने

बेंजीन	—71,000 मी० टन प्रति वर्ष
आर्थोजाइलीन	— 5,000 मी० टन प्रति वर्ष
पैरा-जाइलीन	—39,500 मी० टन प्रति वर्ष

उत्पादन करने के लिए एक एरोमेटिक उद्योग समूह की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव दिया है एक कैप्रोलैक्टम एकक की स्थापना का प्रस्ताव फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० के क्रियाकलापों में विविधीकरण लाने के उद्देश्य से दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने एरोमेटिक के उत्पादन के लिए संयंत्रों को उपयुक्त स्थानों पर स्थापित करने के लिए एक स्थल चयन समिति का गठन किया था। ऐसी आशा है कि समिति अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करेगी।

कैप्रोलैक्टम प्रायोजना की संभाव्यता रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

नहरों का पानी पम्प से निकालने के लिए बिजली की पूर्ति

230. **श्री केशवराव पारधी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नदी जल का लिफ्ट पम्पों द्वारा इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार चौबीसों घन्टे बिजली की पूर्ति करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में पम्पों के लिए बिजली सप्लाई को पहले ही प्राथमिकता दी जा रही है। तथापि विद्युत की कमी वाले कुछ राज्यों में लिफ्ट पम्प समेत कृषि पम्पों को चौबीसों घण्टे बिजली की सप्लाई देना संभव नहीं होगा। विद्युत की कमी वाले अधिकतर राज्यों में ग्रामीण भारों को समूहों में बारी-बारी से बिजली की सप्लाई दी जाती है तथा ग्रामीण भारों के एक समूह को एक समय ही सप्लाई मिलती है। समूहों की बारी हर सप्ताह या हर 10 दिनों में बदली जाती है। उपलब्ध विद्युत का युक्ति संगत और समान रूप से वितरण सुनिश्चित करने के लिए, समूहों में यह विभाजन किया जाता है। पम्प भारों को प्रतिदिन कम से कम 6-10 घण्टे विद्युत सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए भरसक प्रयास किए जाते हैं।

गोरखपुर और सिन्दरी में उर्वरकों का उत्पादन

231. **श्री आर० पी० यादव** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोरखपुर और सिन्दरी एकक में उर्वरकों के उत्पादन में स्थिरता लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) चालू वर्ष में उक्त दोनों एककों के उत्पादन में होने वाली सम्भावित कमी कितनी होगी।

पेट्रोलिम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीरसिंह) : (क) (1) गोरखपुर।

राज्य सरकार द्वारा लगाई गई बिजली कटौती को हटा दिया गया है। नेफ्था की सप्लाई को बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि प्लांट पूरी क्षमता पर चलाया जा सकें। नाइट्रोजन कम्प्रेसर और आक्सीजन कम्प्रेसर जैसे अतिरिक्त उपकरण प्राप्त किये जा रहे हैं।

(2) सिन्दरी

सिन्दरी आधुनिकी करण प्लांट को फीड़ स्टाक की सप्लाई बढ़ाई जा रही है। सिन्दरी सुव्यवस्थीकरण प्लांट की कमियों को सलफ्यूरिक एसिड़ प्लांट के एक स्ट्रीम को पाइराइट्स संचालन पर और दूसरे स्ट्रीम को मोल्टान सल्फर में बदल कर दूर किया जा रहा है।

(ख) स्थापित क्षमता की तुलना में वर्ष 1980-81 के दौरान गोरखपुर में 47.000 टन नाइट्रोजन और सिन्दरी में 1,78,528 टन नाइट्रोजन और 1,22,400 टन पी 2 ओ 5 की हानि हुई है :

हल्दिया में भारतीय तेल निगम के उत्पादन एकक के विस्तार का प्रस्ताव

232. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया, पश्चिम बंगाल में भारतीय तेल निगम के उत्पादन एकक का विस्तार करने या उसके उत्पादन को दुगना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के तेल संकट का सामना करने के लिए सरकार के पास क्या वैकल्पिक प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाशचन्द्र सेठी) (क) से (ग)—हल्दिया रिफानवरी के विस्तार हेतु वर्तमान इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का सबसे अच्छा उपयोग करने के लिये इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमि० को एक संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट तैयार की जा रही। आई० ओ० सी० से संभाव्यता रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही ब्यौरे उपलब्ध हो सकेंगे।

सुपर तापीय बिजली घरों की स्थापना किया जाना

233. श्री तारिक अनवर :

श्री लक्ष्मण मलिक :

श्री राम विलास पासवान : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश के विभिन्न भागों में कुछ सुपर ताप बिजलीघरों की स्थापना करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इन सुपर तापीय बिजली घरों की स्थापना के लिए स्थानों का चुनाव करने में सरकार द्वारा किन बातों को प्राथमिकता दी जायेगी; और

(ग)) क्या इन बिजली घरों की स्थापना के लिए स्थानों का चुनाव कर लिया गया है और यदि हाँ, तो उनके नाम क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) (क) जी, हां।

(ख) बड़े पिटहैड ताप विद्युत केन्द्रों के लिए स्थलों का चुनाव करते समय निम्नलिखित बातों को प्राथमिकता दी जाती है :—

(1) कोयला क्षेत्र निकट होना तथा उपयुक्त ग्रेड का कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना, शीतलन जल के साधन होना;

(2) परियोजनाओं की स्थापना के लिए तथा राख के निपटान के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध होना;

(3) भू-वैज्ञानिय दृष्टि से कार्य-स्थल सुदृढ़ होना;

(4) जनसंख्या की सघनता तथा प्रदूषण समस्याओं जैसे पर्यावरण सम्बन्धी पहलू; तथा

(5) अन्य सम्बद्ध बातें जैसे—जिन कोयला खानों के साथ परियोजनाओं को लिंक किया जाएगा उन खानों के विकास का स्तर सम्बन्धित क्षेत्र में विद्युत की समग्र रूप से मांग तथा सप्लाई, सम्बद्ध प्रगाली तार-जाल की स्थिति तथा निर्माण-गतिविधियां शुरू करने के लिए निर्माण स्थलों की तैयारी की स्थिति;

(ग) देश में फिलहाल सुपर ताप विद्युत केन्द्र पहले ही कार्यान्वित किए जा रहे हैं। ये हैं :—सिंगरौली सुपर ताप विद्युत परियोजना (उत्तरी क्षेत्र), कोरबा सुपर ताप विद्युत परियोजना (पश्चिमी क्षेत्र), रामागुण्डम सुपर ताप विद्युत परियोजना (दक्षिणी क्षेत्र), तथा फरक्का सुपर ताप विद्युत परियोजना (पूर्वी क्षेत्र)। कहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना (पूर्वी क्षेत्र), पॅच सुपर

ताप विद्युत परियोजना (पश्चिमी क्षेत्र) तथा तलचेर सुपर ताप विद्युत परियोजना (पूर्वी क्षेत्र) की व्यवहार्यता रिपोर्ट अब तैयार की गई हैं।

दूरदर्शन कार्यक्रम में वाणिज्यिक पक्ष को बढ़ावा देने का प्रस्ताव

234. **श्री के० मालन्ना : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंकि कि :

(क) क्या सरकार दूसरा चैनल खोलने के काम को सुगम बनाने के लिए दूरदर्शन पर प्रायोजित कार्यक्रम आरम्भ करने हेतु सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के संगठनों को उत्साहित करने के लिये कदम उठा रही है;

(ख) क्या सरकार ने दूरदर्शन कार्यक्रम में वाणिज्यिक पक्ष बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या भारत सरकार ने रंगीन टेलीविजन के क्षेत्र में विदेशी सरकार का सहयोग मांगा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) (क) : दूरदर्शन पर प्रायोजित कार्यक्रम तैयार करने के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के संगठनों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। इन पर विचार किया जा रहा है। दूसरा चैनल खोलने का प्रश्न आवश्यक रूप से प्रायोजित कार्यक्रमों के टेलीकास्ट करने से जुड़ा हुआ नहीं है।

(ख) और (ग) : विज्ञापनों को अपेक्षित सुविधाओं, स्टूडियों समय और उपकरणों, आदि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक दूरदर्शन केन्द्र की निर्माण क्षमता पर दवाब होने के कारण, वाणिज्यिक पक्ष को बढ़ाना फिलहाल सम्भव नहीं है। तथापि, दूरदर्शन केन्द्रों में विद्यमान सुविधाओं को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि और अधिक विज्ञापन स्वीकार किए जा सकें।

(घ) : जी, नहीं।

गांधी जी पर फिल्म निर्माण पर वित्तीय तथा अन्य वचनबद्धता

235. **श्री वसन्त कुमार पंडित :**

श्री सत्यनारायण जाटिया :

श्री सी० चिन्ना स्वामी :

श्री एस० बी० सिदनाल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक विदेशी फिल्म निर्माता सर रिचर्ड एटनबोरो को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन पर एक ऐतिहासिक फिल्म बनाने की अनुमति अन्तिम रूप से दे दी है;

(ख) यदि हां, तो (1) वित्तीय वचनबद्धता, (2) ऋण, (3) कमीशन (4) भारतीय सरकारी क्षेत्र, फिल्म निर्माताओं संगठनों, गैर-सरकारी वित्तीय संस्थानों से अंशदान आदि के बारे में अन्तिम रूप से क्या वायदे किए गए हैं :

(ग) उपर्युक्त फिल्म के निर्माण में कितनी विदेशी मुद्रा लगेगी;

(घ) महात्मा गांधी के जीवन सम्बन्धी प्रसंगों को सत्य प्रमाणित करने के लिए अन्य कौन से अधिकारों, शर्तों और प्रतिबन्धों को स्वीकार किया गया है :

(ङ) उपर्युक्त फिल्म के निर्माण में रिचर्ड एटेनबोरो को महात्मा गांधी से सम्बधित इतिहास अथवा व्यक्तितत्व अथवा घटनाओं में हेरफेर करने की कितनी आजादी दी गई हैं; और

(च) क्या सरकार को इस प्रस्ताव की गांधीवादियों, इतिहासकारों, साहित्यकारों आदि द्वारा की गई आलोचना के बारे में जानकारी हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस फिल्म के निर्माण में भारत की आर्थिक भागीदारी राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से, 50.00 लाख रुपये के संभाव्य ओवरकाल सहित, 5 करोड़ रुपए तक सीमित होगी। राष्ट्रीय फिल्म विकास प्रथमतः निगम सरकार से इक्विटी के रूप में 1.2 करोड़ रुपये प्राप्त करेगा और सरकार की गारंटी पर बेंकों से ऋण के रूप में 3 करोड़ रुपए लेगा। फिल्म उद्योग के निजी निवेशकों को इस प्रोजेक्ट में 98 लाख रुपये तक धन लगाने के लिए आमंत्रित किया गया है ।

(ग) विदेशी निवेशक लगभग एक करोड़ 50 लाख रु० लगा रहे हैं ।

(घ) और (ङ) फिल्म में बहुत कुछ महात्मा गांधी के जीवन के प्रामाणिक वृतान्त का चित्रण है। तथापि, नाटक के हित में और गाँधी जी की उपलब्धियों के आवश्यक स्वरूप को लाने के लिये, जाने माने तथ्यों से कतिपय छोटे मोटे हेरफेर किए गए हैं। निर्माता फिल्म के शुरू में इस आशय का एक विशिष्ट वक्तव्य देगा ।

(च) जी, हां ।

कोयला खानों में अग्निकांड

236. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) देश में उन कोयला खानों के नाम क्या है जिनमें आग लगी हुई है;

(ख) आग को बुझाने के लिए सरकार क्या क़दम उठा रही है;

(ग) बिहार में ऐसी कोयला खानों के नाम क्या हैं जहां आग से कोयला जल रहा है;

(घ) समूचे देश में आग से कितना कोयला बर्बाद हो गया है; और

(ङ) कोयला खानों में कोयला जल जाने के कारण, कितनी हानि होने का अनुमान है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) (क) से (ङ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

जीवन-रक्षक औषधियों के मूल्यों में वृद्धि

237. **श्री राम विलास पासवान :**

श्री सूर्यनारायण सिंह :

श्री रामावतार शास्त्री :

श्री के० ए० राजन :

श्री जी० एस० रेड्डी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि सरकार जीवन-रक्षक औषधियों के मूल्यों बढ़ायेगी; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी औषधियों के नाम क्या हैं और प्रत्येक औषधि के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि की जायेगी और इसके क्या कारण हैं;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालल में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सरकार ने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के मुताबिक औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की रिपोर्ट पर अधारित मूल्य नियंत्रित जीवन रक्षक औषधों के मूल्य में समायोजन की स्वीकृति देने का निर्णय लिया है। इन समायोजनों के परिणामस्वरुप कुछ औषधों के मूल्य में वृद्धि और अन्य औषधों के मूल्य में कमी हो सकती है।

(ख) औषधों के नाम और अब तक स्वीकृति संशोधित मूल्यों को दर्शाने वाला विवरण पत्र संलग्न है। अगस्त, 1979 में घोषित पेट्रोलियम के मूल्य में वृद्धि आदि जैसे कच्चे मालों की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरों द्वारा लागत अध्ययन के आधार पर वृद्धि की मंजूरी दी गई है।

विवरण-1

से सम्बन्धित विवरण पत्र

क्रम संख्या	बल्क ड्रग्स का नाम	पुनरीक्षण से पहले का मूल्य रु०/किग्रा०	पुनरीक्षण के बाद का मूल्य कि० ग्राम	प्रतिशतता वृद्धि
1.	पेथीडाइन एच० सी० एल०	1050.00	1522.24	45.00
2.	पेथेलाइल सल्फाथिया-जोल	17 .00	188.55	9.00
3.	एसिटाजोलामाइड	350.00	564.56	61.00
4.	एफिड्राइन एच० सी० एल०	405.00	487.56	20.00
5.	फोलिक एसिड	2496.07 (कैप्टिव आयोग के लिए) 2536.40 (दूसरों को भी बिक्री के लिए)	2631.62	4.00
6.	सल्फासिटामाइड	102.25	172.97	69.00
7.	सल्फा सिटामाइड सोडियम	102.25	113.10	11.00
8.	सल्फा डिमीडाइन	161.41	178.56	11.00
9.	क्लोरमफेनीकल सोडियम सक्सीनेट	(स्वदेशी उत्पादन के लिए कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया गया)	1024.45	—
10.	स्ट्रेप्टोमाइसीन सल्फेट	475.00 (पूल्ड)	660.75 (पूल्ड)	39.00

1	2	3	4	5
11.	क्लोरमफोनीकल पावडर	460.00 (पूल्ड)	622.00 (पूल्ड)	35.00
12.	क्लोरमफेनीकल पालमीटेट	460.00 (पूल्ड)	806.00 (पूल्ड)	75.00
13.	प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड	114.00	158.83	39.00
14.	विटामिन बी[2]	935.48 (पूल्ड)	1100.00 (पूल्ड)	18.00

रतलाम में उर्वरक कारखाना स्थापित करना

238. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रतलाम में गैस पर आधारित एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा कारखाना उज्जैन में भी स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) गैस पर आधारित छः अतिरिक्त प्रस्तावित उर्वरक प्लाटों के लिए उपयुक्त स्थान की सिफारिश करने के लिए एक स्थल चयन समिति नियुक्त की गई है, इनमें से एक प्लांट मध्य प्रदेश में स्थापित किए जाने की सम्भावना है। प्लांट के निश्चित स्थान के बारे में चयन समिति की सिफारिशों सरकार को प्राप्त होने न बाद निर्णय किया जायेगा।

फूलपुर के उर्वरक कारखाने द्वारा उत्पादन

239. **श्री सत्यनारायण जाटिया** :

श्री अरविन्द नेताम : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई० एफ० एफ० सी० ओ० द्वारा चलाए जा रहे फूलपुर के उर्वरक कारखाने ने किस तारीख से उत्पादन शुरू किया और कितनी अवधि तक इसमें उत्पादन होना रहा तथा कितना उत्पादन हुआ;

(ख) किस तारीख को यह कारखाना बन्द कर दिया गया और उसके क्या कारण हैं;

(ग) उपरोक्त कारखाने के निर्माण में कितनी लागत आई थी; और

(घ) कारखाने में पुनः काम शुरू किए जाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और कब तक इसमें पुनः काम शुरू हो जाने की आशा है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) (क) फलपुर संयंत्रों ने अमोनिया और यूरिया का उत्पादन क्रमशः 10 और 15 अक्तूबर, को प्रारम्भ

किया। संयंत्र 19 अक्तूबर, 1980 तक चालू रहे और 4638 टन अमोनिया और 1215 टन यूरिया का उत्पादन हुआ।

(ख) मुख्य रूप से बरोनी शोधनशाला के बन्द होने से नैफ्था की कमी हो गई जिसके कारण 18 अक्तूबर, 1980 को संयंत्र बन्द करने पड़े।

(ग) संयंत्रों की अनुमानित लागत 193.5 करोड़ रुपए है।

(घ) स्थिर आधार पर नैफ्था की सप्लाई का आश्वासन मिलते ही संयंत्रों को दुबारा चालू किया जायेगा। इस दिशा में प्रयत्न किये जा रहे हैं।

उड़ीसा में महानदी नदी में मनीभद्रा और टिक्कड़पाड़ा परियोजनाओं को अपने नियंत्रण में लेना

240. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार उड़ीसा में महानदी नदी में मनीभद्रा और टिक्कड़-पाड़ा परियोजनाओं को अपने नियंत्रण में लेने का है; ताकि बाढ़ पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके और अतिरिक्त सिंचाई और विद्युत की व्यवस्था की जा सके;

(ख) यदि हां, तो महानदी में हाल की भारी बाढ़ के अनुभव के पश्चात् सरकार के विचाराधीन क्या प्रस्ताव है; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उड़ीसा में ब्रूटांग सिंचाई परियोजना पर ध्यान दिया है?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) (क) से (ग) चूंकि बाढ़-नियंत्रण और सिंचाई राज्य-विषय हैं, इसलिए केन्द्रीय सरकार का उड़ीसा की मणिभद्रा और टिक्करपाड़ा परियोजनाओं को हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि मणिभद्रा लिफ्ट स्कीम द्वारा 3.57 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करने के एक प्रस्ताव का राज्य सरकार द्वारा अन्वेषण किया जा रहा है और महानन्दी बेसिन के जलसंसाधनों के उपयोग की योजना की रूपरेखा तैयार की जा रही है। राज्य सरकार ने ब्रूटांग परियोजना के लिए सर्वेक्षण का काम भी हाथ में लिया है लेकिन इसके लिए अभी तक केन्द्रीय सरकार का कोई परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

जीवन रक्षक औषधियों के उत्पादन में गिरावट

241. **श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष 1980 में जीवन रक्षक औषधियों के उत्पादन में अत्यधिक गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और दीर्घ-कालीन मांग को पूरा करने के लिए क्या उपाय किये जायेंगे,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) (क) से (ग) : पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में चालू वर्ष (अप्रैल-सितम्बर 1980) के

दौरान कुछ जीवन रक्षक बल्क औषधों के उत्पादन में कुछ कमी हुई है। उत्पादन में इस कमी के अनेक कारण बताये गये हैं जैसे पानी और बिजली की समस्या, श्रमिक अशान्ति, कुछ कच्चे माल (जैसे इथाइल एसीटेट, कैल्शियम क्लोराइड, बेंजीन आदि) और पैंकिंग सामग्री की सीमित उपलब्धता/अनुपलब्धता, कुछ एककों में उपकरणों की खराबी, कच्चे माल की लागत में वृद्धि आदि।

सरकार जीवन रक्षक बल्क औषधों के उत्पादन की देख-रेख करती है। जब सरकार का ध्यान उत्पादन में हो रही कुछ विशिष्ट कठिनाइयों की ओर दिलाया जाता है तो वह जहां तक सम्भव हो उन्हें दूर करने के लिए उपाय करती है जैसे (I) पैंकिंग सामग्री की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में सरकार ने अल्यूमिनियम फाइल के आयात पर से सीमा शुल्क को घटा दिया था और उसे ओ० जी० एल० में शामिल करके उसके उदार आयात की अनुमति दे दी थी। [II] सरकार ने स्वदेशी उत्पादन की पूर्ति के लिए सरणीबद्ध बल्क औषधों के अपेक्षित आयात की व्यवस्था की; (III) सरणीबद्ध बल्क मदों के वितरण की एक और अधिक उदार नीति लागू की गई है; (IV) औद्योगिक लाइसेंसों/पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाता है; और (V) सरकार ने बल्क औषधों के मूल्य में समायोजन करने के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति के बारे में निर्णय कर दिया था और औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरों की रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें वर्ष 1979 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के कारण कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखा गया है, कुछ अनिवार्य बल्क औषधों के मूल्यों में पहले ही संशोधन कर दिया है।

आकाशवाणी में प्रोड्यूसर

242. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री आकाशवाणी के प्रोड्यूसरों के श्रेणीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में 22 जुलाई, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5071 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में नजीबाबाद और लखनऊ केन्द्रों में गढ़वाली और कुमाऊंनी कार्यक्रमों के लिए कितने प्रोड्यूसर नियुक्त किए गए हैं;

(ख) आकाशवाणी में कुल कितने प्रोड्यूसर हैं और अब तक कितने व्यक्तियों को सेलेक्शन-ग्रेड दिया जा चुका है;

(ग) इस श्रेणी के व्यक्तियों को पदोन्नति के क्या अवसर हैं और क्या उनके लिए किसी सीनियर ग्रेड का प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) क्या सरकार का विचार गढ़वाली और कुमाऊंनी के लिए सीनियर प्रोड्यूसर नियुक्त करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) आकाशवाणी, नजीबाबाद में गढ़वाली और कुमाऊंनी कार्यक्रमों के लिए एक प्रोड्यूसर नियुक्त किया गया है। तथापि, आकाशवाणी, लखनऊ में इन कार्यक्रमों के लिए कोई प्रोड्यूसर नियुक्त नहीं किया गया है।

(ख) 1.4.1980 के दिन की स्थिति के अनुसार आकाशवाणी में प्रोड्यूसरों की कुल संख्या 215 है। अब तक 27 प्रोड्यूसरों को सलेक्शन ग्रेड दिया गया है।

(ग) निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार प्रोड्यूसर उप मुख्य प्रोड्यूसर के रूप में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र हैं। आकाशवाणी की कार्यक्रम सेवाओं के संवर्ग ढांचे का अध्ययन करने के लिए सरकार ने 1977 में एक संवर्ग समीक्षा समिति का गठन किया था। इस समिति ने, अन्य बातों के साथ साथ, सीनियर प्रोड्यूसरों का एक नया संवर्ग बनाने की सिफारिश की है। इस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट विचाराधीन है।

(घ) जी, नहीं।

पटना में दूरदर्शन केन्द्र

243. **श्री आर० एल० पी० वर्मा :**

श्रीमती कृष्णा साही : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौराम बिहार राज्य की राजधानी पटना, औद्योगिक शहर रांची और धनबाद/बोकारों में दूरदर्शन केन्द्र कब तक खोले जायेंगे; और

(ख) क्या दूरदर्शन केन्द्रों को स्थापित किये जाने के मामले में बिहार को पीछे रखा जा रहा है और यदि नहीं, तो पटना और रांची में दूरदर्शन केन्द्र कब तक खोले जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) (क) और (ख) : बिहार में मुजफ्फरपुर में एक दूरदर्शन प्रेषण केन्द्र पहले ही कार्य कर रहा है। पटना में पूर्णरूपेण दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव को छठी "योजना" (1980-85) के प्रस्तावों में शामिल किया गया है। तथापि, इस स्कीम का कार्यान्वयन "योजना" की स्वीकृति, संसाधनों की उपलब्धता और सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। इसके अतिरिक्त, बिहार के कुछ क्षेत्र को "इनसेट" के माध्यम से कवर करने का भी प्रस्ताव है। इसको अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। संसाधनों की कमी के कारण छठी "योजना" के दौरान रांची, धनबाद/बोकारो में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बिजली की कटौती का कृषि, उद्योग तथा अन्य सार्वजनिक सुविधाओं पर प्रभाव

244. **श्री दौलत राम सारण :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार बिजली की कितनी मात्रा की कटौती की जा रही है और किस-किस तारीख से;

(ख) बिजली की कटौती का कृषि उद्योग तथा अन्य सार्वजनिक सुविधाओं पर कितना प्रभाव पड़ेगा ;

(ग) बिजली की कटौती के क्या कारण हैं और उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(घ) क्या किसी वैकल्पिक योजना पर विचार किया जा रहा है; और

(ङ) क्या यह सुनिश्चित करने के प्रबन्ध किये जायेंगे कि कृषि क्षेत्र में बिजली की कटौती न की जाये और किसानों को दिन में बिजली की सप्लाई की जाये ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बिक्रम महाजन) (क) राज्यवार वर्तमान अधिसूचित

विद्युत कटौतियां/ प्रतिबन्ध उपाबन्ध । में दिए गए हैं । जिस तारीख से ये विद्युत कटौतियां आरम्भ की गई हैं वे तारीखें भी उपाबन्ध-। में दी गई हैं ।

(ख) यद्यपि विद्युत कटौतियों/प्रतिबन्धों से औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, परन्तु विद्युत कटौती/प्रतिबन्ध से कृषि पर इतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि उनकी आवश्यकताएं सामान्यतः पूर्ण रूप से पूरी की जाती हैं । इन प्रतिबन्धों के कारण अन्य जनसुविधाओं पर भी कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ।

(ग) विद्युत की उपलब्धता और आवश्यकता के बीच अन्तर को समाप्त करने के लिए विद्युत कटौतियां करना आवश्यक हो जाता है । मानसून के फेल हो जाने के कारण जल विद्युत केन्द्रों से विद्युत उपलब्धता कम हो जाती है । कभी-कभी यूनिटों की जबरन बन्दियों, चालू की गई नई यूनिटों के सुस्थिर होने में लगने वाले लम्बे समय, नई यूनिटों को चालू करने में विलम्ब, कोयले की कमी, आदि के कारण ताप विद्युत उपलब्धता कम हो जाती है । जबकि मानसून का आना पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर करता है फिर भी विद्युत उपलब्धता में बढ़ोतरी करने के लिए ताप विद्युत उत्पादन को इष्टतम करने और नई परियोजनाओं को शीघ्र चालू करने के लिए प्रयास किए जाते है । चालू की गई नई यूनिटों का शीघ्र सुस्थिर होना सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं ।

(घ) कुछ राज्यों में छुट्टियों के दिनों को अलग-अलग दिनों में करना, उद्योगों का प्रचालन रात्रि के दौरान करना, जबकि सामान्यतः विद्युत उपलब्ध होती है आदि भी आरम्भ किया गया है ।

(ङ) कृषि के लिए विद्युत सप्लाई को पहले ही प्राथमिकता दी जा रही है और ग्रामीण क्षेत्रों को प्रतिदिन 8 से 10 घण्टे की न्यूनतम सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाते हैं ।

विवरण—1

1-11-1980 की स्थिति के अनुसार लागू विद्युत कटौतियां/प्रतिबन्ध

1- उत्तरी क्षेत्र

1.1 दिल्ली

1 जनवरी, 1978 से लगाई गई निम्नलिखित कटौतियां अभी लागू हैं :—

(1) सभी निम्न वोल्टता और उच्च वोल्टता उपभोक्ताओं पर 10% की ऊर्जा कटौती ।

(2) सभी घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर 10% की ऊर्जा कटौती ।

(3) नीओन साइन के प्रदर्शन, सजावटी लाइटों, विज्ञापनों तथा फव्वारों के चलाने पर प्रतिबन्ध ।

(4) जुलाई, 1979 के मध्य से वाणिज्यि प्रतिष्ठानों के कार्य के घंटे 19.00 बजे तक सीमित कर दिए गए हैं ।

(5) केवल उन इमारतों को छोड़कर जहां पर संवातन का और कोई साधन उपलब्ध नहीं था, होटलों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा बहुमंजिलों इमारतों में सांध्यकालीन व्यस्ततम कालीन अवधि में वातानुकूलन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था ।

(6) 21 जुलाई, 1980 से औद्योगिक उपभोक्ताओं की साप्ताहिक छुट्टी भिन्न-भिन्न दिवसों पर कर दी गई है।

टिप्पणी :—मद 6 को छोड़कर उपर्युक्त कटौतियों का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा था।

1.2 हरियाणा

4 अक्तूबर, 1980 से निम्नलिखित विद्युत कटौतियां लागू थीं।

(1) कृषि (ट्यूबवैल) उपभोक्ताओं को दो समूहों में विभाजित कर दिया गया था तथा प्रत्येक समूह को एक दिन छोड़कर 14 घण्टे विद्युत सप्लाई की जाती थी।

(2) औद्योगिक उपभोक्ताओं को 18.00 बजे से 21.00 बजे के बीच विद्युत का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी।

(3) 800 बजे से 1100 बजे के बीच तथा 1500 बजे से 1700 बजे के बीच शहरी उपभोक्ताओं को विद्युत की सप्लाई नहीं की जाती थी।

टिप्पणी : 12 अक्तूबर, 1980 से ग्रामीण फीडरों और शहरी फीडरों पर से प्रतिबन्ध हटा लिए गए थे।

1.3 पंजाब

30 अक्तूबर, 1980 से निम्नलिखित विद्युत कटौतियां लागू थीं :—

(1) ग्रामीण फीडरों में दो समूहों में 14-14 घण्टे की विद्युत कटौतियां।

(2) कोल्ड स्टोरेज के भारों का प्रबन्ध करने वाले सभी ग्रामीण फीडरों को 3 फेस विद्युत 16 घण्टे प्रतिदिन तथा सिंगल-फेस विद्युत 4 घण्टे प्रतिदिन सप्लाई की गई थी।

(3) सभी शहरी/औद्योगिक फीडरों से बिजली प्राप्त करने वाले एक शिफ्ट वाले उद्योगों को सप्ताह में 6 दिन 1700 बजे से 03.00 बजे (अगला दिन) विद्युत दी जाती थी।

(4) औद्योगिक काम्पलैक्सों में स्ट्रीट लाइट पर तथा आहातों में रोशनी पर 50% कटौती।

(5) सामान्य तौर पर क्रमश: दो पारियों तथा तीन पारियों में कार्य करने वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं को सप्ताह के सभी दिनों में 17.00 बजे से लेकर 03.00 बजे तक (अगला दिन) विद्युत प्राप्त करने की अनुमति थी।

(6) आवास तथा कार्यालय रोशनी वाले उपभोक्ताओं को 17 घण्टों के लिए अलग-अलग समय पर विद्युत सप्लाई।

(7) मिनी इस्पात संयंत्रों को 22.00 बजे तथा 08.00 बजे (अगला दिन) के बीच विद्युत सप्लाई की जाती थी।

(8) 5 एच० पी० अथवा कम भार वाले सामान्य, घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक उपभोक्ताओं वाले सभी ओद्योगिक/शहरी फीडरों को कोल्ड स्टोरेज, आटा चक्कियों तथा बर्फ कारखानों को 17 घण्टों के लिए अलग-अलग समय में विद्युत सप्लाई।

1.4 जम्मू और कश्मीर

21 सितम्बर 1980 से निम्नलिखित विद्युत कटौतियां लागू थी :—

(1) कृषि, जल सप्लाई उपभोक्ताओं को प्रात: और सायं व्यस्ततमकालीन अवधि के दौरान विद्युत प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी।

(2) औद्योगिक उपभोक्ताओं को 1700 बजे से 0900 बजे (अगला दिन) के बीच विद्युत प्राप्त करने की अनुपति नहीं थी।

(3) घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर (औसतन) 3 घण्टे प्रतिदिन कटौती।

नोट :—उपरोक्त विद्युत प्रतिबन्ध 6 अक्तूबर, 1980 से हटा लिए गए हैं।

1.5 राजस्थान :

11 अक्तूबर, 1980 से निम्नलिखित विद्युत कटौतियां/प्रतिबन्ध लागू थे :—

(1) 125 के० बी० ए० से अधिक भार वाले सभी बड़े उद्योगों पर 50% कटौती।

(2) ग्रामीण उपभोक्ताओं को अलग-अलग समय पर 13 घण्टे प्रतिदिन सप्लाई :

नोट :—ऊपर पद सं० (1) में उल्लिखित कटौती 5 एम० वी० ए० और इससे अधिक सम्बद्ध भार वाले उद्योगों पर 26 अक्तूबर, 1980 से लागू की गई थी।

1.6 उत्तर प्रदेश :

16-7-1980 से निम्नलिखित विद्युत कटौतियां लागू थी :—

(1) (क) 33 के० बी० और अधिक पर विद्युत प्राप्त करने वाले और अपनी मांग के 66.677 या इससे अधिक के बराबर केपटिव उत्पादन वाले सभी बड़े और भारी औद्योगिक उपभोक्ताओं पर 100%

(ख) उपरलिखित । (क) के अन्तर्गत न आने वाले अन्य सभी औद्योगिक उपभोक्ता अपनी अधिकतम मांग की 33.33% कटौती करेंगे।

(1) 200 बी० एच० पी०/100 के० बी० ए०/75 किलोवाट तक भार रखने वाले सतत और गैर-सतत सभी औद्योगिक उपभोक्ता तथा कपड़ा मिलों को अपनी अधिकतम मांग में 3 .33% कटौती करनी पड़ती थी।

(3) 33 के० बी० और कम पर विद्युत प्राप्त करने वाली भट्टियों/प्रेरक भट्टियों/रोलिंग तथा रोलिंग मिलों को रात्रि के दौरान 8 घण्टे प्रतिदित बिजली प्राप्त करने की अनुमति थी।

(4) सभी गैर सतत प्रक्रिया वाले उद्योगों के लिए साप्ताहिक छुट्टी के दिनों को अलग-अलग करना और प्रतिदिन 1700 बजे से 2100 बजे के दौरान व्यस्ततम कालीन प्रतिबन्ध।

(5) कावल शहरों के अतिरिक्त, जहां पर केवल । घण्टा प्रतिदिन कटौती लगाई गई थी, 20,000 से अधिक आवादी वाले सभी शहरों/इलाकों में 3 घण्टे प्रतिदिन कटौती लागू की गई थी।

(6) 10,000,20,000 के बीच की आबादी वाले सभी शहरों/इलाकों में 18 घण्टे प्रतिदिन कटौती लागू थी।

(7) चार ग्रुपों में ग्रामीण फीडरों पर 18 घण्टे प्रतिदिन कटौती तथा व्यस्ततमकालीन प्रतिबन्ध।

(8) स्वतंत्र फीडरों वाले कोल्ड स्टोरेज को 10/18 घण्टे प्रतिदिन विद्युत प्राप्त करने की अनुमति थी।

नोट :—नीचे दिए गए कुछ उद्योगों के मामले में मद सं० । (क), । (ख) तथा (2) में बताई विद्युत कटौती में ढील दी गई थी :—

(क) उर्वरकों, सीमेंट, चीनी, वनस्पति, तथा औषधि यूनिटों पर कोई विद्युत कटौती नहीं थी।

(ख) जूट मिलों, स्पिनिंग मिलों तथा रेयन मिलों सहित कपड़ा मिलों पर 33.30% विद्युत मांग कटौती के बाजाए 25% विद्युत मांग कटौती।

(ग) नए उद्योगों पर 5 वर्ष के लिए कोई विद्युत कटौती नहीं, तथा उन उद्योगों पर जिन्होंने 5 वर्ष की अवधि पूरी नहीं की है, शेष अवधि के लिए कोई विद्युत कटौती लागू नहीं की गई।

2—पश्चिमी क्षेत्र

2.1 गुजरात :

अक्तूबर, 1980 में निम्नलिखित विद्युत कटौतियां लागू थीं :—

(1) सभी उच्च वोल्टता वाले सतत तथा गैर सतत प्रक्रिया उद्योगों पर 30% से 40% विद्युत मांग कटौती।

(2) सभी उच्च वोल्टता तथा निम्न वोल्टता वाले गैर सतत प्रक्रिया/वाले उद्योगों की शाम की छुट्टी की अवधि तथा साप्ताहिक छुट्टी की अवधि तथा साप्ताहिक छुट्टी के दिनों को अलग-अलग करना।

2.2 मध्य प्रदेश

निम्नलिखित विद्युत कटौती/प्रतिबन्ध लागू थे :—

(क) उच्च वोल्टता उपभोक्ता

उपभोक्ताओं की श्रेणी	1-10-79 से प्रतिशत ऊर्जा कटौती	23-1-80 से प्रतिशत मांग कटौती
(1) अस्पताल, जल सम्बन्धी कार्यों, कोयला खानों कृषि पम्पसैट, डाक तार, आकाशवाणी, सरकारी प्रिंटिंग प्रेस, रेलवे स्टेशनों तथा निर्यात अभिमुखी उद्योग	—	—
(2) दुग्ध डेरी, सुरक्षा पेपर मिलों, बैंक नोट प्रेस, सुरक्षा प्रतिष्ठापनों बालकों स्पेल्टरों, खाद्य सामग्री तैयार करने वाले, उर्वरक, रेलवे ट्रेक्शन, नेपा मिलें तथा सीमेंट	15	20
(3) पेस्टीसाइडस, बी० एस० पी०, कापर खाने, बी० एच० ई० एल० तथा अन्य खाद्य सामग्री तैयार करने वाले उद्योग	25	25
(4) विस्फोटक, औद्योगिक गैसें, अनुसंधान प्रतिष्ठापन, केवल तथा, कन्डक्टर उद्योग. अलकोहल उद्योग, रेलवे लोको पौड आदि	25	25
(5) रासायन, डाई, बुनाई, कपड़ा मिलें, कास्टिक सोडा संयंत्र, इलेक्ट्रोग्राफर, मिष्टान भण्डर आदि।		
(6) रेयनज, सन्थेटिक फाइवर, ग्लास संयंत्र, छोटे इस्पात संयंत्र, न खाने योग्य तेल पिल तथा अन्य उद्योग	25	30

2—उपरोक्त के अतिरिक्त बालको, बी० आई० एल०, बी० एच० ई० एल०, नेपा मिलों, कास्टिक सोडा संयंत्रों तथा एन० एम० डी० सी० बेलाडिला की मांग में 1800 बजे से 2200 बजे के दौरान 30% कटौती की गई।

3. छोटे इस्पात संयंत्रों/स्टील रोलिंग तथा रिकरोलिंग मिलों को 1400 बजे से 2200 बजे तक उत्पादन कार्यों के लिए विद्युत सप्लाई नहीं की गई।

4. उच्च वोल्टता वाले उपभोक्ताओं की छुट्टी के दिन अलग-अलग कर दिए गये तथा एक और दो पाली (शिफ्ट) में कार्य करने वाले उद्योगों को 1400 बजे से 2200 बजे के बीच कार्य करने की स्वीकृति नहीं दी गई।

5. 1980 से इस अवधि के दौरान केवल रोशनी के एक प्वाइन्ट के अतिरिक्त दुकान तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठापन 19 बजे से 22 बजे के बीच विद्युत का उपयोग नहीं करेंगे।

(ख) निम्न वोल्टता वाले उपभोक्ता तथा निम्न वोल्टता वाले उद्योग :—

निम्न वोल्टतावाले वाणिज्यिक एल एण्ड एफ विद्युत उपभोक्ताओं तथा निम्न वोल्टता वाले उद्योगों पर ऊर्जा खपत के नाम मात्रा के प्रतिबंध

(1) गिनिंग, खांडसारी, चीनी कारखानों, खाने वाले तेल मिलों पर 10% ऊर्जा कटौती है।

(2) सिंचाई तथा औद्योगिक विद्युत उपभोक्ताओं पर 1700 बजे से 2100 बजे के बीच व्यस्ततमकालीन और प्रतिबंध

(3) 1900 बजे से 2100 बजे के बीच वाटर वर्क्सों को कार्य करने की मंजूरी नहीं दी गई है।

(4) स्ट्रील लाइटों के विद्युत भार में 50% तक कटौती की गई।

नोट :—उपर्युक्त विद्युत कटौतियों/प्रतिबंधों के अतिरिक्त निम्नलिखित नियामक उपाय लागू थे :—

(1) ग्रामीण फीडरों को दो समूहों में बांटा गया है। प्रत्येक समूह को 0600 बजे से 1600 बजे के दौरान सप्ताह के सभी 7 दिनों में 5 घण्टे बिजली की सप्लाई प्रदान की जाएगी। 1600 बजे से 1900 बजे के बीच प्रतिदिन ग्रामीण फीडरों को विद्युत की सप्लाई नहीं दी जायेगी।

(2) रक्षा उद्योगों को प्रतिदिन 1800 बजे 22 बजे के दौरान 20% की अतिरिक्त मांग तक अपनी औसत मांग को सीमित करना होगा।

2.3 महाराष्ट्र

5 नवम्बर, 1979 से निम्नलिखित विद्युत कटौतियां लागू थी :—

(क) औद्योगिक उपभोक्ता

उपभोक्ताओं की श्रेणी	मांग कटौती (%)	ऊर्जा कटौती (%)	9-7-80 से ऊर्जा कटौती (%)
(1) सतत प्रक्रिया वाले उद्योग	22.5	35	30
(2) कपड़ा उद्योग	25	35	30
(3) सामान्य उद्योग	30	45	35

1	2	3	4
	(4) निम्न वोल्टता सप्लाई प्राप्त करने वाले लघु उद्योग*	—	—
	(5) आवश्यक उपभोक्ता	15	15
	(6) सेवा उद्योग	20	20
	(7) मौसमी उद्योग	—	30
	(8) छोटे इस्पात संयंत्र	22.5	—

* एक तथा दो पाली (शिफ्ट) वाले उद्योगों को 1700 उजे से 2200 बजे के बीच विद्युत के उपयोग की स्वीकृति नहीं है।

(ख) कोकन, पश्चिमी महाराष्ट्र मराठवाड़ा तथा विदर्भ क्षेत्रों में स्थित कृषि उपभोक्ताओं के लिए प्रात: और सायंकालीन व्यस्ततप घण्टों के लिए प्रतिबन्ध

(ग) 2500 के० बी० ए० के भार से जुड़े हुए वम्वई-पूना क्षेत्र से बाहर के उद्योगों के लिए कोई विद्युत कटौती नहीं थी।

(घ) उपरोक्त के अतिरिक्त 1 अक्तूबर, 1979 से निम्नलिखित विद्युत कटौतियां लागू हैं :—

(1) घरेलू उपभोक्ता :

(1) श्रेणी 'क'—300 यूनिट से कम/प्रतिमास	कोई कटौती नहीं
(2) श्रेणी 'ख'— 1000 यूनिट तक/प्रतिमास कोटा 300 यूनिट/प्रतिमास	20% कटौती
(3) श्रेणी 'ग'—1000 यूनिट से ज्यादा/प्रतिमास न्यूनतम स्वीकार्य कोटा 800 यूनिट/प्रतिमास	30% कटौती

(ख) वाणिज्यिक उपभोक्ता :

	मांग कटौती	ऊर्जा कटौती
श्रेणी 'क'—300 यूनिट से कम/प्रतिमास	—	—20%
श्रेणी 'ख'—1000 यूनिट तक/प्रतिमास	—	20%
श्रेणी 'ग'—1000 यूनिट से ज्यादा/प्रतिमास	—	30%

3—पूर्वी क्षेत्र

3·1 पश्चिम बंगाल :

दिसम्बर, 1979 से निम्नलिखित विद्युत कटौतियां लागू थी :—

(1) जूट मिलों और सूती कपड़ा मिलों के अतिरिक्त सभी उच्च वोल्टता वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं की अधिकतम मांग में 23.5% की कटौती।

(2) जूट तथा कपड़ा मिलों की अधिकतम मांग पर 10% कटौती।

(3) सूती कपड़ा मिलों को छोड़कर सभी औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए साप्ताहिक छुट्टी का अलग-अलग दिन।

(4) सभी उच्च वोल्टता वाले उद्योगों को किसी भी दिन 1800 बजे से 2200 बजे के दौरान विद्युत भार प्राप्त करने की अनुमति नहीं है।

(5) सभी मिनी इस्पात संयंत्रों को सप्ताह के सभी 7 दिनों में 2100 बजे से 0900 बजे (अगला दिन) तक प्रचालन के लिए अनुमति थी।

(6) छोटे सिंचाई पम्पों, सभी मध्यम और निम्न वोल्टता वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं (प्रिंटिंग प्रेसों तथा आटा चक्कियों को छोड़कर) को 1700 बजे तथा 2200 बजे के बीच विद्युत भार प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी।

(7) दुकानों तथा प्रतिष्ठापनों (दवाइयों, किराना तम्बाकू पान, सिगार, चूरट, तरल जलपान से सम्बद्ध प्रतिष्ठानों को छोड़कर) को शनिवार, रविवार को -030 बजे से 2230 बजे के बीच तथा अन्य दिनों में 1900 बजे तथा 2230 बजे के बीच बिजली का प्रयोग करने की अनुमति नहीं थी।

(8) वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, बैंकों और घरेलू उपभोक्ताओं को 0900 बजे से 1100 बजे के बीच तथा 1700 बजे से 2200 बजे के बीच वातानुकूलन और रूप कूलर चलाने की अनुमति नहीं थी।

(9) निओन, मरकरी लैम्प तथा अन्य अधिक शक्ति वाली विद्युत सजावट का प्रयोग 2100 बजे तक नहीं किया जाता।

(10) 3.3 के० वी० तथा इससे अधिक पर सप्लाई प्राप्त करने वाले उद्योगों पर व्यस्ततम कालीन प्रतिबंध।

पंजाब में मिट्टी के तेल और डीजल की कमी

245. **श्री लहना सिंह तुर :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में मिट्टी के तेल और डीजल की बहुत कमी है;

(ख) यदि हां, तो रबी की फसल की बुआई के मौसम को ध्यान में रखते हुए पंजाब में इनकी नियमित और सन्तोषजनक पूर्ति के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि पंजाब केन्द्रीय पुल में 60 प्रतिशत खाद्यान्न दे रहा है; उनका मंत्रालय पंजाब में और अधिक डीजल की मांग की पूर्ति पर विचार कर रहा है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) ऐसी कोई रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) पंजाब को अक्तूबर तथा नवम्बर, 1980 के महीनों के लिए हाई स्पीड डीजल तेल का आवंटन वर्ष 1979 के इन्हीं महीनों में किए गये वास्तविक आवंटन के 5 प्रतिशत अधिक स्तर पर किया गया है। अक्तूबर तथा नवम्बर, 1980 के दोनों महीनों के दौरान तदर्थ वृद्धि की स्वीकृति भी दी गई है। डीजल के विभिन्न उपयोगों के लिए राज्य सरकार को विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, परिवहन इत्यादि के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करनी होंगी। राज्य सरकार को डीजल सप्लाई के मामले में कृषि को अधिकतम प्रथमिकता देने के लिये बल दिया गया है। पंजाब को

मिट्टी के तेल का आवंटन पिछले साल के इन्हीं महीनों में इस उत्पाद की हुई वास्तविक बिक्री के 5 प्रतिशत अधिक स्तर पर किया गया है।

(ग) डीजल का आवंटन उत्पाद की कुल उपलब्धता तथा संचलन क्षमता को ध्यान में रखते हुए राज्य में उत्पाद के पिछले बिक्रय प्रतिमान के आधार पर किया जाता है।

थाल-वैशेट और हजीरा उर्वरक कम्पलैक्सों में अमोनिया संयंत्रों के लिये करार

246. प्रो० मधु दंडवते : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अपने पहले निर्णय के विपरीत जाकर थाल-वैशेट और हजीरा उर्वरक कम्प्लेक्सों में अमोनिया संयंत्रों के लिए इंजीनियरी सबन्धी परामर्श का ठेका अमरीका के पुन मैन कैलोगी और इटली नियंत्रित हाल्डर टोप्सो को देने का निर्णय किया :

(ख) यदि हां, तो क्या मूल निर्णय के विपरीत किए गए इस निर्णय से राजकोष को प्रति वर्ष कम से कम 55 करोड़ रुपये नुकसान होगा : और

(ग) यदि हां, तो परामर्श सम्बन्धी करार के बारे में मूल निर्णय में परिवर्तन जिससे विदेशों में भारत की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) मैसर्स हल्डोर टोप्सो और पुलमैन कैलोग को क्रमश : थाल वैसेड और हाजिरा स्थित अमोनिया प्लांटों के लिये परामर्शदाता नियुक्त किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) पूर्व-निर्धारित परामर्शदाताओं से प्राप्त बोलियों की जांच सितम्बर 1980 में सरकार द्वारा स्थापित एक समझौता समिति द्वारा की गई थी। इस समिति की यह सिफारिश की थी कि मैसर्स सी० एफ० ब्राउन को थाल वैसेट प्रायोजना के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया जाये। अगस्त 1979 में सरकार ने राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० से कहा था कि वे मैसर्स सी० एफ० ब्राउन के साथ ठेके के बारे में बातचीत करें और उसे सरकार की मंजूरी के लिये प्रस्तुत करें। जब दिसम्बर 1979 में प्रस्तुत किया गया था भण्डार ठेके का प्रारूप विचाराधीन था तो सरकार बदल गई थी। वर्तमान सरकार ने यह निर्णय किया कि परामर्श-दाता के चयन की नये सिरे से जांच की जाये और प्राप्त बोलियों के गुण-दोषों का मूल्यांकन करने और यह जांच करने के लिए फरवरी 1980 में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी कि क्या दो में प्लांटों (थाल वैसेट और हाजिरा) के लिए एक ही परामर्शदाता नियुक्त करना वांछनीय होगा। समिति ने सिफारिश की थी कि ठेके के प्रारुप में कुछ सुधार करके मैमर्स सी० एफ० ब्राउन को थाल-वैसेट प्रायोजना के लिये परामर्शदाता नियुक्त किया जाये समिति में बहुमत का यह विचार था कि दोनों कम्पलैक्सों के लिए एक ही परामर्शदाता नियुक्त करने का जोखिम स्वाकार्य नहीं होगा। दूसरे प्लांट के लिए परामर्शदाता के चयन के बारे में समिति एकमत नहीं थी। सरकार इस बात पर सहमत थी कि दोनों कम्पलैक्सों के लिये एक ही परामर्शदाता नियुक्त करने का जोखिम स्वीकार्य नहीं है। सी० एफ० ब्राउन को थाल-वैशेठ प्रायोजना के लिये परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करने के बारे में सरकार समिति की सिफारिश से इस आधार पर सहमत नहीं थी कि उनको भारत में किसी प्लांट के निर्माण और संचालन का अनुभव नहीं था और एक ही प्लांट दिये जाने पर प्रौद्योगिकी

हस्तान्तरित करने के बारे में उनका उत्तर संदिग्ध था और उनके द्वारा रखा गया ठेके का प्रस्ताव कानूनी दृष्टि से हानि कर था। अत: सरकार ने अपना विकल्प शेष तीन कम्पनियों तक ही सीमित रखा अर्थात टोयो, पुलमैन कैलोग और हल्डोर टोप्सो। टोयो भी पुलमैन कैलोग के समान ही प्रौद्योगिकी दे रहे थे और यह महसूस किया गया था मूल स्वामियों के साथ सीधे ही सम्बन्ध रखना उचित होगा। अतः सरकार ने थाल वैसेट और हाजिरा प्रायोजनाओं के लिए क्रमशः हल्डोर टोप्सो और पुलमैन कैलोग को परामर्शदाता नियुक्त किया।

केन्द्रीय गंग नहर परियोजना के लिए नियत राशि

247. **श्री निहाल सिंह :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की केन्द्रीय गंग नहर परियोजना के लिये 66.5 करोड़ रुपए की राशि दी गई है जबकि अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गये अनुमानों के अनुसार परियोजना पर 100 करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च होने की सम्भावना है :

(ख) क्या यह सच है कि नहर का अधिकांश भाग रेतीला है परन्तु उसे पत्थरों तथा रोड़ों से भरा हुआ दिखाया जा रहा है; और

(ग) यदि उपरोक्ता भाग (क) तथा (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो क्या सरकार इस मामले में आ-सूचना विभाग द्वारा कोई जांच करवायेगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) उत्तर प्रदेश की छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के अनुसार, मध्य गंगा नहर परियोजना की संवोधित अनुमानित लागत 106 करोड़ रुपये हैं जबकि उक्त परियोजना की मूल अनुमानित लागत 66.01 करोड़ रुपये थी। केन्द्र सरकार को संशोधित अनुमान उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) इस किस्म की जानकारी केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं रखी जाती।

(ग) राज्य सरकार का काम है कि यदि वह उपयुक्त समझे तो ऐसे मामलों की जांच करें और उपयुक्त कार्रवाई करें।

कालोल में उद्योगों को गैस की सप्लाई

248. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालोल में उद्योगों को दी जाने वाली गैस का, बड़े उद्योग पूरी तरह उपयोग कर रहे हैं और उनमें से प्रत्येक उद्योग द्वारा गत तीन वर्षों में कितनी गैस उपयोग में लाई गई;

(ख) यदि इनके द्वारा इनकी सप्लाई की गई गैस का, पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया तो क्या तदनुसार उनकी गैस की सप्लाई और इस प्रकार बची गैस अन्य उद्योग को सप्लाई की जायेगी जिन्होंने इसकी मांग की है;

(ग) कालोल गैस क्षेत्र में कितने उद्योगों की गैस की मांग विचाराधीन है और उसकी मात्रा क्या है;

(घ) क्या कालोल गैस क्षेत्र में 0.51 लाख एस० सी० एम० डी० गैस बचाई गई है और वह शेष उद्योगों को सप्लाई और जायेगी; और

(ङ) क्या 'इफ्को' के लिये उत्तरी भारी गैस क्षेत्र से गैस लाई जानी थी और यदि हां, तो यह कब लाई जायेगी और कालोल में काफी बचे उद्योगों को सप्लाई की जायेगी।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) कलोल गैस क्षेत्र के उद्योग अनुबन्धित मात्राओं के अनुसार गैस प्राप्त कर रहे हैं, और यहां माना गया है कि वहां गैस का पूर्ण रूप से उपयोग कर रहे हैं। गत तीन वर्षों में इन प्रत्येक उद्योगों द्वारा प्राप्त की गई गैस का उद्योग-बार ब्यौरा नीचे दिये गया है।

(आंकड़े मिलियन एस० सी० एम० में)

उद्योग का नाम	1977-78	1978-79	1979-80
1. इफ्को (मुक्त+सम्बद्ध गैस दोनों)	250.73	261·81	211.92
2. भारत विजय मिल्स —	4.35	3.75	4.13
3. अहमदाबाद मेन्यूफक्चरिंग वर्क्स एण्ड केलिको प्रिंटिंग वर्क्स	3.08	3.40	3.03
4. महेन्द्रा मिल्स	5.57	6.07	5.39
5. मेलामाइन फाइबर बोर्ड	0.41	0.44	0,54
6. मेट्रोवड इंजीनियरिंग वर्क्स	0.36	0.41	0.44
7. नवजीवन मिल्स	2.36	4.38	3.76

(ख) कभी-कभी उनकी तरफ से संचालन कारणों, अनुरक्षण/मरम्मत आदि के कारण उपभोक्ताओं द्वारा उनकी अनुबन्धित मात्राओं की अपेक्षा, कम मात्रा में गैस ली जाती है। तथापि इस अल्पकालिक फालतू गैस के लिए नये उपभोक्ताओं में से किसी को देने के लिए वचन नहीं दिया जा सकता।

(ग) कलोल क्षेत्र के पांच उद्योगों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं जिनकी गैस की मांग पर विचार किया जाना है :—

क्रम सं० उद्योग का नाम	एस० सी० एम० डी० में मात्रा
1. मैसर्स नटवर लाल भूखा भाई	1,500
2. मैसर्स जयहिन्द सग्रीस	2,000
3. जी० आई० डी० सी०	10,000
4. भारत रोलिंग मिल्स	5,000
5. कलोल नगरपालिका	5,000

(घ) शेष उद्योगों को सप्लाई करने के लिए कलोल क्षेत्र में कोई फालतू गैस उपलब्ध नहीं है।

(ङ) इस समय, उत्तरी कदी गैस को कलोल लाकर इफ्को को सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि ओ० एन० जी० सी० उत्तर और दक्षिण कादी क्षेत्रों से कादी में स्थिति जी॰आई० डी० सी० उद्योगों को 71,500 एस॰ सी० डी० गैस सप्लाई करेगा।

बिहार और पश्चिम बंगाल में कोयले की अवैध खानें

249. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में कोयले की कितनी अवैध खानें कार्य कर रही हैं; और

(ख) इन कोयला खानों का संचालन बन्द करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

कम्पनी रजिस्ट्रार बिहार के कार्यालय में रिक्त स्थान

250. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोअर/अपर डिविजन क्लर्क का कोई स्थान कम्पनी रजिस्ट्रार, बिहार के कार्यालय में खाली है;

(ख) यदि हां, तो उनको भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और किन स्रोतों से;

(ग) क्या बिहार कार्यालय के पद के लिए नियुक्ति कलकत्ता कार्यालय से की जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो बिहार से क्यों नहीं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) (क) तथा (ख) : एक लोअर डिवीजन क्लिर्क के अपर डिवीजन क्लर्क के पद पर तदर्थ नियुक्ति के कारण, अल्प अवधि के एक लोअर डिवीजन क्लर्क के रिक्त पद के अतिरिक्त, कम्पनी रजिस्ट्रार, बिहार के कार्यालय में लोअर डिबीजन क्लर्क अथवा अपर डिवीजन क्लर्क का कोई पद रिक्त नहीं है ।

(ग) तथा (घ) कम्पनी रजिस्ट्रारों के कार्यालयों में लोअर डिवीजन क्लर्कों के पद कर्मचारी चयन आयोग, पूर्वी प्रदेश के माध्यम से भरे जाते हैं । प्रदेश में अपर डिवीजन क्लर्कों के पद, उक्त प्रदेश के पात्र लोअर डिवीजन क्लर्कों में से प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं ।

दूरवराज क्षेत्रों के लिए उपग्रह दूरदर्शन रिले प्रणाली के विस्तार का प्रस्ताव

251. **श्री पी० नामग्याल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से क्षेत्र उपग्रह दूरदर्शन रिले प्रणाली से जुड़े हुए हैं;

(ख) क्या सरकार का जम्मू और काश्मीर में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में लाहौलस्पीती और चिन्नापुर, अरुणाचल प्रदेश तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे देश के अन्य दूर-दराज क्षेत्रों में इन सुविधाओं को पहुंचाने का विचार है; और

(ग) यदि उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो वहां तक और यदि नहीं नाकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) (क) से (ग) : भारत के राष्ट्रीय उपग्रह ("इनसैट") के 1982 के शुरू में छोड़े जाने की उम्मीद है । एक अन्तः विभागीय कार्य दल द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर दूरदर्शन सेवा के लिए "इनसैट" का उपयोग करने का प्रस्ताव विधाराधीन है । "इनसैट" के माध्यम से क्षेत्रों का कवर किया जाना "योजना" की स्वीकृति, संसाधनों की उपलब्धता और सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा ।

गांवों का विद्युतीकरण

252. श्री चित्त महाटा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कितने गांव हैं, जिनका अब तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है; और

(ख) इन गांवों का कब तक विद्युतीकरण हो जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) अद्यतन रिपोर्टों के अनुसार, 31 अगस्त, 1980 की स्थिति के अनुसार जिन गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है उनकी संख्या 3,19,629 थी।

(ख) जुलाई, 1976 में हुए राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों के सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के अनुसरण में, विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भावी योजना प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनसे यह पता चलता है कि देश में सभी गांवों को 1994-95 तक विद्युतीकृत करना संभव हो सकेगा बशर्ते कि इस अवधि के दौरान 3,360 करोड़ रुपये तक की निधियां उपलब्ध हों।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण

253. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा देश के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में तेल वाले क्षेत्रों का और आगे सर्वेक्षण शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) गोदावरी बेसिन, जहां तेल तथा गैस मिली है, के विकास की क्या सम्भावनायें हैं; और

(घ) गोदावरी बेसिन की वाणिज्यक क्षमता के मूल्यांकन के लिए क्या टैक्नोलोजी अपनाई जा रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) एवं (ख)—सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत करदी जाएगी।

(ग) गोदावरी बेसिन के विकास की संभावना के बारे में पक्के तौर पर कुछ कहने से पहले तटीय एवं अपतटीय क्षेत्रों में कुछ और अन्वेषणात्मक कूपों की खुदाई करनी आवश्यक होगी।

(घ) अभी तक गोदावरी बेसिन में हाईड्रोकार्बनों की व्यापारिक खोज नहीं हुई है। तटीय क्षेत्र में अन्वेषणात्मक खुदाई के लिए रिलीज किए गए कुछ स्थलों पर गहरी खुदाई की जा रही है। अपतटीय क्षेत्र में कुछ और कूपों के खोदे जाने की योजना है।

पन-बिजली के सम्बन्ध में विदेशी विशेषज्ञ

254. श्री चित्त बसु : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पन-बिजली के विदेशी विशेषज्ञों को भारत आने और भारतीय विशेषज्ञों के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए आमंत्रित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे विदेशी विशेषज्ञ अब तक भारत की यात्रा कर चुके हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मूल्यांकन रिपोर्ट, यदि कोई हो तो उसका क्या ब्योरा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जल विद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन शीघ्र करने की दृष्टि से, कार्य के कुछ विशिष्ट तथा चुने हुए क्षेत्रों में विदेशी विशेषज्ञता का सहयोग लेने का प्रस्ताव है ।

(ख) और (ग) प्रस्तावों की जांच की जा रही है ।

दिल्ली में बिजली की कमी को दूर करने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के प्रस्ताव

255. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने राजधानी में बिजली की कमी को दूर करने के लिए मंत्रालय को ठोस प्रस्ताव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने केन्द्र से कहा है कि हरियाणा के एकक को इन्द्रप्रस्थ बिजली घर के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर दिया जाये और हिमाचल प्रदेश में बन रहे बैरासुइल जल विद्युत परियोजना में भी दिल्ली का हिस्सा बढ़ा दिया जाये; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा इस सम्बन्ध में दिए गए सभी सुझावों के बारे में क्या निर्णय लिये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) इन्द्रप्रस्थ विद्युत केन्द्र के विस्तार के रूप में ईंधन के और कोयला जलाने वाले 2×110 मेगावाट के केन्द्र की प्रतिष्ठापना के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । इस विद्युत केन्द्र को वर्तमान केन्द्र के समीप ही स्थापित किए जाने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण समिति ने पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से सहमति नहीं दी है । उपयुक्त वैकल्पिक स्थल की जांच करने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान से अनुरोध किया गया था । दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने बादली में एक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था लेकिन कोयले की ढुलाई को मद्धे नजर रखते हुए रेलवे ने भी इस स्थल के लिए सहमति नहीं दी ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने 2×30 मेगावाट का गैस टर्बाइन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है । गैस टर्बाइन के लिये ईंधन की उपलब्धता की पुष्टि करने के लिए इस प्रस्ताव को पेट्रोलियम विभाग को भेज दिया गया है ।

(ग) और (घ) : इन्द्रप्रस्थ विद्युत केन्द्र में हरियाणा का हिस्सा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को अन्तरित किये जाने के लिये सरकार को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । प्रस्ताव हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड को उनकी टिप्पणी के लिये भेज दिया गया है । टिप्पणी की प्रतीक्षा है ।

बैरा-स्युल जल विद्युत परियोजना में दिल्ली के हिस्से को बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

देश में बाढ़ को रोकने के लिए मास्टर योजना

256. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान सरकार ने देश में वर्ष 1980 से बाढ़ पर रोक लगाने के लिए किसी मास्टर योजना की रूपरेखा तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो मास्टर योजना की प्रमुख रूपरेखा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने समूचे देश में बाढ़ों को रोकने के लिए कोई मास्टर योजना तैयार नहीं की है क्योंकि बाढ़-नियंत्रण राज्य-विषय है और यह राज्य सरकारों का काम है कि वे अपने-अपने इलाकों के बाढ़-प्रभावित क्षेत्रों के लिए मास्टर योजनायें तैयार करें। राज्य सरकारें ऐसी मास्टर योजनायें तयार करने का काम कर रही हैं लेकिन जनवरी, 1980 से केन्द्रीय सरकार ने देश में जल संसाधानों के विकास का एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार किया है, जिससे बाढ़-नियंत्रण सहित कई बहूद्देश्यीय लाभ प्राप्त होंगे। इस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को राज्य सरकारों के साथ सलाह करके अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

राज्य मंत्री की रूस यात्रा

257. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री अक्तूबर, 1980 में रूस की यात्रा पर गई थीं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उनकी यात्रा के दौरान रंगीन टेलीविजन चालू करने के बारे में कोई बातचीत हुई थी; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

सूचना और प्रसारण उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा आरम्भ की गई परियोजनायें

258. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा अब तक राज्यवार कितनी परियोजनायें आरम्भ की गई हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : ग्राम विद्युतीकरण परियोजनायें राज्य बिजली बोर्डों व ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों द्वारा बनाई जाती हैं तथा उन्हीं के द्वारा क्रियान्वित भी की जाती हैं तथा जिन राज्यों में बिजली बोर्ड नहीं हैं, वहाँ ये परियोजनायें राज्य सरकारों द्वारा बनाई और क्रियान्वित की जाती हैं। राज्य बिजली बोर्डों आदि द्वारा प्रायोजित ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों को निगम द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है बशर्ते कि ये स्कीम वित्तीय दृष्टि से जीवनक्षम तथा तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य हों। 31 अक्तूबर, 1980 तक निगम ने भिन्न-भिन्न राज्यों की कुल 1286.60 करोड़ रुपये की ऋण सहायता की 3,723 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इनका राज्यवार ब्यौरा उपाबन्धन में दिया गया है।

विवरण

ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा 31-10-1980 तक स्वीकृत की गई ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाओं का राज्यवार ब्योरा

क्रम सं०	राज्य	स्वीकृत स्कीमों की संख्या	स्वीकृत की गई ऋण राशि (लाख रुपये में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	345	8940.682
2.	असम	62	3561.161
3.	बिहार	286	11510.501
4.	गुजरात	205	5600.964
5.	हरियाणा	99	2524.928
6.	हिमाचल प्रदेश	66	2847.224
7.	जम्मू व कश्मीर	81	2955.798
8।	कर्नाटक	140	4270.359
9.	केरल	74	1586.808
10.	मध्य प्रदेश	523	16951.131
11.	महाराष्ट्र	334	10476.070
12.	मणिपुर	10	655.416
13.	मेघालय	34	1404.044
14.	नागालेण्ड	11	627.274
15.	उड़ीसा	237	9466.066
16.	पंजाब	150	5054.469
17.	राजस्थान	309	10745.408
18.	तमिलनाडु	216	5263.617
19.	त्रिपुरा	23	721.659
20.	उत्तर प्रदेश	296	13880.357
21.	पश्चिम बंगाल	222	9615.604
	जोड़	3723	128659-540

राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम का चार क्षेत्रीय बोर्डों के रूप में पुनर्गठन

259. श्री रेणु पद दास : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम का चार क्षेत्रीय बोर्डों में पुनर्गठन किये जाने के प्रस्ताव पर निर्णय न लिए जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को चार क्षेत्रीय बोर्डों में पुनर्गठित करने का कोई प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालय के विचाराधीन नहीं है। तथापि, विद्युत समिति, जिसने विद्युत उद्योग के ढांचे का अध्ययन किया है, ने सुझाव दिया है

कि एक क्षेत्र के समस्त केन्द्रीय विद्युत उत्पादन एक क्षेत्रीय विद्युत उत्पादन प्राधिकरण के अधीन होना चाहिए। सरकार ने अभी तक इस सुझाव की जांच नहीं की है।

दिल्ली में सीवेज कुकिंग गैस की पूर्ति

260. श्री राजेश कुमार सिंह : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की कुछ कालोनियों को सस्ती दरों पर सीवेज कुकिंग गैस उपलब्ध कराने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) ओखला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उपलब्ध होने वाली गैस की सम्भावित मात्रा से कब तक तथा किन कालोनियों को इसका लाभ मिलेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव मेरे मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

न्यायालयों में लम्बित कार्य को कम करने के लिए समिति

261. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यायालयों में लम्बित कार्य को कम करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सिफारिशें की गई हैं और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) तीन अधिकारियों की एक अन्तर विभागीय समिति विधि आयोग की 77वीं, 78वीं और 79वीं रिपोर्टों में की गई सिफारिशों की समीक्षा सरकार के अनुमोदन के लिए ठोस प्रस्ताव तैयार करने की दृष्टि से कर रही है। उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

भारत की सहायता करने के लिए अशोधित तेल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई

262. श्री माधवराव सिंधिया : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस, बुल्गारिया और अन्य देशों, जिनकी उन्होंने इस वर्ष भारत के राष्ट्रपति के साथ यात्रा की थी, वे ईराक-ईरान संघर्ष के कारण भारत को होने वाली कमी को दूर करने के लिए भारत की सहायता करने हेतु अशोधित तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई करने का आश्वासन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक देश ने कितने अशोधित तेल और तेल की सप्लाई करने का आश्वासन दिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) आयातित अशोधित तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई में आई कमी को पूरा करने के लिए हमने सोवियत रूस और बल्गारिया सहित कई देशों से बात की है। जबकि कुछ देशों ने

निश्चित बचनबद्धताएं की हैं तथा अन्य देशों से उत्तर की प्रतीक्षा है। इससे अधिक विवरण देना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा।

राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की रिपोर्ट पर राज्य सरकारों के विचार

263. **श्री के० ए० राजन :** क्या सिंचाई मन्त्री राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की रिपोर्ट के बारे में 17 जून, 1980 के तारांकित प्रश्न संख्या 133 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की रिपोर्ट पर राज्य सरकारों द्वारा व्यक्त की गई प्रतिक्रियायें तथा टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की रिपोर्ट पर टिप्पणियां अभी तक संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन और दीव और अंशत: पश्चिम बंगाल सरकार से ही प्राप्त हुई हैं। हाल में बंगलोर में 10 से 12 नवम्बर, 1980 तक हुए राज्यों के सिंचाई मंत्रियों के 5वें सम्मेलन में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशों पर भी विचार-विमर्श हुआ था। सम्मेलन में, योजना आयोग द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के लिए गठित बाढ़-नियंत्रण सम्बन्धी कार्यकारी दल के इस मत का समर्थन किया कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशों को मोटे रूप से स्वीकार कर लिया जाए। सम्मेलन ने एक संकल्प के जरिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की रिपोर्ट से सम्बन्धित अपने विचार टिप्पणियां 2 महीने के अन्दर भेज दें।

यमुना परियोजना से विद्युत पैदा करने में कठिनाई

264. **श्री रामलाल राही :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यमुना परियोजना से अधिष्ठापित क्षमता पर बिजली पैदा करने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन कठिनाइयों को दूर करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार को क्या सहयोग दिया गया है तथा तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) यमुना परियोजना सम्बन्धी कठिनाइयों का समाधाम करने के लिए केन्द्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के प्राधिकारियों के बीच घनिष्ठ सहयोग है।

यमुना परियोजना चरण-11 के चिबरो विद्युत केन्द्र (4 × 60 मेगावाट) के चार उत्पादन यूनिटों में से यूनिट सं० 3 और 4 के स्टेटर वाइंडिंग में 1977 में खराबी आ गई थी जिसे 1978 के आरम्भ में ठीक किया गया था। खराबियों के तकनीकी पहलुओं की जांच करने और उपचारी कारंवाई सुझाने के लिए, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड तथा भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लि० के साथ परामर्श करके एक समिति गठित की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत की थी।

वाइंडिंगज के इन्स्युलेशन में बार-बार होने वाली खराबी को ध्यान में रखते हुए परियोजना प्राधिकारियों ने यह निर्णय किया है कि दीर्घकालिक उपाय के रूप में विटुमन प्रकार के

पुराने इन्स्युलेशन को बदलकर एपोक्सी प्रकार की उष्मारोधी वाइंडिंग के साथ जेनरेटरों को पुनः इन्स्युलेट किया जाए। यूनिट सं० 2 के जेनरेटर स्टेटर वाइंडिंगज को बदल दिया गया है तथा इन यूनिटों को अभी हाल ही में पुनः चालू कर दिया गया है। बिजली घर की तीन अन्य यूनिटों (यूनिट सं० 1,3 और 4) के जेनरेटरों की पुनः वांइडिंग करने के कार्य को सोपानबद्ध रूप में हाथ में लेने का प्रस्ताव है। सप्लाई पर निर्भर करते हुए यह कार्य 2-3 वर्षों में पूर्ण होने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त सिविल इन्जीनियरी के विचार से, चिबरो विद्युत केन्द्र के संचालन में और अधिक सुधार करने के विषय में जाँच करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने अप्रैल, 1979 में केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया है। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, यमुना चरण-चार का कुलहल बिजली घर (3 × 10 मेगावाट) 1978 में यमुना नदी में आई अभूतपूर्व बाढ़ों के समय बाढ़ग्रस्त हो गया था। इस विद्युत केन्द्र की भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज की सहायता से अब मरम्मत कर दी गई है तथा सभी तीनों यूनिटों को क्रमशः जनवरी, 1980, अप्रैल, 1980 तथा अक्तूबर, 1980 में पुनः चालू कर दिया गया है।

नागोर्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड परियोजना का राष्ट्रीयकरण

265. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागोर्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड परियोजना के राष्ट्रीयकरण में विलम्ब के वास्तविक कारण क्या हैं; और

(ख) इस परियोजना के प्रति आन्ध्र प्रदेश सरकार की अब तक क्या भूमिका रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) (क) मैसर्स नागोर्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि० के राष्ट्रीयकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार इस कम्पनी की सहयोगी है।

महानदी बेसिन में तेल के प्रमाण

266. **श्री के० पी० सिंह देव : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयल इण्डिया ने महानदी बेसिन में तेल मिलने के प्रमाणों का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो तेल किन स्थानों पर पाया गया है; और

(ग) आयल इण्डिया की खोज के लिए दिये गये 18,000 किलोमीटर क्षेत्र में से कितने क्षेत्र का सर्वेक्षण कर लिया गया है और इस क्षेत्र में तेल मिलने की सम्भावना कैसी है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) आयल इण्डिया लिमिटेड को महानदी बेसिन में 18,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र (12,000 वर्ग किलो मीटर अपतटीय और 6,800 वर्ग किलो मीटर तटवर्ती क्षेत्र) के लिए अन्वेषण लाइसेंस दिया

गया है। इस सम्पूर्ण क्षेत्र में वायु चुम्बकीय सर्वेक्षण किया गया है। अभी तक इस क्षेत्र में तेल नहीं मिला है।

प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण किए जाने में विलम्ब

267. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में छपे इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि 100 से भी अधिक प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में होने वाले विलम्ब के कारण उन पर लगभग 5,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा और यदि इन परियोजनाओं को समय पर पूरा कर लिया जाता तो 1 करोड़ 35 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई हो सकती थी; और

(ख) इससे सम्बन्धित तथ्य क्या हैं, विलम्ब के कारणों का ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है या की जाएगी ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों की ओर दिलाया गया है। इन परियोजनाओं के मूल अनुमानों और संशोधित अनुमानों के बीच लगभग 5000 करोड़ रुपए का अन्तर है। यदि ये परियोजनायें समय पर पूरी कर ली गई होती तो लगभग 51 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त क्षमता सृजित हो जाती। लेकिन इन परियोजनाओं की लागत के बढ़ जाने का एकमेव कारण निर्माण में विलम्ब होना नहीं है। विलम्ब के कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

1. अलग-अलग परियोजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय आबंटन का उपलब्ध न होना।

2. राज्यों द्वारा बहुत सी परियोजनाओं का निर्माण शुरू कर दिया जाना, जिसके परिणामस्वरूप न केवल वित्तीय बल्कि प्रबंधकीय और तकनीकी साधन भी बंट गए।

3. परियोजनाओं की लागत में भारी वृद्धि हो जाना, जिसका कारण श्रम, सामग्री, उपस्करों, फालतू कल-पुर्जों, भूमि आदि की कीमत में होने वाली समग्र आम भारी बढ़ोत्तरी थी।

4. परियोजनाओं को हाथ में लिए जाने से पहले उनका पूरी तरह से अन्वेषण न किया जाना, जिसके परिणामस्वरूप उनके क्रियान्वयन के दौरान परियोजनाओं के स्कोप में भारी परिवर्तन होना, जिनमें जल-निकास प्रबंध और कमान क्षेत्रों को बाढ़-सुरक्षा प्रदान करना भी शामिल है।

5. भूमि प्राप्त करने में कठिनाई।

6. सीमेंट, इस्पात, विस्फोटकों, मशीनरी, अतिरिक्त कल-पुर्जों, विदेशी मुद्रा, आदि जैसी दुलर्भ सामग्रियों का उपलब्ध न होना।

7. परियोजनाओं के निर्माण के दौरान आने वाली कठिनाइयां जैसे प्रतिकूल भू-वैज्ञानिक स्थिति, अभूतपूर्व और असामयिक बाढ़ें, आदि।

8. परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अपेक्षित निर्माण, डिजाइन और अन्य संगठनों की स्वीकृति मिलने में विलम्ब।

इस स्थिति को सुधारने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में जो कुछ नीतियां अपनाई जा रही हैं, वे हैं : निर्माण-सामग्री के लिए अग्रिम आयोजन करके, परियोजना-संगठनों को सुदृढ़ बनाकर और निर्णय के लिए उच्च-स्तरीय तंत्र की स्थापना करके सभी निर्माणाधीन स्कीमों को समयबद्ध रूप से पूरा करने पर जोर देना।

आकाशवाणी के पटना केन्द्र का विकसित किया जाना

268. श्रीमती कृष्णा साही : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के पटना केन्द्र के चहुँमुखी विकास तथा उसे शक्तिशाली बनाने के लिए एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है और इसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) आकाशवाणी, पटना के लिए एकमात्र स्वीकृत योजना 2 संगीत स्टूडियों, 1 नाटक स्टूडियो, 1 वार्ता स्टूडियो, 2 पार्श्व स्टूडियों, 2 डबिंग रूम और 1 रिकार्डिंग रूम तथा अन्य सम्बन्धित सुविधाओं से युक्त नए स्थायी स्टूडियो से निर्माण के लिए है। इस नए स्टूडियो के दिसम्बर 1983 तक तैयार हो जाने की उम्मीद है।

आकाशवाणी के कलाकरों के लिच पेंशन

269. श्री कृष्णचन्द्र पांडे :

श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों के लिए पेंशन के सम्बन्ध में 15 जुलाई, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4235 के दिए गये उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों को पेंशन के लाभ कब दिये जायेंगे और अन्तिम निर्णय लेने में देरी के क्या कारण हैं;

(ख) युवकों और नई-प्रतिभा को अवसर देने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन के इस श्रेणी के अधिकारियों को 58 वर्ष की आयु पर सरकार द्वारा सेवा निवृत्त न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) कार्यक्रम अधिकारियों की तरह उन सभी कलाकारों को एक श्रेणी में न मिलाए जाने के क्या कारण हैं; जहां कार्य नियमित हैं; और

(घ) क्या प्रोडक्शन संवर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति की वे सब सुविधायें उपलब्ध नहीं होती जो नियमित कार्यक्रम अधिकारियों को उपलब्ध हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं और इस विसंगति को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाही की जा रही हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) आकाशवाणी और दूरदर्शन के स्टाफ आर्टिस्टों, जो इस समय संविदा कर्मचारी हैं, को नियमित सरकारी कर्मचारियों में बदलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार हो गया तो स्टाफ आर्टिस्ट स्वत: ही पेंशन पाने के पात्र बन जायेंगे।

(ख) स्टाफ आर्टिस्टों को संविदायें 58 वर्ष की आयु तक दी जाती हैं। इस आयु को 60 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकता है ताकि उनकी प्रतिभा और अनुभव का, दक्षता के अनुरूप अधिकतम सीमा तक उपयोग किया जा सके।

(ग) स्टाफ आर्टिस्टों द्वारा किए जा रहे कार्य को मोटे तौर से पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसलिए उन सभी को एक ही श्रेणी में मिलाना संभव नहीं है।

(घ) निर्माण संवर्ग के स्टाफ आर्टिस्टों को इन पदों के लिये निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार पदोन्नति के अवसर प्राप्त हैं। नियमित कार्यक्रम अधिकारियों की पदोन्नति के लिए

विभिन्न भर्ती नियम निर्धारित हैं। तथापि, कार्यक्रमों को तैतार करने के कार्य में रत आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों की पदोन्नति के अवसर बढ़ाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

देश में कोयले की कमी

270. **श्री सी० चिन्ना स्वामी : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयले की भारी कमी है;

(ख) क्या इस कमी का कारण माल-डिब्बों की कमी है अथवा उत्पादन की कमी; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं, क्योंकि इसका देश के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक प्रगति पर काफी प्रभाव पड़ा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) रानीगंज कोयला क्षेत्रों से कोककर कोयले और अच्छे कोयले की कुछ किस्मों के कोयले की उपलब्धि में कुछ कमी हुई है जिसका मुख्य कारण उन समस्याओं के कारण उत्पादन में कमी है जिनसे बिहार बंगाल क्षेत्र में कोयले का उत्पादन प्रभावित हुआ है—यह समस्यायें हैं कानून और व्यवस्था की खराब स्थिति, मजदूरों की हड़तालें, बिजली की कमी। अन्य सभी ग्रेडों का कोयला बहुतायत से उपलब्ध है। दिनांक 1-11-1980 की स्थिति के अनुसार खान मुहाना स्टाक 12.9 मिलियन टन से भी अधिक था। परन्तु उपभोक्ताओं तक कोयला पहुँचाने में मुख्य बाधा परिवहन के साधनों की कमी है।

(ग) उपभोक्ताओं को कोयले की सप्लाई बढ़ाने के लिए उठाए गये कदमों में यह उपाय शामिल हैं—रेलवे और कोयला उद्योग के बीच सभी कार्यकारी स्तरों पर घनिष्ठ समन्वय, रेलों द्वारा कोयले की ढुलाई में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए उपभोक्ताओं को सड़क से ले जाने के लिये कोयला देना। इसके अतिरिक्त रेलों द्वारा कोयले की ढुलाई और कोयले के उत्पादन की सरकार में उच्चतम स्तर पर देखरेख हो रही है जो आधारभूत औद्योगिक सुविधाओं संबंधी मंत्रीमंडलीय समिति कर रही है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की न्यायपीठों का गठन

271. **श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठों के निबंधनों तथा गठन में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ; तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) जी नहीं। विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई के लिये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायपीठों का गठन उनके अपने-अपने मुख्य न्यायाधिपतियों द्वारा किया जाता है।

जनवरी, 1980 से राजधानी में बिजली की कटौती

272. **श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में जनवरी, 1980 के बाद बिजली की कटौती की गयी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) क्या राजधानी के किसी क्षेत्र को बिजली की कटौती से छूट दी गयी है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) जी, हाँ। जनवरी, 1980 से अक्तूबर, 1980 के अन्त तक दिल्ली में लागू की गई लोड शैडिंग का ब्योरा निम्नानुसार है :—

क्र०सं०	महीना	कितने दिन लोड शैडिंग की गई	लोड शैडिंग मेगावाट—घंटों में
1.	जनवरी, 1980	12	2237
2.	फरवरी, 1980	4	1164
3.	मार्च, 1980	1	65
4.	अप्रैल, 1980	10	3405
5.	मई, 1980	18	10332
6.	जून, 1980	12	7008
7.	जुलाई, 1980	7	3606
8.	अगस्त, 1980	15	6286
9.	सितम्बर, 1980	8	2701
10.	अक्तूबर, 1980	5	1849
11.	नवम्बर, 1980 (14वीं तारीख तक)	1	22

(ग) बड़े-बड़े अस्पताल, वाटर वर्क्स, प्रमुख पम्पिंग केन्द्र, रेलवे स्टेशन, टेलीफोन एक्सचेंज आदि जैसी अनिवार्य सेवाओं तथा उपर्युक्त अनिवार्य सेवाओं के फीडरों से सम्बद्ध क्षेत्रों को छोड़कर किसी विशिष्ट क्षेत्र को लोड शैडिंग से छूट नहीं दी जाती है क्योंकि एक ही वितरण मेन से बिजली पाने वाले अनिवार्य और गैर-अनिवार्य उपभोक्ताओं को अलग-अलग करना सम्भव नहीं है।

भट्टी तेल की कमी

274. श्री ई० बालानन्दन : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घरेलू उपयोग के लिये भट्टी तेल की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ख) घरेलू क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र में अलग-अलग भट्टी तेल की दैनिक आवश्यकता तथा उपलब्धता क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) देश की शोधन शालाओं में साफ किये जाने वाले अशोधित तेल से प्राप्त होने वाले भट्टी के तेल। लो सल्फर हैवी स्टाक की देशीय उपलब्धता देश में इस उत्पाद की मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। इन

दोनों उत्पादों की देश में लगभग 7.5 मिलियन मीट्रिक टन की वर्तमान वार्षिक मांग के 20 प्रतिशत भाग भट्टी के तेल को विदेशों से आयात किया जाता है। इससे उत्पाद की सम्पूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में भट्टी के तेल का आयात करने लिए कदम उठाये गए हैं।

(ख) घरेलू क्षेत्र में भट्टी के तेल की कोई खपत नहीं है और केवल उद्योग और पावर के क्षेत्र में इसकी खपत होती है। इस समय देश में भट्टी के तेल। लो सल्फर हैवी स्टाक की दैनिक औसत आवश्यकतायें संगणक द्वारा 20548 मीट्रिक टन निकाली गई है। केवल अस्थाई व अल्प अवधि के लिए स्थानीय कमी को छोड़कर इस उत्पाद की उपलब्धता बहुत कुछ आवश्यकता के अनुरूप है।

थाल वैशेठ उर्वरक परियोजना के लिए स्वीकृति

275. **श्रीमती प्रमिला दंडवते :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थाल वैशेठ में उर्वरक परियोजना के लिए स्वीकृति प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां तो परियोजना कब तक पूरी होने की सम्भावना है;

(ग) क्या परियोजना के निर्माण के लिए कोई कार्य आरम्भ किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां। सरकार द्वारा परियोजना की मंजूरी मई, 1979 में दी गई थी।

(ख) परियोजना के 1984-85 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

(ग) और (घ) परियोजना पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है और जल, विद्युत, कोयला और रेलवे सुविधाओं आदि जैसी इन्फ्रास्ट्रक्चर सम्बन्धी सुविधाओं के बारे में प्रबन्ध कर दिया गया है। कारखाने के लिए भूमि का अर्जन कर लिया गया है और निर्माण कार्य प्रगति पर है। वाष्प प्रजनन संयंत्र के लिए यू० के० के मैसर्स फास्टर व्हीलर पावर प्रोडक्टस लि० से करार किया गया है। विभिन्न स्थलटूर सुविधाओं के बारे में कार्यवाही प्रगति पर है। 30-9-1980 तक परियोजना पर लगभग 34 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

बिहार में बक्सर-कोचबार तटबन्ध योजना पर चल रहे कार्य की प्रगति

276. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में बक्सर-कोचवार तटबंध योजना पर कितना काम शेष रह गया है; और

(ख) इस योजना का काम कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) बिहार राज्य सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है कि कुल 203.8 किलोमीटर लम्बे बक्सर-कोइलवार तटबंध के 99.8 किलोमीटर लम्बे हिस्से और कुल 128 बाढ़-रोधी स्लुइसों में से 125 स्लुइसों को अभी पूरा किया जाना बाकी है।

(ख) इस स्कीम के 1984-85 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

होजनेकल जल विद्युत परियोजना के बारे में तमिलनाडु तथा कर्नाटक के मुख्य मंत्रियों के बीच बातचीत

277. श्री के० राममूर्ति : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होजनेकल जल विद्युत परियोजना के बारे में तमिलनाडु और कर्नाटक के मुख्य मंत्रियों के बीच हुई बातचीत के क्या परिणाम निकले; और

(ख) क्या इस बातचीत के बाद केन्द्रीय सरकार ने इसके लिए स्वीकृति दे दी है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री की अध्यक्षता में 18-9-1980 को बैठक हुई थी, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पांडिचेरी के मुख्यमंत्री उपस्थिति थे । केवल कावेरी नदी के जल के बंटबारे से सम्बन्धित मुद्दों पर इस बैठक में विचार-विमर्श हुआ था । आगे विचार-विमर्श किया जाना है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत यूनिट सप्लाई करने के लिए विदेशी कम्पनियों की पेशकश

278. श्री नवीन रवाणी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी विदेशी कम्पनियों ने विद्युत यूनिट सप्लाई करने और किन-किन विशेष परियोजनाओं के लिए सप्लाई करने की पेशकश की है;

(ख) क्या यह सच है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० के श्रमिकों ने विदेशी सामान प्राप्त करने का विरोध किया है जबकि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० नेवेली जैसी नई विद्युत परियोजनाओं के लिए यह सामान सप्लाई करने के लिए तैयार था; और

(ग) देश में बनाए जा सकने वाले ऐसे सामान के आयात को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : भारत सरकार की आयात नीति में विद्युत उत्पादन उपस्करों के आयात के लिए विश्वव्यापी निविदायें आमंत्रित करने की अनुमति दी गई है, चाहे उपस्कर का निर्माण देश में होता हो या न होता हो । इन विश्वव्यापी निविदाओं के आधार पर की गई सिफारिशों पर, सचिव (भारी उद्योग) की अध्यक्षता में भारी उद्योग विभाग में गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार किया जाता है जोकि अन्तिम स्वीकृति देने से पहले इन सिफारिशों की जांच करती है । कुछ राज्य बिजली बोर्डों ने यह प्रक्रिया अपनाई है और उन्होंने विश्वव्यापी निविदायें आमंत्रित की हैं जिसके उत्तर में विदेशी कम्पनियों द्वारा प्रस्ताव भेजे गये हैं । इसके अतिरिक्त विद्युत उत्पादन उपस्करों की सप्लाई के लिये कुछ विदेशी कम्पनियों ने व्यावसायिक प्रस्ताव या सिद्धांत रूप से प्रस्ताव किए हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) विश्वव्यापी निविदाओं के आधार पर आयात के प्रस्तावों पर विचार करते समय, स्वदेशी निर्माताओं द्वारा निर्धारित समय में वांछित उपस्कर की सप्लाई करने की उनकी क्षमता को ध्यान में रखा जाता है ।

कोयला कम्पनियों द्वारा कोयले का उत्पादन तथा उनको हुई हानि

279. श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न कम्पनियों द्वारा गत दस महीनों के दौरान कोयले की कितनी मात्रा का उत्पादन किया गया;

(ख) क्या कोयला कम्पनियों को भारी घाटा हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो गत दस महीनों के दौरान प्रत्येक कम्पनी को कुल कितनी हानि हुई; और

(घ) कोयले का उत्पादन बढ़ाने तथा हानि को कम करने/न होने देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जनवरी-अक्टूबर, 1980 के दौरान सप्लाई किए गये कोयले की मात्रा निम्नलिखित थी :—

	(आंकड़े लाख टनों में)
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	174.03
भारत कोकिंग कोल लि०	166.12
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि०	219.31
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	227.42
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्डस लि०	4.59
सिंगरैनी कोलिरीज कं० लि०	80.64
टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी	17.37
इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी	5.37
दामोदर वैली कार्पोरेशन	0.81
कुल (पूरे भारत के लिए)	895.66

(ख) कोल इंडिया लि० तथा उसकी सहायक कम्पनियों के 1979-80 के वार्षिक खाते अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं किए गये हैं। परवर्ती समय के घाटे का पता 1979-80 वर्ष के वार्षिक खाते तैयार हो जाने और उनकी लेखन परीक्षा हो जाने पर ही लगेगा।

(ग) कोयले का उत्पादन बढ़ाने और घाटा कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. कोयले का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है और इस सम्बन्ध में आने वाली आधारभूत बाधायें—जैसे कोलियरियों को बिजली सप्लाई की कमी, विस्फोटक पदार्थों की कमी और डीजल की कमी को दूर किया जा रहा है।

2. खनिकों में अनुपस्थिति की प्रवृत्ति पर नियंत्रण करना।

3. जनशक्ति पर नियंत्रण करना और उत्पादकता में वृद्धि।

4. उपकरणों के उपयोग में सुधार और भंडारों के प्रयोग में किफायत।

परन्तु कोल इंडिया लि० को होने वाले घाटे का मुख्य कारण कोयले की अलाभकारी कीमत है।

राजस्थान को डीजल का आबंटन

280. श्री वृद्धिचन्द जैन : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान को जनवरी से अक्तूबर 1980 के महीनों के दौरान, डीजल की कितनी मात्रा दी गई है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में इन्हीं महीनों के दौरान राजस्थान को डीजल की कितनी मात्रा दी गई है;

(ग) केन्द्र द्वारा राज्यों को डीजल दिये जाने के लिए नया मापदण्ड अपनाया गया है; और

(घ) क्या यह सच है कि सूखे से ग्रस्त राज्यों में रबी की फसल को बढ़ाने के लिए डीजल का कोटा बढ़ा दिया गया है; यदि हां, तो कैसे और राजस्थान के लिए डीजल का कोटा किस हद तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है; जहां इस वर्ष सबसे अधिक सूखा पड़ा है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) राजस्थान को जनवरी से अक्तूबर, 1980 के महीनों में आबंटित की गई हाई स्पीड डीजल (एच० एस० डी०) आयल की मात्राओं के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

आंकड़े मीट्रिक टनों में

माह	आबंटन
जनवरी, 80	32,300
फरवरी, 80	36,770
मार्च, 80	40,000
अप्रैल, 80	39,000
मई, 80	39,000
जून, 80	42,000
जुलाई, 80	42,000
अगस्त, 80	36,800
सितम्बर, 80	44,100
अक्तूबर, 80	39,853

(ख) राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों में एच० एस० डी० की मासिक आबंटन की प्रणाली केवल अक्तूबर, 1979 से आरम्भ की गई थी। राजस्थान के लिए अक्तूबर, 1979 के लिये 41377 मीट्रिक टन का एच० एस० डी० का आबंटन था।

(ग) एच० एस० डी० का आबंटन करते समय विभिन्न तथ्यों जैसे उत्पाद की कुल उपलब्धता उसकी पिछली बिक्री और परिवहन क्षमता को ध्यान में लिया जाता है।

(घ) जी, हां। राजस्थान के एच० एस० डी० के अक्तूबर, 80 माह के मूल आबंटन को 1653 मीट्रिक टन और बढा दिया गया था।

जल विद्युत स्रोतों सम्बन्धी राज्याध्यक्ष समिति की सिफारिशें

281. श्री बयाराव शाक्य : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्याध्यक्ष समिति ने यह सिफारिश की है कि जल स्रोतों के उपयोग सम्बन्धी विषय को केवल केन्द्रीय विषय घोषित कर दिया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) विद्युत पर राज्यध्यक्ष समिति ने अन्तर्राज्यीय जल विवादों के निपटारे के बारे में चिन्ता व्यक्त की है क्योंकि इसमें काफी समय लगता है : अन्तर्राज्यीय जल विवाद के निपटारे में लगने वाले इस असाधारण विलम्ब को दूर करने के लिए समिति ने एक विकल्प यह सुझाया है कि जल को राष्ट्रीय साधन घोषित किया जाना चाहिये तथा राज्यों के बीच जल का आबंटन करने की अध्यारोही शक्ति केन्द्रीय सरकार को दी जानी चाहिए। विभिन्न राज्यों के प्राधिकारियों तथा सम्बन्धित अन्य केन्द्रीय एजेन्सियों से परामर्श करके इस पहलू का अध्ययन करना होगा।

आयात बिल में वृद्धि

282. श्री राजनाथ सोलकर शास्त्री : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1973 के पश्चात अशोधित तेल के आयात बिल में कितनी वृद्धि हुई है और इसके आयात के लिए देश को कितनी विदेशी मुद्रा का भुगतान करना पड़ा;

(ख) क्या अशोधित तेल के आयात के अत्याधिक बिल को ध्यान में रखते हुए सरकार ने देश में तेल की खोज के कार्य की गति बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार की हैं जिससे आत्म-निर्भरता प्राप्त हो सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) हमारे कुल खनिज तेल के आयात का मूल्य एवं अदा की गयी विदेशी मुद्रा धन-राशि निम्न प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	कीमत	आयात बिल में वृद्धि
1973	244.6	—
1974	899.4	654.8
1975	992.0	92.6
1976	1145.6	153.6
1977	1258.9	11.3
1978	1243.9	—
1979	1786.8	542.9
1980	(अनुमानित)	1213.2

(ख) और (ग) आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए अपने अन्वेषण कार्यकलाप बढ़ाने के सभी उपाय किए जा रहे हैं तथा स्थापित भण्डारों के उपयोग के लिए योजनायें बनाई जा रही हैं।

पुनर्वास भूमि सुधार संगठन द्वारा भूमि का कृषि योग्य बनाया जाना

283. **श्री हीरालाल आर० परमार :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान पुनर्वास भूमि संगठन का कितने व्यक्तियों के लिए भूमि को कृषि योग्य बनाने का विचार है; और

(ख) जनवरी से अक्तूबर 1980 तक की अवधि में कितने व्यक्तियों के लिए भूमि को कृषि योग्य बनाया गया और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) वर्ष 1980-81 के दौरान पुनर्वास भूमि सुधार संगठन द्वारा 2,275 एकड़ भूमि को खेती योग्य बनाने का प्रस्ताव है जिस पर लगभग 570 परिवारों के बसाए जाने की आशा है।

(ख) अक्तूबर, 1980 तक पुनर्वास भूमि सुधार संगठन द्वारा 770 एकड़ भूमि खेती योग्य बनाई जा चुकी है, जिसपर 200 परिवार बसाए जायेंगे। दण्डकारण्य परियोजना क्षेत्र में भूमि को खेती योग्य बनाने का कार्य किया जा रहा है।

लोकगीतों तथा अन्य आदिवासी सांस्कृतिक गतिविधियों (कार्यक्रमों) का प्रसारण

284. **श्री भीखा भाई :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार राज्यों से आदिवासी लोगों के लोकगीतों तथा अन्य आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रसारित करने में असफल रही है;

(ख) क्या सरकार आदिवासी लोगों के बाहुल्य वाले क्षेत्रों और राज्यों से आदिवासी बोली को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष एकक अथवा अनुभाग खोलने पर विचार कर रही है;

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ग) आदिवासी लोगों के बाहुल्य वाले क्षेत्रों और राज्यों से आदिवासी बोली को प्रोत्साहित करने के लिये विशेष एकक या अनुभाग खोलने का सरकार के सम्मुख फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। जिन आकाशवाणी केन्द्रों के सेवा क्षेत्रों में आदिवासी लोगों की संख्या काफी होती है, वे आदिवासी बोलियों में समाचार और सूचनात्मक कार्यक्रम अवश्य प्रसारित करते हैं। यदि सेवा क्षेत्र में आदिवासी लोगों की संख्या काफी नहीं होती तो कार्यक्रम लोक और परम्परात्मक संगीत तक ही सीमित होते हैं। जहां तक आदिवासी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रों का सम्बन्ध है, आदिवासी भाषाओं के प्रसारणों को उनके प्रेषण समय का अधिक भाग मिलता है। इसको देखते हुए, विशेष एकक खोलने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

हुबली-धारवाड़ा क्षेत्र में उच्च न्यायालय की न्यायापीठ की स्थापना

285. **श्री एफ० एच० मोहसिन :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के हुबली-धारवाड़ निगम क्षेत्र में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की

स्थापना के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, और

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) कर्नाटक के वाणिज्य और उद्योग मंडल ने 1978 में अभ्यावेदन किया था कि कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक न्यायापीठ हुबली में स्थापित की जाए। राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) भारत सरकार अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं कर रही है।

कालाहांकी (उड़ीसा) में में बाढ़ नियंत्रण उपाय

286. **श्री राम बिहारी बहेरा : क्या सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कोरापुट जिले के कालाहांडी क्षेत्र में इस वर्ष वंशधारा नदी के कारण आई बाढ़ को दृष्टि में रखते हुए केन्द्र सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या कोई बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम तैयार किया गया है; और यदि हां, तो इस पर अनुमानत: कितनी लागत आयेगी, और

(ग) उक्त कार्यक्रम का कार्यान्वयन कब आरम्भ होगा ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

इस्पात और इस्पात उत्पादों के परीक्षणों तथा निरीक्षणों की संख्या

287. **श्री हरिनाथ मिश्र : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जमशेदपुर और बर्नपुर स्थित धातुकर्म निरीक्षणालय तथा उनके उप-केन्द्रों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस्पात और इस्पात उत्पादों के कुल कितने परीक्षण और निरीक्षण किये गये;

(ख) मामलों में सरकार के विभिन्न विभागों को धातु के फैल होने तथा दोष-विश्लेषण के बारे में विशेषज्ञ मत दिया गया; और

(ग) क्या सरकार का विचार धातु कर्म प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण करने का है, यदि हाँ, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) जी, हां। आधुनिकीकरण के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए प्रयोगशालाओं की आवश्यकताओं का हिसाब लगाया जा रहा है।

कर्नाटक में बिजली की कमी

288. **श्री जनार्दन पुजारी : क्या ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालन्दी जल-विद्युत परियोजना और रायचूर ताप बिजली-घर के पूरा हो जाने के बाद भी कर्नाटक राज्य में बिजली की कमी रहेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या बिजली की कमी को दूर करने के लिए सरकार राज्य में ताप संयंत्र की स्थापना करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) काली नदी जल विद्युत चरण एक तथा रायचूर ताप विद्युत केन्द्र 1984-85 तक पूरे हो जाने की सम्भावना है। वर्ष 1984-85 में राज्य में विद्युत सप्लाई की स्थिति नीचे दी गई है :—

व्यस्ततम मांग—मेगावाट	2197
व्यस्ततमकालीन उपलब्धता—मेगावाट	1967
फालतू (+) (कमी)	— (230)
ऊर्जा की आवश्यकता—मिलियन यूनिट	13438
ऊर्जा, की उपलब्धता—मिलियन यूनिट	10351
फालतू (+) (कमी)	— (3087)

इस तरह वर्ष 1984-85 में कर्नाटक में विद्युत की कुछ रहेगी।

(ख) और (ग) रायचूर ताप विद्युत केन्द्र में 1 × 120 मेगावाट का यूनिट लगाकर उसका विस्तार करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में सितम्बर, 1980 में प्राप्त हुए एक परियोजना प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

उर्वरक उद्योग की क्षमता का उपयोग

289. **श्री जनार्दन पुजारी :**

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक उद्योग में क्षमता का अत्यधिक कम उपयोग किया जाता है:

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक उर्वरक संयंत्र की कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी-कितनी है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक संयंत्र का कितना-कितना उत्पादन था और अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए गये हैं :

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) उर्वरक उद्योग में क्षमता का कुछ कम उपयोग हुआ है।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान उर्वरक प्लांटों की क्षमता और वार्षिक उत्पादन संलग्न विवरण पत्र में दिया गया है।

उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गये उपायों में प्लांट सुधार कार्यक्रम के जरिये निर्माण की कमी को दूर करना, कठिनाई दूर करने की योजना, कैप्टिव पावर जनरेशन सुविधाएं स्थापित करना और फीड स्टाक और कच्चे माल की सप्लाई बढ़ाना शामिल है।

विवरण

वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान न्यूट्रियेन्ट्स अर्थात् नाइट्रोजन और पी 2 ओ5 के रूप में उर्वरकों की प्लांट-वार क्षमता और उनका उत्पादन

1-नाइट्रोजन (आंकड़े 000 टनों में)

प्लांट का नाम	स्थापित क्षमता	1977-78 उत्पादन	1978-79 उत्पादन	1979-80 उत्पादन
1	2	3	4	5
के० सरकारी क्षेत्र				
नंगल	80	55.3	70.6	63.7
नंगल विस्तार	152	3.3 ×	56.7	67.1
भटिन्डा	235	उत्पादन नहीं कर रहे थे।		52.8
पानीपत	235	वही		64.6
सिन्दरी	219 × ×	9.3	उत्पादन नहीं कर रहे थे।	23.1
गोरखपुर	131	88.7	88.0	51.1
नामरूप-1	45	45.3	39.5	28.3
नामरूप-11	152	54.0	74.9	50.1
दुर्गापुर	152	51.1	37.8	53.5
बरौनी	152	38.1	52.8	46.5
ट्राम्बे—	60	85.7	85.9	86.1
ट्राम्बे—11/	75	—	25.7	41.3
उद्योग मंडल	82	50.3	50.6	51.0
कोचीन 1 और 11	182	85.2	102.3	112.5
राउरकेला	120	72.0	88.2	52.5
नेवेली	70	41.2	38.0	47.8
मद्रास	176	136.1	162.0	140.0
उप-उत्पाद	24	19.6	22.0	21.0

×परीक्षण उत्पादन दर्शाता है। प्लांट को 1978-79 में चालू किया गया था।

× ×वर्ष 1979-80 से पहले पुराने प्लांट की क्षमता 90,000 टन थी, जिसको 1978-79 में उर्वरकों के उत्पादन के लिए बन्द कर दिया गया था।

ख. गैर-सरकारी क्षेत्र

1	2	3	4	5
बड़ोदा	236	173.5	165.7	173.9
विजाग	84	55.2	67.0	60.7

1	2	3	4	5
कोटा	152	120.1	115.3	116.0
कानपुर	207	196.4	185.3	153.6
गोवा	171	146.4	149.7	150.5
टू टीकोरिन	258	182.1	144.5	222.0
मंगलोर	156	72.0	121.1	106.2
वाराणसी	10	4.6	4.2	0.6
एलोर	16	8.6	8.1	7.3
उप-उत्पाद	4	3.1	2.3	2.3
ग- सरकारी क्षेत्र				
कान्डला/कलोल	215	203.1	231.8	179.2

11. फास्फेट (पी2 ओ5)

(आंकड़े 000 टनों में)

प्लांट का नाम	स्थापित क्षमता	1977-78 उत्पादन	1978-79 उत्पादन	1979-80 उत्पादन
1	2	3	4	5
क— सरकारी क्षेत्र				
ट्राम्बे	45	37.6	40.7	38.3
मद्रास	112	95.9	106.6	89.8
कोचीन-2	114	29.0	43.7	40.7
ट्राम्बे-2	75	उत्पादन नहीं कर रहा था	25.7	41.3
खेत्री	90	6.0 ×	12.7	4.5
उद्योग मण्डल	44	26.8	27.8	28.4
एस० एस० पी० एकक	29	15.2	18.9	11.2
सिन्दरी	150	2.00 × ×	2.5 × ×	8.4
ख—गैर सरकारी क्षेत्र				
बड़ौदा	50	40.6	36.4	36.1
विजांग	104	85.3	69.1	72.4
गोवा	42	34.8	30.9	27.3
टू टी कोरिन	51	17.7	31.0	47.0
एलोर	10	10.9	10.0	9.1
एस० एस० पी० एकक	187	134.4	139.2	142.4
ग—सहकारी क्षेत्र				
कान्डला	127	153.8	175.4	159.8

× उत्पादन परीक्षणाधीन है

× × उत्पादन परीक्षणाधीन है, प्लांट ने 1979-80 में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया था।

आकाशवाणी, पोर्ट ब्लेयर के प्रसारण में सुधार

290. श्री **मनोरंजन भक्त** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से होने वाले प्रसारण अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के सारे संघ शासित क्षेत्र में सुनाई नहीं देते और आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर के प्रसारणों में सुधार के लिए एक उच्च शक्ति पारेषण सेट की स्थापना करने के बारे में सरकार के पास समय-समय पर अभ्यावेदन भेजे गये हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार का कब और क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार दूरस्त और दुर्गम क्षेत्रों में बेहतर जन संचार के लिए दूरदर्शन सुविधायें प्रदान करने के लिए उपग्रह पद्धति स्थापित करने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तरसम्बन्धी ब्योरा क्या है; यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां। तथापि, वर्तमान अस्थायी एंटेना के स्थान पर अनुदिक् एंटेना पद्धति की व्यवस्था हो जाने पर, जिस पर कार्य पहले ही चल रहा है, द्वीपसमूह में संग्रहण में पर्याप्त सुधार होगा।

(ख) व्याप्ति में और सुधार करने के लिए, पोर्ट ब्लेयर में 100 किलोवाट का एक मीडियम वेव ट्रांसमीटर स्थापित करने की एक स्कीम को स्वीकृत छठी "योजना" (1978-83) में शामिल किया गया है। वित्तीय मंजूरी जारी होते ही इस स्कीम को कार्यान्वित करने का काम हाथ में ले लिया जाएगा।

(ग) और (घ) भारत के राष्ट्रीय उपग्रह, जिसके 1982 के शुरू में छोड़े जाने की उम्मीद है, का उपयोग देश के दूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। तथापि, अनुकूलतम अवलोकन समय और "इनसैट" में केवल दो ट्रांसपोन्डरों की ही उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, द्वीपसमूह के क्षेत्रों को केवल स्थलीय पद्धति के माध्यम से ही कवर करने की योजनायें विचाराधीन हैं। योजनाओं को अभी मंजूरी मिलनी है और उनका कार्यान्वयन संसाधनों की उपलब्धता, धन राशि के आबंटन, आदि पर निर्भर करेगा।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में तेल की खोज

291. श्री **मनोरंजन भक्त** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे तेल के मूल्यों में लगातार वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में सरकार अण्डमान और निकोवार द्वीपसमूह में जोर शोर से तेल की सम्भाव्यता का पता लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या अण्डमान और निकोवार द्वीप समूह में प्राकृतिक गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है; यदि हां, तो इसके वाणिज्यिक स्तर पर निकालने के लिए की जा रही कार्यवाई का विवरण क्या है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) अण्डमान और नीकोबार द्वीप समूह में तेल/गैस की सम्भाव्यता का पता लगाने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ओ० एन० जी० सी०) ने अपने प्रयत्नों को जारी रखा हुआ है।

(ख) तेल एव प्राकृतिक गैस आयोग ने अण्डमान के पूर्वी तट पर एक अन्वेषी कूप खोदा है जहां पर जून 1980 में परीक्षण करने पर गैस मिली थी। गैस 1/2" के "चोक" में से 1.8 लाख मीट्रिक घन मीटर प्रति दिन की दर से प्रवाहित हुई थी। मानसून के आ जाने के कारण आगे के संचालनों को बन्द करना पड़ा था।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने दिसम्बर, 1980 से अण्डमान के पश्चिमी कगार पर एक अन्वेषी कूप और उसके बाद पूर्वी कगार पर जहां गैस की पहले से ही खोज की जा चुकी है। एक मूल्यांकन कूप खोदने की एक योजना हाथ में लेने का विचार है।

हाईड्रो-कार्बन विशेष के वाणिज्यिक स्तर पर होने का पता लगाने के लिए व्यधन कार्यक्रम को आगे चालू रखना इन कूपों से प्राप्त होने वाले आंकड़ों की प्रक्रिया और व्याख्या पर निर्भर करेगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कैम्पबेल बे और ग्रेट निकोबार में पुनर्वास और भूमि को कृषि-योग्य बनाने वाले संगठन

292. श्री **मनोरंजन भक्त** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैम्पबेल बे और ग्रेट निकोबार में इस समय स्थित पुनर्वास और सुधार संगठन के दो एकक बेकार पड़े हुए हैं जिनमें 30 अत्यधिक महंगे विदेशी ट्रैक्टर/बुलडोजर हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन महंगी मशीनों को उपयोग में लाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या सीमा सड़क संगठन या अण्डमान लोकनिर्माण विभाग को सड़क निर्माण आदि के लिए उक्त मशीनरी की आवश्यकता है ;

(घ) यदि हां, तो क्या पुनर्वास मंत्रालय का विचार इस सामग्री को इस्तेमाल के लिए अण्डमान या सीमा सड़क संगठन को सौंपने का है या इन मशीनों को वापस मुख्य भूमि में ले जाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) देश में पुनर्वास योजनाओं के धीरे-धीरे पूरा होने के साथ, इन यूनिटों की अब आवश्यकता नहीं है।

(ग) से (ङ) गृह मन्त्रालय तथा साथ ही सीमा सड़क विकास बोर्ड ने बताया है कि इन मशीनरियों की अण्डमान प्रशासन या सीमा सड़क विकास बोर्ड को आवश्यकता नहीं है। हाल ही में उनसे फिर पूछा गया था और उन्होंने पुष्टि की है कि स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

मध्य प्रदेश सरकार के सिंचाई तथा वन विभागों को इन मशीनरियों को स्टाफ सहित, नि:शुल्क लेने की पेशकश की गई है। मुख्य भूमि पर इन मशीनरियों के ले जाने के लिए बहुत

खर्च करना पड़ेगा, अतः इन मशीनरियों का जहां हैं, जैसी हैं के आधार पर निपटान किए जाने का प्रस्ताव है ।

खिरोरी नदी पर सल्यूस गेट एवं पुल सम्बन्धी योजना

293. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई मन्त्री खिरोरी नदी पर सल्यूस गेट एवं पुल सम्बन्धी योजना के बारे में 3 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1883 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिहरपुर-कालीगांव के बीच और मुरइया के निकट खिरोरी नदी पर सल्यूस गेट एवं पुल की योजना बनाने के लिए अपेक्षित जल निस्सारण सम्बन्धी आँकड़े डिस्चार्ज द्वारा एकत्र कर लिए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दरभंगा जिला परामर्शदात्री तथा विकास समिति ने 9 अगस्त, 1980 को हुई बैठकों में उपर्युक्त परियोजनायें आरम्भ करने के बारे में निर्णय किया था; और

(घ) इन दो परियोजनाओं के सम्बन्ध में कार्यक्रम तथा अन्य ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

कमला नदी पर बिहार में जयनगर से आगे तटबन्धों का विस्तार करना

294. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई मन्त्री बिहार में जयनगर से आगे तटबन्धों के विस्तार के बारे में 9 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3587 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमला नदी के तटबन्धों का भारत में जयनगर से आगे नेपाल में मिरचैया तक विस्तार करने के आँकड़े इस बीच एकत्र कर लिए गये हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और तटबन्धों का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और उनको कब तक पूरा किया जाना है;

(ख) क्या इस तटबन्ध के विस्तार के बारे में नेपाल सरकार के साथ कोई समझौता हुआ था; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या नेपाल सरकार ने गोदार में एक बराज का निर्माण किया है जिससे पूर्वी तथा पश्चिमी कमला नहर बेकार हो जायेगी, यदि हां, तो क्या कमला नदी पर सासापानी पर एक बहुप्रयोजनीय बांध का निर्माण करने अथवा जयनगर में वायर से ऊपर एक जलाशय बनाने का विचार है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

महात्मा गांधी पर फिल्म

295. **एस० एम० कृष्ण** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटिश अभिनेता रिचर्ड एटनबोरो द्वारा महात्मा गांधी पर फिल्म बनाये जाने के बारे में कोई निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने फिल्म में प्रमुख भूमिकाओं के लिए पात्रों का भी चयन कर लिया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस फिल्म के निर्माण की कुल अनुमानित लागत कितनी होगी और उसमें कितनी विदेशी मुद्रा लगेगी तथा कितनी राशि भारत सरकार द्वारा दी जाएगी;

(घ) क्या निजी फिल्म निर्माताओं द्वारा भी कुछ धन उपलब्ध कराया जा रहा है, यदि हां, तो वे कौन हैं;

(ङ) क्या इस प्रोजैक्ट की तीव्र आलोचना को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा किसी गैर सरकारी एजेंसी द्वारा इस फिल्म की पटकथा का पुनरीक्षण किया गया है; और

(च) फिल्म पूरी होने में कितना समय लगेगा और भारत में अथवा विदेश में इसका पहला प्रदर्शन कब किये जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ चयन किए जा चुके हैं। अन्यों के चयन की कार्रवाई चल रही है।

(ग) फिल्म के निर्माण की लागत 2,10,000,00 (लगभग 17 करोड़ रु०) होगी। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से इस परियोजना के लिए भारत सरकार का अंशदान 5 करोड़ रुपए तक सीमित होगा।

(घ) भारतीय फिल्म उद्योग के निजी निवेशकों को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम-इस सह-निर्माण के लिए स्थापित की जा रही सहभागी कम्पनी के माध्यम से इस परियोजना में पूंजी लगाने के लिए आमंत्रित किया गया।

(ङ) फिल्म की स्क्रिप्ट की जांच भारत के उन प्रख्यात लोगों द्वारा की गई थी जो महात्मा गांधी के जीवन और संदेश के निर्वचन से काफी समय तक सहयोजित रहे हैं।

(च) फिल्म की शूटिंग की नवम्बर, 1980 के अन्त तक शुरू होने और मई, 1981 के मध्य तक मुकम्मल हो जाने की उम्मीद है। विधायन और प्रिंटें बनाने में कुछ अधिक समय लगेगा। फिल्म के 1982 की प्रथम तिमाही तक रिलीज हो जाने की सम्भावना है।

कोयला खानों के निकट तापीय विद्युत केन्द्रों की स्थापना

296. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला खानों के निकट नये सुपर तापीय विद्युत केन्द्रों को स्थापित करने का निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो ये तापीय विद्युत केन्द्र किन-किन क्षेत्रों में स्थापित किये जायेंगे;

(ग) इन तापीय विद्युत केन्द्रों की क्या क्षमता होगी तथा इन पर कुल कितना खर्च आयेगा और इन केन्द्रों द्वारा कब तक विद्युत का उत्पादन प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या इन केन्द्रों का निर्माण स्वदेशी उपकरणों के प्रयोग से किया जायगा अथवा उनके लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निविदायें आमंत्रित की गई हैं; यदि हां, तो उनका विस्तृत ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में विश्व बैंक से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता ली जा रही है और यदि हां, तो क्या ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ङ) केन्द्रीय क्षेत्र में हाथ में लिए जाने के लिए प्रस्तावित, कोयले के पिटहैडों पर स्थापित की जाने वाली तीन बड़ी ताप विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में व्यवहार्यता रिपोर्टें राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा तैयार की गई हैं। इन व्यवहार्यता रिपोर्टों का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को करना होगा, जिसके उपरान्त निवेश सम्बन्धी निर्णय लेने होंगे। इसके अतिरिक्त, कोरबा तथा रामागुण्डम के वर्तमान सुपर ताप विद्युत केन्द्रों के विस्तार का भी प्रस्ताव है। सिंगरौली केन्द्र की क्षमता का विस्तार 2100 मेगावाट तक करने का अनुमोदन पहले ही कर दिया गया है। नई परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्टें क्रमशः पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्र से सम्बन्धित हैं। प्रस्तावित विस्तार स्कीमें क्रमशः पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं। सिंगरौली में, उत्तरी क्षेत्र के विस्तार की स्कीम का अनुमोदन पहले ही कर दिया गया है। क्षमता, पूंजीगत परिव्यय तथा उत्पादन आरम्भ करने के लिए समय सीमा सम्बन्धी ब्यौरों का निर्धारण, तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन पूरा होने के बाद ही किया जा सकता है।

इन परियोजनाओं के लिए उपस्कर प्राप्ति के स्रोतों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और न इन नई परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक से ली जाने वाली राशि के सम्बन्ध में ही निर्णय लिया गया है।

नायलन उद्योग में कैप्रोलैक्टम संकट

297. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैप्रोलैक्टम के स्वदेशी उत्पादन में भारी कमी तथा सरकार द्वारा आयात आवेदन पत्रों को स्वीकृति न दिये जाने के कारण नायलन उद्योग में कैप्रोलैक्टम का संकट बढ़ता जा रहा है;

(ख) क्या हाल में कैप्रोलैक्टम का उत्पादन 40 प्रतिशत कम हो गया है जिसके कारण गुजरात राज्य उर्वरक निगम द्वारा नायलन उत्पादकों को माल में कमी कर दी है;

(ग) क्या सरकार पालिएस्टर फिलामेंट यार्न के आयात पर प्रतिबन्ध लाने के प्रश्न पर भी पुनर्विचार कर रही है ; और

(घ) क्या अधिक लाभ देने वाले इस धागे के उत्पादन पर देश में केवल कुछ फर्मों का ही एकाधिकार है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, नहीं। आवश्यकता के अनुरूप आयात करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। देश में माल का पर्याप्त स्टाक है।

(ख) केवल एक महीने को छोड़कर कैप्रोलैक्टम का उत्पादन नहीं गिरा है। सितम्बर, 1980 से आगे माल की सुपुर्दगी पहले महीनों की अपेक्षा बहुत ऊंची दर पर हुई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इस समय पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न को तैयार करने के लिए 9 पार्टियों के पास औद्योगिक लाइसेंस हैं। इनमें से भारत सरकार और यार्न उपभोक्ताओं की सहकारिता के एक

संयुक्त उद्यम पेट्रोफिल्स को-आरेटिव लिमि० नामक कम्पनी के पास कुल लाइसेंस दी गई क्षमता का 33% भाग है।

प्राकृतिक गैस के सम्बन्ध में भारत और बंगला देश की बैठक

298. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक गैस के क्रय अथवा विक्रय के प्रश्न पर भारत और बंगला देश की सरकारों के बीच इस वर्ष कोई बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) जी, हां। बंगला देश से प्राकृतिक गैस के आयात की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए दोनों सरकारों के बीच केवल प्रारम्भिक बात-चीत ही हुई है। दोनों में से किसी भी पक्ष के द्वारा निश्चित वचन बद्धता नहीं की गई है।

वाथलगुन्डल, मदुरै में गैस सिलेण्डरों के गोदाम में विस्फोट

299. **आचार्य भगवान देव : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, 1980 के महीने में मदुरे (तमिलनाडू के निकट वाथलगुंडल में गैस सिलेण्डरों के गोदाम में हुए एक विस्फोट में 350 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और 100 व्यक्ति घायल हो गये थे;

(ख) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) उपर्युक्त विस्फोट के कारण क्या थे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क), से (ग) अगस्त, 1980 के दौरान मदुरै (तमिलनाडु) के निकट वाथलगुंडल में गैस सिलेंण्डरों के गोदाम में कोई विस्फोट नहीं हुआ था। तमिलनाडु राज्य सरकार के अधिकारियों की सूचना के अनुसार, विस्फोट दिनांक 23-8-80 की मध्य रात्रि में वाथलगुंडल को एक लोहे के सामान की दुकान में हुआ था। तमिलनाडु राज्य सरकार के अनुमान के अनुसार इस विस्फोट से 42 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और 62 व्यक्ति घायल हुए थे।

दिल्ली में गैस एजेंसियों के नाम और गैस यूनिटों की सप्लाई

300. **श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितनी गैस एजेंसियों हैं और उनके नाम क्या है;

(ख) प्रत्येक एजेंन्सी के पास आज तक कितने आवेदनकर्ता पंजीकृत हैं;

(ग) गत तीन महीनों के दौरान इन एजेंसियों के जरिए पंजीकृत आवेदनकर्ताओं को कितनी गैस यूनिटें स्वीकृत की गई हैं, वितरित की गई हैं और अगले तीन महीनों में अलग-अलग कितने आवेदनकार्ताओं को गैस यूनिटें मिल जायेंगी; और

(ग) एजेंसियों के पास पंजीकृत शेष आवेदनकर्ताओं को कब तक गैस यूनिट स्वीकृत कर दी जायेंगी।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) एवं (ख) दिल्ली में कुल गैस एजेंसियों की संख्या 64 है। उनके नाम तथा उनके पास पंजीकृत आवेदकों, जो कि कनैक्शनों की प्रतिक्षा कर रहे हैं का विवरण संलग्न विवरण पत्र में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन महीनों में किसी पंजीकृत आवेदन को गैस कनैक्शन जारी नहीं किया है। अगले वर्ष के शुरू से नये गैस कनैक्शन दिये जाने की सम्भावना है।

(घ) दो या तीन वर्ष के समय में जबकि बम्बई हाई, मथुरा शोधनशाला इत्यादि से उत्पाद की लगातार बढ़ती हुई मात्रा उपलब्ध होगी, प्रतीक्षा सूचियों के उत्तरोतर समाप्त किये जाने की आशा है।

विवरण

क्रम सं० वितरक का नाम	1-10-80 तक प्रतीक्षा सुची में लोगों के नाम
इण्डियन आयल कारपोरेशन	
1. एसोसिएटिड ट्रेडिंग कं०	1510
2. एग्रो इंडस्ट्रीयल कमोडिटिज़	8656
3. अमर गैस सर्विस	23210
4. अमरगीत गैस सर्विस	13940
5. अलोक गैस एजेंसी	6781
6. अन्नतजी गैस सर्विस	4681
7. अलका फ्लेम	2800
8. अतुल एण्टरप्राइज़ेंज	10349
9. डैक्सन गैस सर्विस	4573
10. वी० एन० गुप्ता एण्ड कं०	11739
11. कैंटस लिल्ली एन्टप्राइजेज	1304
12. डी० पी० ठाकरे एण्ड कं०	2796
13. देवी अनुपमा गैस सर्विस	5256
14. डी० पी० एन्टरप्राइजेज	146
15. डीपती एन्टरप्राइजेज	3100
16. इलाइट एजेंसी	508
17. हेम गैस एजेंसी	8032
18. जयअन्त गैस एजेंसी	30871
19. जे० जे० गैस सर्विस	10042
20. जगजोती एन्टरप्राइज़ेंज	5805
21. कंवल गैस सर्विस	2728
22. लाइट्टस रेफरिजरेशन	889

23. एन्टरप्राइजेज एलके	255
24. मार्स एन्टरप्राइजेज	6335
25. मनोहर गैस सर्विस	3323
26. मोहनिल गैस सर्विस	262
27. नाथ ट्रेडर्स	170
28. प्रेम नाथ मोटर्स (प्राइवेट) लि०	369
29. पापूलर कैमिस्ट	4240
30. प्यारे लाल एण्ड सन्स	4643
31. प्याल गैस	4680
32. प्रभात गैस सर्विस	927
33. आरडी एन्टरप्राईजेज	395
34. आर० के० एजेंसी	5640
35. राजधानी गैस सर्विस	9120
36. शक्ती इन्टरप्राईजेज	3693
37. साउथ दिल्ली गैस सर्विस	6712
38. शहीद सुभाष गैस सर्विस	13098
39. संजीव गैस सर्विस	5440
40. सुनील एन्टप्राइजेज	7732
41. सुखदास गैस सर्विस	10753
42. विवेक गैस सर्विस	3138
43. विकास गैस एजेंसी	8361
44. विक्रम गैस एजेंसी	3066
45. विजय रतन एन्टरप्राइजेज	2915
46. वार हरीज गैस कं०	645
47. आर० के० इन्टरप्राइजेज	2896
48. सी० लाल एण्ड सन्स	374
49. सुरजीत एन्टरप्राइजेज	500
50. यूनीक एन्टरप्राइजेज	3927
51. पीरल गैस सर्विस	—
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०	
52. एलाइड गैस सर्विस	4529
53. अशोका स्टोरस	4978
54. दीपक गैस सर्विस	4992
55. ज्वाला एजेंसी	2663
56. खेरा गैस सर्विस	9170
57. माडर्न कुकरीज	8853
58. राहुल एजेंसी	2654

59. रामन गैस सर्विस	2494
60. रुचिका एजेंसीज	4034
61. सतीश एण्ड कं०	4044
62 यूमिका एजेंसीज	15813
63. यूनाइटेड एजेंसीज	13813
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०	
64. दिल्ली गैस कं०	25131

(इस डिट्रीब्यूटर के पास 17 छोटे डिट्रीब्यूटर हैं)

राज्यों में बिजली की कमी

301. **श्री बी० बी० देसाई :**

श्री पी० एम० सईद : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अच्छी वर्षा के बावजूद बहुत से राज्यों में बिजली का गंभीर संकट अब भी बना हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या है;

(ग) क्या पिछले वर्ष की तुलना में बिजली की कमी इस वर्ष और भी गम्भीर है;

(घ) क्या बिजली की यह कमी दूर करने के लिए, जिसका औद्योगिक विकास पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है, युद्ध स्तर पर किन्हीं उपायों पर विचार किया जा रहा है,

(ङ) कितने राज्यों में बिजली की कमी अब भी गम्भीर; और

(च) कितने राज्यों में बिजली की कमी दूर कर दी गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) तमिलनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि जैसे कई राज्यों में, मानसून संतोषजनक रहा, विद्युत सप्लाई की स्थिति में सुधार हुआ है। तथापि, उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र आदि के कुछ क्षेत्रों में, जहां मानसून संतोषजनक नहीं रहा है, विद्युत की कमी बनी हुई है। विद्युत उत्पादन क्षमता की अपर्याप्तता तथा ताप विद्युत केन्द्रों के घटिया कार्य-निष्पादन के कारण भी कुछ राज्यों में विद्युत की कमी अनुभव की जा रही है।

(ग) जी, नहीं ! वास्तव में विद्युत उत्पादन में सुधार हुआ है।

(घ) देश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए गये हैं और किए जा रहे हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता से अधिकतम विद्युत उत्पादन करना;

(2) नई उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना;

(3) ताप विद्युत केन्द्रों को उचित गुणवत्ता वाले कोयले की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करना;

(4) अधिक बिजली वाले क्षेत्रों से बिजली की कमी वाले क्षेत्रों में विद्युत का अन्तरण;

(5) स्वदेशी तथा विदेशी सप्लाई कर्त्ताओं से अतिरिक्ति पुर्जों की सप्लाई का प्रबन्ध करना;

(6) परिषण और वितरण प्रणालियों में हानियों को कम करना।

(ङ) और (च) पंजाब, हरियाणा, हिमालय प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में कोई अधिसूचित ऊर्जा अथवा मांग कटौतियां नहीं हैं। तथापि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, असम आदि जैसे कुछ राज्यों में व्यस्ततमकालीन कुछ प्रतिबंध, ग्रामीण भारों को रोस्टर करना आदि लागू हैं। तथापि, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में विद्युत सप्लाई की स्थिति संतोष जनक नहीं है।

भारत में तेल संकट पर काबू पाने के लिए लीबिया को पेशकश

302. श्री बी० बी० देसाई : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल संकट पर काबू पाने के लिए लीबिया ने भारत की सहायता करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुवैत, साउदी अरब जैसे अन्य तेल उत्पादक देशों ने भारत को कच्चे तेल की पूर्ति और भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने की पेशकश की थी;

(ग) यदि हां, तो क्या उनके साथ किसी करारनामें पर हस्ताक्षर किए गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो सितम्बर, अक्तूबर 1980 के दौरान उनसे कितनी मात्रा में कच्चा तेल खरीदा और उन्होंने इसकी पूर्ति की और वे नवम्बर, और दिसम्बर, 1980 में उसकी कितनी मात्रा की पूर्ति करेंगे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी०सी० सेठी) : (क) से (घ) हमने अपनी खनिज तेल की आवश्यकता पूर्ति के लिए कई तेल उत्पादक देशों से सम्पर्क स्थापित किया है। कुछ देशों ने तो तेल देने के लिए पक्का वायदा किया है और कुछ देशों से उत्तर की प्रतिक्षा की जा रही है। इससे अधिक ब्यौरा देना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा।

बिजली से सम्बन्धित राज्याध्यक्ष समिति की सिफारिशें

303. श्री बी० बी० देसाई :
श्री मूलचन्द डागा :
श्री चित्त बसु :
श्री अमर राय प्रकाश :
श्री बया राम शाक्य : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिजली से सम्बन्धित राज्याध्यक्ष समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने सिफारिशों की जांच कर ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने उसे पर क्या निर्णय लिए हैं; और

(ङ) सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) श्री राजाध्यक्ष की अध्यक्षता

में गठित विद्युत समिति की रिपोर्ट ऊर्जा मन्त्री को 4 सितम्बर, 1980 को प्रस्तुत की गई थी।

(ख) विद्युत समिति की रिपोर्ट इस समय नासिक में सरकारी प्रेस में मुद्रित की जा रही है। छपी हुई प्रतियां इस महीने के अन्त तक उपलब्ध होने की सम्भावना है। तथापि रिपोर्ट के साइक्लोस्टाइल्ड पाठ की 5 प्रतियां माननीय सदस्यों के उपयोग के लिए संसद के पुस्तकालय में रखी गई हैं। समिति को मुख्य-मुख्य सिफारिशों का सारांश उपलब्ध में दिया गया है।

(ग) से (ङ) विद्युत सप्लाई उद्योग के सभी पहलू समिति को रिपोर्ट में शामिल हैं। इनमें से निम्नलिखित पहलुओं पर बल दिया गया है :—

1. विद्युत विकास के लिए आयोजना
2. परियोजना तैयार करना और उनका क्रियान्वयन
3. प्रचालन तथा अनुरक्षण
4. वित्त, वित्तीय प्रबन्ध तथा टैरिफ
5. संगठन विद्युतीकरण
6. संगठन तथा प्रबन्ध
7. अनुसंधान और विकास

रिपोर्ट की सिफारिशें जहां आवश्यक होगा राज्य सरकारों के साथ समुचित परामर्श करके क्रियान्वित की जायेगी। प्रारम्भिक कदम के रूप में रिपोर्ट की प्रतियां राज्य सरकारों तथा राज्य बिजली बोर्डों को भेजी जा चुकी हैं।

विवरण

विद्युत समिति की मुख्य-मुख्य सिफारिशें

विद्युत समिति ने विद्युत सप्लाई उद्योग के सभी पहलुओं पर विस्तृत सिफारिशें की हैं। मुख्य-मुख्य सिफारिशों का सारांश नीचे दिया जाता है :

1. विद्युत विकास के लिए आयोजना :

समिति ने विद्युत आयोजना के लिए 15 से 20 वर्ष की समयावधि की तथा उसी अवधि में मध्यमकालीन योजनाओं की सिफारिश की है। एक क्षेत्र के लिए आयोजन करने पर बल दिया गया है, न कि अलग-अलग राज्यों के आयोजना करने पर बल दिया गया है, न कि अलग-अलग राज्यों के आयोजना करने पर। समिति ने सुझाव दिया है कि विद्युत उत्पादन में (अर्थात् 2000 ई० तथा 45%) तथा परिषण में (अर्थात 400 के० वी० की सभी प्रमुख परिषण लाइनें तथा अन्तर्राज्यीय प्रकृति की 220 के० वी० को लाइनें भी केन्द्र सरकार के स्वामित्व में होनी चाहिए तथा उसके द्वारा प्रचालित की जानी चाहिए) केन्द्रीय क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाना होगा। परिपण हानियों को कम करने के लिए समिति ने, क्षमता की आवश्यकता तथा प्रत्येक राज्य में कमी का मूल्यांकन करके, परिषण हानि में उत्तरोत्तर कमी करने का सुझाव दिया है। लघु जल विद्युत परियोजनाओं पर भी बल दिया गया है।

परियोजना का क्रियान्वयन : न्युक्लीय विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु समिति ने एक नए निगम का गठन करने का सुझाव दिया है। विद्युत के अन्तर्राज्यीय आदान प्रदान के

लिए (वर्तमान क्षेत्रीय बिजली बोर्डों के स्थान पर) सांविधिक क्षेत्रीय विद्युत प्राधिकरण के अधीन एक राष्ट्रीय ग्रिड के गठन का सुझाव भी दिया गया है। सलाह देने को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की वर्तमान जिम्मेदारी प्राधिकरण से ले लेने के लिए सलाहकारी संगठन के लिए एक नया सार्व-जनिक क्षेत्र गठित किया जाना है। विद्युत संयंत्रों के निर्माण के सम्बन्धों में (प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनाने के लिए) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लि० जैसी समान्तर सुविधा का गठन करने अथवा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लि० को विद्युत विभाग के अधीन करने का सुझाव समिति ने दिया है।

2. प्रचालन तथा अनुरक्षण :

समिति ने सुझाव दिया है कि सभी ताप विद्युत केन्द्रों में उत्तरोत्तर 80% उपलब्धता गुणांक तथा 58% संयंत्र भार अनुपात प्राप्त किया जाए। कार्मियों को प्रशिक्षण देने पर बल दिया गया है, उचित औद्योगिक सम्बन्ध बनाने तथा पर्याप्त मात्रा में फुटकर पुर्जे तैयार रखने पर का उल्लेख किया गया है। ताप विद्युत केन्द्रों को मानीटरिंग करने में एक प्रभावकारी प्रबन्ध सूचना प्रणाली का गठन किया जाना चाहिए।

3. वित्तीय प्रबन्ध तथा टैरिफें :

राज्य बिजली बोर्डों के लिए लाभ की दर 15% निर्धारित की जानी चाहिए (इसमें सरकारी ऋणों पर ब्याज शामिल है,) जिससे विद्युत कार्यक्रम के लिए पर्याप्त साधन जुटाने में सहायता मिलनी चाहिए। निर्माणाधीन कार्यों सम्बन्धी ब्याज को राजस्व लेखे में नाम डाला जाना चाहिए तथा उसे पूंजी में परिणत नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि इस समय किया जाता है। समिति ने टैरिफ के सिद्धान्तों पर विस्तृत सिफारिशें की हैं, जिनमें उन्होंने सुझाव दिया है कि टैरिफ लागत से कम स्तर पर निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। कितने भी श्रेणी के उपभोक्ता के लिए कोई भी आर्थिक सहायता, इस हेतु राज्य विधान मण्डल में पारित हो जाने के बाद, राज्य सरकार से आर्थिक सहायता के रूप में दी जानी चाहिए। घरेलू तथा वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए इन्वर्टेड ब्लाक टैरिफों तथा व्यस्ततमकालीन टेरिफों का सुझाव दिया गया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि कृषकों तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं की एक वर्ग के रूप में, आर्थिक सहायता की आव-श्यकता नहीं है और आर्थिक सहायता लघु/सीमान्त कृषकों तक ही सीमित रहनी चाहिए। कृषकों के लिए समान दर टैरिफ समाप्त कर दी जानी चाहिए। बोर्डों के कुशल और कारगर कार्य-निष्पादन के लिए मानदण्ड, हाल ही में गठित किए गये बिजली लागत और कीमत ब्यूरो द्वारा निर्धारित किये जाने चाहिए।

4. ग्राम विद्युतीकरण :

लगभग 1994-95 तक 100% ग्राम विद्युतीकरण हो जाना चाहिए। स्ट्रीट लाईटिंग के लिए शुल्क राज्य सरकार द्वारा सीधे ही राज्य बिजली बोर्डों को दिए जाने चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को यह आवश्यक सुविधा मिल सके। ग्रामीण लोगों को अपने घरों की वायरिंग कराने के लिए ऋण देने की स्कीमों का सुझाव दिया गया है।

5. संगठन तथा प्रबन्ध व्यवस्था :

समिति ने विद्युत सप्लाई उद्योग को पुनर्गठित करने के लिए विस्तृत सिफारिशें की हैं।

राष्ट्रीय पारेषण लाइनों तथा भार प्रेषण केन्द्रों के स्वामित्व ग्रहण करने के लिए तथा उनका प्रचालन करने तथा विद्युत के अन्तर्राज्यीय आदान-प्रदान को नियंत्रित करने तथा केन्द्रीय केन्द्रों से सभी भागीदार राज्यों की विद्युत के अबोध प्रवाह में सहायता करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में सांवधिक क्षेत्रीय विद्युत प्राधिकरणों का गठन किया जाना है क्षेत्रीय विद्युत उत्पादन निगमों को केन्द्रीय क्षेत्र के राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम तथा दामोदर घाटी निगम के विद्युत उत्पादन सम्बन्धी कार्य अपने हाथ में लेने हैं। राज्य बिजली बोर्डों के संघटन में संशोधन तथा राज्य बिजली बोर्डों और केन्द्रीय प्राधिकरण के अध्यक्षों/सदस्यों के चयन करने की प्रक्रियाएं बताई गई हैं।

6. **अनुसंधान तथा विकास :**

समिति ने विद्युत क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य के लिए आबंटन में पर्याप्त वृद्धि का सुझाव दिया है।

कोयले के लाइसेंस समाप्त करना

304. **श्री बी० बी० देसाई :**

प्रो० मधु दण्डवते : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1 सितम्बर, 1980 से कोयले के लाइसेंस समाप्त कर देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या ग्राहकों पर कोई शर्तें लगाई गई हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस योजना के प्रवचन के तीन महीने बाद उस पर पुनर्विचार करने का निर्णय किया है; और

(घ) क्या बड़ी कोयला खानों में उक्त योजना लागू की जायेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) कोयले का उत्पादन बढ़ जाने के फलस्वरूप कोयले की उपलब्धि में जो वृद्धि हुई है उसका लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की दृष्टि से यह निर्णय किया गया था कि कुछ विशेष खानों से—जिन में खान मुहाना स्टाक अधिक था—कोयले को 1-9-1980 से बिना किसी प्रतिबन्ध के बेचा जाये यह व्यवस्था अकोककर कोयले के लिए थी और इस योजना में कोककर कोयला शामिल नहीं किया गया था। अकोककर कोयले पर से 24-7-67 से नियंत्रण समाप्त कर दिया गया था। इस सम्बन्ध में जो एकमात्र शर्त लगाई गई है वह यह है कि उपभोक्ता को कोयले के लिए नकद या बैंक ड्राफ्ट के जरिए भुगतान करके डिलीवरी आर्डर की तारीख से 7 दिन के अन्दर कोयला उठाना पड़ता है।

(ग) जी हां, । इस योजना पर 3 महीने की अवधि बीत जाने पर पुन: विचार किया जायेगा।

(घ) इन 3 महीनों में जो अनुभव मिलेगा उसके आधार पर इस योजना को और अधिक खानों पर भी लागू करने के सम्बन्ध में विचार बनाया जायेगा।

बिजली परियोजनाओं के पूरा होने/चालू होने में विलम्ब

305. **श्री छांगुर राम :**

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या ऊर्जा मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) उन बिजली परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें पूरा किए जाने का कार्य निर्धारित कार्यक्रम से पीछे है और उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनके कार्यारम्भ में विलम्ब हो गया है;

(ख) इन परियोजनाओं के पूरा होने/चालू होने में विलम्ब के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) उनके पूरा होने/चालू होने में बिलम्ब के कारण इन परियोजनाओं की लागत में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है; और

(घ) उन्हें जल्दी पूरा करने व चालू करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : उपलब्ध सूचना के अनुसार, जिन ताप विद्यत तथा जल विद्युत परियोजनाओं में विलम्ब हुआ है, ये परियोजनाएं क्रमश: विवरण 1 और 2 में दी गई हैं।

(ख) विलम्ब के एक अथवा अधिक मुख्य कारण निम्नलिखित में से हैं :—

1. स्थल का अपर्याप्त अन्वेषण।

2. अपर्याप्त निधियां।

3. इस्पात, सीमेंट, विस्फोटक जैसी महत्वपूर्ण निर्माण सामग्रियों की कमी।

4. परियोजना इंजीनियरी को अन्तिम रूप देने तथा परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने में विलम्ब।

5. आनुषंगिक उपस्कर का आर्डर देने/ठेके देने में विलम्ब।

6. सिविल कार्यों में विलम्ब।

7. विभिन्न सप्लाईकर्ताओं द्वारा उपस्कर की सप्लाई में विलम्ब।

8. मुख्य संयंत्र तथा उपस्कर को गैर सिलसिलेवार सप्लाई के कारण उत्थापन पर प्रभाव पड़ना।

9. दोषपूर्ण सामग्री की सप्लाई के परिणाम स्वरूप उसका कार्य स्थल पर संशोधन करना।

10. प्रचालन और अनुरक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी तैनाती करने में विलम्ब।

11. श्रमिक अशान्ति।

12. भूमि अधिग्रहण में विलम्ब तथा अन्तर्राज्यीय पहलू।

12. भू-वैज्ञानिक समस्याएं।

(ग) निर्माणाधीन परियोजनाओं की लागत में ठीक-ठीक वृद्धि बताना कठिन है क्योंकि यह कई बातों पर निर्भर करती है। तथापि, प्राप्त संशोधित अनुमानों से सामग्री तथा श्रम की लागत वृद्धि के बारे में प्रतिवर्ष 8 से 12% के बीच बढ़ोतरी की प्रवृति का पता चलता है।

(घ) विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र चालू करने की दृष्टि से परियोजनाओं के विभिन्न कार्यों को ध्यानापूर्वक मानीटरिंग करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में मानीटरिंग निदेशालयों का गठन किया है। परियोजना प्राधिकारियों, उपस्कर सप्लाईकर्त्ताओं और निर्माताओं, निर्माण एजेंसियों आदि के साथ केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में समन्वय तथा समीक्षा बैठकें नियमित रूप से की जाती हैं। सुधारात्मक कार्यवाही हेतु सभी प्रकार की बाधाओं पर कड़ी नजर रखी जाती है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी परियोजना स्थलों का दौरा करते है और बाधाओं को दूर करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ मामले को उठाते हैं। समुचित कार्यवाही के लिए राज्य सरकारों के साथ तथा केन्द्र सरकार के स्तर पर विद्युत विभाग में भी समीक्षा बैठकें की जाती हैं।

विवरण-1

ताप विद्युत परियोजनाएं

क्र०सं०	परियोजनाएं	क्षमता
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र		
1.	पानीपत चरण-दो यूनिट 3 और 4	(2×110 मेगा०)
2.	पानीपत चरण-तीन यूनिट-5	(1×210 मेगा०)
3.	फरीदाबाद विस्तार यूनिट 3	(1×60 मेगा०)
4.	ओबरा चरण-तीन	(2×200 मेगा०)
5.	अनपारा यूनिट 1, 2 और 3	(3×210 मेगा०)
6.	परीछा यूनिट 1 और 2	(2×110 मेगा०)
7.	टाण्डा यूनिट 1, 2, 3 और 4	(4×110 मेगा०)
8.	रोपड़ यूनिट 1 और 2	(2×210 मेगा०)
9.	कोटा यूनिट 1 और 2	(2×110 मेगा०)
10.	बदरपुर चरण-तीन यूनिट-5	(210 मेगा०
पश्चिमी क्षेत्र		
11.	उकई यूनिट-5	(210 मेगा०)
12.	वानकबोरी यूनिट 1, 2 और 3	(3×210 मेगा०)
13.	बानकबोरी विस्तार यूनिट 4, 5 और 6	(3×210 मेगा०)
14.	कच्छ लिगनाइट यूनिट 1 और 2	(2× 60 मेगा)
15.	सतपुड़ा विस्तार यूनिट 8 और 9	(2×210 मेगा०)
16.	कोरबा पश्चिम यूनिट 1 और 2	(2×210 मेगा०)
17.	कोरबा पश्चिम, यूनिट 3 और 4	(2×210 मेगा०)
18.	कोरबा पूर्व	(120 मेगा०)
19.	कोरोडी चरण-तीन यूनिट 5, 6 और 7	(1×200+2×210 मेगा०)
20.	नासिक चरण-तीन यूनिट 4 और 5	(2×210 मेगा०)
21.	भूसावल चरण-तीन यूनिट 3	(1×210 मेगा०)
22.	चन्द्रपुरा चरण-एक यूनिट 1 और 2	(2×210 मेगा०)
23.	चन्द्रपुरा चरण-दो यूनिट 3 और 4	(2×210 मेगा०)
24.	उरण गैस टर्बाइन	(4× 60 मेगा०)
25.	ट्राम्बे विस्तार	(500 मेगा०)
26.	पारली यूनिट 3	(210 मेगा०)

1	2	3
दक्षिणी क्षेत्र		
27.	विजयवाड़ा यूनिट 1 और 2	(2×210 मेगा०)
28.	रायचूर यूनिट 1 और 2	(2×210 मेगा०)
29.	तूतोकोरिन चरण-एक, यूनिट 1 और 2	(2×210 मेगा०)
30.	तूतीकोरिन चरण-दो यूनिट 3	(1×210 मेगा०)
पूर्वी क्षेत्र		
31.	पतरातू चरण-चार यूनिट 9 और 10	(2×110 मेगा०)
32.	बरौनी 6 यूनिट	(110 मेगा०)
33.	बरौनी 7 यूनिट	(110 मेगा०)
34.	मुजफ्फरपुर यूनिट 1 और 2	(2×210 मेगा०)
35.	तलचेर विस्तार यूनिट 5 और 6	(2×110 मेगा०)
36.	दुर्गापुर यूनिट 4	(210 मेगा०)
37.	बोकारो 'ख'	(1×210 मेगा०)
38.	संथालडीह यूनिट 1, 2, 3 और 4	(4×120 मेगा०)
39.	बंडेल यूनिट 5	(210 मेगा०)
40.	कोलाघाट यूनिट 1, 2 और 3	(3×210 मेगा०)
उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र		
41.	बोंगाईगांव यूनिट 1 और 2	(2×60 मेगा)
42.	बोगाईगांव विस्तार यूनिट 3 और 4	(2×60 मेगा०)
43.	नापरूप अपशेष ऊष्मा	(22 मेगा०)
44.	चन्द्रपुरा विस्तार	(30 मेगा०)
45.	लकवा गैस टर्बाइन	(3×15 मेगा०)

विवरण-2

जल विद्युत परियोजनाएं

क्र० सं०	परियोजना	क्षमता (मेग० में)
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र		
1.	बस्सी विस्तार	6×8
2.	आन्ध्रा	3×5
3.	बिनवा	2×3
4.	रोंगटोंग	4×0.5
5.	घावे	3×40
6.	माही बजाज सागर चरण 1 और 2	1×25+1×45 और 1×25+1×45

1	2	3
7.	मुकेरियां	6×15+6×19.5
8.	गढ़वाल ऋषिकेश चिल्ला	4×36(प्रारम्भ में) 3 यूनिट
9.	यमुना चरण-दो	4×30
10.	सानेरी भाली चरण-एक	3×30
11.	विष्णु प्रयाग	4×65.5
12.	टिहरी	4×250
13.	(ब्यास) देहर विस्तार	2×165
14.	(ब्यास) पोंग विस्तार	2×60
15.	बैरास्यूल	3×60
16.	सलाल	3×115
पश्चिमी क्षेत्र		
17.	उकई बाया तट नहर	2×2.5
18.	कडाना पी० एस० एस०	4×60
19.	भोर टेल रेस	2×40
20.	तिल्लारी	1×60
21.	कोयना बांध पी० एच०	2×20
22.	पैथोन	1×12
23.	मंदरधारा	1×10+1×33.5
24.	बोधघाट	4×125
25.	पंचेत	2×80
दक्षिणी क्षेत्र		
26.	श्रीशैलम	4×110
27.	बलिपेला डी० पी० एच०	2×30
28.	अपर सिलुरु चरण-दो	2×60
29.	काली नदी चरण-दो	
	(1) सोपान-I	2×135
	(2) सोपान-II	4×135+2×4.5
30.	वराही	2×115+2×4.5
31.	गंगावली (बेदथी)	2×105
32.	इदमलनार	2×37.5
33.	ककड़	2×25
34.	इदुक्की चरण-दो	3×130
35.	कदमकराई पी० एच० एस०	4×100
36.	सरवेयर	1×20

1	2	3
पूर्वी क्षेत्र		
37.	जलडाका	2×4
38.	रमण चरण-दो	4×12.5
39.	स्वर्णरेखा	2×65
40.	पंचेत हिल	1×40
41.	अपर कोलाब	3×80
42.	रेंगाली	2×50
43.	अपर इन्द्रावती	5×120
44.	कोयल कारी	6×115+1×20
उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र		
45.	उमियप-उमत्रू चरण-चार	2×30
46.	लोअर बोरपानी	2×50
47.	दिखु	1×0.75+1×0.25
48.	कोपिली	2×50+2×25
49.	गुमटी यूनिट 3	1×5
50.	लोकतक	3×35

बड़ी और मध्यम दर्जे की पूरी हो गई तथा होने वाली सिंचाई स्कीमें

306. **श्री छांगुर राम :**

श्री स्वामी इन्द्र वेश : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ी और मध्यम दर्जे की ऐसी कितनी सिंचाई स्कीमें हैं, जो पूरी हो चुकी हैं तथा जो पूरी होने वाली हैं;

(ख) कितनी स्कीमों में तीन वर्ष से अधिक की अवधि तक का बिलम्ब हुआ और उनके पूरा होने में हुए बिलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) उनके पूरा होने में हुए विलम्ब के कारण लागत में लगभग कितनी वृद्धि हो जाएगी; और

(घ) चालू स्कीमों को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं, ताकि लागत में और वृद्धि न आए ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) (क) 1951 से आयोजित विकास के शुरू होने से लेकर लगभग 900 बृहद् तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को क्रियान्वयन के लिए हाथ में लिया गया जिनमें से लगभग 600 स्कीमें पूर्ण हो गई हैं।

(ख) लगभग 300 बृहद तथा मध्यम सिंचाई स्कीमें निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें देरी निम्न कारणों से हुई है :—

(1) अलग-अलग परियोजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय आबंटन का उपलब्ध न होना।

(2) राज्यों द्वारा बहुत सी परियोजनाओं का निर्माण शुरू कर दिया जाना, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय, प्रबंधकीय और तकनीकी साधन बट गए।

(3) परियोजनाओं की लागत में भारी वृद्धि हो जाना, जिसका कारण श्रम, सामग्री, उपस्करों, फालतू कल-पुर्जों, भूमि आदि की कीमत में होने वाली समग्र भारी बढ़ोत्तरी थी।

(4) परियोजनाओं को हाथ में लिए जाने से पहले उनका पूरी तरह से अन्वेषण न किया जाना, जिसके परिणामस्वरूप उनके क्रियान्वयन के दौरान परियोजनाओं के स्कोप में भारी परिवर्तन होना, जिनमें जल-निकास प्रबन्ध और कमान क्षेत्रों को बाढ़-सुरक्षा प्रदान करना भी शामिल है।

(5) भूमि प्राप्त करने में कठिनाई।

(6) सीमेंट, इस्पात, विस्फोटकों, मशीनरी, अतिरिक्त कल-पुर्जों, विदेशी मुद्रा, आदि जैसी दुर्लभ सामग्रियों का लपलब्ध न होना।

(7) परियोजनाओं के निर्माण के दौरान आने वाली कठिनाइयां जैसे प्रतिकूल भू-वैज्ञानिक स्थिति, अभूतपूर्व और असामयिक बाढ़ें, आदि

(8) परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अपेक्षित निर्माण, डिजाइन और अन्य संगठनों की स्वीकृति मिलने में विलम्ब।

(ग) बृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के पूरा होने में देर होने के कारण उनकी लागत में अनुमानतः लगभग 5500 करोड़ रुपए की वृद्धि हो गई है।

(घ) इस स्थिति को सुधारने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में जो कुछ नीतियां अपनाई जा रही हैं, वे हैं : निर्माण-सामग्री के लिए अग्रिम आयोजन करके, परियोजना संगठनों को सुदृढ़ बना कर और निर्णय करने के लिए स्तरीय तन्त्र की स्थापना करके सभी निर्माणाधीन स्कीमों को समयबद्ध रूप से पूरा करने पर जोर देना।

थाल वैशेट उर्वरक एकक के लिए ठेकेदारों की नियुक्ति

307. श्री चन्द्रजीत यादव :

श्री रशीद मसूद :

श्री राम विलास पासवान :

श्री राजेश कुमार सिंह :

श्री नवीन रवाणी : क्या पेट्रोलियन, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने थाल वैशेट उर्वरक एकक के लिए ठेकेदारों की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने थाल वैशेट उर्वरक एकक के लिए ठेका किस प्रकार दिया है;

(ग) क्या कोई भारतीय फर्म/फर्में परियोजना के लिए उम्मीदवार थीं, यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं;

(घ) सरकार ने ठेका देने में कितना समय लिया ;

(ङ) निर्णय करने में विलम्ब होने के कारण परियोजना लागत में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है एवं परियोजना लागत मूल अनुमान के अनुसार क्या थी और अब उस पर कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है; और

(च) परियोजना को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां। थाल वैशेट में अमोनिया और यूरिया संयंत्रों के लिए इन्जीनियरिंग परामर्शदाता का चयन कर लिया गया है।

(ख) प्राप्त विभिन्न बोलियों के तुलनात्मक गुण-दोषों की जांच करने के बाद चयन किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) जब थाल वैशेठ के अमोनिया संयंत्र के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति को अन्तिम रूप दिया जा रहा था, तब सरकार बदल गई थी। वर्तमान सरकार ने कार्यभार सम्भालने के पश्चात परामर्शदाताओं के चयन पर दुबारा विचार करने का निर्णय किया। इस मामले में अन्तिम निर्णय लेने से पहले कुछ समय लग गया। कम्पनी द्वारा जून, 1979 में तैयार किये गये मूल अनुमानों के अनुसार परियोजना की लागत 6511.34 करोड़ रुपये थी। जनवरी 1980 में परियोजना की अनुमानित लागत मोटे तौर पर 681.3 करोड़ रुपये थी। कम्पनी द्वारा सितम्बर 1980 में तैयार किये गये नवीनतम अनुमानों के अनुसार परियोजना की लागत 732.2 करोड़ रुपये हो गई। परियोजना 1984-85 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

बिजली के उत्पादन में गिरावट

308. **श्री रशीद मसूद : क्या ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले एक वर्ष में बिजली में कहाँ तक कमी हुई है इस सम्बन्ध में विद्युत उद्योग के निष्पादन में गिरावट के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाने के लिए कोई विश्लेषण किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और सरकार द्वारा इस मामले में क्या उपचारी कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) पिछले एक वर्ष के दौरान विद्युत के उत्पादन में कोई कमी कभी नहीं आई है। वर्ष 1979-80 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में, विद्युत के उत्पादन में 2.1% वृद्धि हुई है। इसी प्रकार 1980-81 के प्रथम सात महीनों के दौरान कुल ऊर्जा उत्पादन 62635 मिलियन यूनिट रहा। इसकी तुलना में पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान यह उत्पादन 62613 मिलियन यूनिट था।

सितम्बर, 1980 तथा अक्तूबर, 1980 के दौरान विद्युत उत्पादन में, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में क्रमशः 6.6% तथा 7.3% वृद्धि हुई है।

तथापि, देश के ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में और सुधार लाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) नए चालू किए गए ताप विद्युत उत्पादन यूनिटों को शीघ्र सुस्थिर करने के लिए संगठित प्रयास करना जिसमें चालू करने की समुचित प्रक्रियाओं का विकास करना भी शामिल है।

(2) डिजाइन, उपस्कर आदि में कमियों का पता लगाना तथा कई ताप विद्युत केन्द्रों के लिए समयबद्ध संयंत्र सुधार कार्यक्रम बनाना;

(3) ताप विद्युत संयंत्रों के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना;

(4) ताप विद्युत केन्द्रों को अपेक्षित मात्रा में और वांछित गुणावत्ता वाल कोयले की सप्लाई ;

(5) लम्बी अवधि से बन्द पड़ी विद्युत उत्पादन यूनिटों की मरम्मत करने/पुन: चालू करने में विद्युत केन्द्रों को सहायता की व्यवस्था करना ;

(6) अधुनातन अनुरक्षण तकनीकें लागू करना, इनमें सुरक्षात्मक अनुरक्षण पद्धतियां शामिल हैं; और

(7) विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए सुझाव देने हेतु विद्युत केन्द्रों में विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञों के दौरे की व्यवस्था करना; और

(8) परिषण तथा वितरण प्रणालियों में हानियों को कम करना ।

छठी पंचवर्षीय योजना में राज्य विद्युत बोर्डों को हानि

309. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मन्त्रालय ने सुझाव दिया है कि छठी पंचवर्षीय योजना में देश में राज्य विद्युत बोर्डों को 3,000 करोड़ रुपये का घाटा पूरा करना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या विद्युत विभाग ने आगामी पंचवर्षीय योजना में घाटे को पूरा करने के लिए इस सम्बन्ध को कोई योजना की है; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या घाटा पूरा करने के लिए प्रशुल्क दरों में वृद्धि की जाएगी और यदि हां, तो किस आधार पर ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) ऊर्जा मन्त्रालय (विद्युत विभाग) में उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य बिजली बोर्डों (असम, मेघालय तथा जम्मू और कश्मीर को छोड़कर) को 31 मार्च, 1979 को समाप्त हुई पांच वर्ष की अवधि में, सरकारी ऋणों पर ब्याज, मूल्यह्रास तथा राजस्व घाटे, यदि कोई हों, के लिए व्यवस्था करने के पश्चात, तथा राज्य बिजली बोर्डों को सरकार द्वारा दिए गए आर्थिक अनुदान की राशि को हिसाब में लेने से पहले कुल 615 करोड़ रुपये की हानि हुई है तथा राज्य बिजली बोर्डों को दिए गए आर्थिक अनुदान को लेखे में लेने के पश्चात 271 करोड़ रुपये की हानि हुई है ;

(ख) विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 को अभी हाल ही में संशोधित किया गया है जिसके अनुसार बोर्डों के लिए यह लाजिमी है कि बोर्ड अपना प्रचालन इस प्रकार से करें कि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रचालन, अनुरक्षण प्रबन्ध व्यय, आय तथालाभ पर कर (यदि कोई हो) मूल्य ह्रास सभी ऋण पत्रों, बान्डों और ऋणों पर देय ब्याज समेत राजस्व पर उचित रूप से डाले जाने योग्य सभी खर्चों को पूरा करने के पश्चात लेखे के किसी भी वर्ष में इतना कुल राजस्व में प्राप्त हो कि राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर यथा निर्दिष्ट अधिशेष बचा रहे। इसके अतिरिक्त, राज्य बिजली बोर्डों को अपनी प्रचालन कार्य-कुशलता में सुधार करने और अपनी वित्त व्यवस्था पर नियंत्रण रखने के लिए आधुनिक प्रबन्ध तकनीक अपनाने के लिए समय-समय पर सलाह दी जाती है। ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन प्रणाली हानियों आदि की भी नियमित रूप से मानीटरिंग की जा रही है।

ताप विद्युत केन्द्रों के उत्पादन तथा विश्वसनीयता में सुधार लाने के लिए एक पद्धति भी तैयार की गई है और राज्य बिजली बोर्डों को मार्ग-दर्शन और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज

दी गई है । इसके अतिरिक्त राज्य बिजली बोर्डों के कार्यकरण में सुधार लाने के उपाय खोजने के लिए केन्द्रीय सरकार का एक उच्च स्तरीय दल विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों के साथ शृंखला-बद्ध रूप में विचार-विमर्श भी कर रहा है ।

(ग) राज्य बिजली बोर्ड स्वायत्तशासी निकाय हैं और राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य करते हैं तथा इन हानियों को समाप्त करने के लिए यदि आवश्यक हो तो अपनी टैरिफ दरें बदलने में पूर्ण तौर से सक्षम हैं ।

सरकार द्वारा विज्ञापनों पर खर्च किया गया धन

310. **श्री हन्नान गोल्लाह : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) भारत सरकार ने गत पांच वर्षों में (वर्ष-वार) विज्ञापनों पर कितना धन खर्च किया है ; और

(ख) विज्ञापन पर मद-वार, सरकारी खर्च के तरीके क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी बेन एम० जोशी) : (क) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा पिछले 5 वर्ष के दौरान समाचारपत्रों और नियतकालिक पत्रों को रिलीज किए गए विज्ञापनों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	राशि
197 -76	2,20,68,897 रु०
1976-77	2,35,86,622 रु०
1977-78	2,34,21,669 रु०
1978-79	2,99,17,820 रु०
1979-80	2,83,31,408 रु०

(ख) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापन सजावटी और वर्गीकृत विज्ञापनों के रूप में रिलीज किए जाते हैं । उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

	सजावटी	वर्गीकृत
1975-76	1,09,35,726 रु०	1,11,33,171 रु०
1676-77	1,15,97,018 रु०	1,19,89,604 रु०
1977-78	85,84,182 रु०	1,48,37,487 रु०
1978-79	94,45,557 रु०	2,04,72,263 रु०
1979-80	78,49,495 रु०	2,04,81,913 रु०

मध्यपूर्व युद्ध के कारण अशोधित तेल के मूल्य में वृद्धि

311. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य पूर्व युद्ध के कारण तेल निर्यातक देशों के संगठन के देशों में अशोधित तेल के मूल्यों में बहुत वृद्धि हो गई है; और

(ख) सरकार का विचार देश में पेट्रोलियम उत्पादनों के मूल्यों में और अधिक वृद्धि को किस प्रकार रोकने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) जी, नहीं। संयुक्त अरब अमीरात को छोड़कर ईराक-ईरान युद्ध के आरम्भ होने के बाद अशोधित तेल के सरकारी मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है। किन्तु इस युद्ध के शुरू होने के बाद अशोधित तेल के स्पाट मूल्यों में वृद्धि हुई है। सरकार सावधानी से स्थिति को देख रही है।

अशोधित तेल का आयात

312. **श्री जगपाल सिंह :**

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में मांग और सप्लाई के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए सरकार ने कितनी मात्रा में अशोधित तेल (मूल्य सहित) का आयात किया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : गत तीन वर्षों के दौरान आयात किये गये अशोधित तेल की मात्रा और उसका मूल्य नीचे दिये गये अनुसार हैं :—

वर्ष	मात्रा (मि० मी० टन)	मूल्य (रु०/करोड़ों में)
1977-78	14.5	1246.2
1978-79	14.7	1251.2
1979-80	16.1*	2186.9*

*अस्थायी।

दामोदर घाटी निगम के कर्मचारियों में अनुशासनहीनता

313. **श्री जगपाल सिंह :**

श्री चित्त बसु : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम (डी० वी० सी०) के कर्मचारियों में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है और कर्मचारियों ने हाल ही में चेयरमैन पर हमला किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दामोदर घाटी निगम के कर्मचारियों में बढ़ रही अनुशासनहीनता की घटनाओं की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) हमले से सम्बन्धित सात व्यक्तियों को निलम्बित कर दिया गया है तथा उनको आरोप-पत्र दिए गए हैं। 'काम नहीं तो वेतन नहीं' नियम लागू करके दामोदर घाटी निगम के प्रवन्धकों ने समय की पावन्दी लागू कर दी है तथा अनुशासनहीनता की रोकथाम के लिए उपाय किए हैं। अच्छे औद्योगिक सम्बन्धों के लिए, कार्य क्षेत्रों के व्यापक दौरे तथा अधिकारियों और कर्मचारियों की सामूहिक बैठकों का आयोजन किया गया है ताकि उनका मनोबल बढ़े और कार्य के प्रति उनके दृष्टिकोण में परिष्कार हो। शिकायत दूर करने के लिए उच्च शक्ति प्राप्त दल क्षेत्रीय संरचनाओं को भेजे गए हैं। ये उपाय किए जाने के परिणामस्वरूप, दामोदर घाटी निगम के

विद्युत उत्पादन में सुधार के चिन्ह नजर आ रहे हैं तथा अक्तूबर, 1980 में विद्युत उत्पादन पिछले महीने की तुलना में 15% अधिक था।

कर्मचारियों के हितों में सुधार करने और उनमें अनुशासन को बढ़ाने के लिए दामोदर घाटी निगम के प्रबन्धकों द्वारा किए गए उपायों का समर्थन करने का सरकार का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय हित में तथा तीन भागीदार सरकारों के हित में सरकार का लक्ष्य निगम के कार्यनिष्पादन को इष्टतम करने का है।

सोवियत रूस द्वारा कोयला खान प्रौद्योगिकी की पेशकश

341. श्री आर० वाई० घोरपाडे : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से देशों द्वारा तथा कब से इस देश को कोयला खनन के विषय पर जानकारी प्रदान की जा रही है और उसके परिणाम स्वरूप कितना लाभ हुआ है; और

(ख) भारतीय प्रौद्योगिकी तथा विदेशी प्रौद्योगिकी (देशवार) द्वारा कोयला खानों के कार्यकरण सम्बन्धी तुलनात्मक स्थिति क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) कोयला खनन के क्षेत्र में जिन देशों से तकनीकी ज्ञान लिया गया है उनका और उनकी प्रौद्योगिकी से प्राप्त लाभ का विवरण नीचे दिया गया है :—

पोलैण्ड : पोलैण्ड 1958 से केन्द्रीय झरिया क्षेत्र में गहरी भूमिगत खानों के विकास में सहायता देता रहा है। इस समय मोटी और अर्द्ध-सीधी सीमों वाली खानों की नई खनन तकनीक के साथ दो खानों का विकास किया जा रहा है जिनमें रेत भराई वाली पद्धति है और साथ ही बिना रेत भराई के यंत्रीकृत लांगवाल खनन पद्धति भी है। करणपुरा में एक बड़ी वाशरी पोलैण्ड की डिजाइन के अनुसार और उनके उपकरण से ही बनाई गई है। खान शैफ्टों और सम्बन्धित वाइंडिंग यंत्रों को तेजी से पैवस्त करने के क्षेत्र में भी उपयोगी अनुभव मिला है। झरिया कोयला क्षेत्र के समेकित विकास का एक मास्टर प्लान तैयार करने के लिए पोलैण्ड की सहायता ली गई है। रांची स्थित केन्द्रीय खान आयोजन और डिजाइन संस्थान की स्थापना में पोलैण्ड की केन्द्रीकृत खान आयोजन और डिजाइन प्रणाली का प्रभावशाली उपयोग किया गया है।

सोवियत रूस : सोवियत रूस 1958 से बड़ी भूमिगत और ओपेनकास्ट खानों के विकास में सहायता देता रहा है। राष्ट्रीयकरण के पहले सोवियत संघ का सहयोग मध्य प्रदेश में दो भूमिगत और एक ओपेनकास्ट खान तथा एक बड़े केन्द्रीय वर्कशाप तक और ईस्ट बोकारों में एक बड़ी वाशरी तक ही सीमित था। यह सहयोग पूरे काम की परिकल्पना से लेकर वास्तव में काम शुरू होने तक की अवस्था के लिए था। राष्ट्रीयकरण के बाद सोवियत सहयोग रानीगंज में एक बड़ी गहरी भूमिगत खान के लिए और सिंगरौली, रामगढ़ और झरिया में बहुत बड़ी यंत्रीकृत ओपेनकास्ट खानों के लिए भी बढ़ा लिया गया है। झरिया परियोजना में वाशरियां भी हैं। झरिया की खानों को छोड़कर उपर्युक्त सभी खानों के लिये साध्यता रिपोर्ट सोवियत और भारतीय इंजीनियरों ने मिलकर तैयार की हैं। इन परियोजनाओं के आयोजन डिजाइन में मिला सोवियत तकनीकी ज्ञान ऐसी ही अन्य परियोजनाओं में सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है। सोवियत सहयोग इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन और खनन प्रौद्योगिकी की कुछ निश्चित समस्याओं के सम्बन्ध में परामर्श के लिए भी बढ़ा लिया गया है।

संघीय जर्मन गणतंत्र : इस देश से कोयला हलों के जरिये पतली सीमों में कोयला खनन के लिए सहयोग 1976 में प्रारम्भ किया गया था और झरिया क्षेत्र में अच्छी किस्म के कोककर कोयले की पतली सीमों से कोयला निकालने के लिये तीव्र गति से चलने वाले हलों की दो यूनिट व्यापारी आधार पर खरीदी गई थीं। इस प्रयोग के परिणाम उत्साहवर्द्धक रहे और विचार है कि यह सहयोग और बढ़ाया जाए।

संघीय जर्मन गणतंत्र की सरकार से 1978 में एक समझौता किया गया था जो खानों को गैसरहित करने, लांगवाल खनन, कोयला परिष्करण प्रौद्योगिकी और हाइड्रोलिक खनन में विशेषज्ञ प्रशिक्षण के लिये था। भारतीय इंजीनियरों को संघीय जर्मन गणतंत्र में प्रशिक्षण दिया गया और संघीय जर्मन गणतंत्र के विशेषज्ञों को भारत में प्रतिनियुक्त किया गया है। झरिया में हाइड्रोलिक खनन को नमूनों के तौर पर देखने के लिए एक खान का स्थान निश्चित कर दिया गया है। इस देश के साथ अन्य किन क्षेत्रों में सहयोग किया जाए यह बात विचाराधीन है।

फ्रांस : भारतीय इंजीनियरों की एक टीम को 1960 में फ्रांस में प्रशिक्षण दिया गया था जो मोटी सीमों में बिना रेत भराई के अधिक कोयला निकालने की खनन विद्या से सम्बन्धित था। करणपुरा में 1965-67 में एक पाइलट परियोजना सफलता पूर्वक कार्यान्वित की गई। यह परियोजना सब-लेबिल केविंग द्वारा 11 मीटर मोटी सीम से कोयला निकालने के लिए थी और इसमें नकली छत बनाने के लिए तार वाली जाली का प्रयोग किया गया था तथा यह 1977 तक चली। वर्ष 1978 में अछूती और विकसित मोटी तथा सीधी कोयला सीमों से कोयला निकालने की अधिक उन्नत फ्रांसिसी प्रौद्योगिकी का ज्ञान देने के लिये फ्रांस से अनुरोध किया गया। ऐसी तकनीकों को झरिया, रानीगंज, करणपुरा और तालचर में लागू करने के लिए साध्यता रिपोर्ट फ्रांस की कुछ एजेंसियां तैयार कर रही हैं। उपकरण और प्रौद्योगिकी का ज्ञान देने के सम्बन्ध में और भी सहायता लेने के लिए विचार चल रहा है।

ग्रेट ब्रिटेन : ब्रिटेन की सहायता अब तक तो कोयला खनन उपकरण के आयात तक ही सीमित रही है। अभी हाल ही में यंत्रीकृत लांगवाल खनन (जिसके साथ शेयरर और स्वतः बढ़ने वाले सपोर्ट भी हों) से सम्बन्धित तकनीकी ज्ञान भी किया गया है। इस समय उपकरणों का पूरा पैकेज और साथ में भारतीय कार्मिकों का सम्बद्ध प्रशिक्षण की सुविधा ली जा रही है। ब्रिटेन में में अनेक खनन इंजीनियरों का कोलम्बो योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण पूरा हो चुका है और अभी चल भी रहा है।

कनाडा : कनाडा के खनन ग्रुप के साथ सहयोग का एक प्रस्ताव तैयार किया गया है जो सीधी खड़ी और साफ्ट मोटी कोयला सीमों में हाइड्रोलिक खनन शुरू करने के बारे में है।

राष्ट्रीयकरण के पहले भारत की कोयला खनन प्रौद्योगिकी कम गहराई पर स्थित सीमों से, रेत भराई अथवा बिना रेत भराई के बोर्ड और पिलर पद्धति से कोयला निकालने तक सीमित थी जिसमें उत्पादकता, सुरक्षा और खनन का प्रतिशत सभी बातें कम रहती थीं। राष्ट्रीयकरण के बाद यंत्रीकृत ओपेनकास्ट खनन पर तथा इस बात पर अधिक जोर दिया गया है कि पुरानी बोर्ड और पिलर प्रणाली के स्थान पर यंत्रीकृत लांगवाल प्रौद्योगिकी अपनाई जाए जिसमें अधिक उत्पादकता रहे तथा अधिक सुरक्षा और संरक्षण के साथ साथ अधिक किफायत भी हो। भूमिगत और ओपेनकास्ट खनन के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी प्राप्त करने का प्रयास केवल उन्हीं मामलों में

किया जा रहा है जिनमें परम्परागत भारतीय खनन प्रणाली अपर्याप्त और खचीली सिद्ध होती है। प्रत्येक विदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग का निर्णय अपेक्षित क्षेत्र में खनन की दशाओं और सहयोग देने वाले देश की क्षमता को देखकर किया जाता है।

देश में बिजली का उत्पादन

315. **श्री पीयूष तिरकी :**

श्री एच० एन० नन्जे गौडा :

श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :

श्री के० लकप्पा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले वर्ष मार्च से बिजली के उत्पादन सम्बन्धी स्थिति क्या है;

(ख) क्या उसमें कोई सुधार है; और

(ग) यदि हां, तो कितना और बिजली के वितरण में दोष दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) अप्रैल, 1979 से मार्च, 1980 के दौरान हुआ 105255 मिलियन यूनिट का अखिल भारतीय सकल ऊर्जा उत्पादन वर्ष 1978-79 में हुए उत्पादन की तुलना में 2.1% अधिक था। अप्रैल, 1980 से अक्तूबर 1980 तक की अवधि के दौरान देश में हुआ कुल ऊर्जा उत्पादन 62635 मिलियन यूनिट था। इसकी तुलना में गत वर्ष इसी अवधि के दौरान हुआ उत्पादन 62613 मिलियन यूनिट था। गत वर्ष की इसी अवधि में हुए उत्पादन की तुलना में इस वर्ष हुआ उत्पादन 22 मिलियन यूनिट अधिक है।

अनुपयोगी तथा ठाट-बाट के प्रयोजनों के लिए विद्युत के उपयोग को रोकने के लिये राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं ताकि कृषि, जल-सप्लाई, अस्पताल, क्रोड क्षेत्र के उद्योगों आदि जैसे अनिवार्य क्षेत्रों को पर्याप्त विद्युत की सप्लाई सुनिश्चित हो सके। परिषण तथा वितरण हानियों को कम करने तथा ऊर्जा की चोरी का पता लगाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

स्वीकृति के लिए पड़ी उत्तर प्रदेश की विद्युत परियोजनायें

316. **श्री जैनुल बशर :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश की उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो भारतीय विद्युत प्राधिकरण और उनके मंत्रालय के पास अनिर्णीत पड़ी हैं;

(ख) इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में स्वीकृति दिए जाने के बारे में विलम्ब के किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) स्वीकृत कब तक दिए जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई विद्युत परियोजनायें, जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास तकनीकी-आर्थिक अनुमोदन के लिए लम्बित पड़ी हैं, तथा उनकी स्थिति संलग्न विवरण में दिखाई गई है।

विवरण

परियोजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	वर्तमान स्तर
1	2	3
जल विद्युत		
1. लखवार व्यासी बहुद्देश्यीय परियोजना	420	इस परियोजना को जनवरी, 1976 में योजना आयोग ने पहले ही अनुमोदित कर दिया है बशर्ते कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्वीकृत मिल जाए तथा इस परियोजना पर निर्माण-कार्य प्रगति पर है। संशोधित परियोजना पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा अन्य सम्बन्धित एजेंसियों की टिप्पणियों पर राज्य प्राधिकारियों से हाल ही में उत्तर प्राप्त हुए हैं।
2. कोटेश्वर बांध जल विद्युत परियोजना	180	परियोजना प्राधिकारियों ने विस्तृत अन्वेषणों के आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की है।
3. खारा जल वि० परि०	81	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा अन्य संबंधित संगठनों को टिप्पणियों पर आधारित संशोधित परियोजना रिपोर्ट की परियोजना प्राधिकारियों से प्रतीक्षा है। इस स्कीम में हरियाणा से सम्बन्धित अन्तर्राज्यीय पहलू सम्मिलित है जिसके कारण परियोजना की स्वीकृत पर प्रभाव पड़ा है।
4. लोहाड़ीनाग पाला ज० वि० परि०	282	यह परियोजना रिपोर्ट मार्च, 1980 में प्राप्त हुई थी तथा विभिन्न तकनीकी विशेषताओं की जांच कराने के लिए यह रिपोर्ट के० वि० प्रा० तथा के० ज० आ० के सम्बन्धित संघटकों तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को भेज दी गई है। तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति इन जांचों के परिणाम पर निर्भर करती है।
5. किश्मऊ बांध बहुद्देश्यीय परियोजना	600	इस स्कीम में हिमाचल प्रदेश के साथ अन्तः-राज्यीय पहलू शामिल है तथा इस पर आगे की कार्यवाही अन्तर्राज्यीय पहलुओं के हल होने पर निर्भर करती है।

1	2	3
6. कोटली मेल बहुद्देश्यीय परियोजना	1040	के० वि० प्रा० की टिप्पणियों के उत्तरों की परियोजना प्राधिकारियों से प्रतीक्षा है।
ताप विद्युत		
1. अनपारा 'ख'	1000	इस परियोजना की तकनीकी-आर्थिक जांच के० वि० प्रा० से पूरी कर ली गई है तथा कोयला लिंकों की भी पुष्टि कर दी गई है।
2. अनपारा 'ग'	1500	स्कीम की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति देने का प्रश्न पूरे किए जा रहे व्यवहार्यता अध्ययनों पर निर्भर करता है तथा सभी आधारभूत निवेश पूर्णतः सम्बद्ध कर दिए गए हैं तथा विशिष्ट निर्धारित समय में विद्युत की भार मांगों को पूरा करने के लिए इन सभी स्कीमों का औचित्य स्पष्टतः सुनिश्चित कर लिया गया है। अनपारा 'ख' ताप विद्युत केन्द्र के लिए कोयला लिंक के अतिरिक्त 1989-90 तक उत्तरी क्षेत्र में फिलहाल केवल 210-210 मेगावाट के दो अतिरिक्त ताप विद्युत यूनिटों को प्रतिष्ठापित करने के लिए कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने ऐसा ताप विद्युत केन्द्र को प्राथमिकता देने के लिए सूचित किया है। रोसा को तथा विकल्प के रूप में जवाहरपुर स्थलों को कोयले की ढुलाई के पहलुओं की जाँच करने के लिए रेल मंत्रालय से कहा गया है ताकि रोसा परियोजना की आगे जांच की जा सके।
3. दोहरीघाट	420	
4. रोसा	630	
5. परिच्छा विस्तार	420	
6. जवाहरपुर	630	

मानेरी माली चरण-11(156 मेगावाट), पाला मानेरी (142.5 मेगा०) जल विद्युत परियोजनाओं तथा ऊंचाहार (420 मेगावाट) ताप विद्युत परियोजना का केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक अनुमोदन कर दिया गया है। पानेरी भाली, चरण-11 तथा ऊंचाहार परियोजनाओं को योजना आयोग को निवेश निर्णय हेतु सिफारिश की गई है। पाला मानेरी परियोजना को भी हाल ही में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को औषधियों का निर्माण करने की अनुमति देने का निर्णय

317. **श्री नारायण चौबे** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को कुछ औषधियों का निर्माण करने की अनुमति देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह निर्णय वर्ष 1978 की औषध नीति से भिन्न है; और

(घ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और नीति में परिवर्तन करने के कारण क्या हैं;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों (जो कम्पनियां फैरा कम्पनियों अथवा विदेशी कम्पनियों के नाम से भी जानी जाती हैं) से सम्बन्धित औषध नीति 29 मार्च, 1978 को लोक सभा पटल पर रखे गए विवरण पत्र के पैरा—13-26 में दर्शायी गई है। यदि कोई बहुराष्ट्रीय कम्पनी अथवा विदेशी कम्पनी नई औषध नीति के प्रावधानों को पूरा करती है तो उसे आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस दिया जाता है।

वर्ष 1980 (जनवरी-सितम्बर) के दौरान निम्नलिखित विदेशी कम्पनियों को 5 आशय पत्र जारी किए गये हैं :—

क्रम सं०	नाम	आशय पत्र सं०	निर्माण की मद
1.	मैसर्स अबोट लैबोरेटरीज (इंडिया) प्रा० लि०	एल० आई० 324(80) दिनांक 26-7-1980	1. डिइथाइन मैलोनेट 2. पेन्टोथल सोडियम 3. नांन बुटल सोडियम 4. मेटफोर्मिन 5. क्लोरोक्विन फास्फेट 6. प्रतिस्थापित मेलोनिट ईस्टर (एन) बुटाइल मेलोनिट को छोड़कर
2.	मैसर्स सीवा ग्रेगी आफ इंडिया लि०	एल० आई० 455 (80) दिनांक 30-8-80	1. ट्रिमेथोप्रिम 2. ट्रिमेथोप्रिय के फार्मूलेशन
3.	मैसर्स फाइजर लि०	एल० आई० 383 (80) दिनांक 21-8-80	1. मोरन्टल टारट्रेट 2. पेरेन्टल पेनोएट 3. उपरोक्त दो औषधों के फार्मूलेशन
4.	मैसर्स इ० मर्क (इण्डिया) प्रा० लि०	एल० आई० 476 (80) दिनांक 22-9-80	1. विटामिन के-1 (बुटाइल में मेनाडियन) 2. विटामिन के-4 (बुटाइरेट) 3. विटामिन के-4 (सोडियम फास्फेट) 4. विटामिन के-4 (डाइसिटेट) 5. विटामिन के-3
5.	वही	एल० आई० 478 (80) दिनांक 23-9-80	विटामिन ई और उसके उप-उत्पाद

जनवरी-सितम्बर 1980 के दौरान किसी भी विदेशी कम्पनी को कोई औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

(ग) औद्योगिक लाइसेंस के लिये विदेशी कम्पनियों से प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करते समय उपरोक्त (क) और (ख) में बताई गई औषध नीति का ही अनुपालन किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिजली संकट

318. **श्री विजय कुमार यादव :**

श्री के० टी० कोसलराम : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिजली का घोर संकट है, यदि हां, तो इसे दूर करने के लिए क्या योजना है; और

(ख) क्या यह सच है कि विद्युत उत्पादन की दृष्टि से बिहार बहुत हुआ है और यदि हां; तो बिजली के बारे में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या योजना है तथा कब तक आत्म-निर्भर होने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्यों को छोड़कर जहां पर विद्युत की कुछ कमी है, अधिकांश राज्यों में विद्युत की स्थिति सामान्यतः संतोषजनक है। देश में विद्युत की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए कई उपाए किए गये हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) वर्तमान ताप विद्युत केन्द्रों से अधिकतम उत्पादन करना; तथा

(2) नई उत्पादन क्षमता शीघ्र जोड़े जाने के लिए कार्रवाई करना। 1980-85 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान लगभग 20,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता जोड़ने का प्रस्ताव है।

(ख) बिहार में प्रतिष्ठापित क्षमता 910 मेगावाट है जिसमें 765 मेगावाट ताप विद्युत क्षमता है तथा 145 मेगावाट जल विद्युत क्षमता है। बिहार की मांग लगभग 600-650 मेगावाट तथा लगभग 11 मिलियन यूनिट प्रतिदिन है। वर्तमान उत्पादन लगभग 300-350 मेगावाट और 6 से 7 मिलियन यूनिट प्रतिदिन के लगभग है ! यह कम उत्पादन मुख्य रूप से विद्यमान ताप विद्युत केन्द्रों के घटिया कार्य निष्पादन के कारण है। राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि संयंत्र सुधार कार्यक्रम हाथ में लेकर प्रचालन और अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण देकर, अतिरिक्त पुर्जों की उपलब्धता को सुनिश्चित करके और राज्य बिजली बोर्डों के प्रबन्ध में सुधार करके ताप विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए कदम उठायें। 1980-85 की अवधि के दौरान लगभग 660 मेगावाट की नई उत्पादन क्षमता की यूनिटों को चालू करने का भी प्रस्ताव है।

श्रेणीकरण फार्मूला संशोधित करने के लिए सुझाव

319. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने पेट्रोलियम निर्यातकर्त्ता देशों के संगठन से श्रेणीकरण फार्मूले में

संशोधन करने के लिए अनुरोध किया है ताकि भारत रियायती दरों पर तथा आस्थगित भुगतान के आधार पर अशोधित तेल खरीद सके;

(ख) यदि हां, तो क्या सितम्बर, 1980 में आयोजित पेट्रोलियम निर्यातकर्त्ता देशों के संगठन की बैठक में भारत के प्रस्ताव पर चर्चा की गयी थी;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) यह प्रस्ताव भारत के लिए कहां तक लाभदायक होगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) एवं (ग) तेल निर्यात करने वाले देशों के संगठन "ओपेक" की वियना की बैठक में इस प्रश्न पर कोई निर्णयात्मक विचार विमर्श नहीं हो सका और इस प्रश्न पर अक्तूबर के पूर्वार्द्ध में क्यूटो, इक्वीडर में होने वाली ओपेक की बैठक में पुनः विचार किया जाना था। बाद में यह बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। बगदाद में होने वाली शिखर बैठक जिसमें इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिया जाना था को भी स्थगित कर दिया गया है।

(घ) इस अवस्था में लाभों का अनुमान लगाना अकालिक होगा।

राज्य विद्युत बोर्डों को कार्य-निष्पादन सुधारने के लिए निर्देश

320. **श्री पी० एम० सईद** :

श्री एच० एन० नन्जे गौडा :

श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :

श्री के० लकप्पा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री के अनुरोध पर उनके मंत्रालय ने राज्य विद्युत बोर्डों को अपना कार्य-निष्पादन सुधारने के लिए विस्तृत निर्देश भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो जारी किए गये निर्देशों का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने अपर्याप्त संयंत्र भार के अनुपात का उल्लेख किया है जिसके परिणामस्वरूप बोर्डों को बहुत हानि हो रही है और बोर्डों को आदेश दिया है कि निर्देशों का कठोरता से पालन करें और प्रजनन की वर्तमान स्थिति को और संयंत्र भार के अनुपात को सुधारने के प्रयास करें; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन आदेशों के जारी किए जाने के बाद उपरोक्त निर्देशों के अनुसार बिजली बोर्डों के कार्यकरण में कोई सुधार दिखाई दिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) जारी किए गए कुछ महत्वपूर्ण मार्गदर्शी निर्देश निम्नलिखित हैं :—

(1) ताप विद्युत केन्द्रों के उत्पादन तथा विश्वसनीयता में सुधार की पद्धति पर एक टिप्पणी राज्य बोर्डों को भेजी गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संगठन, अभिकल्प, जनशक्ति आयोजना प्रचालन और अनुरक्षण के लिए अग्रिम भर्ती, प्रशिक्षण, कार्य की विशिष्टियां तथा कार्मिक प्रबन्ध आदि के विभिन्न पहलुओं को भी शामिल किया गया था।

(2) विस्तृत आयोजना कार्य पर जोर दिया गया था जिसे स्थल पर कार्य आरम्भ करने से काफी समय पहले ही शुरू कर दिया जाना चाहिए तथा जिसकी समुचित मानोटरिंग और

नियंत्रण प्रणाली की सहायता मिलनी चाहिए। ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए माडल तार-जाल निर्माण कार्य तथा अन्य आयोजना और रिपोर्टिंग कार्य की रूप-रेखा भी भेजी गई थी।

(ग) राज्य बिजली बोर्डों को बता दिया गया है कि बहुत से ताप विद्युत संयंत्रों का उपलब्धता गुणांक लगभग 55% से 60% है जो, विकसित देशों द्वारा प्राप्त 80% से 90% उपलब्धता गुणांक की तुलना में कम है। यह भी उल्लेख कर दिया गया था कि समुचित संयन्त्र उपयोगिता गुणांक भी 50% से कम है तथा इसके साथ ही अविश्वसनीयता है और परिणाम स्वरूप अनिश्चित स्थिति भी है।

(घ) अनुदेश हाल ही में जारी किए गए हैं तथा राज्य बिजली बोर्डों को इनके क्रियान्वयन में कुछ समय लगेगा। इस दृष्टि से, राज्य बिजली बोर्डों के कार्य निष्पादन में सुधार कुछ समय बाद दिखाई देगा।

संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय

321. **श्री पी० एम० सईद : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा दिए गए बहुमत निर्णय पर, जिसमें संविधान (बयालीसवां संशोधन), अधिनियम को अवैध ठहराया गया था, आक्षेप किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई अन्तिम विनिश्चय किया गया है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी हां। भारत संघ ने मिनर्वा मिल्स वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध एक सिविल प्रकीर्ण पिटीशन फाइल की है, जिसमें उसने उच्चतम न्यायालयों के कम से कम 7 न्यायाधीशों की एक वृहत्तर न्यायपीठ द्वारा इस मामले पर पुन: विचार किए जाने की प्रार्थना की है।

(ख) जी नहीं। पिटीशन अभी तक लंबित है।

राज्य विद्युत बोर्डों में कुप्रबन्ध

322. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**

श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :

श्री के० लकप्पा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य विद्युत बोर्डों में कुप्रबन्ध से उनका दिवालिया निकल गया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे संकट के कारण क्या हैं और ऐसी स्थिति पर काबू पाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य बिजली बोर्डों (असम, जम्मू और कश्मीर तथा मेघालय को छोड़कर, क्योंकि इनके अन्तिम लेखे उपलब्ध नहीं हैं) को 31-3-79 को समाप्त हुए पांच वर्ष की अवधि में सरकारी ऋणों पर ब्याज की व्यवस्था करने तथा ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए सरकार की ओर से दी गई आर्थिक अनुदान आदि को हिसाब में लेने के बाद कुल 271 करोड़ रुपए की हानि हुई है।

(ख) उपर्युक्त (क) के संदर्भ में, प्रश्न नहीं उठता ।

सरकार की उपलब्धियों का प्रचार

323. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान सरकार की लाभकारी उपलब्धियों का उचित प्रचार नहीं किया जाता और;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) सरकार की लाभकारी उपलब्धियों को इसके माध्यम एककों अर्थात् रेडियो, टेलीविजन, फिल्म प्रभाग, प्रकाशन विभाग, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय और गीत और नाटक प्रभाग के माध्यम से उपयुक्त प्रचार मिलता है। जहां तक प्रेस में प्रचार का सम्बन्ध है, इसके बारे में यह कहना है कि सरकार का प्रेस के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। तथापि, सरकार पत्र सूचना कार्यालय के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों के बारे में संबन्धित सामग्री रिलीज करती है, जिसका प्रेस द्वारा उपयोग किया जाता है।

रायचूर के निकट सुपरताप बिजली घर

325. **श्री जर्नादन पुजारी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायचूर के निकट सुपर तापीय बिजलीघर की स्थापना की जा रही है;

(ख) क्या परियोजना का प्रथम चरण पूरा करने के लिए अपेक्षित उपकरण प्राप्त कर लिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है और 30 अक्तूबर, 1980 के दिन कार्य की कितनी प्रगति हुई थी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) रायचूर में 210-210 मेगावाट की दो यूनिटों वाले एक ताप विद्युत केन्द्र को प्रतिष्ठापित किया जा रहा है।

(ख) यद्यपि बायलर तथा टर्बो-जेनरेटर के लिए आर्डर दिए जा चुके हैं, तथा कुछ अनुषंगी उपस्करों के लिए भी आर्डर दे दिए गए हैं, कोल हैंडलिंग संयंत्र, एच० टी० स्विचगियर नियंत्रण तथा इनस्ट्रमेंटेशन उपस्कर, जल ट्रीटमेंट संयंत्र, सी० डब्ल्यू० पम्प, ऐश हैण्डलिंग संयंत्र आदि जैसे बड़े-बड़े और महत्वपूर्ण उपस्करों के लिए आर्डर अभी दिए जाने हैं।

(ग) मार्च, 1980 तक 2000 लाख रुपए का व्यय किया जा चुका था। वर्ष 1980-81 के लिए 2000 लाख रुपए व्यय होने का पूर्वानुमान है। स्थल को समतल करना, उसका ग्रेडिंग करने तथा कालोनी के भवनों, कार्यालय के भवनों, स्टोरों और शैडों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। वायलरों तथा टर्बो जेनरेटरों के मुख्य निर्माण कार्य तथा संरचनात्मक इस्पात की गढ़ाई के कार्य अभी शुरू किए जाने हैं।

उत्तर प्रदेश में उठाऊ सिंचाई परियोजनायें

326. **श्री जैनुल बशर** : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में ऐसी उठाऊ सिंचाई परियोजनाओं की संख्या कितनी है जिन पर भारत सरकार धन खर्च कर रही है;

(ख) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ग) इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) काम की प्रगति का ब्योरा क्या है और कितना लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (घ) भारत सरकार द्वारा किसी सिंचाई परियोजना का वित्तपोषण नहीं किया जाता। सिंचाई राज्य-विषय है और सिंचाई परियोजनाओं के आयोजन, अन्वेषण, तैयार करने, निर्माण का कार्य तथा वित्त पोषण स्वयं राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश में बृहद् और मध्यम सिंचाई सेक्टर के अन्तर्गत सिचाई लिफ्ट पम्प नहरों के बारे में राज्य सरकार से प्राप्त सूचना पर आधारित एक विवरण (उपाबंध) सभा-पटल पर रखा जाता है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1335/80]

केरल में शान्ति घाटी परियोजना

327. **श्री वी० एस० विजय राघवन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में शान्त घाटी परियोजना के विषय में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) क्या केरल सरकार ने किसी वैकल्पिक परियोजना का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) केरल के मुख्य मंत्री द्वारा प्रधान मंत्री के साथ किए गये विचार-विमर्श अनुसरण में, यह निर्णय लिया गया था कि समस्त वैज्ञानिक सूचना की समीक्षा करने तथा समुचित सिफारिशें करने के लिये एक संयुक्त समिति बनाई जाए जिसमें भारत सरकार और केरल सरकार के प्रतिनिधि हों। समिति ने अपना कार्य पूरा नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ईरान-ईराक युद्ध के दौरान अशोधित तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद

328. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को ईरान-ईराक युद्ध संकट के दौरान भी अशोधित तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की व्यवस्था करने सम्बन्धी अपने प्रयत्नों में सफलता मिली है ;

(ख) यदि हां, तो भारत द्वारा अपनी आन्तरिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए खरीदे गये अशोधित तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का ब्योरा क्या है, उसकी कीमत कितनी है तथा किस देश से खरीदे गये; और

(ग) रूस से खरीदे गये अशोधित तेल का अनुपात क्या है, इसे किस कीमत पर खरीदा गया, और सोवियत संघ ने भारत को और अशोधित तेल सप्लाई करने का भी आश्वासन दिया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) ईरान-ईराक युद्ध

के फलस्वरूप हमारे खनिज तेल के आयात कुछ अव्यवस्थित हुए हैं। फिर भी दूसरी जगहों में आवश्यकतानुसार सप्लाई की व्यवस्था करके कमी को पूरा करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। यह आशा है कि हमारी शोधनशालाओं को आयातित खनिज तेल की सप्लाई कायम रखी जायेगी।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में और अधिक ब्यौरे देना अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली और राष्ट्रीय हित के विरुद्ध होगा।

इन्द्रप्रस्थ बिजली घर में संदूषण रोकने के उपकरणों का अप्रयुक्त पड़े रहना

329. **श्री शिव कुमार सिंह :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रदूषण रोकने के उपकरण, जिनका मूल्य करोड़ों रुपए है, इन्द्रप्रस्थ बिजली घर में अप्रयुक्त पड़े हैं, जैसा कि 'इण्डियन एक्सप्रेस' दिनांक 15 अक्तूबर, 1980 में समाचार छपा था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उपकरणों के अप्रयुक्त रहने के क्या कारण हैं तथा उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है; और

(ग) उपकरणों को बिना और समय गंवाएं उपयोग में लाने हेतु उठाए जाने वाले कदमों का ब्योरा क्या है और उपकरणों की लागत तथा उनकी क्षमता का ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि आयातित उपस्कर का केवल एक भाग जिसे इन्द्रप्रस्थ विद्युत केन्द्र के यूनिट 2, ३ और 4 से होने वाले वायु-प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाने का प्रस्ताव है, इस समय स्थल पर प्राप्त हुआ है।

नवम्बर, 1980 के अन्त तक सम्पूर्ण उपस्कर स्थल पर प्राप्त हो जाने की आशा है। उस समय तक, एक यूनिट के लिए स्वदेशी पुर्जों के निर्माण का कार्य पूरा होने की आशा है। प्रत्येक यूनिट को लगभग तीन महीनों के लिए बारी-बारी से बन्द करके वायु-प्रदूषण-निवारक उपस्कर की प्रतिष्ठापना का कार्य दिसम्बर, 1980 के प्रथम सप्ताह में शुरू करने का प्रस्ताव है। उपस्कर के आयातित संघटक की कीमत 2.1 मिलियन डालर एफ० ए० एस० न्यूयार्क है तथा 110 लाख रुपए सीमा शुल्क भाड़ा, बीमा आदि के रूप में लगेंगे और 56 लाख रुपए स्वदेशी संघटकों तथा इन्जीनियरिंग सेवाओं के लिए होंगे। इन्द्रप्रस्थ केन्द्र के यूनिट 2, 3 और 4 के लिए वायु-प्रदूषण-निवारक उपस्कर की स्थापना हो जाने से, चिमनी स्तर पर धूल का निस्सरण कम होकर 100 एम जी/एन एम3 आ जाएगा जोकि बहुत से पश्चिमी देशों में एक मान्य मानक स्तर है।

बम्बई हाई से तेल का उत्पादन

330. **श्री शिव कुमार सिंह :**

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :

श्री आर० बाई० घोरपाडे : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी बम्बई हाई मे तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 365 करोड़ रुपये और अधिक खर्च करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस राशि के खर्च किये जाने के पश्चात बम्बई हाई से कितने अधिक

तेल के उत्पादन की आशा है और ईरान ईराक लड़ाई को देखते हुए इस तेल से देश की कितनी आवश्यकता के पूरी हो जाने की आशा है;

(ग) किये गये करारों की अपेक्षा खाडी के देशों से तथा सोवियत संघ से आयात किये गये तेल की मात्रा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सोवियत संघ ने भारत को करार की गई मात्रा से अधिक तेल देने का आश्वासन दिया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी): (क) जी, हां। 365.40 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर बम्बई हाई चरण-4 विकास कार्यक्रम अभी हाल ही में अनुमोदित किया गया है।

(ख) बम्बई हाई चरण-4 विकास कार्यक्रम के पूरा होने पर 1982 के अन्त तक खनिज तेल की उत्पादन दर 7 मि० मी० टन से 12 मि० मी० टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(ग) एवं (घ) कोई ब्यौरा देना जनहित में उचित न होगा।

देश में बिजली का उत्पादन

331. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के महीनों में देश के बिजली उत्पादन में कोई सुधार नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष जून से महीने-वार बिजली का कितना उत्पादन हुआ है; और

(ग) बिजली संयंत्रों के खराब कार्य-निष्पादन के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन): (क) जी, नहीं। वास्तव में विद्युत उत्पादन में सुधार हुआ है।

(ख) जून, 1980 से अक्तूबर, 1980 तक देश में महीने-वार, ऊर्जा का कुल उत्पादन नीचे दिया जाता है :—

	ऊर्जा का कुल उत्पादन (मिलियन यूनिट)
जून, 1980	8084
जुलाई, 1980	8994
अगस्त, 1980	2962
सितम्बर, 1980	9465
अक्तूबर, 1980	9723

(ग) ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) नए चालू किए गए ताप विद्युत यूनिटों को शीघ्र सुस्थिर करने के लिए संगठित प्रयास करना, जिसमें चालू करने की समुचित प्रक्रियाएं तैयार करना भी शामिल है।

(2) डिजाइन, उपस्कर आदि में कमियों का पता लगाना तथा कई ताप विद्युत केन्द्रों के लिए संयंत्र सुधार कार्यक्रम तैयार करना। ये कार्यक्रम शीघ्र आयोजित किए जा सकें इस हेतु विद्युत केन्द्र प्राधिकारियों की सहायता के लिए उन्हें मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजे गए हैं;

(3) ताप विद्युत संयंत्रों के प्रचालन और अनुरक्षण में गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ;

(4) ताप विद्युत केन्द्रों की अपेक्षित मात्रा में तथा वांछित गुणवत्ता वाले कोयले की सप्लाई ;

(5) अधुनातन अनुरक्षण तकनीकें लागू करना, इनमें सुरक्षात्मक अनुरक्षण पद्धतियां शामिल हैं; तथा

(6) विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए सुझाव देने हेतु विद्युत केन्द्रों में विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञों के दौरे की व्यवस्था करना ;

(7) पारेषण तथा वितरण प्रणालियों में हानियों को कम करना।

मिलावट रोकने के लिए रंग मिलाने की तकनीक

332. **श्री चिन्तामणि जैना :**

श्री अर्जुन सेठी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिलावट के प्रयास से भारतीय तेल निगम मिट्टी के तेल को रंगदार बनाने की आवश्यक तकनीक तैयार करने की सम्भावना की छानबीन कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि डीजल तेल में दस से बीस प्रतिशत तक मिट्टी का तेल मिलाया जा रहा है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) क्योंकि डीजल तेल और मिट्टी के तेल के बिक्री मूल्य में भिन्नता होने के कारण इनकी आपस में मिलावट की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता, तथापि इस प्रकार की मिलावट की संक्षिप्त रूप में प्रतिशतता का पता बताना सम्भव नहीं है।

भारत में तेल का स्टाक

333. **श्री चिन्तामणि जैना :**

श्री निहाल सिंह : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में इस समय तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का स्टाक कितना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : देश में तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के स्टाक की स्थिति का ब्यौरा देना जनहित में नहीं है।

कावेरी जल बंटवारे के बारे में मुख्य मंत्रियों की बैठक

334. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल :** क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कावेरी जल बंटवारे से सम्बन्धित जिन मसलों को हल नहीं

किया जा सका है उनका समाधान करने के लिए सरकार ने तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल राज्यों तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसमें हुई चर्चा का क्या परिणाम रहा ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां। कावेरी के जल के बारे में केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री द्वारा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पांडिचेरी के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक सितम्बर, 1980 में बुलाई गई थी।

(ख) विचार-विमर्श पूरे नहीं हुए थे। मुख्य मंत्रियों के स्तर पर और आगे विचार-विमर्श शीघ्र ही किए जाने का प्रस्ताव है।

समाचार पत्रों पर साम्प्रदायिक विचारों को छापने का प्रतिबन्ध

335. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रेस काउन्सिल के परामर्श से समाचार पत्रों तथा पत्र-पत्रिकाओं में ऐसे लेखों को छापने पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर रही है जो समाज में साम्प्रदायिक भावनायें भड़काते हैं तथा हिंसा फैलाते हैं अथवा सम्प्रदाय विशेष के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं ?

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने अपनी नयी विज्ञापन-नीति को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, नहीं। इस मामले को अभी तक भारतीय प्रेस परिषद के साथ नहीं उठाया गया है। तथापि, प्रेस परिषद के अध्यक्ष ने 22 अगस्त, 1980 को एक सार्वजनिक वक्तव्य में प्रेस परिषद की ओर से यह पुरजोर अपील की थी कि साम्प्रदायिक सम्बन्धों, आदि से सम्बन्धित घटनाओं के समाचारों को देते समय और टिप्पणियों को प्रस्तुत करते समय समाचारपत्रों को नियंत्रण और सन्तुलन बनाए रखना चाहिए।

(ख) जी, हां। सरकार की नई विज्ञापन नीति 1-10-1980 से लागू की गई थी।

(ग) सरकार की विज्ञापन नीति की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

विवरण

भारत सरकार की विज्ञापन नीति

(1 अक्तूबर, 1980 से लागू)

(क) प्रस्तावना

(1) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों और विभागों की ओर से विभिन्न समाचारपत्र/पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित करवाता है। अनेक स्वायत्तशासी निकाय और सार्वजनिक उद्यम भी विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से विज्ञापन देते हैं।

(2) सरकारी विज्ञापनों का मूल उद्देश्य समाचार या सामयिक विषयों पर टिप्पणियां छापने वाले समाचारपत्रों तथा विज्ञापन, कला, साहित्य, खेल व फिल्मों की मानक पत्रिकाओं के माध्ययम से यथा सम्भव अधिक से अधिक विस्तृत क्षेत्र में प्रचार करना है। सरकारी विज्ञापन देते समय सम्बद्ध प्रकाशन की राजनीतिक प्रतिबद्धता या सम्पादकीय नीति पर ध्यान नहीं दिया जाता है। फिर भी ऐसे समाचारपत्र/पत्रिकाओं को विज्ञापन नहीं दिए जायेंगे, जो साम्प्रदायिक भावना भड़काते हों या हिंसा का प्रचार करते हों, अथवा भारत की प्रभुसत्ता और अखण्डता पर आघात करते हैं या सार्वजनिक शालीनता और नैतिक आदर्शों सम्बन्धी सर्वमान्य परम्पराओं पर आघात करते हों।

(ख) नीति निर्देश :

सरकारी नीति में प्रचार की आवश्यकताओं और धन की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए विज्ञापनों का एक सन्तुलित और सम्पर्क आधार पर वितरण का ध्येय रखा जाता है। सरकारी विज्ञापनों का प्रयोजन, किसी समाचारपत्र/पत्रिका को आर्थिक सहायता देना नहीं है। सरकार के व्यापक सामाजिक उद्देश्यों का अनुसरण करते हुए और विभिन्न श्रेणियों की पत्र/पत्रिकाओं के बीच दरों में समानता लाने के उद्देश्य से निम्न प्रकार की पत्र पत्रिकाओं को उपलक्ष्य धन (वेटेज) दिया जाएगा या उनके प्रति उदारता बरती जा सकती है :—

(क) छोटे और मझौले समाचारपत्र/पत्रिकाएं।

(ख) विशेष सामग्रीयुक्त, वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिकाएं।

(ग) भाषा समाचारपत्र/पत्रिकाएं।

(घ) पिछड़े, दूरस्थ एवं सीमावर्ती स्थानों से प्रकाशित पत्र/पत्रिकाएं।

2. छोटे, मंझोले व बड़े समाचारपत्रों/पत्रिकाओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है :—

(क) छोटे—जिनकी प्रसार संख्या 15,000 प्रति अंक तक हो।

(ख) मझोले—जिनकी प्रसार संख्या 15,000 से 50,000 प्रति अंक के बीच हो।

(ग) बड़े—जिनकी प्रसार संख्या 50,000 प्रति से अधिक हो।

3. सरकारी विज्ञापन देते समय समाचारपत्र/पत्रिकाओं के चयन में नीचे लिखी बातों का ध्यान रखा जाएगा :—

(क) समाज के सभी वर्गों के पाठकों तक विशेषतः राष्ट्रव्यापी प्रचार अभियानों को पहुंचाना।

(ख) विज्ञापन में निहित सन्देश के आधार पर प्रचार अभियानों को समाज के सम्बन्ध विशिष्ट वर्ग तक पहुंचाना। छोटे और मध्यम दर्जे के समाचारपत्रों को प्रेरक तथा शिक्षाप्रद अभियानों के बारे में विज्ञापन देने का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

(ग) समाचारपत्र/पत्रिकाएं/प्रकाशन की कोई अन्य श्रेणी जिन्हें सरकार समय-समय पर उचित समझे।

(घ) घरेलू पत्र-पत्रिकाओं तथा स्मारिकाओं को सरकारी विज्ञापनों के लिए आम तौर से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

4. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ऐसे समाचारपत्र/पत्रिकाओं का उपयोग करेगा जिनकी न्यूनतम बिक्रीत प्रसार संख्या कम से कम 1000 है, फिर भी निम्नलिखित दशाओं में इस सम्बन्ध में छूट दी जा सकती है :—

(क) विशिष्ट/वैज्ञानिक/तकनीकी पत्र-पत्रिकाएं जिनकी ग्राहक संख्या कम से कम 500 प्रतियां प्रति अंक हो।

(ख) संस्कृत के समाचारपत्र/पत्रिकाएं और पिछड़े क्षेत्र के साथ ही सीमान्त प्रदेश व दुर्गम क्षेत्र से अथवा जन जातीय भाषाओं में या जन जातीय लोगों के लिए छपने वाली पत्र/पत्रिकाएं, जिनकी बिक्रीत प्रसार संख्या कम से कम 500 प्रति अंक हो।

5. समाचारपत्र/पत्रिकाओं को सरकारी विज्ञापन दिए जाने पर तभी विचार किया जा सकता है जब उनका 4 महीने तक नियमित और अनवरत प्रकाशन होता रहा है और प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 का पालन किया गया हो। त्रैमासिक पत्रिकाओं के विषय में कम से कम 2 अंक प्रकाशित हो जाने के बाद विचार किया जा सकेगा।

6. समाचारपत्र/पत्रिकाओं को सरकारी विज्ञापन पाने का पात्र बनने के लिए निम्नांकित न्यूनतम मुद्रित स्थान होना चाहिए :—

आवृत्ति	न्यूनतम मुद्रित स्थान
दैनिक	760 मानक कालम से० मी०
साप्ताहिक और पाक्षिक	480 मानक कालम से० मी०
मासिक और अन्य पत्रिकाएं	960 मानक कालम से० मी०

ऐसे समाचारपत्र/पत्रिकाओं को छूट दी जा सकती है जो जन-जातीय भाषा या मुख्यतः जन-जातीय लोगों के लिए प्रकाशित होते हैं।

7. सभी समाचारपत्र/पत्रिकाओं की प्रसार संख्या किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट या लेखाओं से सम्बन्धित किसी व्यावसायिक और प्रतिष्ठित निकाय या संस्था से प्रमाणित होनी चाहिए। लेकिन जिन समाचारपत्रों की प्रसार संख्या प्रति अंक 2000 प्रतियां तक हैं वे किसी सनदी लेखापाल (चार्टर्ड एकाउन्टेंट) या सम्बद्ध जिला दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) से प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि किसी समाचारपत्र/पत्रिका की प्रसार संख्या गलत सिद्ध होगी, तो उसे सरकारी विज्ञापनों के लिए अयोग्य घोषित करने के अलावा सरकार उन पर अलग से भी कोई ऐसी कार्यवाही कर सकती है, जिसे वह उचित समझे।

(ग) विज्ञापन दर :

सरकारी विज्ञापनों के लिए दरों का ढांचा विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा उन सिद्धान्तों के आधार पर तैयार किया जाएगा, जिनकी व्याख्या ऊपर दी गई है। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय अलग-अलग पत्र/पत्रिकाओं के साथ यथोचित दरों पर अनुबन्ध करेगा।

बाराह क्षेत्र में कोसी उच्च बांध

336. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या ऊर्जा मन्त्री कोसी नदी पर बनाए जा रहे बाराह क्षेत्र बांध को शीघ्र तैयार करने के लिए अनुरोध के बारे में 12 अगस्त, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7857 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाराह क्षेत्र में प्रस्तावित कोसी उच्च बांध का अद्यतन परियोजना प्रतिवेदन इसी बीच तैयार कर लिया गया है और नेपाल की अपेक्षित सहमति प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बहु-उद्देशीय उच्च बांध परियोजना को पूरा करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) अद्यतन की गई रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) से (ङ) रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिए जाने तथा परियोजना के बारे में महामहिम नेपाल सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही इन मामलों को विचार के लिए हाथ में लिया जा सकता है।

मारुति कम्पनी लिमिटेट के अंशधारी (शेयर होल्डर्स)

337. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि मारुति लिमिटेड के अंशधारियों की पूरी सूची क्या है; विभिन्न सार्वजनिक वित्त संस्थानों द्वारा ऋण की कितनी विशिष्ट राशि दी गई और कितनी आस्तियां और देयतायें कितनी हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ से संलग्न शासकीय समापक के पास कम्पनी अधिनियम की धारा 454 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये 22 जुलाई, 1977 तक के अवस्था विवरण के अनुसार कम्पनी के हिस्सेधारियों की पूर्ण मूची संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या 1336/80]

कम्पनी 146 लाख रु० की सीमा तक पंजाब नेशनल बैंक की ऋणी है (22 जुलाई 1977 को 98 लाख रु० की देनदारी एवं 22 जुलाई 1977 से 13 अक्तूबर 1980 तक की अवधि का 48 लाख रु० ब्याज)। कम्पनी 32 लाख रु० की सीमा तक सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की ऋणी है (22 जुलाई 1977 को 22 लाख रु० की देनदारी तथा 22 जुलाई 1977 से 13 अक्तूबर, 1980 तक की अवधि का 10 लाख रु० ब्याज)।

22 जुलाई 1977 तक के अवस्था विवरण के अनुसार, कम्पनी की परिसम्पत्तियां 684 लाख रु० की थीं। 13 अक्तूबर 1980 तक दो बैंकों द्वारा दी गई अग्रिम राशियों पर ब्याज सहित, अवस्था विवरण में दी गई कम्पनी की देयतायें 628 लाख रु० की हैं।

सरकार द्वारा खुले बाजार से तेल की खरीद

338. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने 9 अक्तूबर, 1980 को 20 लाख बैरल तेल खुले बाजार से खरीदा;

(ख) यदि हां, तो भारत को उसके लिए क्या मूल्य देना पड़ा;

(ग) क्या भारत ने संयुक्त अरब अमीरात सहित अन्य अरब देशों से भी तेल प्राप्त किया है;

(घ) यदि हां, तो अन्य अरब देशों ने तेल की कितनी मात्रा की पेशकश और पूर्ति की है; और

(ङ) तेल की बाकी कमी किस सीमा तक सोवियत रूस और अन्य विभिन्न अरब देशों से पूरी की गयी ?

पेट्रोलिम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी नहीं। तथापि 7 अक्तूबर, 1980 को निविदाओं के आधार पर खनिज तेल खरीदने के लिए आर्डर दिए गए थे। इससे अधिक ब्यौरे देना राष्ट्रीय हित में नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हमने तेल उत्पादक देशों में से संयुक्त अरब अमीरात सहित कुछ अरब देशों के साथ सरकार से सरकार के आधार पर दीर्घकालीन करार किए हुए हैं।

(घ) और (ङ) इससे अधिक कोई भी ब्यौरे देना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा।

राज्यों में बिजली की नवीनतम स्थिति और निर्माणाधीन परियोजनाओं सम्बन्धी प्रगति

339. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों से कहा है कि वे राज्य में बिजली की नवीनतम स्थिति और निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति के बारे में केन्द्र को अवगत करायें;

(ख) यदि हां, तो कितनी राज्य सरकारों ने केन्द्र को सूचित कर दिया है;

(ग) इस समय देश में बिजली की नवीनतम स्थिति क्या है;

(घ) क्या अच्छी वर्षा के बावजूद बिजली की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है; और

(ङ) किन राज्यों पर अधिक प्रभाव पड़ा है।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) अभी तक आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, सिक्किम और असम राज्यों से उत्तर प्राप्त हुए हैं।

(ग) अक्तूबर, 1980 में देश में विद्युत सप्लाई की स्थिति दिखाने वाला विवरण

उपाबन्ध के रूप में संलग्न है।

(घ) और (ङ) पिछले वर्ष मानसून फेल हो जाने के कारण यह मानसून वर्ष आरम्भ होने के समय अधिकांश जल विद्युत जलाशयों में बहुत कम जल संचय था। इस वर्ष मानसून समय पर शुरू हो गई थी और उत्तरी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र के कुछ हिस्सों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में अन्तर्वाह अच्छा रहा। परिणामस्वरूप अप्रैल, मई और जून, 1980 के महीनों के दौरान जल विद्युत उत्पादन कम था परन्तु अब जल विद्युत उत्पादन में सुधार हो गया है। अप्रैल से अक्तूबर, 1980 तक की अवधि के दौरान ताप विद्युत उत्पादन पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान हुए ताप विद्युत उत्पादन की तुलना में अधिक हुआ है। उम्मीद है कि नवम्बर, 1980 से मार्च, 1981 की अवधि के दौरान जल विद्युत केन्द्रों तथा ताप विद्युत केन्द्रों, दोनों से ही होने वाला विद्युत उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुए विद्युत उत्पादन की तुलना में, अधिक हो जाएगा।

उम्मीद है कि आगामी महीनों में निम्नलिखित राज्य विद्युत की कमी का सामना करेंगे :—

(1) उत्तर प्रदेश;
(2) महाराष्ट्र;
(3) मध्य प्रदेश;
(4) कर्नाटक;
(5) बिहार;
(6) पश्चिम बंगाल;

पंजाब, जम्मू व कश्मीर, हरियाणा, गुजरात, असम आदि जैसे कुछ अन्य राज्यों में विद्युत की सीमान्त कमी हो सकती है।

विवरण

अक्तूबर, 1980 के दौरान प्रत्याशित आवश्यकता तथा सप्लाई को बताते हुए महीनेवार, राज्यवार, क्षेत्रवार विद्युत सप्लाई की अखिल भारतीय स्थिति

क्रम सं० क्षेत्र/राज्य			अक्तूबर, 1980
उत्तरी क्षेत्र			
1. हरियाणा :	आवश्यकता (मेगावाट)		344
	सप्लाई (मेगावाट)		319
	कमी (मेगावाट)		25
	कमी (%)	(—)	7.3
2. हिमाचल प्रदेश	आवश्यकता (मेगावाट)		25
ब्यास सतलुज	सप्लाई (मेगावाट)		30
लिंक सहित	कमी (मेगावाट)	(+)	5
	कमी (%)	(+)	20.0

क्रम सं० क्षेत्र/राज्य			अक्तूबर, 1980
3. जम्मू व कश्मीर	आवश्यकता (मेगावाट)		71
	सप्लाई (मेगावाट)		74
	कमी (मेगावाट)	(+)	3
	कमी (%)	(+)	4.2
4. पंजाब	आवश्यकता (मेगावाट)		607
	सप्लाई (मेगावाट)		543
	कमी (मेगावाट)		64
	कमी (%)	(—)	10.0 (लगभग)
5. राजस्थान	आवश्यकता (मेगावाट)		358
	सप्लाई (मेगावाट)		366
	कमी (मेगावाट)	(+)	8
	कमी (%)	(+)	2.2
6. उत्तर प्रदेश	आवश्यकता (मेगावाट)		1180
	सप्लाई (मेगावाट)		864
	कमी (मेगावाट)		316
	कमी (%)	(—)	26.8
7. दिल्ली	आवश्यकता (मेगावाट)		219
	सप्लाई (मेगावाट)		229
	कमी (मेगावाट)	(+)	10
	कमी (%)	(+)	4.6
8. चण्डीगढ़	आवश्यकता (मेगावाट)		20
	सप्लाई (मेगावाट)		19
	कमी (मेगावाट)		1
	कमी (%)	(—)	5
उत्तरी क्षेत्र	आवश्यकता (मेगावाट)		2824
	सप्लाई (मेगावाट)		2444
	कमी (मेगावाट)		380
	कमी (%)	(—)	13.5
पश्चिमी क्षेत्र			
1. गुजरात	आवश्यकता (मेगवाट)		834
	सप्लाई (मेगावाट)		827
	कमी (मेगावाट)		7
	कमी (%)	(—)	0.8

क्रम सं० क्षेत्र/राज्य			अक्तूबर, 1980
2. मध्य प्रदेश	आवश्यकता (मेगावाट)		587
	सप्लाई (मेगावाट)		498
	कमी (मेगावाट)		89
	कमी (%)	(—)	15.2
3. महाराष्ट्र	आवश्यकता (मेगावाट)		1746
	सप्लाई (मेगावाट)		1468
	कमी (मेगावाट)		278
	कमी (%)	(—)	15.9
4. गोवा	आवश्यकता (मेगावाट)		33
	सप्लाई (मेगावाट)		31
	कमी (मेगावाट)		2
	कमी (%)	(—)	6.1
पश्चिम क्षेत्र	आवश्यकता (मेगावाट)		3200
	सप्लाई (मेगावाट)		2824
	कमी (मेगावाट)		376
	कमी (%)	(—)	11.8
दक्षिणी क्षेत्र			
1. आन्ध्र प्रदेश	आवश्यकता (मेगावाट)		567
	सप्लाई (मेगावाट)		619
	कमी (मेगवाट)	(+)	52
	कमी (%)	(+)	9.2
2. कर्नाटक	आवश्यकता (मेगावाट)		697
	सप्लाई (मेगावाट)		722
	कमी (मेगावाट)	(+)	25
	कमी (%)	(+)	3.6
3. केरल	आवश्यकता (मेगावाट)		273
	सप्लाई (मेगावाट)		310
	कमी (मेगावाट)	(+)	37
	कमी (%)	(+)	13.6
4. तमिलनाडु	आवश्यकता (मेगावाट)		902
	सप्लाई (मेगावाट)		931
	कमी (मेगावाट)	(+)	29
	कमी (%)	(+)	3.2

क्रम सं० क्षेत्र/राज्य			अक्तूबर, 1980
5. पांडिचेरी	आवश्यकता (मेगावाट)		16
	सप्लाई (मेगावाट)		16
	कमी (मेगावाट)		—
	कमी (%)		—
दक्षिणी क्षेत्र	आवश्यकता (मेगावाट)		2455
	सप्लाई (मेगावाट)		2598
	कमी (मेगावाट)	(+)	143
	कमी (%)	(+)	5.8
पूर्वी क्षेत्र			
1. बिहार	आवश्यकता (मेगावाट)		315
	सप्लाई (मेगावाट)		173
	कमी (मेगावाट)		142
	कमी (%)	(—)	45.1
2. पश्चिमी बंगाल	आवश्यकता (मेगावाट)		527
	सप्लाई (मेगावाट)		455
	कमी (मेगावाट)		72
	कमी (%)	(—)	13.7
3. दामोदर घाटी निगम	आवश्यकता (मेगवाट)		463
	सप्लाई (मेगावाट)		322
	कमी (मेगावाट)		141
	कमी (%)	(—)	30.5
4. उड़ीसा	आवश्यकता (मेगावाट)		282
	सप्लाई (मेगावाट)		283
	कमी (मेगावाट)	(+)	1
	कमी (%)	(+)	0.4
पूर्वी क्षेत्र	आवश्यकता (मेगावाट)		1587
	सप्लाई (मेगावाट)		1233
	कमी (मेगावाट)		354
	कमी (%)	(—)	22.3
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र			
	आवश्यकता (मेगावाट)		92
	सप्लाई (मेगावाट)		89

क्रम सं० क्षेत्र/राज्य			अक्तूबर, 1980
	कमी (मेगावाट)		3
	कमी (%)		3.3
अखिल भारत	आवश्यकता (मेगावाट)		10158
	सप्लाई (मेगवाट)		9188
	कमी (मेगवाट)		1970
	कमी (%)	(—)	9.5

दिल्ली में बनी कम्पनियां

340. **श्री नीला लोहिथादसन नाडार** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के दौरान अब तक कितनी कम्पनियां दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में निगमित की गई है ; और

(ख) इन कम्पनियों के प्रवर्तकों और अंशधारियों का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी॰ शिवशंकर) (क) तथा (ख) : दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में 1980 के वर्ष के मध्य अब तक (अर्थात् जनवरी से अक्तूबर, 1980) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत हिस्सो द्वारा सीमित 863 कम्पनियां विनिगमित हो चुकी है।

इन 863 कम्पनियों के प्रवर्तकों तथा हिस्सेधारियों की बावत ब्यौरे शीघ्रतः सुलभ नहीं है। इस सुचना के संकलन में, अत्याधिक मात्रा में समय तथा श्रम लगेगा, जो प्राप्त परिणामों के समानुपाती नहीं होगा। वे अभिलेख, जिनसे यह सूचना संग्रह की जानी है, कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली के कार्यालय में जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

कालाघाट तापीय बिजली परियोजना का चौथा, पांचवां और छटा एकक

341. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या उर्जा मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि :

(क) कालाघाट तापीय बिजली परियोजना के चौथे, पांचवें और छठे एककों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार की क्या योजना है ; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) (क) और (ख) : कोलाघाट ताप विद्युत केन्द्र में 28673 लाख रु० की अनुमानित लागत पर 210-210 मेगावाट की चौथी, पांचवीं और छटी यूनिट की प्रतिष्ठापना की स्कीम को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने निम्नलिखित शर्तों पर तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दे दी है :—

(क) रानीगंज कोयला क्षेत्रों के सोनेपुर बाजारी क्षेत्र में कोयला निकालने और रेल-लाइन बिछाने के सुनिश्चित कार्यक्रम के अभाव में स्थायी लिंकेज समिति से संशोधित कोयला लिंकज (परिवहन सहित) स्वीकृति प्रदान प्राप्त किया जाना चाहिए।

(ख) पश्चिम बंगाल के जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए।

(ग) पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा पश्चिम बंगाल के धुंआ अप्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त की जाए।

(घ) खानों के विकास के लिए सोनेपुर बाजारी क्षेत्र में कोल इंडिया लिमिटेड को भूमि सौंपने के बारे में पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा पुष्टि की जाए।

(ङ) राख डालने के लिए प्रस्तावित भूमि पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड को सौंपने के लिए पश्चिम बंगाल के सिंचाई विभाग द्वारा पुष्टि।

(च) बाढ़ सुरक्षा तटबन्धों की पर्याप्तता की ओर तटबन्धों की लागत तथा 1000 वर्ष की बाढ़ आवर्तिता के आधार पर अधिकतम बाढ़ स्तर के बारे में केन्द्रीय जल आयोग से सलाह प्राप्त होने पर इस लागत की समीक्षा करनी होगी।

उपरोक्त शर्तों के सम्बन्ध में निम्नलिखित पुष्टियां/स्वीकृतियां प्राप्त हो गई हैं :—

(क) स्थायी लिंकेज समिति ने 19-8-1980 को हुई अपनी बैठक में कोलाघाट ताप विद्युत केन्द्र में 3×210 मेगावाट की विस्तार यूनिटों के लिए 1986-87, 1987-88 तथा 1988-89 की समय अवधि के लिए कोयला लिंकों के लिए स्वीकृति दे दी है।

(ख) पश्चिम बंगाल के धुंआ अप्रदूषण निदेशालय द्वारा स्कीम को स्वीकृति दे दी गई है।

(ग) कोलाघाट विस्तार परियोजना के साथ लिंक किए जाने वाली खान के विकास के लिए कोल इंडिया लि० द्वारा औपचारिक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले सोनपुर-बाजारी क्षेत्र में भूमि के अधिग्रहण सम्बन्धी मामले में आवश्यक सहायता देने तथा सभी सम्भव उपाय करने की पुष्टि पश्चिम बंगाल सरकार ने कर दी है।

(घ) कोलाघाट ताप विद्युत विस्तार परियोजना के लिए राख डालने के कार्य के लिए पश्चिम बंगाल के सिंचाई और जलमार्ग विभाग की भूमि पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड को सौंपे जाने के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार के सिंचाई और जलमार्ग विभाग ने अनापत्ति प्रमाणपत्र दे दिया है।

(ङ) पश्चिम बंगाल के जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति तथा 1000 वर्ष के लिए बाढ़ आवर्तिता के आधार पर बाढ़ सुरक्षा उपायों की व्यवस्था सम्बन्धी स्वीकृति की प्रतीक्षा है।

अनन्तिम कार्यक्रम के अनुसार, इन यूनिटों से क्रमशः वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 में लाभ प्राप्त होंगे।

कालाघाट ताप बिजली परियोजना, पश्चिम बंगाल के

चालू होने के लक्ष्य की तारीख

342. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालाघाट ताप बिजली परियोजना, के पश्चिम बंगाल को चालू करने के लक्ष्य की तारीख क्या थी; और

(ख) कालाघाट ताप बिजली परियोजना को लक्ष्य के समय में चालू न करने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन)

(क) : चालू करने की निर्धारित तारीख :—

यूनिट 1	:	सितम्बर, 1978
यूनिट 2	:	मार्च, 1979
यूनिट 3	:	सितम्बर, 1979

(ख) : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार इसके कारण निम्नलिखित हैं :—

1. निधियों की कमी तथा 1978 में भारी बाढ़ आना।
2. आनुषंगिक उपस्कर के लिए आर्डर देने में विलम्ब।
3. अवसरंचनात्मक इस्पात की गढ़ाई और उत्थापन में विलम्ब।
4. प्रशीतलन जल प्रणाली के लिए ठेका देने में बिलम्ब।
5. श्रमिक अशान्ति।

कलकत्ता दूरदर्शन केन्द्र का विकास

343. **श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता दूरदर्शन केन्द्र का सुधार करने तथा उसका विकास करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) (क) जी० हां। दो स्टूडियों (वर्तमान अन्तरिम ढांचे में एक के बजाय) के साथ एक स्थायी स्टूडियो-व-कार्यालय भवन के निर्माण के लिए एक स्कीम मन्जूर की गई है।

(ख) स्थायी भवन के निर्माण का कार्य चल रहा है। स्टूडियो के 1983 तक चालू हो जाने की उम्मीद है।

खुले बाजार से तेल की खरीद

344. **श्री तारिक अनवर :**

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ईराक-ईरान से तेल उपलब्ध न होने के कारण खुले बाजार से तेल की खरीद की है ;

(ख) यदि हां, तो कितना तेल खरीदा गया है, किन-किन देशों से खरीदा गया है और इसमें अतिरिक्त व्यय कितना हुआ है ;

(ग) क्या सरकार पेट्रोल और डीजल के दुरुपयोग को रोकने के लिए इन वस्तुओं पर

राशन करने का विचार करेगी ; और

(घ) यदि हां, तो राशन कब लागू किया जाएगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाशचन्द सेठी) (क) जी, हां ।

(ख) विस्तृत ब्यौरे देता राष्ट्रीय हित में नहीं होगा ।

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों के राशनिंग को लागू करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी को खाना पकाने की गैस की सप्लाई

345. **श्री तारिक अनवर :** क्या पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली, लखनऊ आदि जैसे महानगरों में खाना पकाने की गैस की सप्लाई को नियमित रखने के लिए वाराणसी तथा ऐसे अन्य नगरों के गैस के कोटे को कम कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 अक्टूबर, 1980 के नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि वाराणसी में खाना पकाने की गैस की सप्लाई अस्त-व्यस्त हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो छोटे नगरों में भी गैस की सप्लाई को उचित बनाये रखने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) बरौनी शोधनशाला के लगातार बन्द रहने के कारण, बरौनी शोधनशाला द्वारा दिए जाने वाले क्षेत्रों को एल० पी० जी० की सप्लाई का प्रबन्ध वैकल्पिक तथा दूर दराज के स्थानों जैसे कोयाली, बम्बई आदि से किया गया था । इन वैकल्पिक प्रबन्धों के बावजूद वाराणसी क्षेत्र में एल० पी० जी० की अपर्याप्त सप्लाई के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

1. कोयाली/बम्बई से अधिक सप्लाई के लिए एल० पी० जी० की कम उपलब्धता ।

2. बाढ़ के फलस्वरूप सड़कों में भारी दराजों के कारण सड़क द्वारा कोयाली/बम्बई से कानपुर को अपर्याप्त बल्क वितरण ।

3. पनकी में विद्युत की अनियमित उपलब्धता के कारण सिलेंडर भरने की प्रक्रिया पर बुरा प्रभाव ।

बम्बई से खाना पकाने की गैस की वर्तमान उपलब्धता में सुधार होने तथा बम्बई से कानपुर तक उत्पाद के परिवहन के कारण स्थिति में सुधार पहले से ही दिखाई देना शुरू हो गया है । तथापि, बरौनी द्वारा पोषित क्षेत्रों में जिसमें वाराणसी शामिल है सामान्य स्थिति केवल बरौनी में पुनः उत्पादन आरंभ करने पर होगी ।

न्यायधिकरणों के समक्ष पेश होने वाले वकीलों पर रोक

346. **श्री तारिक अनवर** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यायाधिकरणों के समक्ष वकीलों के पेश होने पर कोई रोक लगाई है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) सरकार ने क्या व्यवस्था की है जिससे कर्मचारी अपने मामले न्यायाधिकरणों के समक्ष ठीक ढंग से पेश कर सकें।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हल्दिया स्थित हिन्दुस्तान फर्टिलाइजरर्स के कर्मचारियों की बोनस की मांग

347. **श्री मुकुन्द मंडल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार को पता है कि हल्दिया स्थित हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स के अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रमिकों में बोनस को लेकर असन्तोष व्याप्त है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स हल्दिया के अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रमिकों की मांग क्या है ;

पेट्रोलियम, रसायन और ऊर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) (क) और (ख) : हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन के हल्दिया प्रभाग की मान्यता प्राप्त यूनियन 1-4-72 से 31-3-79 तक की अवधि के लिए बोनस की मांग कर रही थी। उनकी यह मांग विचाराधीन है। इसी बीच अधिकारी संघ द्वारा समर्थित कर्मचारी यूनियन ने वर्ष 1979-80 के लिये बोनस की मांग की और उसके लिए आन्दोलन का नोटिस दिया। विचार-विमर्स के बाद प्रबन्ध मंडल ने पिछली अवधि के लिए बोनस के भुगतान के बारे में कर्मचारियों की विचाराधीन मांग पर कोई पक्षपात किए बिना लेखा वर्ष 1979-80 के लिए 6 माह का कानूनी बोनस देने के बारे में मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ 4-10-80 को एक समझौता किया था।

डायमण्ड हार्बर, पश्चिम बंगाल में ड्रिलिंग आपरेशन

348. **श्री मुकुन्द मंडल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने डायमण्ड हार्बर, पश्चिम बंगाल में ड्रिलिंग कार्य किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किए गए

किसी विलम्ब के आरोप की जनाकारी है ;

(घ) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या है ; और

(ङ) डायमण्ड हार्बर में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की वर्तमान और भावी योजना क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाशचन्द्र सेठी) : (क) जी हां ।

(ख) कूप को 5555 मीटर की रिकार्ड गहराई तक पूरा किया गया है । एक लक्ष्य को इस कूप में जांचा गया है तथा इसे सूखा पाया गया है । दूसरा लक्ष्य परीक्षाधीन है ।

(ग) एवं (घ) भारत में गहरी खुदाई (डीपर प्रास्पेक्टीग) के अनुभव को देखते हुए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इस कूप की खुदाई में लिया गया समय युक्ति-संगत है ।

(ङ) इस कूप में कुल 5 लक्ष्य की जांच की जानी थी । इसमें से अभी तक केवल एक का ही परीक्षण किया गया है तथा दूसरे की जांच की जा रही है । बाकी तीन लक्ष्यों का जांचा जाना दूसरे लक्ष्य की जांच के परिणामों पर निर्भर करता है :

कम्पनियों के पास जमा राशि में वृद्धि सम्बन्धी आंकड़े का संकलन

349. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों की कम्पनियों द्वारा जमा की गई राशि में वृद्धि सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन किया हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण है ;

(ग) यदि हां तो वर्ष 1978, 1979 और अक्तूबर 1980 के अन्त तक (क) प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों (ख) सरकारी कम्पनियों (ग) कारपोरेशनों द्वारा जनता से एकत्र की गई (i) जमा राशि (ii) सार्वधिक जमा राशि और अन्य सभी प्रकार की राशि कितनी-कितनी एकत्रित की गई;

(घ) क्या यह सच है कि हाल के वर्षों में बैंक में जमा राशि की वृद्धि दर कम रही है; और

(ङ) प्राइवेट लिमिटेड और सरकारी लिमिटेड कम्पनियों को जनता से जमा राशि के रूप में एकत्र करने की अनुमति देने के बारे में अन्तिम निर्णय और उसके लिए दिए जाने वाली ब्याज दर का आधार क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) नहीं, श्रीमान जी ।

(ख) ये आंकड़े सरकार द्वारा संकलित नहीं किए जाते हैं । तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक, जो गैर बैंकिग वित्तीय एवं विविध कम्पनियों द्वारा निक्षेपों के प्रतिग्रहण को विनयमित करता है, और जिसकी गैर बैंकिग गैर वित्तीय कम्पनियों के सम्बन्ध में निक्षेपों की विवरणियां कम्पनी (निक्षेपों का प्रतिग्रहण) नियम, 1975 के नियम 10 के उप नियम (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत करना भी अपेक्षित है, वह गैर बैंकिग निगमित क्षेत्र के निक्षेपों का सांविधिक सर्वेक्षण करता है । इस

प्रकार का अन्तिम सर्वेक्षण 31-3-76 तक का भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन दिसम्बर, 19 9 में प्रकाशित हुआ था ।

(ग) उपरोक्त (क) को दृष्टिगत करते हुए उत्पन्न नहीं होता है ।

(घ) व्यवस्थित आंकड़े दिसम्बर, 1978 तक उपलब्ध हैं । इनसे यह दीखता है वर्ष 1978 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में निक्षेपों वृद्धि वर्ष 15.7 में 21.4 प्रतिशत की तुलना में 24.5 प्रतिशत थी। दिसम्बर, 1979 अन्तिम आंकड़ों से दीखता है कि वर्ष 1979 की अवधि में निक्षेपों की वृद्धि 17.9 प्रतिशत थी । 1980 (24-10-80 तक) की अवधि में निक्षेपों में 10.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

(ङ) गैर बैंकिंग वित्तीय तथा विधि कम्पनियों द्वारा निक्षपों का प्रतिग्रहण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियमित किया जाता है । गैर बैंकिंग गैर वित्तीय कम्पनियों, दोनों पब्लिक तथा प्राइवेट कम्पनियों द्वारा निक्षेपों का प्रतिग्रहण कम्पनी अधिनियम की धारा 58क तथा उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों के अन्तर्गत कम्पनी कार्य विभाग द्वारा नियमित किया जाता है । वर्तमान कानून में कम्पनियों द्वारा निक्षेपों, जो उनके द्वारा प्रतिग्रहित किए गए हैं, पर दिये गए ब्याज की दर के विनियमन की कोई व्यवस्था नहीं है ।

विदेशी कम्पनियों की शाखा कम्पनियों तथा सहायक कम्पनियों का निरीक्षण

350. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी कार्य विभाग ने देश में कार्य कर रही विदेशी कम्पनियों की शाखा कम्पनियों तथा सहायक कम्पनियों का निरीक्षण अथवा सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो गत 5 वर्षों में इनमें से प्रत्येक विदेशी कम्पनियों की (एक) शाखा कम्पनियों और सहायक कम्पनियों की संख्या (दो) उनकी मूल पूंजी तथा निवेश का आधार, (तीन) उनकी लाभ ग्राह्यता और (चार) उनके राष्ट्र-चार अलग-अलग विस्तार के सम्बन्ध में निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) इन शाखा कम्पनियों और सहायक कम्पनियों में से कितनी को (एक) कम्पनी अधिनियम (दो) एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें अधिनियम (तीन) विदेशी मुद्रा विनियमन और (चार) किसी अन्य कानून अथवा अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए पाया गया है; और

(घ) ऐसी प्रत्येक कम्पनी अथवा उनकी शाखा कम्पनी सहायक कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) विदेशी कम्पनियों की शाखाओं तथा सहायक कम्पनियों की लेखा-बहियों तथा अन्य अभिलेखों का, कम्पनी अधिनियम, की धारा 209क के अन्तर्गत प्रवृत्य आधार पर निरीक्षण के लिए मार्च 1979 में पुरःस्थापित एक विशिष्ट योजना के अनुसरण में, देश में कार्य कर रही इन विदेशी कम्पनियों की शाखाओं तथा सहायक कम्पनियों का निरीक्षण अति प्रवरणशील रूप से प्रावस्थित ढंग में किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत अभी तक 15 निरीक्षण किए जा चुके हैं ।

(ख) भारत में कार्य कर रही राष्ट्र अनुसार बंटित, 1974-75, से 1978-79 तक के वर्षों की विदेशी कम्पनियों की शाखाओं तथा सहायक कम्पनियों की संख्या, सहायक कम्पनियों की प्रदत्त हिस्सा पूंजी, शाखाओं तथा सहायक कम्पनियों का नियोजन आधार व लभ्यता की बाबत ब्योरे, अनुलग्नक 'क' के रूप में सामूहिक रूप से साथ में संलग्न विवरण-पत्रों में दिये जाते हैं। विदेशी कम्पनियों की शाखाओं की भारतीय व्यापार के विशेष प्रयोजनार्थ, कोई अलग से प्रदत्त हिस्सा पूंजी नहीं होती।

(ग) तथा (घ) ऊपर भाग (क) में निर्देशित निरीक्षण के 15 मामलों में से, कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के कुछ उल्लंघन,—जिनमें से कुछ नैत्यक उल्लंघन थे, तथा अन्य कानूनों के उल्लंघन, 13 मामलों में दृष्टिगोचर हुए हैं। इन मामलों की बाबत की गई कार्यवाही, साथ में संलग्न विवरण-पत्र 'ख' में वर्णित है।

विवरण 'क'

1. 1974-75 से 1978-79 के वर्षों के मध्य, भारत में कार्य कर रही विदेशी कम्पनियों की राष्ट्र अनुसार बंटित शाखाओं की संख्या प्रदर्शित करते हुए विवरण पत्र

क्रम सं०	मूल कम्पनी के निगमन का देश	भारत में कार्यरत शाखाओं की संख्या				
		1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79
1	2	3	4	5	6	7
1.	यू० के०	301	278	276	265	189
2.	यू० एस० ए०	81	80	81	80	64
3.	जापान	20	20	20	20	17
4.	पश्चिमी जर्मनी	12	11	11	11	5
5.	स्विटजरलैण्ड	9	8	8	8	5
6.	फ्रांस	7	8	8	8	7
7.	कनाडा	7	6	6	7	6
8.	बंगला देश	6	6	6	6	6
9.	पाकिस्तान	6	6	6	6	6
10.	नेदरलैण्ड	7	7	7	7	5
11.	हांगकांग	5	4	4	5	4
12.	इटली	5	5	5	5	5
13.	स्वीडन	4	3	3	4	4
14.	आस्ट्रेलिया	5	4	4	4	4

1	2	3	4	5	6	7
15.	बेलजियम	3	3	3	3	3
16.	न्यूजीलैण्ड	1	1	1	1	—
17.	यूगोस्लेविया	3	3	3	3	3
18.	सिंगापुर	3	3	3	3	2
19.	उगांडा	3	3	3	3	3
20.	नेपाल	3	3	3	3	2
21.	वहामा द्वीप समूह	3	3	3	3	2
22.	पनामा	2	1	1	1	1
23.	थाईलैण्ड	2	2	2	2	2
24.	लैबनान	2	2	2	2	2
25.	श्री लंका	1	1	1	1	—
26.	केन्या	1	1	1	1	1
27.	कुवैत	1	1	1	1	1
28.	लिबेरिया	1	1	1	1	1
29.	लक्जम्बर्ग	1	1	1	1	1
30.	फिलीफाइन्स	1	1	1	1	—
31.	तनजानिया	1	1	1	1	1
32.	ईरान	1	1	1	1	1
33.	अदन	1	1	1	1	1
34.	ग्रीस	1	1	1	1	1
35.	मलेशिया	—	1	1	1	1
36.	बरमुदा द्वीप समूह	—	—	1	1	1
37.	नार्वे	—	—	1	1	1
38.	आस्ट्रिया	—	—	—	—	1
	योग	510	481	482	473	358

विवरण

2. 1974-75 से 1978-79 के वर्षों के मध्य भारत में कार्य कर रहीं विदेशी कम्पनियों को राष्ट्र अनुसार विघटित सहायक कम्पनियों की संख्या प्रदर्शित करते

हुए विवरण-पत्र

क्रम सं०	धारिया कम्पनी के विनिमन का देश	भारत में कार्यरत सहायक कम्पनियों की संख्या				
		1974-75	1975-7०	1976-77	1977-78	1978-79
1	2	3	4	5	6	7
1.	यू० के०	124	116	109	97	86
2.	यू० एस० ए०	27	25	23	24	19
3.	स्विट्जरलैंड	10	10	9	6	6
4.	स्वीडन	7	6	7	5	3
5.	वैस्ट जर्मनी	5	4	4	5	4
6.	इटली	3	2	2	2	2
7.	कनाडा	3	3	3	3	2
8.	पानामा	1	1	1	1	1
9.	नीदरलैंड	1	1	1	1	1
10.	बाहमा आइलैंड्स	1	1	1	1	1
11.	जापान	1	1	1	1	1
12.	सिंगापुर	—	1	—	—	—
13.	डेनमार्क	—	—	—	—	1
	सहायक कम्पनियों की कुल संख्या	183	171	161	146	125

विवरण

3. भारत में कार्य कर रही विदेशी कम्पनियों की सहायक कम्पनियों की प्रदत्त हिस्सा पूंजी प्रदर्शित करते हुए विवरण-पत्र

वर्ष	सहायक कम्पनियों की संख्या	प्रदत्त हिस्सा पूंजी (करोड़ रु० में)
1974-75	183	305.6
1975-76	171	311.6
1976-77	161	322.3
1977-78	146	358.3
1978-79	125	360.1

विवरण

4. भारत में कार्य कर रही विदेशी कम्पनियों की शाखाओं के नियोजन आधार (परिसम्पत्तियों) तथा लभ्यता प्रदर्शित करते हुए विवरण-पत्र

		1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79
1	2	3	4	5	6	7
1.	कार्यरत शाखाओं की संख्या	510	481	482	473	358
2.	उन शाखाओं की संख्या जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं	308	259	220	177	141
3.	भारत में परिसम्पत्तियों (करोड़ रु० में)	2011.8	1762.2	1626.7	1837.4	2011.4
4.	कर पूर्व लाभ (करोड़ रु० में)	87.0	57.9	89.4	501.	15.9
5.	परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में कर पूर्व लाभ	4.3	3.3	5.5	2.7	0.8

विवरण

5. भारत में कार्य कर रही विदेशी कम्पनियों की सहायक कम्पनियों के नियोजन आधार (परिसम्पत्तियां) तथा लभ्यता प्रदर्शित करते हुए विवरण-पत्र

		1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79
1	2	3	4	5	6	7
1.	कार्यरत सहायक कम्पनियों की संख्या	183	171	161	146	125
2.	संख्या, जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं।	173	161	142	137	113
3.	परिसम्पत्तियां (करोड़ रु० में)	1519.3	1614.9	1619.7	1739.1	166.28
4.	कर-पूर्वलाभ (करोड़ रु० में)	233.8	219.5	257.7	267.0	256.5
5.	परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में कर पूर्वलाभ	15.4	13.5	16.0	15.3	15.4

विवरण 'ख'

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	अधिनियम जिससे उल्लंघन सम्बन्धित है।	की गई कार्यवाही
1.	लंदन रबड़ कम्पनी (इण्डिया) लि०	कम्पनी अधिनियम	सम्बन्धित प्रादेशिक कार्यालय के माध्यम से कम्पनी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
2.	मुलयालम प्लान्टेशन्स (इण्डिया) लि० (पहले की मलायालम प्लान्टेशन्स लि० के नाम से स्टर्लिंग कम्पनी	कम्पनी अधिनियम	"
		एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम	परिक्षान्तर्गत
3.	रोश प्रोडेट्स लिमिटेड	उद्योग विकास एवं विनियम अधिनियम	उद्योग मंत्रालय की समुचित कार्यवाही के लिए संदर्भित किया।
4.	फाइजर लिमिटेट	कम्पनी अधिनियम	कम्पनी के उत्तर पर विचार करने के पश्चात् मामला समाप्त कर दिया।
		विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम	सम्बन्धित मंत्रालयों को समुचित कार्यवाही के लिये संदर्भित किया।
5.	कार्न प्रोडेक्ट्स (इण्डिया) लि०	कम्पनी अधिनियम	सम्बन्धित प्रादेशिक कार्यालय के माध्यम से कम्पनी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
6.	इन्टरनेशनल कम्बस्शन (इण्डिया) लि०	कम्पनी अधिनियम	निरीक्षण रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है व इसकी परीक्षा की जानी है।
7.	के० एस० बी० पम्प्स लि०	कम्पनी अधिनियम	सम्बन्धित प्रादेशिक कार्यालय के माध्यम से कम्पनी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

8. गुडईअर (इण्डिया) लिमटेड	कम्पनी अधिनियम	"
9. इन्डियन आक्सीजन लिमिटेड	कम्पनी अधिनियम	"
10. सैन्डोज इण्डिया लिमिटेड	कम्पनी अधिनियम	"
11. बूट्स कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड	कम्पनी अधिनियम	सम्बन्धित प्रादेशिक कार्यालय के माध्यम से कम्पनी से स्पष्टीकरण मांगा गया है तथापि कम्पनी अधिनियम की धारा 205 क का उल्लंघन कम्पनी को एक चेतावनी देकर समाप्त कर दिया गया है क्योंकि चूक को ठीक कर दिया गया है।
12. वायर (इण्डिया) लिमिटेड	कम्पनी अधिनियम	सम्बन्धित प्रादेशिक कार्यालय के माध्यम से कम्पनी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
	उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम	उद्योग मन्त्रालय की समुचित कार्यवाही के लिए संदर्भित किया।
	एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम	मामला सर्वोच्च न्यायालय में निर्णयाधीन है।
13. वाले आइमोर (इण्डिया) लिमिटेड	कम्पनी अधिनियम	सम्बन्धित प्रादेशिक कार्यालय के माध्यम से कम्पनी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। तथापि, कम्पनी अधिनियम की दो धाराओं, अर्थात् धारा 211 व 292 के उल्लंघन इन पर कम्पनी के उत्तरों पर विचार करने के पश्चात् समाप्त कर दिए गये हैं।
	आयकर अधिनियम	आयकर विभाग को संदर्भित कर दिया।

जनता को नये (एल० पी० जी०) गैस कनेक्शन देने के बारे में सरकार का निर्णय

351. **डा० बसंत कुमार पंडित :**

श्री अमर सिंह वी० राठवा : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनता को अक्तूबर 1980 से (एल० पी० जी०) गैस के नये कनेक्शन देने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने बम्बई हाई और मथुरा तेलशोधक कारखाने से 7 लाख टन गैस उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया था;

(ग) समूचे देश में घरेलू खपत के लिए गैस की कुल मांग कितनी है और 1 अक्तूबर, 1980 को राज्यवार प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की संख्या कितनी है; और

(घ) कोयला, मिट्टी का तेल और ईंधन की लकड़ी बचाने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं को गैस सप्लाई करने हेतु सरकार ने क्या योजनायें बनाई हैं।

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) बम्बई हाई से अतिरिक्त एल० पी० जी० की उपलब्धता के समक्रमण पर 1981 की प्रथम तिमाही से नये एल० पी० जी० कनैक्शन दिए जाने की संभावना हैं।

(ख) एल० पी० जी० के उत्पादन के लिए मथुरा एवं कोयाली शोधनशालाओं में नई सुविधाओं के स्थागित किये जाने के फलस्वरूप तथा बम्बई हाई सम्बद्ध गैस से एल० पी० जी० की वर्तमान 4 लाख टन वार्षिक उपलब्धता के 1982 तक 9 लाख टन के लगभग पहुँचने की आशा है।

(ग) लगभग 80 प्रतिशत उपलब्ध एल० पी० जी० देश के घरेलू क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। 1-10-1980 । 1-9-80 तक राज्यवार आवेदकों की संख्या संलग्न विवरण पत्र में दी गई है।

(घ) वर्तमान योजना के अनुसार 1981 की प्रथम तिमाही से मार्च 1982 तक लगभग 12 लाख नये घरेलू ग्राहकों को एल० पी० जी० गैस कनैक्शन दिए जाने की सम्भावना है। आशा है कि बाद के वर्षों में 1984 तक कम से कम 8 लाख नये ग्राहकों को प्रतिवर्ष कनैक्शन दिए जायेंगे।

विवरण

राज्य संघ शासित प्रदेश का नाम	1.9.80 की यथा स्थिति में इंडियन आयल कार्पोरेशन लि०	1.10.80 की यथा स्थिति में भारत पेट्रोलियम कार्पो लि०	1.10.80 की यथा स्थिति में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो लि०	कुल जोड़
1. आन्ध्र प्रदेश	1,05,439	17,466	42,882	1,65,787
2. असम	9,895	—	—	9,89ↄ

1 2	3	4	5	6
3. बिहार	42,574	—	—	42,574
4. गुजरात	2,30,059	1,15,840	1,00,916	4,46,815
5. हरियाणा	92,345	—	—	92,345
6. हिमाचल प्रदेश	5,400	—	—	5,400
7. कर्नाटक	53,718	18,058	76,240	1,48,016
8. केरल	50,135	—	—	50,135
9. मध्य प्रदेश	76,419	19,226	1,03,515	1,99,160
10. मणिपुर	1,030	—	—	1,030
11. मेघालय	1,210	—	—	1,210
12. मीजोराम	412	—	—	412
13. नागालैंड	2,130	—	—	3,130
14. उड़ीसा	12,488	—	4,080	16,568
15. पंजाब	58,604	—	7,497	66,101
16. राजस्थान	62,295	—	5,470	67,765
17. सिक्किम	143	—	—	143
18. तमिलनाडू	2,36,240	—	990	2,37,230
19. त्रिपुरा	570	—	—	570
20. उत्तर प्रदेश	2,02,476	—	—	2,02,476
21. पश्चिम बंगाल	61,647	—	—	61,647
22. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—
23. महाराष्ट्र	—	3,68,800	6,72,356	10,41,156
24. जम्मू तथा कश्मीर	—	—	8,290	8,290
25. चण्डीगढ़	20,312	—	980	21,292
26. दिल्ली	2,50,661	78,028	25,131	3,53,820
27. पांडीचेरी	9,406	—	—	9,406
28. गोआ दमन तथा दीव	—	11,173	17,835	29,008
कुल जोड़ :	15,85,608	6,28,591	10,66,182	32,80,381

अमृतसर जालंधर और कलकत्ता में रंगीन टेलिविजन

352. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जालंधर, अमृतसर और कलकत्ता से रंगीन टेलिविजन आरम्भ करने की तैयारी कर रही है; और

(ख) क्या एशियाई खेलों आरम्भ के होने के समय तक यह आरम्भ कर दिया जायगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) देश में रंगीन टेलीविजन प्रारम्भ करने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। समूचा मामला योजना आयोग के विचाराधीन है।

अरुणाचल प्रदेश के खारसंघ क्षेत्र में पाया गया तेल

353. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश के खारसंघ क्षेत्र में तेल पाया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसकी वाणिज्यिक क्षमता कितनी है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रतिवर्ष 0.2 मिलियत मी० टन अशोधित तेल के वाणिज्यिक उत्पादन स्थापित्त करने की आशा की जाती है।

उर्वरक कारखानों में अमोनिया संयंत्रों की स्थापना

354. **श्री हरिकेश बहादुर :**

श्री के० पी० सिंह देव : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनको थाल वैशेट और हजीरा में स्थापित की जाने वाली उर्वरक फैक्ट्रियों में अमोनिया संयंत्र स्थापित करने के लिए इन्जीनियरी परामर्श देने का ठेका दिया जा रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त ठेका एक विशेषज्ञ समिति की राय के विरुद्ध एक विशेष कम्पनी को दिया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पूर्ण तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) थाल वैशेठ और हाजिरा के अमोनिया संयंत्रों के लिए क्रमशः मैसर्स हल्दर टोप्सें और पुलमैन किलोग का चयन किया गया है।

(ख) और (ग) प्राप्त की गई बोलियों के तुलनात्मक गुण-दोषो का मूल्यांकन करने और यह जांच करने के लिए कि क्या संयंत्रों के दोनों सैटों (थाल वैशठ और हाजिरा) के लिए एक ही परामर्शदाता का चयन करना वांछनीय था, सरकार द्वारा फरवरी, 1980 में गठित की गई एक विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की है कि थाल वैसठ परियोजना के लिए परामर्शदाता के रूप में मैसर्स सी० एफ० ब्राउन का चयन किया जाये। समिति के बहुमत का विचार था कि दोनों कम्प-लैक्सों के लिए एक ही परामर्शदाता रखने में निहित खतरा स्वीकार करने योग्य नहीं था। संयंत्रों के द्वितीय सैटों के लिए परामर्शदाता के चयन के बारे में कोई एक मत राय नहीं थी। सरकार बहुमत के विचार से सहमत थी कि दोनों कम्पलैक्सों के लिए एक ही परामर्शदाता रखने में निहित

खतरा स्वीकार करने योग्य नहीं था। सरकार सी० एफ० ब्राऊन को थाल वैशेठ परियोजना के परामर्शदाता नियुक्त करने के बारे में समिति की सिफारिशों से मुख्य रूप से इस आधार पर सहमत नहीं थी क्योंकि उनको भारत में किसी संयंत्र के निर्माण अथवा संचालन का कोई अनुभव नहीं था, प्रौद्योगिकी के स्थानान्तरण के बारे में जबकि संयंत्र का केवल एक ही सैट दिया जाये, उनका उत्तर संदिग्धा था और उनके द्वारा दिये गये ठेके का प्रस्ताव कानूनी दृष्टि से उपयुक्त नहीं था।

ईरान-ईराक युद्ध के कारण भारत में तैल के आयात पर प्रभाव

355. **श्री हरिकेश बहादुर :**

श्री चिरंजीलाल शर्मा : क्या पेंट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईरान-ईराक के बीच लगातार युद्ध के कारण भारत द्वारा तेल के आयात पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) डीजल की कमी को पूरा करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(ग) डीजल की चोर बाजारी रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चंद्र सेठी) : (क) ईरान-ईराक युद्ध के फलस्वरूप हमारे खनिज तेल के आयात कुछ अव्यवस्थित हुए हैं। फिर भी दूसरी जगहों से आवश्यकतानुसार सप्लाई की व्यवस्था कर कमी को पूरा करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ख) और (ग) डीजल की कमी को पूरा करने के लिए तथा कालाबाजारी को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) इसके आयात को अधिकतम मात्रा में बढ़ाया गया है।

(2) और अधिक टैंक वैगनों को प्रयोग में लाकर रेल परिवहन में सुधार किया गया है, माल और यात्रियों आदि की सेवाओं की अपेक्षा इन वैगनों को उच्च प्राथमिकता दी जाती है।

(3) तेल कम्पनियों द्वारा सड़क परिवहन को अधिकतम मात्रा तक बढ़ाना।

(4) राज्य सरकारों को डीजल के सम-वितरण को सुनिश्चत करने की सलाह दी गई है।

(5) चोरबाजारी, जमाखोरी में लगे हुए व्यक्तियों के विरुद्ध चोरबाजारी और आवश्यक वस्तु सप्लाई अनुरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को प्रयोग में लाया जा रहा है।

(6) तेल कम्पनियों को अपने फुटकर बिक्री केन्द्रों के पर्यवेक्षण को सख्त करने की सलाह दी गई है।

बिहार में सुपर ताप बिजली घरों की स्थापना करना

356. **श्री राम विलास पासवान : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में किन-किन स्थानों पर सुपर ताप बिजली घरों की स्थापना करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : कहलगांव, जिला भागलपुर, बिहार

में एक सुपर ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को इसका तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन पूरा करना है। इस परियोजना को केन्द्रीय क्षेत्र में हाथ में लेने का प्रस्ताव है।

मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखाने

357. **श्री सत्य नारायण जटिया :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने का विचार है, यदि हां, तो कहां-कहां पर;

(ख) क्या झाबुवा और मन्दसौर में उर्वरक कारखानों की स्थापना करने का विचार है;

(ग) क्या जिला उज्जैन के पिपलोदा बागला स्थान पर, जो कि सबसे उपयुक्त स्थान है, उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) प्रस्तावित कारखानों के उत्पादन का तरीका क्या होगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) गैस पर आधारित 6 प्रस्तावित उर्वरक प्लांटों में से एक प्लांट मध्य प्रदेश में स्थापित किये जाने की सम्भावना है। निश्चित स्थान, स्वामित्व आदि के बारे में तभी निर्णय किया जायेगा जब चयन समिति की सिफारिशें उपलब्ध हो जायेंगी।

उड़ीसा को डीजल और मिट्टी के तेल का आबंटन

358. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा को अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर, 1980 में, महीनेवार कितने डीजल और मिट्टी के तेल का आबंटन किया गया ;

(ख) क्या इन महीनों में महीनेवार आबंटन पिछले आठ महीनों की अपेक्षा कम था; और

(ग) यदि नहीं, तो उड़ीसा में मिट्टी के तेल और डीजल की वर्तमान कमी के क्या कारण हैं और उड़ीसा में मिट्टी का तेल 4 रु० प्रति लिटर की दर से बेचा जा रहा है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) अगस्त-नवम्बर 1980 के महीनों में उड़ीसा के लिए हाई स्पीड डीजल (एच० एस० डी०) आयल और मिट्टी के तेल के आबंटन के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं।

आंकड़े मीट्रिक टनों में

	एच० एस० डी०	मिट्टी का तेल
अगस्त 1980	12500	6000
सितम्बर 1980	12500	6000
अक्तूबर 1980	11520	6550
नवम्बर 1980	13100	5850

(ख) दिसम्बर 1979 से जुलाई 1980 की अवधि के दौरान उड़ीसा को एच० एस० डी० और मिट्टी के तेल के आबंटन के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

(आंकड़े मीट्रिक टनों में)

	एच० एस० डी०	मिट्टी का तेल
दिसम्बर 1979	13432	5371
जनवरी 1980	13735	5667
फरवरी 1980	13420	8323
मार्च 1980	13455	6480
अप्रैल 1980	15700	8500
मई 1980	15700	8500
जून 1980	12500	5490
जुलाई 1980	12500	5670

एच० एस० डी० का आबंटन पहले महीनों में उस समय अकाल की स्थिति होने के कारण ऊंचा था। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष के तदुनरूपी महीनों में हुई बिक्री के सन्दर्भ में आबंटन किये भी गये हैं।

(ग) यह कहना सही नहीं होगा कि उड़ीसा में मिट्टी के तेल और डीजल की सप्लाई की बहुत कमी है। यह राज्य सरकार का कार्य है कि वह डीजल और मिट्टी के तेल के बराबर वितरण के लिए आवश्यक कदम उठाये और यह सुनिश्चित करे कि उत्पादों को नियंत्रित मूल्यों पर बेचा जाता है।

कोयले की कमी का सामना करने वाले तापीय विद्युत केन्द्र

359. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश तापीय विद्युत केन्द्र अपने पास कोयले का कम भण्डार उपलब्ध होने के कारण संकट में हैं, और

(ख) यदि हां, तो उनके पास कोयले का कम भण्डार होने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं। जहाँ तक पिट-हैडों के समीप स्थित ताप विद्युत केन्द्रों का सम्बन्ध है, इनमें कोयले का पर्याप्त भण्डार बनाए रखने में कोई कठिनाई आने की सम्भावना नहीं है। तथापि, जहाँ तक उन ताप विद्युत केन्द्रों का सम्बन्ध है, जो रेल द्वारा कोयले की सप्लाई प्राप्त करते हैं, कोयले के पर्याप्त भण्डार बनाए रखने के लिए अधिकांश विद्युत केन्द्रों को कोयले की पर्याप्त सप्लाई नहीं मिल रही है। कोयले की ढुलाई के लिए वैगनों की उपलब्धता में आने वाली बाधाओं के कारण विद्युत केन्द्रों को उन्हें आवंटित मात्रा से कम मात्रा में कोयले की सप्लाई मिल रही है।

(ख) कोयले का स्टाक कम होने का कारण हैं, वैगनों की उपलब्धता पर्याप्त न होना तथा ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की ढुलाई पर्याप्त न होना। सम्बन्धित मन्त्रालय के साथ मामले पर कार्यवाही की गई है।

तेल शोधन क्षमता बढ़ाना

360. श्री चिन्तामणी पाणिग्रही :

श्री जी० एस० रेड्डी : क्या पेट्रोलियम, रसायम और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में तेल शोधन क्षमता बढ़ाने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो देश में कितने तेल शोधक कारखाने चल रहे हैं और उनकी तेल शोधक कारखानेवार शोधन क्षमता कितनी है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। विभिन्न शोधनशालाओं में अशोधित तेल के उत्पादन और मध्यवर्ती आंसुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए शोधन क्षमता के विस्तार और गौणप्रक्रिया सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनेक परियोजनाएं स्वीकृत की गई है अथवा प्रोसेस की जा रही हैं।

(ख) इस समय देश में 11 शोधनशालाएं कार्य कर रहीं हैं। उनके स्थानों और स्थापित क्षमताओं के सम्बन्ध में ब्यौरे नीचे दिये गये हैं।

(मिलियन मीट्रिक टनों में)

क्रम सं० कम्पनी का नाम	स्थान	स्थापित क्षमता
1. भारतीय तेल निगम	गोहाटी	0.85
2. "वही—	बरौनी	3.30
3. —वही—	कोयाली	7-30
4. —वही—	हलदिया	2.50
5. मद्रास रिफाइनरी लि०	मद्रास	2.80
6. कोचीन रिफाइनरी लि०	कोचीन	3.30
7. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०	बम्बई	5.25
8. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन	—वही—	3.50
9. —वही—	विजाग	1.50
10. बोईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रो-कैमिकलस लि०	बोईगांव	1.00
11. असम आयल कं०	डिगबोई	0.50

फूलपुर उर्वरक संयंत्र को बन्द किया जाना

361. श्री चिंतामणि पाणिग्रही :

श्री नन्दकिशोर शर्मा : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फूलपुर उर्वरक संयंत्र को अक्तूबर, 1980, में नेफथा की कमी के कारण बन्द करना पड़ा था;

(ख) क्या सरकार ने संयंत्र चालू रखने के लिए नेफथा और कोयले की कुल वार्षिक आवश्यकता का कोई मूल्यांकन किया है; और

(ग) यदि हां, तो कुल आवश्यकता कितनी है और संयंत्र को बिना किसी बाधा के चालू रखने के लिए सरकार ने नेफथा और कोयले की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) प्लांट की वार्षिक अनुमानित आवश्यकता 2.2 लाख टन नेफथा और 3.2 लाख टन कोयले की है । यद्यपि कोयले की कमी की कोई संभावना नहीं है फिर भी बरौनी शोधन-शाला के बन्द हो जाने से नेफथा की सप्लाई पर प्रभाव पड़ा है । वैकल्पिक स्रोतों से नेफथा की सप्लाई का प्रयास किया जा रहा है ।

डीजल में मिलावट के लिए इस्तेमाल किए जाने के कारण मिट्टी के तेल की मांग में वृद्धि

362. **श्री के० प्रधानी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डीजल में मिलावट के लिए इस्तेमाल किए जाने के कारण मिट्टी के तेल की मांग बढ़ रही है;

(ख) क्या मिलावट को रोकने की प्रोद्योगिकी देश में उपलब्ध नहीं है;

(ग) क्या सरकार परिवहन और पेट्रो-कैमिकल सैक्टर में तेल की खपत को सीमित करने के हल में है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : इस स्थिति में यह कहना संभव नहीं है कि क्या हाई स्पीड डीजल तेल में मिलावट के लिए प्रयोग में लाने की सम्भावना से अभी हाल के महीनों में मिट्टी के तेल की मांग में वृद्धि हुई है । हाई स्पीड डीजल आयल और मिट्टी के तेल के फुटकर विक्रय मूल्य में अन्तर होने के परिणाम स्वरूप, डीजल में मिट्टी के तेल की मिलावट से नकारा नहीं जा सकता है ।

(ख) हाई स्पीड डीजल आयल में मिट्टी के तेल की मिलावट को रोकने के लिए मिट्टी के तेल को रंगदार बनाने का एक प्रस्ताव इण्डियन आयल कार्पोरेशन के विचाराधीन है । इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने से पहले इस प्रस्ताव से सम्बन्धित विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं की विस्तृत रुप से जांच करना आवश्यक है ।

(ग) और (घ) राज्यों और संघ-शासित प्रदेशों को हाई स्पीड डीजल आयल और मिट्टी का मासिक आवंटन करने की एक प्रणाली पहले से ही विद्यमान है । राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि डीजल के विभिन्न प्रयोगों जैसे कृषि परिवहन आदि के लिए प्राथमिकताएं निश्चित करें । उनको विशेष रूप से सलाह दी गई है कि डीजल की सप्लाई के सम्बन्ध में कृषि को उच्चतम प्राथमिकता दी जाये । इसके परिणाम स्वरूप, परिवहन क्षेत्र कुछ नीची प्राथमिता प्राप्त करेगा ।

अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के सम्बन्ध में कुल उपलब्धता और इन उत्पादों की संबंधित क्षेत्र में प्रयोग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सप्लाई की जा रही है।

औषधि नीति में विसंगतियां

363. श्री **अरविन्द नेताम** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार औषधि नीति की कुछ विसंगतियों को दूर करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) और (ख): औषधि नीति में कोई विशिष्ट अनियमितता सरकार के ध्यान में नहीं आई है। नीति के सम्बन्ध में प्राप्त सभी अभ्यावेदनों पर उपयुक्त रूप से विचार किया जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय सिंचाई जलनिकास आयोग का सम्मेलन

364. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय सिंचाई जल निकास आयोग (आई० सी० आई० डी०) का तीसरा अफ्रीकी-एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन हाल ही में भारत में (नई दिल्ली) में आयोजित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो बैठक में किए गए निर्णय की मोटी-मोटी बातें क्या हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) सम्मेलन ने इस आवश्यकताओं पर ध्यान दिलाया—आर्थिक और सामाजिक आयोजन करने, सिंचाई के लिये भूगत और भूतल जल के एकीकृत उपयोग के लिए आंकड़े एकत्र करने और इस संबन्ध में किसानों को शिक्षा देने, एकीकृत उपयोग के प्रबन्धों के सभी पहलुओं की कारगर मानीटरिंग करने, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का पता लगाने, कमान क्षेत्र विकास के अन्तर्गत सड़कों, मण्डियों और प्रोसेसिंग जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने और मृदा और जलवायु की स्थिति और भूतल और भूगत जल की उपलब्धता के अनुरूप उपयुक्त फसल-पद्धति का विकास करने, प्रौद्योगिकी के ट्रांस्फर और किसानों को इस बात का विश्वास दिलाने के लिए कि उनकी आन-फार्म मांगें सदैव और पूर्णतः पूरी की जायेंगी, विस्तार और प्रदर्शन सेवाओं की भूमिका की मानीटरिंग करने की आवश्यकताओं की ओर ध्यान दिलाया था। सम्मेलन के दौरान जिन कुछ अन्य पहलुओं पर बल दिया गया था वे ये थे—सिंचाई प्रणाली के शीर्ष पर सप्लाई में लचीलापन लाना, किसानों की भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं को विश्वस्त रूप से पूरा करने के लिए सरकारी नियंत्रणाधीन चैनलों का सुगम प्रचालन, लाइनिंग की कट-आफ सीमाओं को निश्चित करना और किसानों को मात्रात्मक (वौल्यूमीट्रिक) आवंटन करना।

गांधी जी पर फिल्म बनाने के लिए एक ब्रिटिश फिल्म निर्माता के साथ करार

365. **श्री एन० ई० होरो** :

श्री पी० जे० कुरियन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महात्मा गांधी जी पर एक फिल्म बनाने के लिए भारत और एक प्रसिद्ध ब्रिटिश कलाकार-निदेशक सर रिचर्ड एटनबोरो के बीच एक करार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो फिल्म पर होने वाले लाभ के बंटवारे से सम्बन्धित ब्योरा क्या है तथा फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा भारत में धन इकट्ठा किस प्रकार किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां। "गांधी" पर फिल्म बनाने का प्रस्ताव सिद्धांततः स्वीकार कर लिया गया है। करार का ब्योरा सर रिचर्ड एटनबोरो की मैसर्स इण्डो-ब्रिटिश फिल्म कं० के साथ राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि० द्वारा तैयार किया जा रहा है।

(ख) सिद्धांतः लाभों का बटवारा बराबर-बराबर होगा। तथापि, ब्योरा अभी तैयार किया जा रहा है।

निर्वाचनों में प्रयुक्त अमिट स्याही

366. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शिकायतें मिली हैं कि निर्वाचनों में प्रयुक्त अमिट स्याही कुछ रसायनों का प्रयोग करके मिटाई जा सकती है और संगठित ढंग से बड़े पैमाने पर प्रतिरूपण की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भविष्य में मतदाताओं के लिए पहचान-पत्र जारी करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की स्कीम का ब्योरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) निर्वाचन आयोग को विभिन्न वर्गों से इस आशय की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं कि निर्वाचनों में प्रतिरूपण को रोकने के लिए जिस अमिट स्याही का प्रयोग किया गया है वह वास्तव में अमिट स्याही नही थी। कोई भी इस अभिकथन की सत्यता स्थापित नहीं कर सका किन्तु हाल ही में तारीख 16 जुलाई, 1980 को निर्वाचन आयोग के कार्यालय में आयोजित एक प्रदर्शन में एक राष्ट्रीय राजनैतिक दल के कुछ प्रतिनिधियों ने यह प्रदर्शित किया कि इस स्याही से लगाया गया निशान एक प्रकार के रासायनिक घोल की सहायता से हटाया या ऊपरी तौर से दूर किया जा सकता है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने उक्त दावे का खण्डन किया है और कहा है कि यदि एक बार इस स्याही से लगाए गये निशान को पूरी तरह से विकसित होने दिया जाए और इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त समय दिया जाये तो इसे हटाया नहीं जा सकता है।

प्रदर्शन में उक्त राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों द्वारा प्रयुक्त घोल में सोडियम/पोटेशियम सायनाइड था जो खतरकनाक, हानिकर और प्रतिषिद्ध वस्तुएं हैं। यह पता नहीं है कि ऐसे रसायनों

को कोई व्यक्ति किस प्रकार प्राप्त कर सका। तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए कि सोडियम/पोटेशियम सायनाइड जैसे रासायनिक घोलों की बिक्री प्रभावी रूप से प्रतिषिद्ध है, आयोग ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय से कहा है कि वह ऐसे रसायनों की अवैध बिक्री या इनके रखे जाने पर रोक लगाने के लिए उपयुक्त कदम उठाए।

सोडियम/पोटेशियम सायनाइड रसायन, जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है, जन साधारण को सहज उपलब्ध नहीं हैं, अतः यह कहना सही नहीं होगा कि प्रतिरूपण बड़े पैमाने पर संगठित ढंग से संभव था।

(ख) इस विषय पर विचार किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अशोधित तेल (क्रूड) के आयात के लिए भारत और ईरान के बीच करार

367. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के लिए अशोधित तेल के आयात के लिए ईरान और भारत के बीच हाल में कोई क़रार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) वर्ष 1980 के अन्तर्गत 5 मिलियन मी० टन अशोधित तेल की सप्लाई करने के लिए ईरान के साथ जनवरी, 1980 में एक करार किया गया था। इस देश के साथ अशोधित तेल की सप्लाई के लिए कोई अन्य समझौता नहीं किया गया है।

पंजाब में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों को बिजली की सप्लाई

368. **श्री एल० एस० तुर :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई के सम्बन्ध में स्थिति कैसी है।

(क) यदि सप्लाई कम है तो सप्लाई बढ़ाने के बारे में क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या आगामी वर्षों में बिजली की मांग/आवश्यकता को पूरा करने के लिए पंजाब में किसी नई परियोजना के लिए मंजूरी दी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) इस समय पंजाब में विद्युत की आवश्यकता लगभग 17.3 मिलियन यूनिट है जिसकी तुलना में उपलब्धता औसत तौर पर 14.7 मिलियन यूनिट प्रतिदिन के लगभग है। पंजाब में ग्रामीण उपभोक्ताओं को सप्लाई प्रतिदिन 10 घण्टे दी जा रही है जबकि शहरी उपभोक्ताओं के मामले में सप्लाई 17 घण्टे प्रतिदिन दी जा रही है।

(ख) राज्य में विद्युत की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पंजाब ने कई कदम उठाये हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) भटिण्डा ताप विद्युत केन्द्र में उत्पादन अधिकतम करना। अधिक ताप विद्युत उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संयंत्र तथा उपस्कर की मरम्मत/सुधार कार्य हाथ में लेने के अतिरिक्त अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई के लिए भी प्रबन्ध किए जा रहे हैं;

(2) राज्य में इस समय निर्माण के विभिन्न चरणों में जो निम्नलिखित परियोजनाएं हैं. उनको शीघ्र पूरा करने के लिए कार्रवाई करना :—

क्रम सं०	स्कीम का नाम		1980-85	1985-90
			के दौरान लाभ	
			मेगावाट	मेगावाट
1.	शानन विस्तार (जल विद्युत)		50	—
2.	मुकेरियां (जल विद्युत)		90	117
3.	आनन्दपुर साहिब (जल विद्युत)		134	—
4.	रोपड़ (ताप विद्युत)		210	210
5.	देहर विस्तार (जल विद्युत) (2×135) (पंजाब का भाग)		158.40	—
6.	पोना विस्तार (जल विद्युत) (2×60) (पंजाब का भाग)		29.88	—
		जोड़	672.28	327.00

सिंगरौली, बैरा-स्यूल, सलाल, नरोरा (न्यूक्लीय) आदि में स्थापित किए जा रहे केन्द्रीय स्वामित्व वाले केन्द्रों से भी पंजाब को विद्युत का हिस्सा मिलेगा।

(3) राज्य में पारेषण और वितरण हानियों को कम करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) राज्य में विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए पंजाब द्वारा निम्नलिखित स्कीमें प्रस्तावित की गई हैं :—

(1) थीन बांध (जल विद्युत) 480 मेगावाट

(2) अपर बारी दोआब नहर-11 (ज० वि०) 45 मेगावाट

ये परियोजनाएं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कर दी गई हैं और योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दिए जाने की प्रतीक्षा है तथापि इन परियोजनाओं से लाभ 1985 से 1990 के बाद प्राप्त होंगे। पंजाब राज्य बिजली बोर्ड ने भटिण्डा ताप विद्युत केन्द्र में 210-210 मेगावाट की दो यूनिटों द्वारा विस्तार के लिए तथा 94 मेगावाट की क्षमता वाली शाहपुर कन्डी (जल विद्युत) परियोजना के लिए एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इन प्रस्तावों की इस समय जांच की जा रही है।

कावेरी जल विवाद

369. श्री निहाल सिंह : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कावेरी जल विवाद के सम्बन्ध में तैयार किए गये तकनीकी आंकड़ों के बारे में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों तथा पांडिचेरी संघ क्षेत्र के बीच मतभेदों के कारण गतिरोध पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त समस्याओं को सुलझाने में कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) (क) सम्बद्ध राज्यों के बीच तकनीकी आंकड़ों के सम्बन्ध में कुछ मतभेद रहे हैं ।

(ख) और (ग) सिंचाई मंत्रालय के सचिव ने राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया था । मुख्य मंत्रियों द्वारा बातचीत के अगले दौर में इन विचार-विमर्शों के सारांश पर विचार किया जायेगा ।

दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण

370. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण को समाप्त करने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो विस्थापितों के उपयुक्त पुनर्वास के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) परियोजना में बसाये गये विस्थापित व्यक्तियों को निर्धारित मानकों के अनुसार राहत और पुनर्वास सहायता प्रदान की जाती है । पुनर्वास के आरम्भिक चरण में, कृषक परिवारों को विकसित भूमि, बैल, कृषि के लिए बीज, खाद आदि, आवास, आवासीय कुआं-सहायक व्यवसाय के लिए ऋण और भरण-पोषण अनुदान दिए जाते हैं । लघु व्यवसायी/व्यापारी परिवारों को कारोबार ऋण, मकान और केवल ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ कृषि भूमि दी जाती है । जहां कहीं संभव एवं आवश्यक होता है, परियोजना द्वारा सभी विस्थापित व्यक्तियों को आधारभूत सुविधाओं तथा सड़कों, सिंचाई परियोजनाओं, टैंकों, नलकूपों, स्कूलों तथा स्वास्थ्य संस्थाओं जैसी नागरिक सुख-सुविधाओं की व्यवस्था भी की जाती है ।

अशोधित तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई

371. **श्री एस० एम० कृष्ण :**

श्री केशवराव पारधी :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

श्री दौलत राम सारण : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईरान-ईराक युद्ध के कारण आयात में हुई गड़बड़ के कारण आयात खरीद सहित विभिन्न साधनों से अशोधित तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई की व्यवस्था करने हेतु उनके मंत्रालय ने क्या कारगर कदम उठाये हैं;

(ख) क्या आगामी वर्ष में आयात खरीद सहित तेल का बिल लगभग 15,000 करोड़ रुपए होने की सम्भावना है;

(ग) क्या तेल के सम्बन्ध में संकटपूर्ण स्थिति को देखते हुए सरकार का असम की "तेल नाकाबन्दी" समाप्त करने के लिए कुछ ठोस उपाय करने का विचार है जिससे कई सौ करोड़ रुपए के मूल्य के अशोधित तेल की हानि हुई है;

(घ) क्या नाकाबन्दी जारी रहने के कारण पाइप लाइन में रुका पड़ा 65,000 टन अशोधित तेल सर्दी के आरम्भ होते ही जमने लगेगा; और

(ङ) यदि हां, तो पाइप लाइन चालू रखने और उसकी सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) ईरान-ईराक युद्ध के फलस्वरुप हमारे खानिज तेल के आयात कुछ अव्यवस्थित हुए हैं। फिर भी दूसरी जगहों से आवश्यकतानुसार सप्लाई की व्यवस्था कर कमी को पूरा करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में और ब्योरे देना राष्ट्रीय हित में नहीं है।

(ख) जी नहीं, इस हालत में अपने आयात बिल का अनुमान लगाना असामयिक होगा।

(ग) इस समय और कुछ प्रकट करना जन हित में नहीं है।

(घ) और (ङ) सरकार पम्प करने और स्थिर खनिज तेल को ताजे खनिज तेल पाइप लाइन के माध्यम से भेज कर हटाने के लिए कदम उठा रही है।

न्याय पद्धति में सुधार

372. **श्री चित्त महाटा :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतर न्यायपालिका पर हाल ही में हुई गोष्ठी में भाग लेने वाले वक्ताओं द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार देश की न्याय पद्धति में सुधार लाने का विचार सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) न्यायिक सुधारों के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस प्रस्ताव पर विचार करते समय उन सुझावों को भी ध्यान में रखा जायेगा जो नई दिल्ली में सितम्बर, 1980 में भारतीय वकील संघ द्वारा आयोजित न्यायिक सुधार विषयक संगोष्ठी में भाग लेने वाले विभिन्न वक्ताओं ने दिए थे।

पश्चिम बंगाल में डीजल की कमी

373. **श्री चित्त महाटा : क्या पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में गत चार महीनों से डीजल की कमी है : और

(ख) यदि हां, तो राज्य की मांग की तुलना में जुलाई-दिसम्बर, 1980 में राज्य को दी गई डीजल की सप्लाई का ब्यौरा क्या है ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) (क) एवं (ख) पश्चिम बंगाल में, जुलाई तथा सितम्बर, 1980 के मध्य में उत्पाद की पर्याप्त उपलब्धता होने के बावजूद मांग में कमी के कारण हाई स्पीड डीजल तेल (एच एस डी) का विक्रय आवंटित मात्रा से कम था। इस कारण इन महीनों में इस उत्पाद का कोई अभाव न था । अक्तूबर, 1980 में, एच एस डी का आबंटन पश्चिम बंगाल की अक्तूबर, 1979 में किए गए वास्तविक आबंटन के स्तर से 5 प्रतिशत अधिक किया गया । फिर भी, उत्पाद की मांग को देखते हुए अक्तूबर, 1980 के लिए 38930 टन मांग को 2170 टनों से और बढ़ा दिया गया है । राज्य सरकार ने एच एस डी की मांग 65000 टन प्रति माह दर्शायी है ।

समाचारपत्रों के सम्पादकों और सम्वादाताओं की सुरक्षा

374. **श्री चित्त महाटा : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने देश में समाचार-पत्रों के सम्पादकों/रिपोर्टरों/ सम्वाददाताओं के जीवन की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) अन्य नागरिकों की तरह सम्पादक/रिपोर्टर/संवाददाता स्थानीय प्रशासन से अपने जीवन की सुरक्षा के हकदार हैं ।

संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियों के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

375. **श्री चित्त बसु : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संविधान के "मूलभूत ढांचे" में संशोधन अथवा परिवर्तन करने की संसद् की शक्तियों को सीमित करने वाले उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पुनर्विलोकन कराने का विनिश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या विनिर्दिष्ट कदम उठाए गए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) संभवतः इस प्रश्न का सम्बन्ध हाल के मिनर्वा मिल्स लिमिटेड के मामले से है । अतः यह निवेदन है कि मिनर्वा मिल्स लिमटेड बनाम भारत संघ (1980) 3 एस सी सी 625 के मामले में दिये गए निर्णय के विरुद्ध सरकार ने इस बात के लिए सिविल प्रकीर्ण पिटीशन फाइल की है कि यह मामला

एक बृहत्तर न्यायपीठ को जिसमें कम से कम 7 न्यायाधीश हों, पुनर्विचार के लिए निर्दिष्ट किया जाए ।

थाल वैशेट में उर्वरक संयत्र की स्थापना के लिए

विदेशी सलाहाकारों का चयन

376. **श्री एन० के० शोजवलकर** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने थाल वैशेट और हजीरा में गैस पर आधारित भारत के चार सबसे बड़े उर्वरक संयंत्र बनाने के लिए सरकारी तौर पर विदेशी सलाहकारों का चयन कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो चुनी गई फर्मों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31.8.80 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया जिन्हें इन फर्मों का चुनाव गलत किया गया जिन्हें उर्वरक विशेषज्ञों के अनुसार उर्वरक संयंत्र लगाने की कोई जानकारी या अनुभव नहीं है तथा उन्हें इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव नहीं है ; और

(घ) क्या उस विशेषज्ञ समिति से जिसने यह चयन किया है विशेष रूप से यह कहा गया था कि ऐसी सलाहकार फर्मों का चयन किया जाये जिन्हें एफ. पी. ओ. आई. एल. को "फेल सफ" प्रौद्योगिक अनुभव विशेषज्ञता और संसाधन प्राप्त हों और यदि हां तो विशेषज्ञ समिति ने सलाहकार का चयन करते समय इस सिद्धांत का किस प्रकार पालन किया ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) (क) जी, हां ।

(ख) मैसर्स हल्डोर टारेफो और मैसर्स पुलमैन कैलोग को क्रमशः थाल वैसेट और हाजिरा स्थित अमोनिया प्लांटों के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया है । मैसर्स स्नैम प्रोगेटी को दोनों स्थानों के यूरिया प्लांटों के लिए परामर्शदाता नियुक्ति किया गया है ।

(ग) और (घ) अमोनिया प्लांट के लिए इंजीनियरिंग परामर्शदाता के रूप में बोली देने के लिए छः फर्मों को उनके अनुभव, विशेषज्ञता, प्रोद्योगिकी आदि हस्तान्तरित करने के स्रोतों के आधार पर निर्धारित किया गया था । अब जिन फर्मों को परामर्शदाता के रूप में चुना गया है वे उन्हीं में से हैं । विशेषज्ञ समिति ने बोली देने वाली फर्मों की संबंधित योग्यताओं की केवल जांच की थी और अपनी सिफारिश की थी ।

रंगीन टी० वी० प्रारम्भ करने के लिए तकनीकी जानकारी का प्राप्त

किया जाना तथा विकसित किया जाना

377. **श्री एन० के० शेजवलकर** :

डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में शीघ्र ही रंगीन टी० वी० प्रारम्भ करने के सरकार के प्रस्ताव के कारण देश को विदेशों से कीमती तकनीकी जानकारी तथा उपकरण प्राप्त करने

होंगे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसके लिए आवश्यक तकनीकी जानकारी हमारे देश में इस समय विकसित की जा रही है और यह लगभग तीन वर्ष में वाणिज्यिक उपयोग के लिए तैयार हो जायेगी; और

(ग) यदि हां तो ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण सरकार को ऐसा प्रस्ताव जल्दी में अपनाना पड़ा है जिसका भारत में इलेक्ट्रोनिक तकनीकी क्षेत्र में अब तक हुई प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ग) : देश में रंगीन टेलीविजन प्रारम्भ करने का निर्णय विदेशों से जानकारी और उपकरणों की प्राप्ति तथा स्वदेशी औद्योगिकी और इलैक्ट्रोनिकी उद्योग के विकास सहित सभी सम्बन्धित बातों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद लिया जाएगा ।

(ख) : जी, नहीं ।

रंगीन टेलीविजन आरम्भ करने के बारे में सरकार का निर्णय

378. **श्री डी० पी० जवेजा :** क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्तमान टेलीविजन सेटों को रंगीन टेलीविजन सेटों में बदला जा सकता है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी): जी, नहीं । तथापि, यदि प्रेषण रंगीन भी हो तो भी सादे टेलीविजन सेट पर चित्रों का (सादे रूप में) देखा जा सकता है ।

भारत-बंगला देश संयुक्त नदी आयोग का परिणाम

379. **श्री अमर राय प्रधान :**

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी अयोग की इस वर्ष अगस्त और बाद में हुई बैठकों का क्या परिणाम रहा ; और

(ख) इस मामले में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) (क) और (ख) : नई दिल्ली में 29 से 31 अगस्त , 1980 तक हुई भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग की 20 वीं बैठक में मुख्यत: शुष्क मौसम के दौरान गंगा के प्रवाह में वृद्धि करने के विषय पर विचार-विमर्श हुआ था । आयोग ने उन कठिनाइयों की जाँच की जिनके कारण दोनों प्रस्तावों का अध्ययन शुरू नहीं किया जा सका । आयोग ने इस बात को नोट किया कि इस प्रश्न पर उच्च राजनीतिक स्तर पर विचार-विमर्श किया गया था और इस स्तर पर बातचीत के जारी रहने की संभावना है । आयोग ने शीघ्र ही एक और बैठक आयोजित करने का निर्णय किया ताकि समझौते में बिनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्दर शुष्क मौसम के दौरान गंगा के प्रवाह में वृद्धि करने के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए आयोग द्वारा पुन: प्रयत्न किए जा सकें । यह बैठक 4 नवम्बर, 1980 से

पहले नहीं हुई जब संयुक्त नदी आयोग को दिये गए आदेश की अवधि समाप्त हो गई और इसलिए यह मामला अब संयुक्त नदी आयोग के समक्ष पेश नहीं है।

लेकिन, शुष्क मौसम के दोरान गंगा के प्रवाह में वृद्धि करने की समस्या का हल शीघ्र ढूंढने के लिए दोनों सरकारें विभिन्न राजनीतिक स्तरों पर सम्पर्क बनाए हुए हैं।

निर्वाचन सुधारों के बारे में मतैक्य

380. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने निर्वाचन-सुधारों के प्रोयोजन हेतु मतैक्य तैयार कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी नहीं।

(ख) निर्वाचन-सुधार सम्बन्धी प्रस्ताव दूरगामी स्वरूप के हैं और इन पर विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ परामर्श करके बहुत सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। इस विषय में अन्तिम निर्णय पर पहुंचने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरी करने में अभी और समय लगेगा।

तापीय बिजलीघरों को कोयले की सप्लाई

381. **श्री सुभाष चन्द बोस अल्लुरी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा तापीय बिजली घरों को पर्याप्त मात्रा में कोयला सप्लाई न किये जाने के कारण आगामी महीनों में अधिक बिजली उत्पादन में बांधा पैदा हो सकती है ; और

(ख) : यदि हां तो स्थिति का मुकावला करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) कुछ ताप विद्युत केन्द्रों में कोयले के भण्डार कम हैं क्योंकि लिंक कोयले को पूरी मात्रा को ढो सकने में रेलवे असमर्थ रही है। तथापि, कोयले की ढुलाई की तथा कोयला भण्डारों की ध्यानपूर्वक मानीटरिंग की जा रही है। ऐसी सम्भावना नहीं है कि आगामी महीनों में अधिक विद्युत उत्पादन में कोयले की सप्लाई किसी प्रकार बाधक कारण बनेगी।

(ख) स्थिति से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए/ किए जा रहे हैं :—

(1) जिन ताप विद्युत केन्द्रों के पास कोयले के स्टाक बहुत कम हैं वे केन्द्र कोयला विभाग तथा रेल मन्त्रालय की जनकारी में लाए जाते हैं ताकि कोयले की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

(2) हाल ही में ऊर्जा मन्त्री तथा रेल मन्त्री के बीच हुई बैठक में इस बात पर जोर दिया गया है कि आगामी महीनों में कोयले की ढुलाई में प्रतिदिन लगभग 4000 वैगनों तक के स्तर की वृद्धि करके बिजलीघरों को कोयला पहुँचाने को रेल मन्त्रालय अधिकतम प्राथमिकता दे ताकि विद्युत केन्द्र अधिकतम विद्युत बना सकें तथा कोयले के पर्याप्त भण्डार बना सकें। विद्युत केन्द्रों को कोयले की स्थिति में सुधार हुआ है और यह ढुलाई जो सितम्बर, 1980 में लगभग

2600 वैगन प्रतिदिन थी, बढ़कर नवम्बर, 1980 में 3200 वेगन प्रतिदिन हो गयी। आगामी महीनों में इसमें और सुधार होने की आशा है।

(3) चूक करने वाले कुछ विद्युत केन्द्रों को यह सलाह भी दी गई है कि कोयले की उतराई के लिए वेगनों को आवश्यक रूप से लम्बे समय तक न रोकें और यह सुनिश्चित करें कि वैगनें जल्दी लौटाई जाएं ताकि वेगनों की आवाजाही में लगने वाला समय कम हो।

(4) ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई की मानीटरिंग, समय-समय पर ऊर्जा मन्त्रालय, रेलवे तथा अवसंरचना पर मन्त्रिमण्डलीय समिति द्वारा की जाती है।

सूचना के सम्बन्ध में भारत-यूगोस्लाविया करार

382. **श्री सुभाषचन्द बोस अल्लूरी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूचना के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और यूगोस्लाविया ने अक्तूबर, 1980 में एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) (क) : जी हां। सूचना के क्षेत्र में सहयोग पर एक भारत-यूगोस्लाविया प्रोतोकाल पर 9 अक्तूबर, 1980 को हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) इस प्रोतोकाल का उद्देश्य दोनों देशों के सूचना के सभी क्षेत्रों अर्थात्, प्रेस, रेडियो, टेलीविजन फिल्मों, समाचार एजेंसियों, पत्रकार एसोसियेशन समाचारपत्र प्रकाशन संस्थानों और अन्य प्रकाशन संस्थानों के बीच सहयोग करना है।

इसमें पत्रकारों, नियतकालिक पत्रों, प्रकाशनों और अन्य सूचना सामग्रियों के आदान-प्रदान और स्थायी संवाददाताओं और और पत्रकारों की सरकारी यात्रा के दौरान उनके कार्य निष्पादन के लिए सुविधाएं उपलब्ध करने की भी व्यवस्था है।

यह फिल्मों तथा समाचार चित्रों के निर्माण, व्यापार और प्रदर्शन के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने का समर्थन करता है।

यह शुरू में 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध है और जब तक किसी एक पक्ष द्वारा इसकी अवधि समाप्त होने से कम से कम छः महीने पूर्व इसको वापस न ले लिया जाये, इसकी अवधि एक बारे में पांच वर्षों की अवधि के लिए स्वतः बढ़ जायेगी।

राष्ट्रीय जल प्रबन्ध बोर्ड

383. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार नदियों के जल के बंटवारे सम्बन्धी अन्तर्राज्यीय विवादों को सुलझाने के लिए एक राष्ट्रीय जल प्रबन्ध बोर्ड को गठित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) (क) सरकार द्वारा इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता ।

बदरपुर तापीय विद्युत केन्द्र

384. श्री रेणु पद दास: क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नव-निर्मित बदरपुर तापीय विद्युत केन्द्र में क्या-क्या खराबियाँ है ;

(ख) खराबियों के क्या कारण हैं ; और

(ग) बदरपुर तापीय विद्युत केन्द्र की चौथी इकाई की कमियों के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहां तक उत्तरदायी है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) (क) बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र में नवनिर्मित 210 मेगावाट के यूनिट को तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सैट अभी पूर्ण रूप से सुस्थिर नहीं हुआ है ।

(ख) उपरोक्त दोषों के मुख्य कारण ये हैं :—

(1) संयंत्र और उपकार : अभिकल्प, सामग्री और निर्माण में कमियां ।

(2) फालतू पुर्जे : मुख्य संयंत्र और उपस्कर के साथ आर्डर दिए गए फालतू पुर्जे अभी तक पूर्ण रूप से सप्लाई नहीं किए गए हैं ।

(3) कोयला : बड़े साइज के तथा स्लेटी पत्थर, पत्थर तथा अन्य विजायतीय सामग्रीयुक्त कोयले को सप्लाई के कारण कोयला क्रशर्स के हैमरों का बार-बार टूटना ।

(ग) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा सप्लाई किए गए टर्बाइन जेनरेटर तथा बायलर की समस्याओं से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड सम्बन्धित है ।

फरक्का स्थित सुपर थर्मल प्रोजेक्ट

385. श्री रेणु पद दास : क्या ऊर्जा मन्त्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का सुपर थर्मल प्रोजेक्ट पर चल रहा कार्य निर्धारित ढंग से प्रगति कर रहा है ;

(ख) वर्ष 1980-81 के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य का ब्योरा क्या है और अब तक कितना कार्य किया जा चुका है ; और

(ग) क्या फरक्का 200 मेगावाट यूनिट की क्षमता वाला प्रथम एकक घोषित किए गए समय में चालू हो जायेगा ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) (क) जी, हां ।

(ख) 1980-81 के लिए निर्धारित प्रधान लक्ष्य मुख्य संयंत्र के लिए आर्डर देना है, जो अब तक कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर है । अन्य प्रमुख उपस्कर पैकेजों की प्राप्ति की कार्यवाही,

पूर्ण होने के विभिन्न चरणों में है। चालू वर्ष के लिए निर्धारित किये गये अन्य कार्य नामशः भूमि अधिग्रहण, अवसंरचना का विकास, मिट्टी भरने तथा नींव का कार्य और परियोजना इंजीनियरी सम्बन्धी गतिविधियां भी कार्यक्रम के अनुसार चल रही हैं। परियोजन के लिए अपेक्षित भूमि का बड़ा भाग अधिग्रहीत कर लिया गया है तथा शेष भाग के अधिग्रहण का कार्य विभिन्न चरणों में है। निर्माण के लिए जल तथा विद्युत की सप्लाई के लिए व्यवस्था की जा चुकी है। लगभग 1.5 लाख क्यूबिक मीटर मिट्टी का कार्य पूरा हो गया है तथा नींव का कार्य हाथ में ले लिया गया है।

(ग) निर्धारित किए गये कार्यक्रम के अनुसार तथा अब तक हुई प्रगति के अनुसार यह उम्मीद है कि पहली यूनिट कार्यक्रम के अनुसार चालू हो जायेगी।

2100 मेगावाट फरक्का परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ ऋण समझौता

386. **श्री रेणु पद दास** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक के साथ 2100 मेगावाट की फरक्का परियोजना के लिए किए गए नवीनतम ऋण समझौते की विशेषताएं क्या हैं; और

(ख) दोनों पक्षों द्वारा किए गए समझौते की शर्तें क्या हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) फरक्का परियोजना के 600 मेगावाट के सोपन की आंशिक रूप से वित्त व्यवस्था किए जाने के लिए भारत सरकार और विश्व बैंक ने एक समझौते पर 11 जुलाई 1980 को हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते में, टर्बो जेनरेटर, बायलर, विद्युत कोल हैंडलिंग, पारेषण तथा विद्युत केन्द्र के अन्य उपस्कर आदि जैसे मुख्य उपस्करों की कारखाने पर/लागत बीमा भाड़ा मूल्य की वित्त व्यवस्था के लिए 225 मिलियन अमरीकी डालर के आई० डी० ए० ऋण तथा 25 मिलियन डालर के अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक ऋण के लिए व्यवस्था है। ये उपस्कर विश्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी दरों के आधार पर प्राप्त किए जाने हैं। उधार और ऋण से प्राप्त हुई राशियां भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को पुनः उधार दे दी जानी हैं। कुछ अन्य प्रमुख शर्तें, जिन पर उधार तथा ऋण के लिए ये समझौते हुए हैं, निम्नलिखित हैं :—

(1) 225 मिलियन अमरीकी डालर के सम्बन्ध में प्राप्त किए गए और समय-समय पर बकाया रहने वाले मूलधन की राशि पर आई० डी० ए० को भारत सरकार प्रति वर्ष $\frac{3}{4}\%$ की दर से सेवा प्रभार देगी।

—मूलधन की राशि की अदायगी अर्ध-वार्षिक किस्तों के रूप में अक्तूबर, 1990 से आरम्भ होगी और अप्रैल 2030 में समाप्त होगी।

(2) 25 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण के सम्बन्ध में :

—समय-समय पर निकाली न गई ऋण के मूलधन की राशि पर भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय

पुनर्निर्माण और विकास बैंक को $\frac{3}{4}$% प्रतिवर्ष की दर से बचनबद्धता संबन्धी प्रभार अदा करेगी।

—प्राप्त किए गए ऋण तथा समय-समय पर बकाया रहने वाले मूलधन की राशि पर प्रतिवर्ष 8.25% की दर से ब्याज अदा किया जाएगा।

—समझौते में दी गई ऋण चुकाने सम्बन्धी समय सूची के अनुसार ऋण के मूलधन की राशि की अदायगी 15 वर्ष की अवधि में होगी।

सिंचाई क्षमता

387. श्री **रेणु पद दास** : क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में कुल कितनी सिंचाई क्षमता अनुपयुक्त रह जाती है; और

(ख) क्षमता का और अधिक उपयोग किये जाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जून, 1980 के अन्त तक लगभग 3.0 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा था।

(ख) क्षमता के कुशल उपयोग के लिए कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम में 76 परियोजनायें शामिल की गई हैं और अब तक 44 कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित किए गए हैं जिनके अन्तर्गत 71 परियोजनायें आती हैं। इस कार्यक्रम में शामिल कुछ मदे ये हैं :— जल-जमाव को रोकने के लिए कमान क्षेत्र में उपयुक्त जल-निकास प्रणाली की व्यवस्था, भूमि का समतलीकरण तथा शेपिंग, फील्ड चैनलों का निर्माण ताकि अलग-अलग खेतों को सिंचाई के जल की सप्लाई संभव हो सके बजाए इसके कि एक खेत से दूसरे खेत में जल की सप्लाई की जाए जैसीकि इस समय की जाती है, सिंचाई जल की बारी-बारी से सप्लाई की प्रणाली शुरू करना, सड़कों, विपणन (मार्कीटिंग), ऋण प्रबन्ध, कृषि वस्तुओं के लिए समर्थन-मूल्य की व्यवस्था आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था।

चार स्वायत्तशासी क्षेत्रीय विद्युत एजेन्सियों की स्थापना का प्रस्ताव

388. श्री **एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में चार स्वायत्तशासी क्षेत्रीय विद्युत एजेन्सियों की स्थापना के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) : योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य श्री वी० जी० राजाध्यक्ष की अध्यक्षता में विद्युत समिति ने, उत्तर-पूर्वी विद्युत शक्ति निगम के अतिरिक्त, जो उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कार्य कर रहा है, चार क्षेत्रीय विद्युत उत्पादन निगमों का गठन करने का सुझाव अपनी रिपोर्ट में दिया है। यद्यपि अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ये संगठन अपने-अपने क्षेत्रों में केन्द्रीय सेक्टर के ताप विद्युत तथा जल विद्युत केन्द्रों के विद्युत उत्पादन कार्यकलापों को समेकित करेंगे। जब समिति की विभिन्न सिफारिशों पर कारंवाई की जाएगी तब इन संस्थाओं के गठन के प्रश्न पर, उचित समय पर विचार किया जाएगा।

कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए भण्डारण क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव

389. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए भण्डारण क्षमता बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां अतिरिक्त भण्डार बनाये जायेंगे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) अतिरिक्त बैंक क्षमता का हल्दिया, मथुरा, कोयाली, कोचीन, मद्रास; विजाग और बम्बई में निर्माण करने का प्रस्ताव है।

एशियाई खेलों से पूर्व रंगीन टेलीविजन प्रसारण आरम्भ करने की योजना

390. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में होने वाले एशियाई खेलों से पूर्व रंगीन टेलीविजन प्रसारण आरम्भ करने सम्बन्धी कोई योजना सरकार के विचाराधीन थी;

(ख) रंगीन टेलीविजन प्रसारण आरम्भ करने की दिशा में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) चालू वर्ष में इस योजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क), (ख) और (ग) समूचा मामला योजना आयोग के विचाराधीन है।

एल० पी० जी० और पेट्रोल पम्पों की एजेन्सियों का भूतपूर्व सैनिकों को आबंटन

391. **श्री माधव राव सिन्धिया :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल० पी० जी० वितरण प्रणाली के अन्तर्गत एजेन्सियों और पेट्रोल पम्पों को भूतपूर्व सैनिकों विशेषत: शार्ट सर्विस कमीशन से कार्य-निवत्त हुए अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर आबंटित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे भूतप्रर्व शार्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों की कितनी एल० पी० जी० एजेन्सियां और पेट्रोल पम्प आबंटित किए गये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में बाढ़ के लिए प्लान आबंटन का उपयोग

392. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के प्लान आबंटन की आधी धनराशि बाढ़ राहत कार्यों पर खर्च हो जाती है और यदि हां, तो गत 10 वर्षों के दौरान बाढ़ से कुल कितनी हानि हुई; और

(ख) बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या सुनियोजित उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

समाचार-पत्रों में समाचारों की तुलना में विज्ञापनों का प्रकाशन

393. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ बड़े समाचार-पत्र अधिकतम विज्ञापन तथा कम से कम समाचार प्रकाशित करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां । यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि कुछ बड़े समाचार-पत्रों में विज्ञापनों की मात्रा समाचारों की मात्रा की अपेक्षा अधिक होती है ।

(ख) द्वितीय प्रेस आयोग, जिसका गठन प्रेस के संवर्धन और प्रास्थिति के बारे में जांच करने के लिए किया गया है, से समाचार-पत्रों में विज्ञापनों की मात्रा सहित प्रेस को प्रभावित करने वाली बात के कई पहलुओं का अध्ययन करने की अपेक्षा की जाती है । सरकार द्वितीय प्रेस आयोग की रिपोर्ट मिलने के पश्चात् अपनी राय बना सकेगी ।

न्यायालयों में होने वाले विलम्ब को कम करने के लिए कार्य योजना

394. **श्री आर० वाई० घोरपाण्डे** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यायालयों में होने वाले विलम्ब को कम करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा सुझाई गई कार्य-योजना का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या-क्या सुझाव दिए गए हैं;

(ग) सुझावों और सिफारिशों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो क्या सरकार इस मामले में किसी कार्यवाही पर विचार कर रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) भारत के मुख्य न्यायाधिपति ने कोई "कार्य-योजना" नहीं भेजी है । न्यायालयों में बकाया पड़े मामलों को निपटाने के लिए किए गए कुछ सुझावों पर उस समय के भारत के मुख्य न्यायाधिपति की प्रतिक्रियायें 1977 में आमंत्रित की गई थीं । भारत के मुख्य न्यायाधिपति ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों से परामर्श किया और उच्च न्यायालयों के विचार जानने के पश्चात् उच्चतम न्यायालय की प्रतिक्रियायें सरकार को जून, 1978 में भेजी थीं । भारत के मुख्य न्यायाधिपति ने जो कुछ कहा है उसका सारांश, उच्च न्यायलयों में बकाया मामलों के सम्बन्ध में,

विवरण I में और विचारण न्यायालयों में बकाया मामलों के सम्बन्ध में, विवरण II में दिया गया है। इस विषय की समीक्षा की जा रही है।

(ग) और (घ) सुझावों में वे मुद्दे सम्मिलित हैं जिनकी बाबत किसी अतिरिक्त विधायी अध्युपाय के बिना स्वयं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा कार्रवाई की जानी अपेक्षित है और इनमें वे मुद्दे भी सम्मिलित हैं जिनकी बाबत नए विधान बनाना अपेक्षित है। सम्पूर्ण विषय की समीक्षा अधिकारियों की एक अन्तर-विभागीय समिति द्वारा की जा रही है। ये अधिकारी विधि आयोग की 79वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की समीक्षा भी कर रहे हैं। इस समिति की रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त हो जाने की आशा है।

विवरण-I

उच्च न्यायालयों में बकाया मामलों को निपटाने के सम्बन्ध में भारत के मुख्य न्यायाधिपति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों का सारांश

1. सभी दाण्डिक मामलों की सुनवाई एकल न्यायाधीश द्वारा की जाएगी किन्तु इन मामलों में निम्नलिखित अपीलें सम्मिलित नहीं हैं, अर्थात् (1) ऐसी अपीलें जो 10 वर्ष या अधिक की सजा के सम्बन्ध में हैं और (2) ऐसी अपीलें जो ऐसे अपराधों की बाबत दोषमुक्ति के विरुद्ध हैं जो मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष अथवा इससे अधिक सजा से दण्डनीय हैं।

2. 50,000 रु० मूल्य तक की अपीलें, द्वितीय अपीलें, सिविल पुनरीक्षण आवेदन, सभी अन्तवर्ती विषय चाहे मूल्य और अधिकारिता सम्बन्धी प्रश्न कुछ भी हो, और हैबियस कार्पस तथा उन पिटीशनों को, जिनमें संविधान का निर्वचन या किसी विधान नियम आदि की विधिमान्यता अन्तर्वलित है, छोड़कर सभी रिट पिटीशनें अनन्य रूप से एकल न्यायाधीश को सौंपी जानी चाहिए परन्तु यदि किसी मामले में विधि का महत्वपूर्ण प्रश्न अन्तर्वलित है तो एकल न्यायाधीश उसे वृहत्तर न्यायपीठ को निर्देशित कर सकेगा।

3. किसी उच्च न्यायालय द्वारा अपनी अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करते हुए या संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए पारित किए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के विरुद्ध कोई अपील उसी न्यायालय की किसी न्यायपीठ में नहीं होगी।

4. उच्चतम न्यायालय नियमों में से वे नियम निकाल दिये जाने चाहिए जिनमें आवेदक से यह अपेक्षा की गई है कि वह अपील करने की विशेष इजाजत के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष आने से पूर्व अपील करने की इजाजत के लिए उच्च न्यायालय में समावेदन करे।

5. यदि निर्णय में दो घंटे से अधिक समय लगने की सम्भावना है तो उसे साधारणतया खुले न्यायालय में बोलकर नहीं लिखाया जाना चाहिए।

6. मुख्य न्यायाधिपति सहित अधिक से अधिक चार न्यायाधीश अथवा कुल न्यायाधीशों में से एक तिहाई न्यायाधीश, इनमें से जो भी कम हो, अधीनस्थ न्यायालयों के निरीक्षण के लिए जायेंगे। मुख्य न्यायाधिपति को छोड़कर निरीक्षण करने वाला कोई भी न्यायाधीश एक वर्ष उच्च न्यायालय के कुल तीन कार्य दिवसों को छोड़कर न्यायालय के कार्य दिवसों के दौरान निरीक्षण पर

नहीं जाएगा ।

7. सभी मामलों में मुद्रण सम्बन्धी आवश्यकता समाप्त कर दी जानी चाहिए और अभिलेखों को साइक्लोस्टाइल कराया जाना चाहिए ।

8. प्रमाणित प्राप्तियां बनाने के लिए जेरोक्स या फोटोस्टेट मशीन का उपयोग किया जाना चाहिए और जब तक ऐसी मशीनों का क्रय नहीं कर लिया जाता तब तक निर्णयों की सम्यक्‌रूप से प्रमाणित कार्बन प्रतियां दी जानी चाहिए । जेरोक्स या फोटोस्टेट प्रतियों के लिए प्रभार उद्‌गृहीत किए जा सकते हैं किन्तु कार्बन प्रतियों के लिए प्रभार नाममात्र का ही होगा ।

9. उन सभी मामलों में, जिनमें राज्य या कोई सरकारी विभाग या कोई पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्थानीय प्राधिकारी पक्षकार है, तामील उन व्यक्तियों या अभिकरणों पर की जाएगी जिनका नाम निर्देशन सम्बन्ध पक्षकारों द्वारा किया गया है और उसकी सूचना रजिस्ट्री को दे दी गई हो । इस प्रकार की गई तामील को स्वयं पक्षकार पर पर्याप्त तामील मानी जानी चाहिए ।

10 (क) सिटिंग लिस्ट या रोस्टर को यथा सम्भव दो मास की अवधि के लिए परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए ।

(ख) किसी मामले को ग्रहण करते समय संबद्ध न्यायाधीश को ऐसा कोई टिप्पण करना चाहिए या ऐसा कोई पहचान चिह्न लगाना चाहिए जिससे यह दर्शित हो कि वह मामला, प्रत्यर्थी पर सूचना की तामील होने के शीघ्र पश्चात् किसी तारीख को छोटे मामले के रूप में निपटाया जा सकता है ।

(ग) उस न्यायाधीश को जो मामले को ग्रहण करता है उचित रूप से इस बात की शक्ति प्रदान की जाए कि वह मामले के ग्रहण किए जाने के प्रश्न को किसी विनिर्दिष्ट बात या बातों तक सीमित कर दे । किन्तु मामले की सुनवाई करने वाला न्यायाधीश अपने विवेकानुसार किसी अन्य बात की दलील पेश किए जाने की भी अनुज्ञा दे सकेगा ।

(घ) यह वांछनीय है कि मुख्य न्यायाधिपति को यथासंभव यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो न्यायाधीश जिस विशेष प्रकार के कार्य से सुपरिचित है उसे वैसा ही कार्य सौंपा जाए ।

11. कर सम्बन्धी मामलों में, निर्देशन की प्रक्रिया समाप्त कर दी जानी चाहिए और इसके बदले में उच्च न्यायालय की इजाजत से, अधिकरणों के विनिश्चय के विरुद्ध विधि के प्रश्न पर उच्च न्यायालय में अपील का उपबन्ध किया जाना चाहिए ।

12. बकाया मामलों की बृहद् संख्या और उनको निपटाए जाने की दृष्टि से यह वांछनीय है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में कम से कम ऐसे दो न्यायाधीशों को जो मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए प्रसिद्ध हैं तब तक तदर्थ आधार पर रखा जाना चाहिए जब तक कि बकाया मामले बिल्कुल समाप्त न हो जायं ।

13. द्वितीय अपीलों, सभी अन्तर्वर्ती मामलों, सिविल पुनरीक्षण आवेदनों, उन दाण्डिक अपीलों, को छोड़कर जिनमें दण्ड छह मास से अधिक के लिए हो, अन्य दाण्डिक अपीलों में मौखिक बहस कुल मिलाकर साधारणतया तीन घण्टे से अधिक की नहीं होनी चाहिए ।

14. उच्च न्यायालय के लिए ऐसे सभी मामलों में जिनमें वह उस निर्णय की पुष्टि करता

है जिसके विरुद्ध अपील की गई है इतना ही पर्याप्त होगा कि वह केवल उन प्रश्नों के लिए ही कारणों का संक्षिप्त विवरण दे जिनके सम्बन्ध में, उसके समक्ष बहस की गई है, न कि सम्पूर्ण निर्णय के सम्बन्ध में, जैसा कि आज कल होता है।

15. न्यायालयों में निर्णयों का पढ़ कर सुनाया जाना, बन्द कर दिया जाना चाहिए और केवल प्रवर्तनशील आदेश ही सुनाया जाना चाहिए। ऐसे मामले जिनमें निर्णय आरक्षित किया जाता है उनमें साधारणतया बहस समाप्त होने के एक मास के भीतर निर्णय दे दिया जाना चाहिए।

16. डिक्री किए जाने वाली रकम पर ब्याज की न्यायालय दर बढ़ा कर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष कर दी जानी चाहिए किन्तु न्यायालय स्वविवेक से निम्नतर दर पर ब्याज का आदेश कर सकता है।

17. सरकार की, उच्च न्यायालयों में लम्बित मुकदमा-कार्य की देखभाल करने और विचारण-पूर्व समझौते का मार्ग खोजने के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए।

18. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा और नगरपालिका और या रेल अधिनियम के तत्सम उपबन्धों को हटा दिया जाना चाहिए।

19. व्यादेश, रिसीवरशिप आदि के लिए अन्तरिम आदेश तब तक जारी नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि सरकार की ओर से महाधिवक्ता या सरकारी काउंसेल पर आवेदन की प्राथिक सूचना की तामील का सबूत न मिल जाए।

20. उच्च न्यायालयों के कार्य दिवसों की संख्या अर्थात 210 दिन, में कोई वृद्धि नहीं की जानी चाहिए। दैनिक कार्य समय भी पांच घण्टों से अधिक नहीं होना चाहिए।

विवरण—2

विचारण न्यायालयों में बकाया मामलों को निपटाने की बाबत भारत के मुख्य न्यायाधिपति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों का सारांश

1. सिविल मामलों में पीठासीन न्यायाधीश को साक्षी की मुख्य परीक्षा करने के बदले उसका शपथपत्र प्रतिपक्षी के इस अधिकार के अधीन रहते हुए लेंने का विवेकाधिकार होना चाहिए कि प्रतिपक्ष साक्षी की प्रति-परीक्षा कर सकेगा।

2. ऐसे कमिश्नर जो साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए सम्यक रूप से सशक्त किए गए हों पर्याप्त संख्या में विचारण न्यायालयों (सिविल) से सम्बद्ध किए जाने चाहिए तथा साक्ष्य ग्रहण करने के बारे में आपत्तियां स्वीकार करने और उनका विनिश्चय करने के लिए इन कमिश्नरों को शक्ति दी जानी चाहिए।

3. सिविल मामलों में, पक्षकार को सामान्य रूप से उसी तथ्य को साबित करने के लिए दो से अधिक साक्षियों की परीक्षा न करने दी जाए।

4. यदि कोई सिविल मामला वापस ले लिया जाता है या उसकी बाबत कोई समझौता हो जाता है तो,

(क) न्यायालय फीस की आधी रकम तब वापस कर दी जानी चाहिए जबकि दलीलों की सुनवाई के पूर्व मामले में समझौता हो जाता है या वह वापस ले लिया जाता है ;

(ख) न्यायालय की फीस की तीन चौथाई रकम तब वापस कर दी जानी चाहिए जबकि विवाधक विरचित करने से पूर्व मामले में समझौता हो जाता है या वह वापस ले लिया जाता है।

5. जब एक बार साक्ष्य के अभिलेखन का कार्य आरम्भ हो जाता है तो जहां तक सम्भव हो मामला स्थगित नहीं किया जाना चाहिए और उसकी दिन प्रतिदिन सुनवाई की जाए।

6. कुछ मामलों में एक ही अपील या पुनरीक्षण का अधिकार होगा और इससे अधिक नहीं। किन्तु यह संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन उच्च न्यायालों की शक्ति के वापस दिए जाने के अधीन होगा।

7. सरकार और लोक प्राधिकारियों को नोटिस देने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 और इस प्रकार के अन्य उपबन्ध अनावश्यक तकनीकी प्रतिरक्षा से बचने की दृष्टि से निकाल दिए जाएं।

8. परिसीमा अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम और प्रक्रिया सम्बन्धी संहिताओं को सरल बनाया जाए ताकि उनके उपबन्धों के अननुपालन से सम्बन्धित तकनीकी दलीलों से बचा जा सके।

9. सेवा निवृत्त जिला न्यायाधीशों की जिला न्यायालयों में बकाया मामलों के निपटाने के लिए जिला न्यायाधीशों के रूप में पुर्ननियुक्ति की जानी चाहिए। किन्तु उनकी सेवा निवृत्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के समाप्त होने के पश्चात उन्हें पुर्ननियुक्त न किया जाए।

दामोदर घाटी निगम की स्टाफ एसोसिएशन की मान्यता समाप्त करना

395. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम की स्टाफ एसोसिएशन की मान्यता निगम के चेयरमैन द्वारा समाप्त कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के साथ इस मामले को उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) दामोदर घाटी निगम को हाल ही तक प्रभावित करने वाली बड़ी बुराइयों में एक बुराई है इस संगठन में अनुशासन का ह्रास और परिणामस्वरूप अधिकारियों और स्टाफ का आचारहीन हो जाना। अनियमित हाजरी, झूठे समयोपरि भत्ते और छुट्टी यात्रा रियायत भत्ते के दावे जैसी गलत प्रथायें बहुत आम थी। इन सभी बातों का प्रतिकूल प्रभाव विद्युत उत्पादन पर पड़ा और अक्तूबर, 1980 से पहले के दो वर्षों की अवधि में यह उत्पादन

लगातार ही असन्तोषप्रद रहा है। दामोदर घाटी निगम में संयंत्र भार अनुपात 34% तक नीचे चला गया था जोकि देश में सबसे कम था। दामोदर घाटी निगम में मजदूरी पर्याप्त ऊंची होने के बावजूद भी किसी न किसी आर्थिक अथवा अन्य मांग को लेकर सदैव ही कुछ न कुछ आन्दोलन या उत्पात होता रहता था। वर्तमान अध्यक्ष ने इस संगठन में एक हद तक अनुशासन लाने का प्रयास किया। झूठे समयोपरि भत्ते और छुट्टी यात्रा रियायत, समय की बेपाबन्दी की हाजिरी जैसी अनियमित प्रथाओं को उन्होंने बन्द कर दिया और 'काम नहीं तो वेतन नहीं' की प्रणाली आरम्भ कर दी। केवल दण्ड देने के तरीकों से नहीं बल्कि अच्छा काम करने की प्रेरणा कर्मचारियों को देकर भी अनुशासन लागू करने का प्रयत्न उन्होंने किया। अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने और काम के प्रति उनके दृष्टिकोण का परिष्कार करने के लिए कार्य क्षेत्रों के व्यापक दौरे किए गए तथा अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठकें आयोजित की गई। शिकायतें दूर करने के लिए उच्च शक्ति सम्पन्न दल क्षेत्रीय संरचनाओं को भेजे गए ताकि जहां राहत देना आवश्यक था वहां राहत दी जाए। समस्याओं पर गौर करने और समाधान निकालने के लिए वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी मुख्यालय से बाहर क्षेत्रों में भेजे गए। किए गए इन उपायों के परिणामस्वरूप दामोदर घाटी निगम में विद्युत उत्पादन में काफी सुधार हुआ है और अक्तूबर, 1980 में हुआ विद्युत उत्पादन पिछले महीने से 15% अधिक था।

कर्मचारियों के कल्याण के लिए तथा उनके हितों में सुधार के लिए किए गए इन उपायों को समझे-कदर किए बिना ही एक स्थानीय यूनियन ने, प्रबन्धकों द्वारा उठाये गये अनुशासनिक उपायों पर नाराजगी जाहिर की। अपनी मांगों पर जोर डालने के लिए उन्होंने सितम्बर, 1980 में दो दिन की सांकेतिक हड़ताल भी की। उनका आन्दोलन और प्रदर्शन उस समय पराकाष्ठा पर पहुंच गया जब उन्होंने दामोदर घाटी निगम के अध्यक्ष पर हमला किया और जिसके कारण अध्यक्ष को कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। यह उल्लेखनीय है कि प्रबन्धकों के लिए तथा यूनियनों के लिए भी अनुशासन संहिता निर्धारित की गई है जिसके अनुसार दोनों पक्षों को एक तरफ कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं तो दूसरी ओर उनके कुछ कर्तव्य और दायित्व भी हैं। इस संहिता के एक अभिन्न अंग के रूप में यूनियनों का यह दायित्व है कि जोर-जबरदस्ती, डराने धमकाने और धीरे काम करने का रास्ता न अपनाएं। चूंकि दामोदर घाटी निगम स्टाफ एसोसिएशन ने इन दायित्वों का पालन करने की परवाह नहीं की, अतः मान्यता के परिणामस्वरूप इस यूनियन को दिए गए अधिकार, उसकी मान्यता समाप्त करके वापस ले लिए गए।

इस मामले पर पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री से एक पत्र प्राप्त हुआ है और उसकी जांच की जा रही है। तथापि, प्रबन्धकगण निष्पक्ष रवैया अपनाए हुए हैं और यदि यूनियन सहयोग देती है तथा समुचित अवधि तक अनुशासनहीनता और गुण्डागर्दी की कार्रवाई नहीं करता तो मामले पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

बंगलादेश के विदेश मन्त्री का फरक्का पर वक्तव्य

396. श्री **चित्त महाटा : क्या सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने फरक्का मामले पर बंगलादेश के विदेश मन्त्री प्रोफेसर शमसुल हक द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 1980 को दिए गए वक्तव्य के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) संयुक्त नदी आयोग ने 8 से 11 जुलाई, 1980 तक ढाका में हुई अपनी 19 वीं बैठक में निर्णय किया था कि शुष्क मौसम में गंगा के बहाव में वृद्धि करने के सम्बन्ध में, विशेष रूप से करार के अन्तर्गत आयोग को दिए गए आदेश को ध्यान में रखते हुए कोई परस्पर स्वीकार्य हल ढूढ़ने के जोरदार प्रयास किए जाएं। यह सहमति हुई थी कि आयोग में और जहाँ आवश्यक हो वहां इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अन्य स्तरों पर भी विचार विमर्श को जारी रखा जाए।

आयोग ने 29 से 31 अगस्त, 1980 तक दिल्ली में हुई अपनी 20 वीं बैठक में विचार-विमर्श को जारी रखा परन्तु ये सफल नहीं हुए। आयोग को दिए गये आदेश की अवधि 4 नवम्बर, 1980 को समाप्त हो गई और इसलिए यह मामला अब संयुक्त नदी आयोग के विचाराधीन नहीं है।

किन्तु शुष्क मौसम में गंगा के बहाव में वृद्धि करने की समस्या का शीघ्र हल खोजने के लिए दोनों सरकारें विभिन्न राजनीतिक स्तरों पर आपस में सम्पर्क बनाए हुए हैं।

वंसधारा में बाढ़ नियंत्रण के लिए स्कीमें और योजनाएं

397. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुरापुट जिले के गीनपुर सब डिवीजन में वंसधारा में नदी में बाढ़ को रोकने के लिए उड़ीसा सरकार ने योजना और स्कीम तैयार की थी ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तावित वंसधारा नदी पर सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या बाढ़ नियंत्रण के लिए वंसधारा नदी की सहायक नदियों का सर्वेक्षण और जाँच करने के लिए उड़ीसा सरकार ने कोई कार्यक्रम तैयार किया है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

नर्मदा न्यायाधिकरण पंचाट

398. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उस प्रेस समाचार की ओर दिलाया गया है जो नर्मदा न्यायाधिकरण पंचाट के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में जाने के मध्य प्रदेश राज्य सरकार के निर्णय के बारे में है;

(ख) क्या केन्द्र को पता है कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने गुजरात सरकार का वह चैक स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है जो पुनर्वास के लिए योगदान के रूप में था ;

(ग) यदि (क) और (ख) भाग का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या यह सच है कि अन्तर्राज्यीय जल-विवाद अधिनियम के अन्तर्गत उक्त पंचाट सभी सम्बन्धित पार्टियों के लिए एक अनिवार्यता है; और

(घ) यदि हां, तो पंचाट को शीघ्रता पूर्वक क्रियान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने

क्या कदम उठाये हैं । कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां ।

(ख) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि न्यायाधिकरण के निर्णयानुसार, पुनर्वास से सम्बन्धित प्रारम्भिक कारंवाई के लिए दस लाख रुपए के जो डिमांड ड्राफ्ट मध्य प्रदेश को मार्च, 1980 में भेजे गए, थे, उनकी प्राप्ति की सूचना मध्य प्रदेश सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) जी, हां ।

(घ) पंचाट को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्देशानुसार केन्द्रीय सरकार ने इस बीच राजपत्र में 10 सितम्बर, 1980 को प्रकाशित सांविधिक आदेश के अन्तर्गत नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण और पुनरीक्षण समिति का गठन किया है । भारत एक सरकार न इसी प्रकार, 4 सितम्बर, 1980 के संकल्प द्वारा सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति का भी गठन किया है ।

पन्डोह बांध की गम्भीर स्थिति

399. श्री चिरन्जी लाल शर्मा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जलाशय में गाद का भारी जमाव हो जाने से पन्डोह बांध की स्थिति गम्भीर हो गई है; जिससे भाखड़ा नांगल परियोजना में पानी के बहाव पर असर पड़ सकता है; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) यद्यपि पंडोह जलाशय में गाद भरने की दर, प्रत्याशित दर से अधिक पाई गई है, भाखड़ा नंगल परियोजना को जल के प्रवाह पर इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि पंडोह बांध प्रधानतः एक व्यपवर्तन बांध है ।

(ख) सड़क निर्माण कार्यों के दौरान खोदी गई सामग्री का जलाशय में डाला जाना रोककर तथा अपवाह क्षेत्रों में वन लगाकर समुचित उपाय करके गाद भरने की दर को नियंत्रित करने का प्रभाव है । हिमाचल प्रदेश सरकार के प्राधिकारियों के साथ इस मामले पर कार्यवाही की जा रही है ।

सिंदरी स्थित उर्वरक संयंत्र के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका

400. श्रीमती गीता मुखर्जी :

डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम द्वारा सिन्दरी स्थित कोयले पर आधारित सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक संयंत्र को रद्दी के रूप में बेच दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा तथा कारण क्या हैं;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने उर्वरक निगम कर्मचारी संघ द्वारा रिट याचिका के दायर

किये जाने पर केन्द्र को यह अनुदेश दे दिये हैं कि संयंत्र का कब्जा न छोड़ें; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या हैं और उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) दि फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया ने सिन्दरी के कोयले पर आधारित पुराने प्लांटों के अप्रचलित और पुराने पुर्जे और उपकरणों को वेच दिया चूंकि इन प्लांटों ने अपनी आयु पूरी कर ली थी और संचालन के लिए गैर किफायती और असुरक्षित हो गये थे ।

(ग) और (घ) उच्चतम न्यायालय ने फर्टिलाइजर कारपोरेशन कामगार यूनियन और अन्य के प्रार्थनापत्र को 13.11.1980 को रद्द कर दिया और बिक्री का समर्थन किया ।

———

अतारांकित प्रश्न संख्या 3355 दिनांक 4.7.1980 तथा अ० प्र० संख्या 6046 दिनांक 27.7.80 के उत्तरों में शुद्धि करने वाले विवरण

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ज़ियाउर्रहमान) : लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं० 3355 के उत्तर को सही करने सम्बन्धी विवरण को सभा पटल पर पहले इसलिए नहीं रखा जा सका क्योंकि लोक सभा का सत्रावसान हो चुका था ।

विवरण

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (जियाउर रहमान अंसारी) : सिंचाई परियोजनाओं के लिए आबंटित धन के सम्बन्ध में लोक सभा के 8-7-80 के अतारांकित प्रश्न सं० 3355 के भाग (ख) के उतर को शुद्ध करने के लिए सिंचाई मन्त्री द्वारा दिया जाने वाला वक्तव्य :

सिंचित भूमि की राज्यवार प्रतिशतता (1976-77 के आंकड़े) (हजार हैक्टेयर)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सकल सिंचित क्षेत्र		सकल बुवाई क्षेत्र		सकल बुवाई क्षेत्र की तुलना में सकल सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता	
	मूल उत्तर के अनुसार	शुद्ध	मूल उत्तर के अनुसार	शुद्ध	मूल उत्तर के अनुसार	शुद्ध
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
राजस्थान	2,972	2,976	16,898	16,898	17.6	17.6
तमिलनाडु	3,001	3,001	7,147	7,147	22.0	42.0
दिल्ली	72	72	116	116	62.8	62.1

अतारांकित प्रश्न सं० 6046 दिनांक 29-7-80 के उत्तर में शुद्ध करने वाला विवरण

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान) : नर्मदा सिंचाई योजना से पानी की सप्लाई की मात्रा के बारे में श्री छीतूभाई गामित द्वारा लोक सभा में 29-7-1980 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 6046 के भाग (ख) के उत्तर में "गुजरात को" शब्दों के बाद "आबंटित जल की कुल मात्रा में से" शब्द जोड़ने भूल से रह गए थे। प्रश्न के भाग (ख) का सम्पूर्ण उत्तर इस प्रकार होगा :—

(ख) जी, नहीं। न्यायाधिकरण ने गुजरात को आबंटित जल की कुल मात्रा में से जिला-वार/क्षेत्र-वार जल की मात्रा आबंटित करने की सिफारिश नहीं की है।

इस भूल का पता चलते ही यह वक्तव्य सभा-पटल पर रखा जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा-पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सबको बोलने का अवसर दिया जाएगा, परन्तु आप सभी प्रथम तो बैठ जाइए। प्रत्येक दल के नेता को सभा में अनुशासन बनाए रखना होगा।

(व्यवधान)

श्री जगपालसिंह (हरिद्वार) : चार-पांच हजार लोगों को सरकार ने मारा है, उनके ऊपर एडजार्नमेंट मोशन होना चाहिए। डिसिप्लिन तब रहेगा, जब आप एडजार्नमेंट मोशन लेंगे। आपकी सरकार ने चार-पांच हजार लोगों का कत्ल किया हैं.........(व्यवधान).........जिन्होंने मोशन का नोटिस दिया है, उनको आप.........

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं सभा से अपील कर सकता हूं ? शून्य-काल में मैं प्रत्येक दल के नेता को सभा में कुछ शब्द बोलने का अवसर दूंगा।

कुछ माननीय सदस्य : दलों के नेता ही क्यों ?

(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष महोदय : यदि आप नहीं चाहते कि दल के नेता ही बोले तो तब आपमें से हरेक सही ढंग से क्रमानुसार खड़ा होकर अनुमति माँगे। नियम तो यही है। आपको कोई मुद्दा उठाने से पहले, खड़ा होना चाहिए और मेरी अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। आप अपनी मन-मर्जी से खड़े होकर बोल नहीं सकते। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। आपको मेरी अनुमति प्राप्त करनी चाहिए अन्यथा मैं आपके बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था प्रश्न है.........

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप सभी अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा आप सबसे निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें।

अबके बाद जब तक वे सब अपना स्थान ग्रहण नहीं करते, कोई भी व्यक्ति बिना मेरी अनुमति के सभा में बोलेगा तो उसका भाषण कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया शान्त रहें।

(व्यवधान)**

कृपया आप सभी बैठ जाएं। मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

अब, केवल सभा-पटल पर पत्र रखे जायेंगे। इसके सिवाय कोई भी बात कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

(व्यवधान)**

सभा पटल पर रखे गये पत्र

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के अन्तर्गत अधिसूचना

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : मैं तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 की धारा 31 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 1 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में असूचना संख्या सा० सां० नि० 1139 में प्रकाशित हुए थे। की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं [ग्रन्थालग में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-1305/80]

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना, प्रारूप अधिसूचना और कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना, विधि आयोग के 83वें, 85वें, 86वें और 87वें प्रतिवेदन आदि।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री शिव शंकर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 67 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (कर्मचारियों की भर्ती) संशोधन नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 26 जुलाई, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 448(ङ) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी-1306/80]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा 255, 256 और 257 को सरकारी कम्पनियों पर लागू किए जाने से छूट के बारे में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की जाने वाली अधिसूचना के प्रारूप (हिादी और अंग्रेजी संस्करणों) की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-1307/80]

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कम्पनी (निक्षेप स्वीकृति) पांचवा संशोधन नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 24 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 546(ङ) में प्रकाशित हुए थे । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०-308/80]

(4) संरक्षक और प्रतिपान्य अधिनियम, 1980 और हिन्दू अप्राप्तयता और संरक्षता अधिनियम, 1956 के कतिपय उपबंधों पर विधि आयोग के 83वें प्रतिवेदन (हिन्दी *संस्करण) की एक प्रति ।

(5) मोटर-यान अधिनियम, 1939 के अध्याय 8 के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति के लिए दावों पर विधि आयोग के 85वें प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०-1309/80]

(6) विभाजन अधिनियम, 1893 पर विधि आयोग के 86वें प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(7) बन्दी शनाख्त अधिनियम, 1920 पर विधि आयोग के 87वें प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(8) उपर्युक्त (6) और (7) में उल्लिखित प्रतिवेदनों के हिन्दी संस्करण साथ-साथ न रखे जाने के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी०-1309/80]

अन्तर्राज्यिक जल-विवाद अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

सिचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : मैं अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 6क की उपधारा (7) के अन्तर्गत नर्मदा जल स्कीम (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को एक प्रति जो दिनांक 10 सितम्बर, 1980 के भारत के राज्यपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 770 (ङ) में प्रकाशित हुई थी सभा पटल पर रखता हूं । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०-1310/80]

पेटेंट, डिजाइन और पण्य चिन्ह के महानियन्त्रक का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (चरणजीत चानना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) पेटेन्ट अधिनिलम, 1970 की धारा 155 के अन्तर्गत पेटेंट, डिजाइन और पण्य चिन्ह के महानियंत्रक के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०-1311/80]

(2) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्न-लिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

*प्रतिवेदनों का अंग्रेजी संस्करण 12 अगस्त, 1980 को सभा पटल पर रखा गया था ।

(क) (एक) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के 30 सितम्बर, 1979 को समाप्त हुई वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का 30 सितम्बर, 1979 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-1312/80]**

(ख) (एक) साम्भर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के 30 सितम्बर 1979 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) साम्भर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का 30 सितम्बर, 1979 को समाप्त हुए वर्ष का का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1313/80]**

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1313/80**

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, और संघ उत्पाद-शुल्क (विद्युत) वितरण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना।

वित्त मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति।

(एक) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वर्ष 1979 का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक भाग पांच—अभिरुचि के प्रकीर्ण विषय। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1314/80]

(दो) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वर्ष 1979 का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक)—भाग छः—भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड (सिंदरी एकक) [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1315/80]

(तीन) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वर्ष 1980 का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) —भाग एक-प्रस्तावना। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1316/80]

(2) संघ उत्पाद-शुल्क (विद्युत) वितरण अधिनियम, 1980 की धारा 5 की उपधारा (2) के अन्तर्गत संघ उत्पाद शुल्क (विद्युत) वितरण नियम 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 18 अक्तूबर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1076 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1317/80]

राष्ट्रीय चलचित्र नोति संबंधी कार्यकारी दल का प्रतिवेदन

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : मैं राष्ट्रीय चलचित्र नीति सम्बन्धी कार्यकारी दल के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-1318/80]

विधेयकों पर अनुमति

सचिव : महोदय, मैं पिछले सत्र में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किया गया तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 1980 को, जिसकी सूचना अन्तिम बार सभा को 8 अगस्त, 1980 को दी गई थी, सभा पटल पर रखता हूं।

2. महोदय, मैं गत सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किए गए और राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयकों की प्रतियां राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत प्रमाणीकृत रूप में, जिसकी सूचना अन्तिमबार सभा को 8 अगस्त, 1980 को दी गई थी, सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अन्तर्राज्यीय जल-विवाद विधेयक, 1980

(2) ब्रह्मपुत्र बोर्ड विधेयक, 1980

उपाध्यक्ष महोदय : अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिए जाएंगे—श्री धनिक लाल मण्डल।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, मैं किसी को अनुमति नहीं देता। आप सभी कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही दलों के नेताओं से निवेदन कर चुका हूं ताकि मैं सबको अवसर दे सकूं। परन्तु आपने सहयोग नहीं दिया। (व्यवधान)

स्थगन प्रस्तावों के बारे में

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप मेरी बात एक मिनट के लिए सुनेंगे ? कृपया बैठिए। मैं एक एक करके बुलाऊंगा। आपमें से हर कोई अपनी बात अथवा बातें कह सकता है। जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है उन्हें एक-एक करके बुलाया जाएगा। कृपया बैठिए। मैं प्रत्येक सदस्य को तीन मिनट दूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : ऐसा आपको पहले ही कर देना चाहिए था।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्रीमान्, यह अत्यन्त गम्भीर मामले हैं। माननीय सदस्यों ने दिल्ली से कुछ ही मील की दूरी पर मुसलमानों की बेदर्दी से हत्या के विरुद्ध स्थगन प्रस्ताव रखे हैं। यह सरकार तुरन्त कार्यवाही नहीं कर रही है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री बसु को बुलाया है। यदि आपको भी कुछ कहना है तो मैं आपको भी अवसर दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसलिए श्रीमान, यह सभा अपने कर्तव्य से च्युत रहेगी यदि यह अल्पमत के लोगों की सहायता नहीं करती जिनके लिए ये लोग उनकी वोट प्राप्त करने के लिए पिछले कई महीनों से दिखावे के आंसू बहाते रहे हैं। मेरे मित्रों ने तथा अन्यों ने भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए हैं। कृपया इस प्रस्ताव पर चर्चा का समय निकालें। यह मामला अत्यन्त गम्भीर हैं। मेरी पहली बात यही है। दूसरे मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री······

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसु, आप दूसरी बातें न रखें। मैं उसकी अनुमति नहीं दूंगा। कृपया बैठिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री बसु को बताना चाहता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति ने इस मामले पर चर्चा की अनुमति दी है। अब श्री पासवान। (व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : यदि स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार किया जाता है तो उसके कारण बताए जायें। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : वर्तमान स्थगन प्रस्ताव की मांग करती है, यह व्यक्ति जो मौन दर्शक के रूप में बैठा हुआ है उसकी निन्दा की जानी चाहिए। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नियम 60 के तहत प्याएंट आफ आर्डर है। मैंने दो एडजोर्नमेंट मोशंस दिये हैं—एक कम्युनल राइट्स पर और दूसरा प्राइस राइज पर। आप नियम 60 को पढ़िये, इसमें लिखा है—

परन्तु जब अध्यक्ष ने नियम 56 के अर्न्तगत अपनी सम्मति देने से इन्कार कर दिया हो या उसकी राय हो कि चर्चा के लिए प्रस्थापित विषय नियमानुकूल नहीं है तो वह यदि आवश्यक समझे, कि उस प्रस्ताव की सूचना पढ़कर सुना सकेगा और सम्मति देने से इन्कार करने या प्रस्ताव को नियमानुकूल न ठहराने के कारण बता सकेगा।

मैं आप से जानना चाहता हूं कि आपने हम लोगो का एडजोर्नमेंट मोशन स्वीकार किया है या नहीं ? यदि नहीं स्वीकार किया है तो क्या कारण है ? (व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह : आप रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप को कारण बताना पड़ेगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय को स्थगन प्रस्तावों को अस्वीकार करने के कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय पहले ही बता चुके हैं और यही नियम है। मूल्य वृद्धि पर चर्चा होगी (व्यवधान)

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) आपको कारण अवश्य बताने चाहिए···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बता चुका हूं कि अध्यक्ष महोदय को कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। 30 मार्च 1972 को श्री के० बालादण्डायुवम इस महान सभा के भूतपूर्व सदस्य ने मुझे एक महान वीर की चर्चा करने का गौरव प्राप्त हुआ है—उन्होंने सभा के उस दिन के वाद-विवाद में मामला उठाया जिससे कि मैं उद्धृत कर रहा हूं :

"**श्री बालादण्डायुवम** : मैंने स्थगत प्रस्ताव रखा था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको सूचित कर दिया है कि मैंने उसकी स्वीकृति नहीं दी है।

श्री के० बालादाण्डायुवम : यदि आप इसे अस्वीकार करते हैं तो आप प्रस्ताव को पढ़े तथा उसके अस्वीकार करने के कारण बतायें।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है अध्यक्ष सभा के भीतर स्पष्टीकरण नहीं देता। (व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (बड़ागरा) परन्तु ऐसे भी उदाहरण हैं जब अध्यक्ष ने अस्वीकार करने के कारण बताये हैं।···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कल यह मामला उठाया गया था तथा अध्यक्ष महोदय ने दावा किया था कि उससे कारण नहीं पूछे जा सकते। अब आपको अध्यक्ष के निर्णय के बारे में मेरे साथ बात-चीत करना उचित नहीं है। मुझे खेद है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। अध्यक्ष द्वारा कल लिया गया निर्णय अंतिम है और यह कार्यवाही वृत्तान्त में है। कोर्ट इसे अस्वीकार नहीं कर सकता।

डॉ सूब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई-उत्तर पूर्व) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी को व्यवस्था का प्रश्न रखने की अनुमति देता हूं।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : आप इसको नेशन के लिए इम्पार्टेंट सब्जेक्ट मानते हैं या नहीं? (व्यवधान)

डॉ सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं आपका ध्यान निर्देश 2 की ओर दिलाता हूं जिसमें कार्य की व्यवस्था को लिया गया है। आप सभा से सहयोग चाहते हैं। हम आपसे सहयोग चाहते हैं। जो प्रस्ताव आपने आज रखे हैं यदि आप इन्हें कल स्वीकार कर लेते तो यह सभी शोर-शराबा न होता (व्यवधान)

सूचना और प्रसारण-मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : हम आरम्भ से करते आ रहे हैं। (व्यवधान)

डॉ सुब्रहमण्यम स्वामी : निर्देश 2 इस प्रकार है। (**व्यवधान**) मैं आपके रंगीन टेलीविजन का समर्थन करता हूं। (एक) शपथ की प्रतिज्ञान (दो) संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण का सभा पटल में रखा जाना। (तीन) निधन संबन्धी उल्लेख (चार) प्रश्न (अल्प सूचना समेत) जैसा कि आज हुआ—तत्पश्चात् (पाँच) सभा का कार्य स्थगित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति। यह प्रक्रिया जो आपने आज अपनाई है वही यदि उस समय अपनाई होती तो शोर-शराबा न होता। उसके स्थान पर आप कार्य सूची की अगली मद अर्थात "सभा पटल पर रखे गये पत्र" लेना चाहते हैं तथा आपने इस ओर की सभी आपत्तियों एवं व्यवस्था के प्रश्नों को ताक में रख दिया। अब मैं आप का ध्यान नियम 60 की ओर दिलाता हूं।

यह सही है कि आपने 1972 के वाद-विवाद से उद्धृत किया है। परन्तु मैं बाद के कई उद्धरण दे सकता हूं जिनमें अध्यक्ष ने स्पष्टीकरण देने का कष्ट उठाया विशेषत: जबकि पूरा विपक्ष एक साथ था और स्थगन प्रस्ताव विपक्ष के पास वह शस्त्र है जिसमें की विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव रखे बिना सरकार की निन्दा कर सकता है। हम अविश्वास प्रस्ताव रख सकते हैं क्योंकि 50 से अधिक सदस्य विपक्ष में हैं। परन्तु हम सभा को अपनी कार्यवाही जारी रखने देना चाहते हैं इसलिए हम सरकार की निन्दा करना चाहते हैं। इसलिए सभा सर्वसम्मति से स्वीकार करती है कि मूल्य वृद्धि के मामले पर स्थगन प्रस्ताव रखा जाये। यदि आप सभा को विश्वास में लेना चाहते हैं···

कुछ माननीय सदस्य : साम्प्रदायिक दंगे। (**व्यवधान**)

डॉ सुब्रहमण्यम स्वामी : यह आपके स्वविवेक पर निर्भर है। कहा गया है कि संसद और न्यायालय का स्वविवेक अन्यत्र स्व-विवेक से भिन्न है। यह मनमाना नहीं हो सकता यह विषय परक होता है। (**व्यवधान**) इसमें सभा की अभिरुचि पर ध्यान देना होता है और सभा की अभिरुचि हैं कि स्थगन प्रस्ताव लिया जाये। हम समान्य प्रस्ताव नहीं चाहते। इस लिए कृपया बतायें कि आप इसे स्वीकार क्यों नहीं करते? (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पुन: उद्धृत करता हूं—(**व्यवधान**) इसमें कहा गया है, "अनुमति देने से मना करना—लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम···(**व्यवधान**) श्री हरिकेश बहादुर आपने व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया था। मैं केवल डा० सुब्रहमण्यम तथा सभा को बता रहा था। "उसमें कहा गया है" अनुमति देने से इन्कार करना पूर्णत: अध्यक्ष के स्व-विवेक पर निर्भर है तथा इसके लिए कारण बताने में वह वाध्य नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मुझे खेद है कि अध्यक्ष को स्व-विवेक का उपयोग देश के हित में करना होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे संतुष्ट करें।

श्री चन्द्रजीत यादव : नहीं नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आप बहुत गलत मिसाल पेश कर रहें हैं। साम्प्रदायिक दंगे। पर देश में उत्तेजना है। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे समझायें। कृपया आप निर्णय पर ध्यान दें। कल अध्यक्ष महोदय ने बताया था कि उन्हें कारण बताने की आवश्यकता नहीं है तथा उन्होंने बात को अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया था। इतना ही नहीं उन्होंने तुरन्त बाद कार्य नंत्रणा समिति की बैठक बुलायी। इस समस्या पर नर्चा हुई तथा मूल्य वृद्धि पर चर्चा के लिए तिथि निर्धारित हुई (**व्यवधान**) प्रो० मधु दंडवते और श्री बी० वी० देसाई के चीनी तथा अल्प आवश्वक वस्तुओं के मूल्य वृद्धि के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा की जायेगी। (**व्यवधान**) इसलिए मैं अगला विषय लेता हूं। (**व्यवधान**) मैं किसी को अनुमति नहीं दूंगा। यह वात समाप्त होती है। (**व्यवधान**) अव ध्यनाकर्पण प्रस्ताव पर चर्चा की जायेगी। (**व्यवधान**)

श्री चन्द्रजीत यादव : यह सर्वथा गलत बात है। मैं कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में

उपस्थित वहां पर चीनी के मामले पर चर्चा करने का निश्चय नहीं किया गया था साम्प्रदायिक दंगों पर चर्चा का निश्चय किया गया था।

(2) सदस्य साम्प्रदायिक दंगों का प्रश्न उठा रहे हैं। यह प्रश्न साम्प्रदायिक दंगों के बारे का है मैं कहना चाहता हूं कि हमने साम्प्रदायिक दंगों का मामला उठाया है। उत्तर प्रदेश के नगरों में साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं। गृहमंत्री महोदय को वक्तव्य देने दें।

डॉ० सुब्रहमण्यम स्वामी : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं अध्यक्ष महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह कारण बताने के लिए बाध्य हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय ने जो कुछ कल कहा था, वह वैध है मैं उसमें हस्ता क्षेप नहीं करना चाहता। जो कुछ अध्यक्ष महोदय ने कल कहा था उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं इसकी अनुमति नहीं देता **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप सभी अपने स्थानों पर बैठ जायें तो आप से मैं बहुत कुछ जान सकता हूं। सभा में बहुत से वरीष्ठ सदस्य हैं। मुझे उनसे सीखने का अवसर दें।

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नगिरी) : मैं पन्द्रह मिनट से बोलने की अनुमति माँग रहा हूं जो कि आपने मुझे नहीं दी है। यह क्या चल रहा है। मैं भिन्न बात कहना चाहता हूं। आप कहते हैं कि जब तक नोटिस न दिया हो, हमें बोलना नहीं चाहिए। प्रश्नकाल के दौरान मैंने पत्र द्वारा आपकी अनुमति मांगी थी। क्या आपको मेरा पत्र मिल गया है। क्या मुझे आप अगले अवसर पर समय देंगे। मैंने अनुमति माँगी परन्तु आपने सुना नहीं। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है।

आज के कार्यवाही सम्बन्धी प्रपत्रों के साथ हमें एक स्लिप भी प्राप्त हुई है जिसमें लिखा है: "सातवीं लोक-सभा" "सदस्य परिचय" पृष्ठ 103 से "बार-ऐट-ला" तथा "अविवाहित शब्द काट दिये जाये। यह सदस्य परिचय के पृष्ठ 103 पर की गई शुद्धि है। यह ब्यौरा उन्होंने उस समय दिया था जबकि वह मन्त्री बने थे और अब वह कह रहे हैं कि न तो वह "बार-ऐट-ला" है और न ही अविवाहित। जिस समय उन्होंने यह जानकारी दी थी तो क्या उस समय वह भूल गये थे कि उनका विवाह हो चुका है? इन्होंने सदन को गलत जानकारी क्यों दी है? गलत जानकारी देने के लिए सम्पूर्ण विरोधी दल उनके त्यागपत्र की मांग करता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने इस सम्बन्ध में पत्र भेजा था। आपसे कहा गया था कि आप अध्यक्ष महोदय को उसके चैम्बर में मिल लीजिये।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : हम मांग करते है कि वह वक्तव्य दें।

श्री सतीशकुमार (जयपुर) : इसके बारे आपका विनिर्णय क्या है? वह विवाहित है या अविवाहित?···**(व्यवधान)**

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : मैंने जो कुछ लिखा, उसकी फोटो-स्टेट प्रति मैं सदन के समक्ष रख सकता हूं। मेरे एक निजि सहायक ने मेरे द्वारा लिखवाये जाने के बाद यह सब कुछ लिखा था। मैंने जो कुछ लिखा था उसकी फोटोस्टेट प्रति मेरे पास है और मैं उसे सदन के समक्ष रख सकता हूं **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपक इसकी सराहना करनी चाहिए...(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : काफी अच्छी बात कही कि कल रेल मंत्री ने ने स्वत: रेल-दुर्घटना के बाद सवन में वक्तव्य दे दिया जिसमें कि 100 लोगों की मृत्यु हो गई। परन्तु मुरादाबाद, अलीगढ़, इलाहाबाद, कानपुर तथा उत्तर-प्रदेश के अन्य अनेक नगरों सैकड़ों यहां तक कि हजारों लोगों की साम्प्रदायिक दंगों में मृत्यु हो गई। वहां साम्प्रदायिक दंगे अभी भी चल रहे हैं। सम्पूर्ण अल्पसंयक वर्ग बहुत ही असहाय स्थिति में है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री चन्द्रजीत यादव : जी हां, मैं वही पूछने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के अनेक नगरों में अभी भी साम्प्रदायिक दंगे चल रहे हैं। उत्तर-प्रदेश सरकार राज्य में साम्प्रदायिक सद्भाव बहाल करने में पूर्णतया असमर्थ रही है और उसे बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। उत्तर-प्रदेश में मुख्यमन्त्री को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। मैं गृहमन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह देश में व्याप्त साम्प्रदायिक स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य दें क्योंकि आज सम्पूर्ण अल्पसंख्यक वर्ग असहाय बन गया है। अत: क्या मन्त्री महोदय इसके बारे में वक्तव्य देंगें ताकि हमें यह पता चल सके कि इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कायवाही की गई है। देश के समक्ष यह बहुत ही ज्वलंत मसला है और सदन को देश की साम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। वह उसके बारे में हमें कुछ बतायेंगे ? लोग मारे जा रहे हैं। उन पर आक्रमण किया जा रहा है। पुलिस द्वारा लूटपाट की जा रही है।... (व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) कौमुनल राइट्स पर एडजार्नमेंट मोशन इसलिए दिया है क्योंकि सरकार की पुलिस ने कौमुनल राइट्स को पैदा किया है। आपका जबाब "ना" या "हां" में लेना चाहता हूं कि आप कौमुनल राइट्स के मोशन को जरूरी समझते हैं या नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि इन स्थगन प्रस्तावों के बारे में जो भी निर्णय लिया गया था, वह आज तक मान्य है और उस विषय को दुबारा नहीं लिखा जा सकता। मैं किसी को कहने की अनुमति नहीं दे रहा...(व्यवधान) मैं आधे घण्टे तक यह सब सुनता रहा हूं। मैं किसी को इसकी अनुमति नहीं दे रहा।

श्री **चन्द्रजीत यादव** : क्या आप गृहमन्त्री से वक्तव्य देने के लिए कहेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उनसे ऐसा कहने के लिए नहीं कह सकता। अब अगले मद को लीजिये।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी को कुछ कहने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अगली मद पर आ रहा हूं। वह है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, श्री धनिक लाल मंडल...श्री हरिकेश बहादुर।

श्री धनिक लाल मंडल (झंझारपुर) : मैं उपस्थित हूं परन्तु मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। ... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही गम्भीर मामला है। श्री धनिक लाल मंडल का कहना है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। यह बहुत खेद की बात है...(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित मत कीजिये। यदि मुझे कोई निर्णय देना ही है तो मैं विरोधी पक्ष के सदस्यों से यही कहूंगा कि मैंने उनके उद्गारों को अध्यक्ष महोदय तक पहुंचा दिया है। अब अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव को लिया जायेगा।

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने श्री धनिक लाल मंडल से बोलने को कहा है और उनका कहना है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। मैं इस सन्दर्भ में आपका ध्यान नियम 373 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है :

"अध्यक्ष किसी सदस्य को जिसका व्यवहार उसकी राय में घोर अव्यवस्थापूर्ण हो, तत्काल सभा से बाहर चले जाने का निदेश दे सकेगा और जिस सदस्य को इस तरह बाहर चले जाने का आदेश दिया जाये वह तुरन्त बाहर चला जायेगा और उस दिन की अवशिष्ट बैठक के समय तक अनुपस्थित रहेगा।"

श्री जनार्दन पुजारी : नियम बहुत स्पष्ट है और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यह सदस्य सदन की कार्यकाही में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं···**(व्यवधान)** मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उनके विरुद्ध कार्यवाही कीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक मेरा या अध्यक्ष महोदय का सम्बन्ध है। हम कभी भी इस नियम का उपयोग अपने ही साथियों के खिलाफ नहीं करेंगे···**(व्यवधान)**

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : श्रीमान जी, मैं प्रक्रिया सम्बन्धी नियम 56 तथा 60 के अन्तर्गत एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। हमने साम्प्रदायिक दंगों के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी हुई है···**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे नहीं उठा सकते। अध्यक्ष ने पहले ही इसके बारे में अपना विनिर्णय दे दिया है।

श्री चन्द्रजीत यादव : मंत्री महोदय को यह बताने के लिए तो कहिये कि साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिए वह क्या करने जा रहे हैं। आप गृहमंत्री से ऐसा करने के लिए क्यों नहीं कहते? जब आप अध्यक्ष पीठ पर आसीन है तो फिर आप अपने अधिकार का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता। श्री यादव तथा श्री उन्नीकृष्णन् यह चाहते हैं कि मैं मंत्री महोदय से उनके द्वारा उठाये गये कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहूं। श्री साठे ने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि अध्यक्ष किस नियम के अन्तर्गत मंत्री महोदय को वक्तव्य देने का आदेश दे सकता है? निसंदेह मंत्री वक्तव्य देने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र है। म इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : नियम 389 में कहा गया है : "ऐसे सब विषय जिनका इन नियमों में विशिष्ट रूप से उपबन्ध न किया गया हो और इन नियमों की

विस्तृत क्रियान्विति से सम्बन्धित सब प्रश्न ऐसी रीति से विनियमित किये जायेंगे जैसे कि अध्यक्ष समय-समय पर निदेश दें।" अतः आप मंत्री महोदय से वक्तव्य देने के लिए कह सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की रोक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह केवल एक अवशिष्ट शक्ति है।

श्री चन्द्रजीत यादव : अनेक अवसरों पर अध्यक्ष मंत्री महोदय को वक्तव्य देने के लिए निदेश देते रहे हैं। यह एक ऐसा मामला है जो सारे देश को उत्तेजित कर रहा है। हमारे देश में लाखों लोग अल्पसंख्यक हैं···(**व्यवधान**) मंत्री से ऐसा कहने में क्या गलती है? (**व्यवधान**)···

उपाध्यक्ष महोदय : श्री यादव तथा श्री उन्नीकृष्णन् बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं तो उनकी तुलना में बहुत साधारण व्यक्ति हूं। अतः मैं उनसे सविनय अनुरोध करता हूं कि वह अध्यक्ष से उसके चैम्बर में मिल कर इस विषय पर विचार विमर्श कर लें।

श्री चन्द्रजीत यादव : आप अपने अधिकार को क्यों छोड़ रहे हैं? आप भी तो अध्यक्ष पीठ पर आसीन हैं। आप अपने अधिकार का त्याग मत कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : जैसे आप मुझसे अनुरोध कर रहे हैं उसी प्रकार मैं भी आपसे अनुरोध कर रहा हूं। क्या मुझे आपसे अनुरोध करने का अधिकार नहीं है?

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं यह नहीं कह रहा कि आपको ऐसा कहने का अधिकार नहीं है?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मुझे आपसे अनुरोध करने का अधिकार नहीं है?

श्री चन्द्रजीत यादव : आपको है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे अनुरोध किया है कि आप इस मामले में अध्यक्ष महोदय से उसके चैम्बर में मिलिये तथा इस समस्या का कोई शांतिपूर्ण हल खोजने का प्रयत्न कीजिये।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : वह तो ठीक है। क्या मैं भी आपसे अनुरोध कर सकता हूं?

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अनुरोध करने का अधिकार है। और मुझे भी अनुरोध करने का अधिकार है। (**व्यवधान**) 45 मिनट का समय व्यतीत हो गया है। आप मुझे सदन की कार्यवाही चलाने दीजिये···(**व्यवधान**) कृपया आप सब बैठ जाइये! अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लिया जायेगा।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मंजेरी) : कृपया मेरी बात सुनिये···(**व्यवधान**) अध्यक्ष महोदय ने हमें आश्वासन दिया था कि इन सभी मामलों पर विचार किया जायेगा परन्तु साम्प्रदायिक दंगों पर विचार करने के लिए समय का आवंटन नहीं किया गया है। किसी भी तिथि या समय का निर्धारण नहीं किया गया है। ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है?

उपाध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति में पहले ही इसका उल्लेख किया जा चुका है और इस सम्बन्ध में निर्णय भी किया जा चुका है।

श्री आर० एन० राकेश : परन्तु हम उस निर्णय के लिए वाध्य नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सेट, आप कृपया अध्यक्ष से उनके चैम्बर में मिल लीजिये, यही मेरा अनुरोध है।

श्री आर० एन० राकेश : परन्तु पीठासीन तो आप हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप अध्यक्ष महोदय से उनके चैम्बर में मिल लीजिए। अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया जायेगा।

श्री आर० एन० राकेश : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने की इजाजत नहीं मिली है। इस लिए मैं सदन का त्याग कर रहा हूं।

(इसके बाद श्री आर० एन० राकेश तथा कुछ अन्य सदस्य सभा से उठकर बाहर चले गये)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक के निष्कर्ष

श्री धनिक लाल मंडल (झंजारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृहमंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस बारे में वक्तव्य दें :

"राष्ट्रीय एकता परिषद की 12 नवम्बर, 1980 को नई दिल्ली में हुई बैठक के निष्कर्ष।"

गृहमंत्री (श्री जैलसिंह) : महोदय, 12 नवम्बर, 1980 को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक हुई। इसमें मुख्य रूप से साम्प्रदायिक सद्भाव को बनाये रखने, प्रादेशिकता तथा उत्तर-पूर्व की घटनायें, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका, केन्द्र-राज्य सम्बन्ध तथा भाषा समस्या जैसे बड़े बड़े मुद्दों पर विचार किया गया। राष्ट्रीय एकता के कार्य में रुकावट डालने वाले भिन्न-भिन्न कारणों का जायजा लिया गया और उन रुकावटों को दूर करने के बारे में सुझाव दिये गये। ये जायजा और सुझाव उन तीन समितियों के विचार-विमर्श का मार्गदर्शन करेंगे जिनको गठित करने का परिषद ने फैसला किया है। राष्ट्रीय एकता से सम्बन्धित स्थायी समिति राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिशों को अमल में लाने के कार्य की लगातार समीक्षा करती रहेगी और उस पर नजर रखेगी। दूसरी समिति साम्प्रदायिक सद्-भाव को बनाये रखने पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगी और साम्प्रदायिक गड़बड़ी के कारणों का गहराई से अध्ययन करेगी। तीसरी समिति शिक्षा-सम्बन्धी विषय-वस्तु और उसके ढांचे का मुआ-यना करेगी और शिक्षा को धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का एक कारगर साधन बनाने के उपायों का सुझाव देगी।

उम्मीद है कि परिषद अपने सदस्यों के सहयोग और विवेक से राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी।

श्री धनिक लाल मंडल (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि आगे से वह वक्तव्य हिन्दी में पढ़ दिया करें,

अंग्रेजी में पढ़ने का कष्ट क्यों करते हैं। सदन में दोनों ही भाषायें चलती हैं, हिन्दी और अंग्रेजी मंत्री जी को भी बराबर इसका हक है कि वह हिन्दी में पढ़ दिया करें।

महोदय, अपने देश में हाल ही में जो घटनायें हुई हैं, उनमें से कुछ-एक का जिक्र मैं आपके सामने करना चाहता हूं। जिस तरह से हमारे देश में राष्ट्रीय एकता को खतरा पैंदा हो गया है और मुरादाबाद की चर्चा अभी हो रही थी, केवल मुरादाबाद ही नहीं अलीगढ़, कानपुर, इलाहाबाद, दिल्ली या यहां भी घटनायें घटी हैं। मुरादाबाद में एक नई प्रवृत्ति देखने में आई है, वह नई प्रवृत्ति यह है कि हिन्दू मुसलमान को नहीं मारते हैं और न मुसलमान हिन्दू को मारते हैं, लेकिन पुलिस हिन्दू और मुसलमान दोनों को मारती है। जब से यह सरकार आई है, जीतकर आने के बाद जिसका बहुत दावा है और दावा करती है, लेकिन उसने सब की रक्षा करने के लिए केवल घड़ियाली आंसू बहाए हैं। मुरादाबाद में पीछे चलकर इसके आफिसरों ने अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए, अपने पापों को छिपाने के लिए, उन्होंने उसको हिन्दू-मुसलमान दंगे का रूप दिया है, रंग दिया है और पीछे चलकर के···**(व्यवधान)**···शांत रहिये, बहुत घड़ियाली आंसू वहा चुके हैं···**(व्यवधान)**···इससे पता चलता है कि इसका एडमिनिस्ट्रेशंन और इनकी पुलिस क्या है। जिस तरह से इन्होंने पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल किया है, जिस तरह से उन्होंने कुकृत्य किया है, उसका यही अंजाम होना था। यह तो मैंने आपको हिन्दू-मुसलमान दंगे की स्थिति के बारे में बताया। अब मैं दूसरी घटना का जिक्र करना चाहता हूं—

पटना जिले के पिपरा गाँव में कास्ट-रायट हुआ। वहां पर सवर्णों ने हरिजनों के घरों को जलाया, 14 हरिजनों को जिन्दा जला दिया गया, जानवरों तक को जला दिया गया और··

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से बिल्कुल स्पष्ट है कि यह 12 नवम्बर, 1980 को दिल्ली में हुई राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक के निष्कर्षों से सम्बन्धित है। आप इतने प्रश्न जो उठा रहे हैं, उनका क्या प्रयोजन है? और आप भाषण दे रहे हैं। कृपया राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक के बारे में प्रश्न पूछें। आप साम्प्रदायिक दंगों के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं।

(व्यवधान)

हम इस पर एक सामान्य चर्चा कर सकते हैं।

श्री धनिकलाल मंडल : मैं एक तीसरी घटना का जिक्र करता हूं—संथाल परगना के गूआ नामक स्थान पर 8 सितम्बर को 13-14 आदिवासियों को मार डाला गया और यह काम विहार मिलिट्री पुलिस ने किया। अब मैं चौथी घटना का जिक्र करता हूं—यह आसाम की घटना है। आसाम में आग लगी हुई है···

श्री हरिश चन्द्र सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। मैं नियम सं० 197 (1) तथा (2) के अधीन प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। इसमें लिखा है—

"197 (1) कोई सदस्य अध्यक्ष की पूर्व अनुज्ञा से, अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी विषय पर मंत्री का ध्यान दिला सकेगा और मंत्री संक्षिप्त वकतव्य दे सकेगा या बाद के किसी समय या तिथि को वक्तव्य देने के लिए समय माँग सकेगा।

(2) ऐसे वक्तव्य पर जब वह दिया जायेगा कोई वाद-विवाद नहीं होगा। किन्तु प्रत्येक सदस्य जिसके नाम में कार्य-सूची में यह मद दिखाई गई है, अध्यक्ष की अनुमति से एक प्रश्न पूछ सकेगा···

इस विषय पर कोई भाषण नहीं दिया जा सकता, प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन मंडल जी भाषण दे रहे हैं, प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। इन्हें प्रश्न पूछना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : ये अब अपना प्रश्न पूरा कर रहे हैं।

श्री धनिकलाल मंडल : मैं कह रहा था कि आसाम और नार्थ-ईस्ट में आग लगी हुई है। आसाम जल रहा है, राष्ट्रीय एकता को खतरा पैदा हो गया है। आसाम के लोग यहाँ बातचीत के लिए आये थे, बातचीत हुई भी थी, लेकिन गृह मंत्री जी के रवैया के कारण सफल नहीं हो सकी। इसके लिए गृह मंत्री जी दोषी हैं और जो इनके जो एडवाइजर्स और गवर्नर वहाँ पर बैठे हुए हैं—वे दोषी हैं। अब ये वहां पर कांग्रेसी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। कल गृह मंत्री जी कह रहे थे कि वहां पर जिसका बहुमत होगा, वह सरकार बनायेगा और बहुमत कैसे होगा—डिफेक्शन से। इस तरह से ये वहाँ पर जनतन्त्र कायम करना चाहते हैं। डिफेक्शन करवाकर, बहुमत बनाकर आसाम में कांग्रेस की हुकूमत बना कर ये जनतन्त्र और देश की एकता को कायम रखना चाहते हैं··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पर आये।

श्री धनिकलाल मंडल : मैं नेशनल इन्टीग्रेशन पर बोल रहा हूं। आसाम में आग लगी हुई है और ये वहाँ पर आग बुझाने के बजाय कांग्रेस मंत्री मंडल बनाने जा रहे हैं। इनका पूरा ध्यान वहां पर कांग्रेस सरकार की स्थापना पर लगा हुआ है, देश में कम्यूनल हार्मोनी और यूनिटी कायम करने पर इनका ध्यान नहीं है। सरकार अपने काम से बोले, भाषण से नहीं बोले आज सरकार आसाम में जो काम कर रही है उससे आसाम की समस्या का हल नहीं होगा।

अब मैं नागालैंड और मिजोराम पर आता हूं। वहाँ पर इन्होंने लालडेंगा को खुली छूट दे दी है। लालडेंगा ने···

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री जवाब देंगे। एक वरिष्ठ सदस्य भी नियमों का पालन नहीं कर रहे।

श्री धनिक लाल मंडल : वहाँ पर जो खतरा पैदा हो गया है, मैं उसी के बारे में बतला रहा हूं। आज नेशनल इन्टीग्रेशन को खतरा पैदा हो गया है···

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक विशेष विषय पर है अर्थात् राष्ट्रीय एकता परिषद के क्या निष्कर्ष हैं ? विषय बहुत स्पष्ट है।

श्री चन्द्रजीत यादव : जो लोग प्रधान मंत्री से सहयोग करते हैं, उन पर वे आरोप लगाती हैं कि "विपक्ष के नेताओं के भाषणों से सिद्ध होता है कि वे सहयोग नहीं दे रहे हैं। क्या यह उसका निष्कर्ष है ?" (व्यवधान)

श्री धनिक लाल मंडल : यह सरकार का वक्तव्य है :—

"राष्ट्रीय एकता से कार्य में रुकावट डालने वाले भिन्न-भिन्न कारणों का जायजा लिया गया तथा इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सुझाव दिये गये······"

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : हिन्दी में पढ़िये।

श्री धनिक लाल मंडल : अच्छा हिन्दी में पढ़ देता हूं।

"राष्ट्रीय एकता के कार्य में रुकावट डालने वाले भिन्न कारणों का जायजा लिया गया।"

भिन्न-भिन्न कारण क्या हैं, यही मैं बता रहा हूं। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में क्या-क्या बाधाएं हैं, यही मैं बता रहा हूं। ये तो मैंने जो रिसेन्ट बातें हैं, रिसेन्ट घटनाएं हैं, उनके बारे में बताया। अब मैं इतिहास में जाना चाहता हूं यदि याप मेरी बातें सुनें और सहयोग करें। इतिहास क्या है ? आप किस ढंग से इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, यह आपको बताना जरूरी है ताकि आप यह समझ सकें कि इसका समाधान क्या है। आप ने जो शिक्षा पद्धति चला रखी है, आपने जो इतिहास बनाया है, यह भी बहुत हद तक इसके लिए जिम्मेवार है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री धनिक लाल मंडल तथा श्री हरिकेश बहादुर ने बोलना है और मंत्री जी ने उत्तर देना है। इसके बाद सभा मध्याहन् भोजन के लिए स्थगित होगी।

श्री धनिक लाल मंडल : मैं लन्च के बाद कन्टीन्यू करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मध्याहन् भोजन के बाद जारी रखना चाहते हैं ? ठीक है। सभा मध्याहन् भोजन के लिए 2 बजे तक स्थगित होती है।

तत्पश्चात लोकसभा मध्याहन् भोजन के लिए 2 बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा मध्याहन् भोजन के पश्चात दो बजकर पाँच मिनट म० प० पर पुनः सम्पन्न हुई।

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

सभापति महोदय : श्री मंडल जी।

श्री धनिक लाल मंडल : सभापति महोदय, नेशनल इंटेग्रेशन कौंसिल में प्रधान मंत्री जी ने दो बातों की ओर इशारा किया। पहली बात उन्होंने यह कही कि हमारा सपना क्या है ? हम किस प्रकार का देश बनाना चाहते हैं ? सपने के तहत उन्होंने कहा कि क्या हम एक मजबूत हिन्दुस्तान, एक भाई-चारे का हिन्दुस्तान, झिसमें सब भाई-भाई के रूप में रहेंगे, शाँति से रहेंगे, इस तरह का हिन्दुस्तान बनाना चाहते हैं या हम एक ऐमा हिन्दुस्तान बनाना चाहते हैं जो कमजोर हो और विदेशी आक्रमण के सामने घुटने टेके ?

दूसरी बात जो प्रधानमंत्री जी ने कही वह थी इतिहास के बारे में। इतिहास ने जो हम पर जिम्मेदारी डाली है, उस काम को हमें पूरा करना है और इसलिए यह कौंसिल की बैठक बुलाई गई। मैं इन दोनों बातों से सहमत हूं और इसीलिए मैं गृह मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्पित करना चाहता हूं कि अपना देश पुराना देश है। इसकी बहुत पुरानी संस्कृति है। इसका इतिहास बहुत पुराना हैं।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि अपने यहां कौन-कौन सी चीझें हैं, जिनकी वजह से यह नेशनल इंटेग्रेशन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। मै 4-5 चीजों की ओर आपके माध्यम से गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, वह है जाति, वह है धर्म या संप्रदाय, वह है भाषा, वह है इतिहास की गलत पढ़ाई और है गलत शिक्षा पद्धति। इन पाँचों बातों की ओर गृह मंत्री जी ने कभी सोच-विचार किया या नहीं किया, मैं नहीं कह सकता, किंतु मेरा गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इन बातों पर संजीदगी से विचार करें।

महोदय, हमारे देश की एकता के रास्ते में जो बाधाएं हैं वे ये हैं। क्या जाति है, सांप्रदायिकता है, भाषा है, इतिहास की गलत पढ़ाई है और क्या गलत शिक्षा नीति, गलत शिक्षा पद्धति है ? क्या इनकी वजह से अपने देश में एकता नहीं हो रही है ? इनके निराकरण के लिए इनके समाधान के लिए गृह मंत्री जी कौन सा सुझाव देना चाहते हैं ?

सभापति महोदय, नेशनल इंटेग्रेशन कौंसिल में क्या डेलीबरेशंस हुई ? हम लोग जानना चाहते हैं, यह सदन जानना चाहता है कि कौंसिल में माननीय मंत्री जी की क्या राय हुई है ? इस देश में जातीयता को कैसे मिटाया जाए ? यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि जातीयता नहीं है। जातीयता है, जिसके पहले भी मैंने उदाहरण दिए थे। हाल में जो घटनाएं हुई हैं, उनसे पता चलता है कि किस प्रकार से जातीय दंगे होते हैं। इसलिए यह कहने से काम नहीं चलेगा। इससे आँखे मूंद कर बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। आप इसके उन्मूलन के लिए क्या करना चाहते हैं, कौन-कौन से कदम उठाना चाहते हैं, यह हम लोग जानना चाहते हैं।

महोदय, इसी प्रकार से सांप्रदायिकता है। हम लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं कि आपकी दिलचस्पी इसमें रही है। महोदय, इस देश में धर्म का एक दूसरा ही रूप हो गया है। सांप्रदायिक रूप हो गया है। एक धर्म दूसरे धर्म के विरुद्ध जहर उगलता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह मामला किस ढंग से उलझ गया है। धर्म जो कि एक सार्वभौम चीज है उसका एक साँप्रदायिक रूप आ गया है। वह रूप इस तरह से नंगा नाच कर रहा है, 32-33 वर्ष आजादी के हो गए, लेकिन आज भी साँप्रदायिक दंगे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा है। उसको दूर करने के लिए कौन से उपाय आप सुझाते हैं और क्या इंटेग्रेशन काउंसिल में ये सब बातें आई हैं ?

भाषा के मामले में सरकार के रवैये को आप देखें। बार-बार यहाँ पर मैथिली की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए माँग की गई है। लेकिन यह सरकार चूंकि अंग्रेजी परस्त सरकार है इस वास्ते यह किसी भी देशी भाषा को या देशी भाषाओं को कभी भी पनपने नहीं देना चाहती है। यह एक षडयंत्र है जो रचा गया है। सरकार की नीति की वजह से भारतीय भाषाओं में झगड़े होते हैं। भारतीय भाषायें आपस में बहने हैं, सिस्टर्ज हैं। उनमें किसी प्रकार का झगड़ा नहीं हो सकता है। हिन्दी बड़ी बहन है यह ठीक है। जितनी भी अन्य देशी भाषायें हैं वे सब बहने हैं। उनमें आपस में कतई कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन अंग्रेजी को कायम रखने के लिए सरकार खुद इन भाषाओं में झगड़ा कराती है। जो झगड़े हैं इनके लिए सरकार जिम्मेदार है, इसकी नीतियाँ जिम्मेदार हैं। यह सरकार नेशनल इंटेग्रेशन की बात करती है। 33 बरस के बाद भी इस सरकार ने राज भाषा को, राष्ट्र भाषाको, आफिशल लैंगुएज को उस का सही स्थान नहीं दिया है। राज भाषा को उसका उचित स्थान नहीं दिलाने के पीछे इनकी नीतियां हैं वे जिम्मेदार हैं और वे नीतियाँ यही हैं कि भारतीय भाषाओं को किस तरह से आपस में लड़ाया जाए, उनमें आपस में फूट डाली जाए, उनमें आपस में संघर्ष कराया जाए, अंग्रेजी के वर्चस्व को कायम रखा जाए। गृह मंत्री जी कैसी अंग्रेजी जानते हैं इसको सदन जानता है। फिर भी अगर वह अंग्रेजी का मोह छोड़ दें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं यह नहीं कहता कि हिन्दी को किसी पर लादा जाए। लेकिन मेरा यह आग्रह है कि अंग्रेजी को आप फौरन हटाएं। जब तक अंग्रेजी कायम

है अपनी जगह पर तब तक भारतीय भाषाओं में एकता नहीं पैदा हो सकती है, तब तक भाषायी दंगे होते रहेंगे। उर्दू की उपेक्षा यह सरकार करती है। आज तक इस देश में उर्दू बोलने वालों के लिए, उर्दू जानने वालों के लिए उर्दू भाषा के लिए इस सरकार ने क्या किया है, क्या वह बताएगी ? मैथिली के लिए इन्होंने क्या किया है, मणिपुरी के लिए क्या किया है, सभी भारतीय भाषाओं के लिए क्या किया है……

सभापति महोदय : आपने तथा श्री हरिकेश बहादुर जी ने इसमें यह जानना चाहा था :

"12 नवम्बर, 1980 को नई दिल्ली में हुई राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक के निष्कर्षों की ओर गृह मंत्री का ध्यान दिलाना।" यह बहुत ही सीमित सा प्रश्न है। आपने यह जानना चाहा है कि बारह तारीख को जो विचार विमर्श हुआ है. उसके सम्बन्ध में सरकार का क्या कहना है ? इसी तक आप अपने को सीमित रखें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री धनिक लाल मंडल : गृह मंत्री जी के ब्यान में से दो वाक्य मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूं।

राष्ट्रीय एकता के लिए बाधक अनेक तत्वों तथा उन कठिनाइयों पर काबू पाने सम्बन्धी सुझाव आदि परिषद द्वारा गठित की जाने वाली तीन समितियों के कार्य सम्बन्धी मार्ग-दर्शी बातें होंगी।

राष्ट्रीय एकता के रास्ते में ये सब बाधायें हैं। भिन्न-भिन्न बाधायें हैं—

सभापति महोदय : बिन्दु बता दें।

श्री धनिक लाल मंडल : भाषा के मामले को मैं छोड़ देता हूं।

सभापति महोदय : वह व्याख्या कर देंगे।

श्री धनिक लाल मंडल : हमें भी व्याख्या करने का मौका आपको देना चाहिए। दोनों पक्षों से यह सदन बनता है। सदन दोनों पक्षों का है। सरकार का भी है और विरोध पक्ष का भी। अगर सरकार की बात ही सुननी होती तो मैं यहां नहीं आता।

सभापति महोदय : आप भी इस प्रकार के पद पर थे और मैं भी था, इसलिए आप मेरी बात और मैं आपकी बात समझ सकता हूं।

श्री धनिक लाल मंडल : मैं आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हूं।

भाषा के सम्बन्ध में मैंने कह दिया है। अब मैं इतिहास के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। इतिहास की जिस तरह की पढ़ाई हमारे देश में होती है उसकी वजह से विभिन्न समुदायों के बीच में समांजस्य नहीं हो पाता, समन्वय नहीं हो पाता, हार्मनी नहीं हो पाती है। गलत इतिहास की पढ़ाई होती है। मैं कुछ बातों की ओर इशारा करना चाहता हूं।

डा० राम मनोहर लोहिया ने लोक-सभा डिबेट में भाग लिया था, वह लोक-सभा-डिबेट की किताब मैं लाया हूं जिसमें उन्होंने इस प्रश्न को उठाया था। इसमें लिखा है—

"कि 1826 की यन्दावी सन्धि के बाद से वर्मा ने ईस्ट इन्डिया कम्पनी को आसाम दिया। इसके लिए इतिहास 1926 से शुरू होता है और इसको पढ़ने वाले के दिमाग पर यह असर पड़ता

है कि यह मिजो इलाका असम में कोई परदेसी इलाका है और अंग्रेजों ने लड़ाई करते वक्त इस परदेसी इलाके को भारत में मिला लिया था।"

इस तरह गलत पढ़ाई इतिहास की यहाँ होती है। क्योंकि जैसा मैंने कहा प्रधान मंत्री से मैंने अपनी सहमति व्यक्त की, प्रधान मंत्री ने कहा कि इतिहास ने हम पर जिम्मेदारी डाली है। इतिहास ने जब उन पर जिम्मेदारी डाली है तो उसमें सही पढ़ाई देनी चाहिये और पूरी होनी चाहिए, अधूरी पढ़ाई नहीं। अधूरी पढ़ाई से भी अज्ञानता फैलेगी और गलत पढ़ाई से तो अज्ञानता फैलेगी ही, जिसकी वजह से अपने देश में गड़बड़ी पैदा होती है। इसलिए आप समझ नहीं रहे हैं कि देशी और परदेशी के मामले में कैसे गलत पढ़ाई होती है। कौन देशी और कौन परदेशी, यह जो इतिहास है, असम का इलाका, मिजो या नागालैंड का इलाका यह कब से इस देश में है ?

मैं उर्वसीयम गया था और वहाँ के गवर्नर ने एक डाक्यूमैंट दिखाया जिसमें उन्होंने दिखाया उर्वसीयम के बारे में कि कृष्ण वहां गये थे और रुकमणी उर्वसीयम की थी। आप देखें कि कृष्ण का समय कितना पुराना है और यह 1826 से आप यहाँ पढ़ा रहे हैं कि असम का इलाका आया है। तो इससे कितना बड़ा फर्क पड़ेगा, इसे आप समझ सकते हैं। **(व्यवधान)** इतिहास समझने के लिए थोड़ी बुद्धि चाहिए यह कोई साधारण चीज नहीं है। उर्वसीयम का इलाका कब से इस देश का है ? **(व्यवधान)**

अगर मंत्री जी भी ऐसा करेंगे तो काम कैसे चलेगा ?

मैं मंत्री जी से निवेदन कर रहा था कि आप जवाब दें कि हिन्दू मुसलमानों के बारे में गलत पढ़ाई हो रही है, नार्थ-ईस्ट, उत्तर पूर्व के सीमान्त अंचल के बारे में गलत पढ़ाई होती है, नागालैंड, मिजोरम के बारे में गलत पढ़ाई होती है, अब यह नया तर्क शुरू हो गया है, असम का मामला······(व्यवधान)

श्री फूल चन्द डागा : नियम 197 में स्पष्ट कहा गया है कि सदस्य ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जैसे विषयों की तरह होते है। वे एक भाषण ही दे रहे हैं।

सभापति महोदय : मुझे मालूम है। मंडल जो, अब आप समाप्त कीजिये। लंच के पहले आप 10 मिनट बोल चुके हैं।

श्री धनिक लाल मंडल : यहाँ मेम्बर आधा घण्टा बोलते हैं।

सभापति महोदय : आधा घंटा आपका भी हो रहा है।

श्री धनिक लाल मंडल : अभी नहीं हुआ है।

सभापति महोदय : आप एक मिनट और ले लीजिये। फिर आप मिनिस्टर से भी उमीद करेंगे कि जवाब दें। इसके बांद एक सदस्य और भी हैं।

श्री धनिक लाल मंडल : इतिहास के बारे में ये लोग नहीं सुनना चाहते हैं, तो न सुनें। इनको कोई मतलब नहीं है देशी, परदेशी से। आर्य, द्रविण, मंगोल, थाई से इसका सम्बन्ध नहीं है, असम में जो घटनायें हो रही हैं, उनका सम्बन्ध भाषा से है और जात से भी है, यह आप समझ लीजिये। थाई देश के जो बैठे हुए लोग हैं, वह वहाँ रिसर्च करवा रहे हैं। अहोम जाति के लोग आये थे असम में थाई देश से। इसलिए इतिहास का सही ज्ञान होना चाहिए, लेकिन यहाँ गलत ज्ञान दिया जा रहा है। यह मैं आपको वार्न कर रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं।

जहां तक शिक्षा-पद्धति का सम्बन्ध है, आज बच्चों के चरित्र-निर्माण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। शिक्षा के माध्यम से सैकुलरिज्म और सर्वधर्म-समभाव का ज्ञान कराया जाना चाहिए। आज शिक्षा के करिकलम में से चरित्र सम्बन्धि बातों को इस लिए निकाल दिया गया है कि वह सब धर्म है। ऐसा लगता है कि इन लोगों ने धर्म से नाता तोड़ लिया है। गलत पढ़ाई की वजह से ही यह स्थिति पैदा हुई है। शिक्षा का अर्थ केवल इनफर्मेशन देना ही नहीं है बल्कि चरित्र का निर्माण और करैक्टर-बिल्डिंग है। और करेक्टर-बिल्डिंग तभी होगा, जब बच्चों को सैकुलरिज्म और सर्व धर्म-समभाव की शिक्षा दी जायेगी।

पुलिस में किसी माइनारिटी को रिप्रजेन्टेशन नहीं दिया गया है।

सभापति महोदय : कल भी इस विषय पर बहुत देर तक विचार-विमर्श हुआ था। आज माननीय सदस्य ने आधा घंटा ले लिया है। कुछ समय माननीय सदस्य भी लेंगे। आप इस बारे में सहयोग प्रदान करें।

श्री धनिक लाल मंडल : माननीय गृह मंत्री ने कहा है कि मुरादाबाद के दंगों में विदेशियों का हाथ है। वह बतायें कि वह कौन सी विदेशी ताकत है और उसका माडस आपेरेंडी क्या है— किस ढ़ंग से उसने काम किया है। क्या पुलिस में माइनारिटीज, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज को रिप्रेजेन्टेशन दिया जायेगा या नही ? क्या एडमिनिस्ट्रेशन की चुस्त-दुरुस्त करने के लिए रेसपांसिबिलिटी फिक्स की जायेगी या नहीं।

श्री जैल सिंह : चेयरमैन साहब, आपने बहुत कृपा की है। मैं कालिंग एन्टेशन नोटिस के लफजों के बारे में आपसे प्रार्थना करना चाहता था। लेकिन आपने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और माननीय सदस्य को पायंट आउट कर दिया कि वह सबजेक्ट से बाहर जा रहे हैं।

खैर, हम मंडल जी का बहुत आदर करते हैं। मुझ में थोड़ी सी वीकनेस है कि बैकवर्ड क्लास के लोगों के साथ हमदर्दी रखनी चाहिए। लेकिन बैकवर्ड आदमी को भी बात फार्वर्ड करनी चाहिए। मुझे इस बात पर अफसोस हुआ कि मंडल साहब ने इर्रलिवेंट, अननेससरी, अनकाल्ड फार क्वेस्चज का एक बंडल ला कर रख दिया है। उस बंडल में से मैं कौन-कौन सी बातें निकाल और कौन सी न निकालूं। मैं नहीं चाहता हूं कि हाउस का कीमती टाइम ऐसी बातों में जाये, क्योंकि यह सबसे बड़ा हाउस है और यहां पर कामदे-कानून से बात की जाती है, एक तरबीब से बात की जाती है।

मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि अगर एक बहुत बढ़िया घड़ी के पुर्जे किसी गोल्ड के बर्तन में रख दें, तो वह टाइम नहीं बता सकती है। लेकिन अगर उन्हें तरकीब से रखा जाये, तो बेशक वे लोहे के बर्तन में रख दें, वे ठीक टाइम बता सकते हैं। मंडल साहब की सारी बातें बेतरतीब हैं। उनका कोई जवाब दू या नहीं ? मेरे रुमाल में कोई फायदा नहीं है। जवाब देने के लिए मैं उनकी बातों का फायदा उठा सकता हूं, लेकिन में यह नहीं चाहता।

माननीय सदस्य ने सबसे पहले कहा कि लड़ाई दंगे हुए, पहले हिन्दू और मुसलमान लड़ते थे, अब दूसरे लोग भी लड़ते हैं, पिपरा में क्या हुआ विहार में 14 आदिवासियों को मार दिया। उन्होंने अच्छे पायंट्स हमें बताये। हम उसका इन्तजाम कर रहे हैं। लेकिन वह भी ध्यान करें कि

उनके जमाने में वेलछी में क्या हुआ, जहाँ 12 लोगों को जिन्दा जला दिया गया। पहले भी इनकी सरकार थी और दूसरी सरकार भी स्वर्गवास हो गई। लेकिन कई साल तक वह मुकदमे नहीं खत्म हुए और हमारे जमाने में पिपरा गाँव में एक बहुत निन्दनीय दुर्घटना हुई, दूसरे दिन वहाँ हम पहुंचे, वहाँ स्पेशल जज मुकर्रर करवाया और एक भी मुजरिम को बाहर नहीं निकलने दिया। बेलछी के मुलजिम काफी समय तक पकड़े नहीं गये और अब हमने आकर मुकदमें को आगे बढ़ाया और मुलजिमों को सजा दिलायी।···(व्यवधान)···

मंडल साहब, मैंने तो आप को बड़े धैर्य से सुना, आपको भी प्रेम से सुनना चाहिए।

जमशेदपुर में मंडल साहब के जमाने में सैकड़ों आदमी नदियों में बहा दिये गये, ये इन्तजाम नहीं कर सके। अब तक वहाँ बदगुमानी है, अब तक शंकाएं हैं, शुबहा है, दंगे होने का खतरा है। यह पैदावार किस की सरकार की हैं ? पहली जनता की सरकार में आप रहे, दूसरी बात होम डिपार्टमेंट में रहे, तो अच्छा है इनको यह ख्याल आ गया है कि, ये बातें याद करवा दूं।

मैं तो इतना ही कहूंगा कि वाकयात बुरे हुए हैं और वाकयात के सम्बन्ध में सरकार ने जो यत्न किए हैं उनकी तो दुश्मनों को भी इलाशा करनी पड़ेगी। इस वक्त जब मुरादाबाद में दंगा हुआ, साजिश हुई, 13 तारीख को दंगा होता है, 13 को अगले दिन तमाम हिन्दुस्तान में काले बिल्ले बांट दिये गये। क्या यह शाजिश नहीं थी ? हर जगह सूअर का माँस मस्जिदों में फेंका गया, गाय का मांस हिन्दू मंदिरों में फेंका गया। यह साजिश नहीं थी ? साजिस थी कि हिन्दुस्तान को जला दिया जाए, हिन्दुस्तान की राजधानी को जला दिया जाए। लेकिन यह कांग्रेस सरकार है इन्दिरा गांधी की, यह इन्दिरा गाँधी की सरकार है जिसने जलते हुए हिन्दुस्तान को बचाया, एक भयानक आग से बचाया। एक भयानक आग से बचा कर उसको महदूद कर दिया...... (व्यवधान)···

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उस साजिश को तो बताइए। साजिश को देश को जानना चाहिए। साजिश को सारे देश को जानना चाहिए। अगर यह बात है, आप गृह मंत्री हैं, इसे सारा देश जाने। हम सब आपके साथ कोआपरेट करेंगे, आप बताइए किस ने साजिश की ? बताइए कौन ताकतें थीं ?

श्री जैल सिंह : चेयर मैन साहब, वहाँ कौन सी ताकतें हैं ? वही जो फिरकेदारी में यकीन रखती हैं, जो फास्टिज्म में यकीन रखती हैं और मैं यह मैं साबित कर दूंगा कि लोक दल के आदमी, भारतीय जनता दल के आदमी और बहुगुणा के आदमी इस बात में शामिल हैं··· (व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : यह बिलकुल झूठ बात है।···(व्यवधान)···

श्री चन्द्रजीत यादव :*

आप इसे साबित करें वरना आप को इस्तीफा देना पड़ेगा।···(व्यवधान)···

श्री धनिक लाल मंडल : अगर हम कहें कि कांग्रेस (आई) के लोग कर रहें हैं······ ···(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

एक माननीय सदस्य : कांग्रेसी लोग दंगे करवाते हैं, यह मैं उदाहरण दे कर बता दूंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव : चेयरमैन साहब, मैं एक प्वाइन्ट आफ आर्डर उठा रहा हूं। होम मिनिस्टर ने एक दो पार्टियों का नाम लेकर बात की है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : व्यक्तियों के नाम लिए हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : होम मिनिस्टर ने यह बात की है। मैं चाहता हूं इसके ऊपर आप चेयरमैन हैं, आप रक्षा करिए, ये पार्टियाँ यहाँ रेप्रेजेन्ट हो रही हैं कुछ अपने प्रोग्राम की बुनियाद पर। आप होम मिनिस्टर को बुलाइए, सारे अपोजीशन के लीडर्स को बुलाइए। बैंठ कर होम मिनिस्टर सारे फैक्ट्स को रखें। सारे मुल्क को यह मालूम होना चाहिए। अगर कोई पार्टी जिम्मेदार है तो हम सारे मुल्क में मिल करके उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए तैयार हैं वरना इस तरह की गैर-जिम्मेदारी की बात इस मुल्क का होम मिनिस्टर करे यह बर्दास्त नहीं किया जा सकता है। उन्हें इस किस्म की बात वापस लेनी चाहिए। आप प्रधान मंत्री को बुलायें।

यह कहते हैं कि सारे मुल्क में सूअर का गोश्त फेंका गया, सारे मुल्क में गाय का गोश्त फेंका गया, सारे देश में दंगे कराए गए। प्राईमिनिस्टर को आप बुलाइए। प्रधानमंत्री को गृहमंत्री तथा अध्यक्ष सहित सभी विपक्षी नेताओं की बैठक बुलानी चाहिए। यह मेरी मांग है अथवा अध्यक्ष महोदय को एक बैठक बुलानी चाहिए। आप मेरे अनुरोध पर विचार करें। मैं इस सभा और लोकदल पार्टी के सदस्य के नाते अनुरोध कर रहा हूं। गृह मन्त्री ने एक गम्भीर आरोा लगाया है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : यह देश के नाम के लिए अपमानजनक बात बन रही है **(व्यवधान)***

श्री चन्द्रजीत यादव : प्रधानमंत्री को सभी नेताओं की बैठक बुलानी चाहिए। यह एक गम्भीर आरोप है। आप इसे अभी सभा को समझायें। मैं इसकी मांग करता हूं। वह आरोप लगा रहे हैं, अखिल भारतीय षडयंत्र का। इन्हें उन दलों के नाम लेने की हिम्मत नहीं हैं। वे हमेशा विदेशी ताकतों की बात करते हैं **(व्यवधान)**। अब ये इन सब बातों का सहारा ले रहे हैं "कि सारे मुल्क में इस तरह की साजिश कराई।*

इसको वापिस होना चाहिए। होम मिनिस्टर इस तरह से गैर-जिम्मेदारी की बात करें, यह बात नहीं चल सकती है।

आज लोग इस देश में अपने आपको असहाय अनुभव कर रहे हैं। कानून और व्यवस्था नहीं रह गई है और कोई भी साम्प्रदायिक सद्भाव नहीं रह गया है। वे इसे सिद्ध करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह प्रश्न केवल प्रक्रिया का ही नहीं है **(व्यवधान)**

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

डा० सुब्रहमण्यम् स्वामी : इस बारे में एक बचन दिया गया है। आपको मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुनना चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया मेरी बात सुनें गृह मंत्री एक जिम्मेवार मंत्री हैं। **(व्यवधान)**। आप मुझे बोलने नहीं देंगे।

समझा गया है कि इन्होंने एक गम्भीर प्रकार का वक्तव्य दिया है। मुझे आशा है कि कुछ सदस्यों की प्रतिक्रिया सुनने के बाद वे उपयुक्त उत्तर देंगे **(व्यवधान)**। इन्होंने केवल दो दलों के नाम लिए हैं, अन्य दलों के नहीं **(व्यवधान)**। यह बात दूसरी है कि अभी हाल में आप लोगों के बीच एकता हो गई है लेकिन इन्होंने केवल दो के ही नाम लिए हैं **(व्यवधान)**।

डा० सुब्रहमण्यम् स्वामी : प्रश्न यह नहीं है। मामला वह नहीं, जो आप कह रहे हैं (व्यवधान)।

श्री जैल सिंह : किसी बात की एक हद होती है। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए।

डा० सुब्रहमण्यम् स्वामी : आप नियम 353 देखिए।

सभापति महोदय : मैंने गृह मंत्री से उत्तर देने का अनुरोध कर दिया है।

डा० सुब्रहमण्यम् स्वामी : आपको इनकी टिप्पणी कार्यवाही वृत्तान्त से निकालनी पड़ेगी। आप नियम 353 देखें।

सभापति महोदय : जब हम कार्यवाही पढ़ेंगे तो देखेंगे···(व्यवधान)

डा० सुब्राहमण्यम स्वामी : नहीं, नहीं। इसका समाचार देश भर में छपेगा (व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं, नहीं।

डा० सुब्राहमण्यम स्वामी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप इसे कैसे छोड़ सकते हैं ?

सभापति महोदय : व्यवस्था प्रश्न क्या है, मैं भी जानता हूं।

डा० सुब्राहमण्यम स्वामी : आपको मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुनना ही पड़ेगा। व्यवस्था का प्रश्न स्पष्ट है। नियम में कहा गया है कि अध्यक्ष को पूर्व सूचना दिये बिना एक सदस्य दूसरे सदस्य के विरुद्ध अपमानजनक तथा अभियोग सम्बन्धी आरोप नहीं लगा सकेगा। इन्होंने पूर्व सूचना नहीं दी है। इन्होंने आपको पूर्व सूचना दिये बिना बहुत गम्भीर आरोप लगाए हैं। अतः आपको इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल देना चाहिए। यद्यपि इन्होंने मेरे दल का नाम नहीं लिया। प्रश्न यह नहीं है। यह प्रश्न समूचे विपक्ष से संबंधित है। आप इसे कैसे होने देंगे ?

सभापति महोदय : क्या आप मेरी बात सुनेंगे ? कार्यवाही वृत्तांत देखने के बाद मैं देखूंगा कि इसे क्या कार्यवाही वृत्तांत से बाहर निकाला जा सकता है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : यह प्रेस के प्रति न्याय नहीं है। आपको शीघ्र निर्णय लेना चाहिए।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : इन्होंने गंभीर आरोप लगाये हैं और कहा है कि बहुगुणा की पार्टी तथा लोक दल इससे सम्बद्ध हैं।

सभापति महोदय : यदि मैंने ठीक सुना हो तो इन्होंने दो दलों पर आरोप लगाये हैं। जो इन्होंने कहना है, इन्हें कहने दें, उसके बाद हम देखेंगे।

श्री समर मुखर्जी : यह तो इन्हें अपने वक्तव्य को सिद्ध करना पड़ेगा या ये इसे वापिस लें, कोई और विकल्प नहीं है।

श्री निरेन घोष (दम दम) : यह समाचार पत्रों में प्रकाशित होगा, समाचार पत्र इस बात का इन्तजार नहीं करेंगे कि क्या इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाला जाये या नहीं ?

श्री चन्द्रजीत यादव : आप या तो इसे अभी कार्यवाही वृत्तांत से निकालने के लिए सहमत हो जायें या सभा को स्थगित होने दें और प्रधान मंत्री को बैठक बुलाने दें; हम तैयार हैं··· (व्यवधान)

सभापति महोदय : मेरा निर्णय है कि प्रेस को प्रतीक्षा करनी होगी और इस पर निर्णय होने तक वह इसका प्रचार नहीं करेगा (व्यवधान)। अब कृपया गृहमंत्री को वह कहने दें, जो वह कहना चाहते हैं।

श्री जैलसिंह : चेयरमैन साहब, मैंने जो बात कही है, उस पर आनरेबल मैम्बर, श्री चन्द्रजीत यादव, बहुत गुस्से में आ गए, लेकिन उनको···(व्यवधान)···

एक माननीय सदस्य : सभी आए।

श्री जैलसिंह : सभी आए, मैं सबका आदर करता हूं, इज्जत करता हूं। लेकिन उन्होंने मेरी बात को समझा नहीं या मैं समझा नहीं सका। मैं अब दोबारा कहता हूं कि जो बात मैंने कही है, जिम्मेदारी से कही है और उसको मैं साबित करूंगा। मैंने किसी पार्टी का समूचे तौर पर नाम नहीं लिया, मैंने कहा है कि इन पार्टियों के आदमी भी शामिल हैं और··(व्यवधान)···

श्री चन्द्रजीत यादव : कांग्रेस (आई) के लोग शामिल हैं, यह बताइए।···(व्यवधान)

श्री जैलसिंह : हमने कांग्रेस (आई) के आदमी भी पकड़े हैं···(व्यवधान)···कांग्रेस (आई) के मेम्बर भी पकड़े हैं···(व्यवधान)···आप तो गर्मी में आ गए···(व्यवधान)···आप इन्कार कैसे करेंगे, आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि आपकी पार्टी का कोई मेम्बर शरारती नहीं है?··· (व्यवधान)···आप हाउस में कहिए कि मेरी पार्टी का कोई आदमी उसमें शामिल नहीं है··· (व्यवधान)···

श्री चन्द्रजीत यादव : आप कहिए।

श्री जैल सिंह : मैं तो कहता हूं, मैं कांग्रेस (आई) के आदमी भी पकड़े हैं···(व्यवधान)···

श्री चन्द्रजीत यादव : कांग्रेस (आई) के लोग दंगा कराने वाले हैं "अब तो भेद खुल गया है" ···(व्यवधान)···

श्री जैल सिंह : चेयरमैन साहब, चार बार यादव जो खड़े हुए हैं, अब मेरी बात भी सुनिए। उन्होंने कहा है—*आम ने उनको नहीं रोका···

सभापति महोदय : मैंने अगर ठीक समझा है तो इस स्पष्टीकरण के बाद "पार्टी एज सच" पर उन्होने कोई इल्जाम नहीं लगाया है। हां···(व्यवधान)···

इस स्पष्टीकरण के बाद कि कुछ पार्टियां हैं, जिनमें एक पार्टी वह है जिसके वे खुद मेम्बर हैं, उसका भी नाम लिया है, व्यक्तिगत रूप से उन लोगों का इसमें हाथ है और जब आप की दो

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

पार्टियों का नाम लिया तो उसी रूप से लिया है। कोई पार्टी ने प्रोग्राम बना कर ऐसा किया—यह नहीं समझना चाहिए।

अब इसके बाद गृह मंत्री जी आगे बोलें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप प्रेस पर लगाये प्रतिबन्ध हटा दें।

सभापति महोदय : मैंने इसका स्पष्टीकरण कर दिया है और इन्हें इसे सुव्यवस्थित करना है। मैंने यह निर्णय दे दिया है।

श्री जैल सिंह : जब आदमी किसी गलतफहमी में फंस जाता है, गुस्से में आ जाता है, तो दिमाग में एक ही खाना है—गुस्से का भी और अक्ल का भी। मैं चन्द्र जीत यादव जी का बहुत अदब करता हूं। मेरे ख्याल में वह मेरी बात को पूरी हो जाने देते, उसके बाद उनको बोलना चाहिए था।**

मैंने कोई अनपार्लियामैंट्री बात नहीं कही है। मैं अब भी कहता हूं, इन पार्टियों से कहना चाहता हूं कि आपके जो आदमी शरारत करते हैं उनको प ार्टी से निकाल दें···

एक माननीय सदस्य : आप भी निकालिये।

श्री जैल सिंह : मैं भी अपनी पार्टी से निकालूंगा। आप प्वाइंट-आउट कीजिए।

आप को याद होगा—शायद आप उस दिन इस हाउस में होंगे जब मैंने यह कहा था कि न हिन्दू लड़ना चाहते हैं, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई कोई भी लड़ना नहीं चाहता है। लड़ने वाला बदमाश है, गुण्डा है और निकम्मा है। वह सभी पार्टियों में हो सकता है। लेकिन मैंने जिन दो पार्टियों का नाम लिया, उन के आदमियों को अगर मैं साबित न करूं, तब चन्द्र जीत यादव जी कह सकते हैं।*

श्री रामविलास पासवान : नाम दीजिए।

श्री जैल सिंह : मैं नाम दूंगा।

श्री रामविलास पासवान : कांग्रेस (आई) को शामिल कीजिए।

श्री जैल सिंह : आप यादव जी से पूछ लीजिए, अपने लीडर से पूछ लीजिए।

श्री रामविलास पासवान : आप भी अपनी पार्टी के लीडर हैं, अपनी पार्टी के नाम बतलाइए।···(व्यवधान)···

श्री जैल सिंह : चेयरमैन साहब, बात हो रही थी—नैशनल इन्टीग्रेशन की, लेकिन कहां चली गई, पार्टियों का इन्टीग्रेशन भी नहीं हो रहा है। मुझे इस बात पर खुशी हुई कि मंडल साहब को भी इन्टरेस्ट है। चूंकि जब चौधरी चरणसिंह ने इस कान्सिल का बायकाट कर दिया तो मेरा ख्याल था कि उन का नेशनल इंटीग्रेशन में कोई इन्टरेस्ट नहीं है, चलो, किसी ढंग से उन्होंने इन्टरेस्ट तो शो किया।

मैं यह भी आपको बतलाना चाहता हूं—अगर किसी सभा में, किसी सोसायटी में कोई आदमी दिलेरी से सही बात नहीं कह सकता ऐसी सभा निकम्मी होगी, नाकारा होगी, उसका कोई मकसद नहीं है। नेशनल इन्टीग्रेशन कान्सिल में भी इस बात को कहा जाएगा कि जिन पार्टियों को मेम्बरों ने इस बारे में हिस्सा लिया है, अगर वे पार्टियां उनको अपने में से नहीं

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

निकालतीं तो पार्टियां उनकी जिम्मेदारी लें, उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैंने जो बात कही है, जिम्मेदारी से कही है। मैं तो नहीं कहता—लेकिन चन्द्रजीत यादव के शान के शायां नहीं हैं, वह इतने पुराने पार्लियामेन्टरियन हैं, कि वे कहें, सभा में उठकर कहें कि"*

उन को खुद ही वापस लेना चाहिए, आप एक्सपन्ज करें या न करें। नहीं लेंगे तो मैं जोर नहीं देता हूं···

श्री चन्द्रजीत यादव : आपने जब "लोक दल" कहा, तब मैंने कहा था कि यह* बेस-लेस है। अब आप बदल कर कह रहे हैं···

आचार्य भगवान देव : **

श्री जैल सिंह : यादव जी, मैं जोर नहीं देता हूं, छोड़िए इस बात को।

श्री चन्द्रजीत यादव : आप ने कहा कि इस तरह के लोग इन तीन पार्टियों मेंहैं। कांग्रेस (आई) में, लोक दल में और भारतीय जनता पार्टी में। में इसके बारे में कुछ नहीं कहता। आप पता लगाइए और ला ला कर गिनाइए। ··· **(व्यवधान)**

श्री रामावतार शास्त्री :

आचार्य भगवान देव : मैं इसको चेलेन्ज करता हूं इस को ये साबित करें, नहीं तो अपने शव्द वापस लें। ** इस बात को इनको हाऊस के अन्दर साबित करना चाहिए। **(व्यवधान**

सभापति महोदय : आप शान्ति से बैठिये। गृह मंत्री जी बोल रहे हैं। इनको बोलने दीजिए।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (खजुराहों) : मेरा प्वान्ट आफ़ आर्डर है और वह यह है कि किसी माननीय सदस्य को अगर किसी दूसरे सदस्य पर आक्षेप करना है, तो उसका स्पष्ट नाम ले कर उस के ऊपर आक्षेप किया जाए

(व्यवधान)···

सभापति महोदय : मैंने आप की बात समझ ली लेकिन कभी-कभी किसी बात को इगनौर कर देना अक्लमन्दी की बात होती है।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : में आपकी व्यवस्था चाहती हूं। **(व्यवधान)**···

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : मैं किसी को इनटरेप्ट नहीं करती हूं (सभापति महोदय, मैं आप का समर्थन चाहती हूं। इस सदन में जो माननीय सदस्य चुन कर आए हैं, उनकी जिम्मेदारी है और उनकी कोई डिगनिटी है और डिगनिटी के साथ वे बातें करते। **(व्यवधान)** आप मुझ से सीधे बात नहीं कर सकते। आप को जो कहना है, सभापति महोदय की मार्फत कहिए और मुझे जो कहना है, मैं सभापति के मार्फत कहूंगी। आपको इतनी डिगनिटी इस सदन में रखनी चाहिए। मैं सभी के लिए यह कह रही हूं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा है।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

सभापति महोदय : गृहमंत्री महोदय ।

श्री जैल सिंह : मैं जो बात कर रहा था, उसका मतलब कुछ भी हो, गर्मागर्मी हुई और मुझे इसका अफसोस है । गर्मागर्मी नहीं होनी चाहिए थी और यादव जी दोबारा उसका खुलासा करने लगे । मैंने तो उनसे खुलासा नहीं मांगा । मेरी यह आदत नहीं और कोई आदमी अगर बुरी बात भी कहता है, तो हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं । हमारे में इतना गुर्दा है, हम इतना हौसला रखते हैं । अपनी क्रिटीसिज्म सुनने के लिए, अपने खिलाफ निन्दा सुनने के लिए हम में हौसला है लेकिन किसी बात को करते हुए डरते नहीं । हमने जीवन में यह फैसला किया है कि न किसी से हम डरेंगे न किसी को डरायेंगे ।...(व्यवधान)...शोर शराबे से बात नहीं चलेगी । आपको यह मालूम है कि भारत में कांग्रेस (आई) का राज्य है, कुछ प्रान्तों को छोड़कर कांग्रेस (आई) का राज्य है । प्रान्तों में भी कांग्रेस (आई) का राज्य है और सेन्टर में भी । एक आदमी काँग्रेस (आई) का था और हम ने उस पर शक किया और उसको पकड़ा है । मैंने इसीलिए ऐसा कहा है । लेकिन हम को कांग्रेस पार्टी ने यह नहीं कहा कि हमारा मेंबर है, इसे छोड़ दिया जाए । इसलिए मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि अपनी पार्टी के मेंबरों को समझाओ-बुझाओ । (व्यवधान) मेरी पार्टी का एक आदमी था, उसको हमने गिरफ्तार किया और उसको कांग्रेस से निकाल दिया गया । (व्यवधान)

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : सारे दंगे तो पुलिस ने कराये हैं ।

सभापति महोदय : श्री धनिक लाल जी मंडल ने कुछ मुदों पर गृहमंत्री महोदय का ध्यान खींचा है, उनका वे उत्तर दे रहे हैं ।

श्री जैल सिंह : चेयरमैन साहब, अगर हरेक मेम्बर अपनी अपनी सीट हर बैठा हुआ अपना अपना सवाल खड़ा कर दें तो वात बनेगी नहीं । इसलिए मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि कुछ और समय भी मिलेंगे, तब और भी बातें हो सकती हैं और आपकी पर बात का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं ।

मैं विश्वास करता करता हूं कि उसी आदमी को डरना चाहिए जो पाप करता है । जो पाप नहीं करता, उसको कोई डर नहीं है । मैंने जो बातें कही हैं वे किसी डर से नहीं कही हैं । किसी भी पार्टी का आदमी मेरी नजर में आएगा, चाहे वह बड़ी से बड़ी शख्सियत क्यों न हो, उसके बारे में भी मैं कहूंगा ।

मंडल जी ने एक बात और कही, जिसकी इससे कोई रेलेवेंसी नहीं है । वह कहते हैं कि हिन्दुस्तान का इतिहास नये तौर पर लिखा जाना जाहिए । अगर यह नए तौर पर नहीं लिखा जाता है तो उससे भी नफरत पैदा होती हैं । बहुत अच्छा होता, यदि यह बात मंडल जी ने सोची होती । फिर भी अब मैं उनकी इस बात से इत्तिफाक करता हूं और इस पर हम गौर करेंगे । यह भारत का इतिहास गुलाम हिन्दुस्तान में लिखा गया था । उसमें अगर कोई गड़बड़ी हो तो उसमें सुधार होना चाहिए । इस पर हम गौर करेंगे ।

वे कहते हैं कि सरकार हिन्दी भाषा को प्रोत्साहन नहीं देती है, अंग्रेजी को प्रोत्साहन देना चाहती है, उसको बनाये रखना चाहती है । यह उनका ख्याल बिल्कुल बेबुनियाद है । लेकिन

असलियत को कभी भूलना नहीं चाहिए। सरकार का आदेश है हिन्दुस्तान की भाषाओं को तरक्की देना, उन्नति करना। सभी प्रादेशिक भाषाओं की, चाहे वह हिन्दी हो, या उर्दू हो, सभी की ज्यादा से ज्यादा वृद्धि करता सरकार की नीति है। लेकिन इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि यह सरकार की वजह से नहीं है। भारत की आजादी के बाद से हिन्दुस्तान में इंग्लिश का फैलाव हुआ है, कम नहीं हुआ है। जो धार्मिक लोग हैं, एजूकेशनिस्ट्स हैं, सोशल सुधार करने वाले हैं वे सब इंग्लिश में हुई स्पीच करते है। इस बात को आप रोक नहीं सकते हैं। यह भाषा दुनिया में बहुत फैली जबान है, हिन्दुस्तान के लोगों के दिलों में भी यह घर कर गई है। मैं चाहता हूं कि भाषा को झगड़े की बात नहीं बनानी चाहिए।

जिन प्राँतों में हिन्दी भाषा की अभी तक परवाह नहीं की गई है, हम उनको मजबूर करें, यह अच्छा नहीं लगता। परसुएशन से हम कहते हैं। भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, खासतौर पर हिन्दी, चूंकि सारे देश में इस्तेमाल होती हैं, हमारे कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि हिन्दी को लागू न किया जाए। जब तक वो प्रदेश खुद नहीं कहेंगे, तब तक हम उन पर भाषा ठोसेंगे नहीं और उनके जज्बात की कदर करेंगे।

इन्होंने आसाम की भी बात कही। उसके बारे में मैं बहुत कुछ यहाँ पर कह चुका हूं। मैं नहीं चाहता कि दोबारा उसको कहा जाए।

एक बात इन्होंने और कही और वह है सरकार के चरित्र-निर्माण के बारे में। बड़ा अच्छा उपदेश आपने दिया है। वैसे तो—

"औरों को उपदेश बतावत,
पाप बंद्यो जैसे गठ का जुला।"

यहाँ पर किसी को बताने में कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन कुछ करके दिखाने में मुश्किल होती है।

औरों को उपदेश दे, मुख में पर है रेत,
रास बिरानी राखते, खायो घर का खेत।

यह भक्त कबीर ने कहा है। उपदेश देना बहुत अच्छा है, मैं एक बात मण्डल जी को बड़े अदब के साथ कहूंगा कि चरित्र बिल्डिंग के लिए एक बुनियादी बात है—

आपस को जो भला कहावे,
इसे भलाई नेक न आवै।

जो आदमी अपने आपको भला कहता है और दूसरे को बुरा कहता है उसके नजदीक भलाई नहीं आती। तो पहले अपने आपको सुधारिए। अपने आपको भला कहना और दूसरों को बुरा कहना, यह अच्छी बात नहीं लगती। चेयरमैन साहब, मुझे आशा है कि चरित्र बिल्डिंग का काम, जीवन चरित्र की उसारी का काम मण्डल साहब आज से ही शुरू कर देंगे, ताकि हम पर भी उसका असर हो जाए।

श्री हरिवेश बहादुर (गोरखपुर) : सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, जो जवाब हैं, उसके संबंध में मुझे कहना है।

सभापति महोदय : आपने पहले से कुछ नहीं सोचा था ?

श्री हरिकेश बहादुर : उसके बारे में ही कहना है । मैं कहना चाहता हूं कि आधा घंटा सदस्य मण्डल जी बोले और आधा घंटा मंत्री जी बोले । हमको भी कुछ समय आप दे दीजिए ।

मान्यवर, सबसे बड़ी बात तो यह कहनी है कि भारत के गृह मंत्री के रूप में जैसा माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है वह उनको शोभा नहीं देता । कोई भी बात जब वे कहें तो बड़े साफ तरीके से कहनी चाहिए और प्रमाण के साथ कहनी चाहिए । कोई बात आज कह कर बाद में उसे साबित करेंगे, यदि उचित नहीं है । राष्ट्रीय एकता परिषद् में कुछ सवाल आए थे, जिनका उन्होंने जिक्र किया है । सद्भाव बनाए रखने, प्रादेशिक तथा उत्तर पूर्व की घटनाएं, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की भूमिका, शिक्षा की भूमिका, भाषा की समस्या जैसे बड़े-बड़े सवालों पर वक्तव्य दिया है । इस पर आपसे कुछ पूछना चाहता हूं ।

महोदय, जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना आरोप विरोधी पक्ष के नेताओं पर और विरोध पक्ष पर लगाए गए हैं वह बड़ी शर्म की बात है । गृह मंत्री के रूप में ऐसा नहीं कहना चाहिए । अगर इस प्रकार की बातें कही जाती हैं तो मुझे इस बात में शक है कि क्या वास्तव में वे गृह मंत्री के लायक हैं ?

मैं कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस आई के लोग इन दंगों में इनवाल्व हैं । हकीकत यह है कि जब जनता पार्टी का शासन था तब भी इनकी पार्टी के लोगों ने ही दंगे करवाये और वे ही इसके लिए जिम्मेदार हैं । आज भी अपने शासन में भी इन्हीं की पार्टी के लोग दंगे करवा रहे हैं और यही जिम्मेदार हैं । मैं कहना चाहता हूं कि ईद के दिन मुरादाबाद के ईदगाह को इन्होंने अपनी पुलिस के द्वारा गोली चलवाकर कब्रगाह में बदल दिया, शमशान घाट में बदल दिया । सैकड़ों लोगों की हत्या इन्होंने करवाई । इस बात के लिए ये ही सबसे बड़े दोषी हैं । भारत सरकार इसकी दोषी है ।

महोदय, मैं इस बात को दावे के साथ कहना चाहता हूं कि केवल उत्तर प्रदेश में या मुरादाबाद में ही नहीं बल्कि अलीगढ़, रामपुर, बरेली, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़ का मऊ शहर, हर जगह दंगे कराए गए और दूसरे सूबों में, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में आज जो दंगे हो रहे हैं और असम में हो रहे हैं, इनके लिए ये जिम्मेदार हैं । जबसे यह सरकार आई है तब से ही राष्ट्रीय एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है । माननीय गृह मंत्री जी साजिश की बात कहते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि आप की इंटैलीजेंस सो रही थी जब यह साजिश हो रही थी ? आप भी सो रहे थे जब इन साजिशों की वजह से हजारों को त्रिपुरा में कत्ल कर दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया, मुरादाबाद में सरकार को इस बात की खबर थी कि वहां पर इस तरह की कोई बात हो सकती है चूंकि वहां पर बीस बाईस दिन पहले ही काफी बड़ा संघर्ष हुआ था लेकिन उसके बावजूद भी यह इतनी निकम्मी सरकार है कि इसने कोई कदम नहीं उठाया । कौन जिम्मेदार है, इसका जवाब मैं सरकार से चाहता हूं ।

सभापति महोदय : यह मामला सब जुडिस है । ज्यूडिशल इनक्वायरी हो रही है । आप अनुभवी विधायक हैं । जज के सामने वे सब मुद्दे हैं और जज को फैसला देना है तो वहां पर आप

इन सब मुद्दों को रख सकते हैं। ज्य'दा विश्लेषण करना ठीक नहीं है। मुद्दे ही रखें, विश्लेषण न करें।

श्री हरिकेश बहादुर : ईदगाह को इनकी पुलिस ने कब्रगाह बनाया। इनक्वायरी इंस्टीट्यूट करने के बाद इस पार्टी के नेताओं ने तरह-तरह के बयान दिए। कभी कहा गया फारेन हैंड है। कभी कहा गया कि पाकिस्तान का हाथ है। गृह राज्य मन्त्री ने पाकिस्तान के हाथ की बात कही। पाकिस्तान की तरफ से जब लिख कर आया कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट का हाथ है तो उस बात की जाँच होनी चाहिए, राज्य सभा में तब कहा गया था कि पाकिस्तान इसमें इनवाल्ड नहीं। फिर पैट्रो डालर की बात कही गई। मैं राजनीतिक दलों के हाथ की बात कही गई। जनसंघ की बात कही गई। कभी लोकदल की बात कही गई। कभी बहुगुणा की पार्टी पर इसका इल्जाम लगाया गया। कभी हिन्दू मुस्लिम दंगे की बात कही गई। लेकिन गृह राज्य मंत्री श्री मकवाणा ने यह भी कहा कि हिन्दू मुस्लिम दंगा नहीं है। तरह-तरह के बयान दिए गए इनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से। कभी बेलचा पार्टी का नाम लिया गया। देवेन्द्र पांडे जो हाईजैकर थे और उत्तर प्रदेश असैम्बली में विधायक हैं उनका बयान भी है जो छपा है और उन्होंने बेलचा पार्टी का नाम लिया है। एक राजनीतिक दल के नेता का हाथ है इसके पीछे यह बयान बूटा सिंह जी ने दिया है। इस तरह से इनके नेताओं ने तरह-तरह के गैर जिम्मेदाराना ब्यान देकर इतना कनफ्यूशन पैदा कर दिया कि लगता है कि सरकार आत्म विश्वास खो चुकी है। सरकार अपोजीशन पर सारा ब्लेम डालकर नेशनल सिक्योरिटी आर्डिनेंस निकालती है, ड्रेकोनियनला जंगली ला बनाती है और पूरे देश के साथ इस तरह का कानून बनाकर जुल्म करना चाहती है, अत्याचार करना चाहती है। इन्होंने इस तरह कानून बनाया है और तरह तरह के आरोप लगाए हैं।

एक अत्यन्त हास्यास्पद बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता चाहता हूं। माननीय प्रधान मंत्री का कहना है कि अल्प संख्यक असुरक्षित नहीं हैं और असुरक्षित होते तो उनकी आबादी दुगुनी कैसे हो जाती। क्या प्रधान मंत्री को इस तरह की बात कहनी चाहिए थी ?

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपनी बात समाप्त करने वाले हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बहस नहीं हो सकती। वे केवल प्रश्न पूछ सकते हैं।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैं सब समझता हूं। जो कोई भी यहां बैठता है उसको कार्यवाही ऐसे ढंग से चलानी होती है कि जो भी कार्यक्रम कार्य सूची में होता है वह समय पर समाप्त होना चाहिए।

श्री के० के० तिवारी : यह सब कार्यवाही के नियमों के अनुसार होना चाहिए।

सभापति महोदय : मुझे संसदीय जीवन का लम्बा अनुभव है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री हरिकेश बहादुर : उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि लखनऊ की एक मस्जिद में पन्द्रह हजार बम पाये गये और इसी प्रकार के बम मुरादाबाद

और अलीगढ़ में प्रयोग में लाए गए थे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसने इस बात को डेनाई किया और कहा कि बम नहीं, पटाखे थे। उनका एकमात्र चार्ज था कि मुसलमान देश में कम्युनलिज्म कर रहा है। सरकार और उसकी पुलिस यही साबित करना चाहती है। मुरादाबाद, अलीगढ़ और दिल्ली वगैरह में मुसलमानों का कितना बड़ा वध हुआ है। लोग जानते हैं कि वहां पर कितने लोग मरे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चार-पाँच सौ आदमी मारे गये हैं।

पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि मुरादाबाद में मुसलमान हथियार लेकर ईदगाह में गए थे। गृह मंत्री महोदय जवाब दें कि अगर……

सभापति महोदय : मैंने आपसे निवेदन किया है कि सब-जुडिस मामले के बारे में आप बार-बार न कहें। अगर आपने कोई नई बात कहनी हैं, तो कहिए, नहीं तो बैठ जाइए।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं कहना चाहता हूं कि अगर मुसलमान ईदगाह में दंगा करने के इरादे से हथियार लेकर गए होते, तो वे बच्चों को लेकर कैसे जाते।

सभापति महोदय : क्या मैं यह समझूं कि आप और कोई बात सदन के समक्ष नहीं रखना चाहते हैं?

श्री हरिकेश बहादुर : मुद्दे तो अनेक हैं। मुझे बोलने दीजिए।

सभापति महोदय : तो फिर आप एक ही बात को बार-बार क्यों दोहरा रहे हैं?

श्री हरिकेश बहादुर : जहां कहीं भी गड़बड़ होती है, वे सारे देश में सशस्त्र बल भेज रहे हैं। उनके पास समस्याओं का कोई राजनीतिक हल नहीं है। उनके पास तो सैनिक-शक्ति का ही एकमात्र हल है। मन्त्री महोदय क्या सदन को बतायेंगे कि क्या इस देश की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए सैनिक-शक्ति का ही प्रयोग किया जायेगा या वे इसका कोई राजनीतिक हल भी निकालेंगे?

मैं कहना चाहता हूं (व्यवधान)

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (खजुराहो) : सभापति महोदय आप पायंट आफ आर्डर को सुनकर अस्वीकृत कर सकते हैं परन्तु आप यह नहीं कह सकते कि आप पायंट आफ आर्डर सुनेंगे ही नहीं। आपको उसे सुनना चाहिए।

प्रो० के०के० तिवारी : क्या मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है? आप उस पर विनिर्णय देकर रद्द कर सकते हैं। आप सदन की कार्यवाही चला रहे हैं और जब कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाए आपको उसका सुनना पड़ेगा। आप उसको रद्द तो कर सकते हैं परन्तु सदस्य को इस प्रकार शान्त नहीं करा सकते।

सभापति महोदय : ठीक है मैं जानता हूं कि कई बार……

प्रो० के०के० तिवारी : आप यही जानते हैं कि व्यवस्था के प्रश्न को नहीं सुना जाए। आप बस इतना भर ही जानते हैं।

सभापति महोदय : नहीं। मैं जानता हूं कि कई बार मुझे सुनना पड़ता है और कई बार उपेक्षा भी बरती जाती है।

प्रो० के०के० तिवारी : सभापति होने के नाते आपको यह जानना चाहिए कि ध्यानाकर्षण कोई वाद- ववाद नहीं होता। इसे वाद-विवाद का रूप नहीं दिया जा सकता। उन्होने यह अवसर प्राप्त किया है और आपने उन्हें वाद-विवाद शुरू करने की अनुमति दी है।

सभापति महोदय : क्षमा करना। तिवारी जी क्या आप बैठ जायेंगे? कल ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर दो घण्टे से अधिक समय तक बहस हुई थी।

प्रो० के०के० तिवारी : आप मेरे व्यवस्था के प्रश्न को रद्द कर सकते हैं। आप यदि सदन के नियमों का उल्लंघन करने लगें तो.........

सभापति महोदय : मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है। अब मैं मन्त्री महोदय से अपना उत्तर देने के लिए कहता हूं। (**व्यवधान**)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पीं० वेंकट सुब्बैया) : आप इसे सुन लें और बाद में रद्द कर दें। (**व्यवधान**)

प्रो० के०के० तिवारी : तो आप उन्हें बोलने की अनुमति दे रहे हैं?

सभापति महोदय : आप यह नहीं कह सकते हैं कि उन्हें इतना टाइम दिया गया है, इसलिए आपको भी उतना ही टाइम दिया जाये। आप कोई नया मुद्दा तो लाए नहीं हैं। कितना टाइम बीत गया है।

श्री हरिकेश बहादुर : मंत्री महोदय के बयान में कहा गया है कि प्रादेशिकता और उत्तर-पूर्व की घटनाओं के बारे में नेशनल इन्टेग्रेशन कौंसिल में बात हुई। जहां तक उत्तर-पूर्व की घटनाओं का सम्बन्ध है, मंत्री महोदय ने उसके बारे में जवाब दिया। जब उनसे एक सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि अखबार में पढ़ लीजिए। जब हम अखबार की बात क्वोट करते हैं, तो वह कहते हैं कि अखबारों में गलत बात छपती है।

मैं उड़ीसा के बारे में भी कहना चाहता हूं। आज उड़ीसा में भी सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं और देश के विभिन्न भागों में—उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, पूरे उत्तर पूर्वी भारत में, चारों तरफ अराजकता फैली हुई है। (**व्यवधान**)

इसी तरह से आप हरिजनों पर अत्याचार की बात को देखें। नेशनल इन्टिग्रेशन में यह मामला भी आता है। उत्तर प्रदेश में कफालटा में जो हुआ और बिहार में एक मठ के लोगों ने हरिजनों का सारा खेत बरबाद कर दिया जबकि आपकी सरकार वहां पर कायम है। एक तरफ सेन्टर स्टेट रिलेशन्स की बात कही जाती है और दूसरी तरफ मंत्री कहते हैं कि बंगाल की सरकार को बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया जाएगा। त्रिपुरा की सरकार ने सेना और पुलिस की सहायता मांगी थी लेकिन उस सरकार को बदनाम करने के लिए पुलिस नहीं भेजी गई जिसका नतीजा यह हुआ कि हजारों आदमी मार दिए गए। इसकी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर है। केन्द्र में इस सरकार के कायम रहते हुए राष्ट्रीय एकता का कायम होना बहुत नामुमकिन दिखाई दे रहा है। मैं अपील करता हूं आप अपने विचार को त्यागिए और इस सरकार पर हावी हो जाइए जिससे कि वे राष्ट्रीय एकता को बनाए रखें जिसके लिए हाल ही में उन्होंने राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलाई थी। जो कुछ आज घट रहा है उस सब के लिए ये ही लोग उत्तरदायी

हैं। यदि वे राष्ट्रीय एकता के बारे में वास्तव में रुचि रखते होते और उसके प्रति सच्चे होते तो वे राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में इस देश के सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेताओं को बुलाते। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि श्री एच० एन० बहुगुणा जी को जो कि एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में नहीं बुलाया गया। इससे पता चलता है कि पक्षपात और पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। वे विपक्ष के नेताओं के विरुद्ध कार्यवाही करना चाहते हैं। वे तो विपक्ष के नेताओं के विरुद्ध एक प्रकार का षडयन्त्र रच रहे हैं। यह बात स्वयं गृहमंत्री महोदय ने कही है। वे षडयंत्र रचना चाहते हैं, वे विपक्ष के नेताओं को जेल भेजना चाहते हैं और यही कारण है कि आज वे कोई स्पष्ट वक्तव्य नहीं दे रहे हैं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कभी आप जोश में अंग्रेजी में बोलते हैं, कभी फिर हिन्दी में आ जाते हैं, यह क्या बात है।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सब देखते हुए आप उन प्रदेशीय सरकारों को बर्खास्त करेंगे जहां यह दंगे हुए हैं ? नारायणपुर काण्ड को लेकर प्रदेश सरकार को भंग कर दिया गया था।

उड़ीसा में जो हो रहा है उसे रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ? वहां का आंदोलन तो भारतीयों के विरुद्ध है इसलिए आपको उमें हस्तक्षेप करना चाहिए।

इन्टर स्टेट संबंधों को बेहतर बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार निष्पक्षतापूर्वक क्या काम कर रही है ?

अल्पसंख्यकों, हरिजनों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे है ?

दंगों में जो लोग मारे गए हैं उनके परिवारों को पूरा मुआवजा देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

मंत्रीजी इन प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें।

श्री जैल सिंह : सम्माननीय चेअरमैन साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूं, आप बहुत फराख-दिल हैं, बड़ी बातें आप सुन सकते हैं। जो कुछ मंडल जी ने यहां पर कहा या इससे पहले हाउस में कहा जा चुका था और जिन बातों का जवाब दिया जा चुका था उसके सिवाय कोई और नई बात इन्होंने कही नहीं है और जो इनका कालिंग अटेन्शन मोशन था उसके साथ इनका कोई संबंध ही नही था इसलिए मैं इनकी बात का कोई जवाब नहीं दूंगा। जो बातें मुझे कहनी थीं वह मैंने कह दी हैं। (व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर : * * *

सभापति महोदय : मैं अपनी योग्यता अनुरूप सदन की कार्यवाही चलाऊंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री हरिकेश बहादुर : * * *

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : पीठ के विरुद्ध कही गई इन बातों को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति दूसरा प्रतिवेदन

ईरान-इराक संघर्ष के बारे में वक्तव्य

श्री मूलचन्द्र डागा (पाली) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन को ज्ञात है, विगत कुछ वर्ष से पश्चिम एशिया के देशों के संबंध तनावपूर्वक रहे हैं। इसकी वजह से हमें बहुत चिंता हो रही है और भारत हमेशा इस बात की कोशिश में रहा है कि कोई इस क्षेत्र में अस्थिरता पैदा न करने पाए। अगस्त में हमारे संसद के अधिवेशन के बाद से इसने और दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ लिया है तथा ईरान और ईराक के बीच खुल्लम-खुल्ला शसस्त्र संघर्ष छिड़ गया है।

ईरान और ईराक के बीच जो कि दोनों ही भारत के मित्र देश हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण लड़ाई भारत के लिए अत्यन्त चिंता निराशा का विषय है। यह लड़ाई शुरू होने के समय से भारत ने दोनों पक्षों की जान और माल की क्षति पर दुःख प्रकट किया है। भारत ने हमेशा इस बात में विश्वास किया है कि विभिन्न देशों के बीच के विवाद द्विपक्षीय आधार पर और शांतिपूर्वक, बिना लड़ाई किए सुलझाए जाने चाहिए और यह स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी की तरफ नहीं है, और न होगा। इस लड़ाई के लम्बा खिचते और चलते रहने पर हमने हमेशा गम्भीर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि इससे क्षेत्रीय और विश्व शांति तथा सुरक्षा पर गम्भीर प्रभाव पड़ सकता है।

महोदय, 22 सितंबर, 1980 को जब इस लड़ाई के शुरू होने के बारे में पहली बार खबर आई, तो उस समय मैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के सिलसिले में न्यूयार्क में था जिसका अधिवेशन 16 सितंबर, 1980 से शुरू हो चुका था। मैंने इस संबंध में तत्काल अनेक देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की जिनमें वे देश भी शामिल हैं जो कि सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। इन विचार-विमर्शों में चिंता का जो समान स्तर प्रकट हुआ उसके परिणामस्वरूप 28 सितंबर, 1980 की सुरक्षा परिषद की एक बैठक हुई। लेकिन इस बैठक में परिषद ने जो प्रस्ताव स्वीकार किया वह युद्ध-विराम करवाने में सफल नहीं हो सका। मैंने मौका मिलते ही संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी मुलाकात की और उनके साथ विशेष रूप से इस बारे में विचार-विमर्श किया कि इस संघर्ष को समाप्त कराने में संयुक्त राष्ट्र क्या कार्रवाई कर सकता है।

मेरी मुलाकत सोवियत संघ के विदेशमंत्री श्री ग्रोमिको और अमरीका के विदेश मंत्री श्री मस्की से भी हुई। मुझे यह विश्वास दिलाया गया कि ईरान-ईराक के संघर्ष में अमरीका

और सोवियत संघ दोनों तटस्थ रहेंगे। स्पष्ट है कि इन निर्णयों से इस संघर्ष को बढ़ने से और इसका सम्भावित विस्तार होने से रोकने में मदद मिली है।

चूंकि सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में युद्ध-विराम संभव नहीं हुआ इसलिए यही मुनासिब था कि कोई ऐसा समाधान तलाश किया जाए कि जिससे एक ओर युद्ध-विराम भी हो जाए और दूसरी ओर इस संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने के सिलसिले में बातचीत की प्रक्रिया भी शुरू हो जाए। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय अभी तक यह कार्य करने में समर्थ नहीं हो पाया है। इस्लामी सम्मेलन में जो पहल की गई थी उसका भी अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है और न ही संयुक्त राष्ट्र प्रधान सचिव की अपीलों का ही कोई परिणाम निकला है।

इस बीच ईरान और ईराक दोनों देशों के विशेष दूतों ने क्रमशः 28-9-1980 और 8-10-1980 को भारत की यात्रा की और अपनी-अपनी सरकारों के दृष्टिकोणों से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। हमने उन्हें यह सलाह दी कि वे संयम से काम लें तथा बाहरी शक्तियों के सम्भावित हस्तक्षेप और दखलन्दाजी के खतरों के प्रति उनका ध्यान आकृष्ट किया और उन्हें यह भी समझाया कि इसका असर उन दोनों देशों की स्वतन्त्रता और गुट-निरपेक्ष स्थिति पर भी पड़ेगा। हमारी प्रधानमंत्री के विशेष दूतों ने भी बगदाद और तेहरान की यात्रा की है और दोनों पक्षों के दृष्टिकोण जानने का प्रयत्न किया है।

3 अक्तूबर, 1980 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में मैंने यह कहा था कि दोनों देशों के बीच लड़ाई चलते रहने से गुट निरपेक्ष और विकासशील देशों की एकता ही कमजोर होगी। हमारा यह विश्वास था कि स्वयं गुटनिरपेक्ष होने के नाते ईरान और इराक सम्भतः स्वयं ही इस बात के लिए राजी होंगे कि अन्य गुटनिरपेक्ष देशों का एक समूह उनके वर्तमान संघर्ष के समाधान की दिशा में सहायता करे। लेकिन जाहिर है कोई भी पहल तक सफल नहीं होती जब तक कि ठीक समय पर न की जाये। बाद में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के अध्यक्ष श्री यासेर अराफत के कहने पर एक प्रस्ताव पेश किया गया कि गुट-निरपेक्ष देशों की पहल की सम्भाव्यता पर विचार करने के लिए गुट-निरपेक्ष देशों के समन्वय ब्यूरो की बैठक 21 अक्तूबर, 1980 को न्यूयार्क में होनी चाहिए। राजदूतों के स्तर की बैठक में ब्यूरो ने निर्णय लिया कि एक सद्भावना समिति गठित की जाए जो इस उद्देश्य के लिए अपने सद्भाव प्रभाव से काम लें। बाद में सभी सम्बद्ध देशों से परामर्श के बाद, जिसमें ईरान और इराक भी शामिल हैं, राजदूत स्तर की एक सात-सदस्सीय समिति गठित की गयी। ये सदस्य थे—अल्जीरिया, क्यूबा, भारत, पाकिस्तान, फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन, युगोस्लाविया और जाम्बिया। इस बात का भी निर्णय किया गया कि बेलग्रेड में एक बैठक आयोजित की जाये जहां यह समिति का स्वरूप मंत्रिस्तर का होगा और यह इसके दूसरे कार्यों पर भी विचार करेगी। ब्यूरो ने इस बात की भी सिफारिश की कि इस समिति को बगदाद और तेहरान की यात्रा पर भी जाना चाहिए।

मुझे 30 अक्तूबर की सुबह यूगोस्लाविया के विदेश मंत्री का एक निमंत्रण मिला जिसमें सूचना दी गई कि 2 और 3 अक्तूबर, 1980 को बेलग्रेड में आयोजित की जाने वाली है। अगले दिन बेलग्रेड जाने से कुछ घंटे पहले हमें खबर मिली कि इराक ने इन समिति में अल्जीयर्स को

शामिल करने पर आपत्ति करते हुए कहा है कि एक फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को छोड़कर किसी भी अन्य अरब सदस्य को शामिल किये जाने पर वह सिद्धांततः आपत्ति करता है। यह भी कहा गया कि इराक ने अन्य कुछ देशों का नाम लिया है जिसमें से ऐसा सातवां सदस्य चुना जा सकता है जो ईरान को भी स्वीकार हो। लेकिन, यूगोस्लाविया के विदेश मंत्री से व्यक्तिगत रूप से यह मालूम होनें पर कि ऐन मौके पर यह जो अड़चन आ गई है, इसे दूर किया जा सकता है और यह भी कि सभी अन्य विदेश मंत्री भी उस बैठक में उपस्थित होंगे, मैं बेलग्रेड के लिए रवाना हो गया।

बेलग्रेड पहुंचते ही हमें समाचार मिले कि ईराक को यह प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है और वह अल्जीरिया को शामिल करने पर जोर दे रहा है।

इन अप्रत्याशित घटनाओं के कारण बेलग्रेड बैठक संशयात्मक तरीके से आरम्भ हुई। परिणामस्वरूप हमें अपना अधिकांश समय इस बात के औचित्य पर विचार विमर्श करने में लगाना पड़ा कि क्या यह उपस्थित छः मंत्रियों के अपने अधिकार-क्षेत्र में होगा कि सद्भावना समिति गठित कर लें। परिणामतः विदेश मंत्री मूल मसलों पर विचार-विमर्श करने की स्थिति पर पहुंच ही नहीं पाये। अन्ततः छः मंत्रियों के नाम से ईरान और इराक की सरकारों से निम्नलिखित शब्दों में अपील जारी करने का निर्णय किया गया :

"यदि ईरान और इराक दोनों सहमत हों तो मंत्री अपनी एक सद्भावना समिति गठित करते और इस प्रकार करने के लिए अथवा अपनी सदस्यता में इस प्रकार वृद्धि करने के लिए तैयार हैं जो ईरान और इराक दोनों को स्वीकार्य हो ताकि सद्भावना समिति गठित की जा सके इसलिए मंत्री गुट-निरपेक्ष एकता की भावना से ईरान और इराक की सरकारों से अपील करते हैं कि वे इन विकल्पों पर विचार करें और इस पर हुई अपनी सहमति से सूचित करें ताकि यह सद्भावना समिति गठित की जा सके और कार्य आरम्भ किया जा सके।

मंत्री अपने राजाध्यक्षों और शासनाध्यक्षों की घोषणा में परिभाषित गुट निरपेक्षता की नीति और सिद्धान्तों के अनुसार, इन दो गुट निरपेक्ष देशों के झगड़े का न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण समाधान खोजने की दिशा में शांतिपूर्ण प्रक्रिया शुरू करने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करने के लिए तैयार हैं। इस काम के लिए मंत्री इन देशों की सरकारों के निमंत्रण पर तेहरान और बगदाद जाने के लिए या इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक अन्य कोई भी उपाय बरतने के लिए तैयार हैं।

मंत्री ईरान और ईराक की सरकारों के प्राप्त अपना पूर्ण सम्मान प्रकट करते हैं।

बेलग्रेड की बैठक यहीं समाप्त कर देनी पड़ी। यह पहल इस विश्वास पर आधारित थी कि इन दोनों गुट निरपेक्ष देशों के संघर्ष का समाधान गुट निरपेक्ष आन्दोलन के भीतर ही ढूंढने का

प्रयास किया जाना चाहिए। हमारी राय में यह प्रयास किया जाने के काबिल था। यह प्रयास जारी है और इस बात की कोशिश की जा रही है कि यह समिति गठित हो जाये और वह अपनी अभीष्ट दिशा में कार्य करे। मंत्रियों ने उपयुक्त समय पर नई दिल्ली में पुन: मिलने का निर्णय किया है।

भारत सरकार स्थिति की कठिनाइयों और जटिलताओं की ओर से पूरी तरह से सजग है और इस आवश्यकता की ओर से भी कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हों जो इस शान्ति मिशन की सफलता के अधिक अनुकूल हों। हमारा अब भी यही विश्वास है कि हमें क्षेत्रीय स्थिरता, विश्व शान्ति तथा गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के लिए इस गंभीर खतरे का सामना करने की अपनी कोशिशों में ढील नहीं देनी चाहिए।

यूरोप से लौटते समय मैं अध्यक्ष सेर अराफत से मिलने के लिए कुछ देर के लिए बेरुत में रूका। मुझे संघर्ष की स्थिति और अब तक किए गए विभिन्न मध्यस्थता प्रयासों के बारे में उनकी व्यक्तिगत राय जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अध्यक्ष अराफत का भी यही मत है कि इस संघर्ष को निपटाने की दिशा में गुट निरपेक्ष देशों की ओर से की गई पहल के ही सफलता की दिशा में मदद मिलने की संभावना है। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि इसके मार्ग में रूकावटों के बावजूद उनके प्रयास जारी रहेंगे और वे भारत को आगे इस दिशा में स्थिति से अवगत कराते रहेंगे।

मेरे लौटने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने स्वीडन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री ओलाफ पाम को अपना बिशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया है कि वे ईरान और ईराक दोनों जगह जायें और इस संघर्ष का समाधान ढूंढने की दिशा में सहायता का प्रयास करें। मैं उनकी सफलता की कामना करता हूं।

जैसा कि सदस्य जानते हैं ईरान और ईराक दोनों देशों में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय विभिन्न हैसियतों में काम कर रहे हैं जिनमें डाक्टर है, इंजीनियर हैं, अध्यापक हैं और कुशल तथा अकुशल श्रमिक आदि सभी हैं। हमें उनकी सुरक्षा की ओर से बहुत चिन्ता है। इसके लिए हमने सभी संभव उपाय किए हैं और जहां जरूरी था उनको भारत लौटाने के प्रबन्ध भी किए हैं। 23 सितम्बर को बसरा में ईरान द्वारा बमबारी करने की वजह से, कुछ भारतीय भी मारे गए थे। संघर्ष तेज हो जाने की वजह से विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लोगों की ओर से प्रत्यावतने का भी जोर बढ़ गया। विदेशी राष्ट्रिकों के बड़े समूह 23 सितम्बर के बाद से मुख्ययया ईराक कुवैत सीमा पर एकत्र होने लगे। भार ीय राष्ट्रिकों सहित अनेक लोग कुवैती प्रवेश। पारगमन वीमा के अभाव में विना भोजन तथा आश्रय के प्रवेश तथा यात्रा प्रबन्ध न हो पाने के कारण वहां फंस गये थे। पड़ताल चौकी पर अपर्याप्त सुविधाओं के होने और स्थानीय अधिकारियों के इस प्रकार की संकटावस्था के लिये तैयार न होने के कारण सीमा पर पहुंचने वाले सभी विदेशियों की जिसमें हमारे राष्ट्रिक भी शामिल थे, रेगिस्तान की इस सीमा चौकी पर शुरू-शुरू में कठिनाई पेश आई।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में भाग लेने के बाद न्यूयार्क से लौटते हुए मैं 11 अक्तूबर को कुवैत के रास्ते आया जिससे हमारे राष्ट्रिकों की मदद के लिए किए जाने वाले प्रबन्धों तथा उनकी भारत वापसी के लिए किये जाने वाले प्रबन्धों के बारे में मौके पर जानकारी

प्राप्त की जा सके । मेरी जांच से पता चला कि पड़ताल चौकी पर सुविधाओं के अभाव में पहले एक-दो दिन हमारे राष्ट्रिकों को कठिनाइयां पेश आई जिनके बारे में भारतीय अखबारों में खबरें छपी थीं । लेकिन उसके बाद कुवैत स्थित हमारे राजदूतावास ने हमारे राष्ट्रिकों के स्वागत तथा उन्हें कुवैत के मार्ग से भेजने के लिए यथा सम्भव प्रबन्ध कर दिए थे । कुवैत-इराक सीमा पर की पड़ताल चौकी पर अधिकारियों का एक दल प्राय: चौबीसों घण्टे काम कर रहा है जो शरणार्थियों के लिए पारगमन-वीसा का प्रबन्ध करता है, जो लोग अपने यात्रा सम्बन्धी कागजात पीछे छोड़ आये हैं उन्हें मौके पर ही यात्रा कागजात देना, कुवैत में उनके लिए रहने की व्यवस्था करना, उनकी रिहाइश के दौरान डाक्टरी सहायता तथा भोजन की व्यवस्था करना और भारत वापसी के लिए उनके उड़ान कार्यक्रमों की योजना बनाना । मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय शरणार्थियों की मदद के लिए हमारे राजदूतावास ने कुवैत स्थित भारतीय समुदाय तथा संस्थानों की सहायता मांगी थी जो फौरन दी गई थी । अरब तथा अन्तर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों के अलावा हमारे कुछ संवाददाताओं ने भी इन पड़ताल चौकियों की यात्रा की और वहां किए गये प्रबन्धों को स्वयं देखा । इराक से होने वाले इस भारी उद्वासन को जिस प्रकार से हमारे राजदूतावास के कार्मिकों ने संभाला, उसकी समाचार पत्रों ने बहुत प्रशंसा की । मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि अन्य देशों के राष्ट्रिकों ने भी हमारे कार्मिकों की सहायता प्राप्त की और उन्हें उक्त सहायता प्रसन्नतापूर्वक प्रदान की गई । अन्य देशों के कुछ राष्ट्रिकों से हमें पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें उन्होंने हमारे कार्मिकों द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए धन्यवाद दिया है ।

देश-प्रत्यावर्तन से सम्बन्धित सभी प्रबन्धों में समन्वय के लिए विदेश मंत्रालय में एक विशेष कक्ष की स्थापना की गई थी । अमन और कुवैत के रास्ते शरणार्थियों को लाने के लिए एयर इंडिया की सामान्य उड़ानों के अतिरिक्त 17 विशेष उड़ानों का भी प्रबन्ध किया गया था ।

कुवैत और अमन स्थित अपने मिशनों की सहायता के लिए तीन-तीन अधिकारियों के विशेष दल तुरन्त वहां भेजे गए । युद्ध स्थिति के बावजूद, बगदाद स्थित अपने दूतावास और बसरा स्थित अपने प्रधान कांसुलावास के कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ा दी गई । हवाई अड्डे पर शरणार्थियों के प्रवेश और पारगमन को सरल बनाने के लिए, इराक-कुवैत तथा इराक-जार्डन की सीमा-चौकियों पर भारतीय दूतावास के अधिकारी मौजूद रहे हैं । मिशनों को यह अधिकार भी दिया गया कि जो भारतीय कम्पनियां, अपने कर्मचारियों को भारत वापिस भेजना चाहती हों, लेकिन टिकट खरीदने के लिए उनके पास नकद पैसे न हों, तो उन्हें उधार टिकट देने का प्रबन्ध किया जाए और अगर कोई ऐसा असहाय भारतीय हो, जिसके पास टिकट खरीदने के लिए पैसे न हों, तो उसे भी भारत प्रत्यावर्तित करने का प्रबन्ध किया जाए । जार्डन, तुर्की, सीरिया, सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ, पाकिस्तान और कुवैत जैसे पड़ोसी देशों की सरकारों ने अपने-अपने राज्य क्षेत्रों में से होकर हमारे राष्ट्रिकों के पारगमन के लिए अपना पूरा-पूरा सहयोग दिया । भारत में लौटने वाले भारतीयों का सामान लाने के लिए, उत्पाद और सीमा शुल्क केन्द्रीय बोर्ड से आवश्यक सुविधायें देने के वास्ते अनुरोध किया गया । युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीय राष्ट्रिकों की खैरियत सम्बन्ध सभी प्रकार की पूछताछ के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई ।

ईरान में जो राष्ट्रिक ईरान छोड़कर आना चाहते थे, वे तुर्की, सोवियत संघ और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से होकर बिना किसी विशेष कठिनाई के भारत लौट सके ।

युद्ध के कारण, कई भारतीय जहाज खुर्रमशहर और बसरा में भी रुके पड़े हैं। यद्यपि. इन जहाजों को कुछ क्षति पहुंची है, परन्तु भारतीय जहाज का एक और पनामा के जहाज में काम करने वाले दो अर्थात तीन भारतीयों को छोड़कर, जो लापता बनाये जाते हैं, उपयुक्त सभी जहाजों के कर्मीदलों को सौभाग्यवश भारत वापिस भेज दिया गया है।

इस युद्ध की वजह से अब तक 15 भारतीयों की मृत्यु हो हुई है और 25 घायल हुए हैं।

अन्त में, अध्यक्ष। सभापति महोदय, मैं सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि भारत सरकार ने अपने दो सम्मानित मित्रों के बीच शांति स्थापित करने तथा जहां कहीं जरूरत हो अपने राष्ट्रियों की मदद करने और उनकी रक्षा करने का हर सम्भव प्रयत्न सक्रिय किन्तु चुपचाप किया है। ये दोनों देश या अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय हम से जिस तरह भी अपेक्षा करते हैं, हम अपने सत्प्रयत्न जारी रखेंगे। हम यह भूमिका अदा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें यकीन है कि यह संघर्ष, हाल ही में होने वाली सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में से एक है।

सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में मैं यह और भी कहना चाहूंगा कि उन दोनों देशों से भारी संख्या में भारतीय नागरिकों को भारत लाये जाने के बाद भी उन लोगों की संख्या हजारों में है जो वहां रह गये हैं और जिन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा है तथा जो बहादुरी से सभी प्रकार की परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं और उन देशों को छोड़ने से मना कर रहे हैं। यह एक प्रशंसनीय बात है। धन्यवाद।

श्री रामनगीना मिश्र (सलेमपुर) सभापति महोदय मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अभी मन्त्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है ......

सभापति महोदय : आपको में नियम पढ़कर सुनता हूं। नियम 372 इस प्रकार है :

"नियम 372 : अयध्क्ष की सहमति से कोई मन्त्री किसी लोक महत्व के मामले पर वक्तव्य दे सकता हैं, परन्तु वक्तव्य देने के समय कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा।" इसलिए कृपा कर अभी आप अपना प्रश्न न पूछें।

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

कार्य मंत्रणा समिति आठवा प्रतिवेदन

गृह मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) ; महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के आठवे प्रतिवेदन से, जो 17 नवम्बर, 1980 को सभा में पेश किया गया था। सहमत है।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि इसमें यह और सम्मिलित कर लिया जाए। यह जो छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप है, फाइव इयर प्लान है इसको इसमें कहीं नहीं रखा गया है। यह सदन सर्वोपरि है, इसलिए सदन में उस पर भी विचार हो।

दूसरा है कि प्रधानमन्त्री जी ने अखबारों के जरिए पूरे देश में एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है कि इस देश में जो वर्तमान लोकतांत्रिक ढांचा है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं। इस पर बहस चलाई जाए। वैसे आम चीज पर तो हमारे देश में बहस चलती ही रहती है, लेकिन प्रधान मंत्री द्वारा मेनिपुलेट करना कि देश में इस प्रकार की चर्चा हो, मैं समझता हूं कि यह गंभीर बात है और इस पर भी सदन में चर्चा होनी चाहिए और प्रधान मन्त्री को सदन के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अखबारों में क्या कहा गया है, इससे सदन को कोई मतलब नहीं है।

सभापति महोदय, तीसरी बात यह है कि आज तक भी हरिजन—आदिवासियों पर अत्याचार बन्द नहीं हुए हैं। हम लोग अभी शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब कमेटी में गए थे, उस समय कई जगह जानकारी मिली कि जो लोग कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वही हरिजनों पर अत्याचार करने वाले हैं। कमेटी में कांग्रेस के लोग भी थे और विरोधी के पक्ष के लोग भी थे। साउथ में एक जगह तो यहां तक शिकायत मिली कि एक स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, स्वामीनाथन या कोई रहे हैं, उन्होंने जिसने हरिजन की हत्या की थी, उसके घर पर जाकर खाना खाया था और पुलिस को कहा कि जिस तरीके से तुम्हारे मन में आए, उस तरीके से रिपोर्ट भरवाकर भेज दो।

सभापति महोदय : विषय भर बताइये और संक्षेप में कहिये।

श्री रामविलास पासवान : दूसरी बात यह है कि 8 सितम्बर को बिहार के सिंहभूमि जिले में 15 आदिवासियों की हत्या कर दी गई, जबकि पार्लियामेंट बन्द हो चुकी थी। आदिवासियों का कोई स्पोक्समैन नहीं है। कांग्रेस के जो लोग हैं, वे डरते हैं कि अगर बोलेंगे तो रिजल्ट क्या होगा। लेकिन कम से कम आप तो चेयर पर हैं, आपको इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। जैसा कि अखबारों में आया, कि 15 आदिवासी थे, लेकिन हम लोगों की जानकारी के मुताबिक 30 से भी ज्यादा आदिवासी मारे गए हैं। इस तरह की घटनायें दिनोंदिन घट रही हैं। हरिजन आदिवासियों की हत्यायें हो रही हैं, इसीलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस पर भी सदन विचार करे।

चौथी चीज मैं जो कहना चाहता हूं वह है गंगा का पुल। गंगा के पुल की लागत 23 करोड़ रुपये आंकी गई थी जो आज बढ़कर 40 करोड़ रु० हो गई है और इसके बावजूद भी 23 करोड़ रु० और मांगा जा रहा है। अभी स्पीकर साहब इन्सपैक्शन के लिए गए थे। एक साल से काम रुका हुआ है, मन्त्री महोदय ने सदन में कहा है कि सीमेंट के अभाव में काम रुका नहीं रहेगा और आज सीमेंट के अभाव में काम रुका हुआ है। सीमेंट गया भी, तो कह दिया गया कि यह सीमेंट गंगा के बगल का जो ब्रिज है, जो नेपाल की सीमा को जोड़ता है और उत्तरी पश्चिमी बिहार की सीमा को जोड़ता है, यह सीमेंट वहां के लिए है। 23 करोड़ की लागत का पुल आज बढ़कर के 60 करोड़ रु० का हो गया है, एक सबसे बड़ी कम्पनी, गेमन-कम्पनी, है, उसके द्वारा काम कराया जा रहा है। 15% कम्पनी वाले पैसा मारते हैं और 15% सरकार वाले कमीशन मार जाते हैं, जबकि शर्त में लिखा हुआ है कि यदि पुल नहीं बनेगा तो उनसे 25 हजार रु० हर्जाना लिया जाएगा। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि सारे का सारा सीमेंट, सारे का सारा

मैटिरिल नेपाल में सप्लाई हो रहा है और दूसरी जगहों पर जा रहा है और जो पुल 1978 में में बन जाना चाहिए था, मुझे नहीं लगता है कि वह दो हजार ई० तक भी पूरा हो पाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि यह बहुत ही गम्भीर मामला है लेकिन देखने में यह साधारण सी बात लगती है, जिस तरीके से वहां पर बंगलिंग हो रही है, जिस तरीके से वहां पर काम हो है, उस पर सदन में विचार किया जाना चाहिए था।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : महोदय, मैं श्री रामविलास पासवान से ज्यादा समय नहीं लूगा।

सभापति महोदय : वह मापदण्ड नहीं है। कृपया विषय की बात कीजिए।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं ?

सभापति महोदय : अभी प्रतीक्षा कीजिए। मैं आपको बुलाऊंगा।

श्री जी० एम० बनातवाला : संशोधन पहले ही रखा जाना चाहिए और निवेदन स्वरूप बातें बाद में रखी जा सकती हैं संशोधन पर इसके तुरन्त बाद विचार किया जाना चाहिए था।

सभापति महोदय : कृपया इन्तजार कीजिए, उन्हें अपनी बात पूरी करने कीजिये।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, अन्तर सत्र की अवधि के दौरान एक ऐसा विषय था। जिससे अनेक पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के पृष्ठ भरे हुए थे और यह वृहत्त चर्चा का विषय था और मैं देख रहा हूं कि उस पर यहां संसदीस पत्रों में और यहां की कार्य सूची में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि उर्वरक मन्त्री यहां पर हैं। मैं संसदीय कार्य मन्त्री की जानकारी में लाना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में यहां थाल-वैसेट और हजीरा परियोजनाओं के लिए एक कम्पनी को उर्वरक ठेका दिया जाना गत तैंतीस वर्षों का सबसे बड़ा कांड है। इस कांड की न केवल इस देश में अपितु समूचे विश्व में चर्चा हो रही है। भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए है और मैं नहीं जानता कि वे सच हैं अथवा नहीं। परन्तु मैं यह देखता हूं कि उनमें से किसी का भी सही तौर पर खण्डन नहीं किया गया है। मैं मन्त्री महोदय से इस बात का जोर दूंगा कि इस पर चर्चा की जाए और मैं जानता हूं कि श्री सेठी को कभी भी किसी तरह चर्चा से डरे नहीं है। उन्होंने कभी कोई वात छिपाई नहीं। इसलिए आप उर्वरक संविदा सम्बन्धी इस सर्वाधिक बड़े घोटाले के सम्बन्ध में पूरी चर्चा के लिए सहमत होंगे। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय इस बात को स्वीकार करेंगे। अन्यथा सदन में खिन्नता की स्थिति होगी जो कि सहन की कार्यवाही में परिलाक्षित होगी और जैसा कि संसदीय कार्यमंत्री जनते हैं, इससे अरुचि कर स्थिति पैदा होगी।

(व्यवधान)

महोदय, मेरा नाम 'स्वामी' है मैं 'साधु' नहीं हूं। उदाहरण के लिए एक आदमी का नाम 'ब्रह्मचारी' हो। सकता है। परन्तु हो सकता है वह ब्रह्मचारी नहो। महोदय, हम देखते हैं कि अत्यधिक पवित्र उच्चारण के नाम वाले व्यक्ति इस देश को छोड़ रहे हैं और विदेशों में जा रहे हैं और फ्रांस में के विमान की विक्री के लिए यहां केरक्षा मन्त्रालय के लिए फ्रांस सरकार द्वारा सप्लाई किए गए ब्लू-पिंटस हासिल कर रहे है और वे यह कहते हुए उन ब्लू-प्रिंटों को पेश कर रहे हैं कि

'आपको मेरे साथ अवश्य समझौता बातचीत करनी चाहिए, भारत सरकार के साथ नही, केवल जब में अपनी स्वीकृति दे दूंगा भारत सरकार इसे स्वीकार करेगी।" यह सच हैं कि फ्रांस के राजदूत प्रधान मन्त्री से मिले और कुछ सरकारी अधिकारियों के इससे सम्बद्ध होने का विरोध किया जिनका सम्बद्ध होना सचमुच गलत है। वास्तव में इस व्यक्ति को हरिद्वार अथवा ऐसे कुछ दूसरे स्थानों पर होना चाहिए था जहां भारी संख्या में अपसराएं हों। परन्तु यहां वह सरकार के नीति विषय मामलों में सीधे हस्तक्षेप कर रहा है। मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय गत दस महीनों के दौरान हुए रक्षा संविदाओं के बिषय पर चर्चा कराएं।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बन्द है और छात्रों की हड़ताल के कारण इसे बन्द किया जा रहा है और अब छात्रों को आज विश्वविद्यालय खाली करने को कहा गया है। यह भयावह स्थिति है। कार्यकारी उपकुलपति की सहज ही गोली चलाने की मानसिक प्रवृति की वजह से छात्र क्यों परेशान हों? इसलिए मैं चाहूंगा कि आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के मामलों की स्थिति पर सम्पूर्ण चर्चा करे और यह कहते हुए मुझे दुख है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने इस विश्वविद्यालय पर अपना शिकंजा कसने और विद्या के केन्द्र को भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और राजनीतिक चालबाजी के अड्डे में बदलने का प्रयास किया है। इसलिए यह आवश्यक है कि जवाह लाल नेहरू विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण चर्चा की जाए क्योंकि यह एक भयंकर मामले के कारण बन्द है।

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला: महोदय, में एक निवेदन करना चाहता हूं:

सभापति महोदय: आपने प्रस्ताव में संशोधन का नोटिस दिया है। परन्तु रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि इस मामले में समिति द्वारा निर्णय किया जा चुका है। आप अपने संशोधन को अभी प्रस्तुत करना चाहेंगे या बाद में?

श्री जी० एम० बनातवाला: मैं अभी अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं। महोदय, प्रारम्भ में, सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी अरुचिकर कार्यविधि अपनाई गई है। जब माननीय राज्यमन्त्री महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, प्रस्ताव के तत्काल बाद प्रस्ताव में संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। उसके बाद निवेदन प्रारम्भ किये जा सकते थे जिससे समूचा सदन संशोधनों के साथ प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी सभी बातें कह सकता था।

सभापति महोदय: कोई भी असामान्य बात नहीं की गई है, परन्तु कुछ भ्रान्तियों के कारण यहां कागजात मिल गए थे। किसी भी माननीय सदस्य की अवहेलना करने का कोई आशय नहीं हैं, इस बात का श्री बनातवाला जी मैं आश्वासन दे सकता हूं। आप कृपया अपना संशोधन प्रस्तुत कीजिए।

श्री जी० एम० बनातवाला: मैं प्रस्तुत करता हूं "कि नियम 189 के अन्तर्गत स्वीकृत प्रस्ताव संख्या 17 के अनुसार सांप्रदायिक दंगों पर तथा शीघ्र चर्चा की व्यवस्था करने के लिए कार्य मन्त्रालय समिति का आठवां प्रतिवेदन समिति को पुन: भेजा जाये।

महोदय, कार्य मन्त्रण समिति का यह प्रतिवेदन हमारे पास है और इसमें कार्यों की लम्बी सूची दी गई है। कार्य मन्त्रणा समिति ने मूल्य वृद्धि के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पर चर्चा के लिए एक विशेष तारीख की सिफारिश करने की श्री कृपा की है। इसके लिये हम कार्य मन्त्रणा समिति के आभारी हैं। तथापि, यह अघात पहुँचाने वाली बात है कि सांप्रदायिक दंगों पर चर्चा के सम्बन्ध में कार्य मन्त्रणा समिति ने सामान्य से यह साधारण सिफारिश की है कि इस पर वर्तमान सत्र के दौरान चर्चा की जा सकती है।

19 दिसम्बर को सभा का अवसान हो जाने की आशा है। इस तरह की एक विस्फोटक स्थिति के लिये कोई विशेष तारीख नहीं निर्धारित की गई है। इस खास मसले पर समूचा सदन आंदोलित है। कल मैंने एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। यद्यहि माननीय अध्यक्ष महोदय ने सांप्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में किये गये मेरे स्थगन प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान नहीं की थी, उन्होंने यह कहने की कृपा अवश्य की थी कि इन विषयों पर चर्चा की जायेगी इसलिये, हम मुस्लिम लीग के सदस्यों ने कल किसी तरह का बाहिर्गमन नहीं किया था, हमने धैर्य पूर्वक कार्य मन्त्रणा समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की। परन्तु यह जानकर बहुत आघात पहुंचा है कि सांप्रदायिक दंगों एवं उससे उत्पन्न विस्फोटक स्थिति के सम्बन्ध में, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तत्काल बर्खास्तकी मांग की जा सकती है कार्य मन्त्रणा समिति समय सम्बन्धी किसी तरह का महत्व प्रदर्शित करने में असफल रही है। क्या मैं इस सदन को इस खास विषय, नाजुक मसले की तात्कालिता और महत्व बता सकता हूं? क्या मैं इस सदन को मुरादाबाद में प्रार्थना करने इकट्ठे हुए मुसलमानों के कत्लेआम के बारे में बता सकता हूं? कार्य मंत्रणा समिति इस बात की सिफाररिश करती है कि वर्तमान सत्र व जिसकी कि 19 दिसम्बर को समाप्त हो जाने की आशा है, के दोरान किसी भी समय इस विषय पर चर्चा की जाएगी। इसलिए, मैं निश्चित रूप कि यह महसूस कहता हूं कि प्रतिवेदन कार्य मंत्राणा समिति के पास वापस भेजा जाये और कार्य मंत्रणा समिति को इस विषय पर यथा सम्भव शीघ्र चर्चा करने के लिए समय निर्धारित करना चाहिए।

आज ही एक माननीय सदस्य श्री चन्द्रजीत यादव ने माननीय मन्त्री महोदय को इस विषय के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देने का सुझाव दिया। मुझे ताज्जुब है कि उन्होंने ऐसा सुझाव क्यों दिया? मैं मामलों को हल्का नहीं करूंगा। राष्ट्र इस बात को जनता है कि जब सरकार रेल दुर्घना के सम्बन्ध में स्वतः एक वक्तव्य देने को प्राथमिकता देती है, उसने इस तरह की विस्फोट स्थिति के सम्बन्ध में जहां कि कत्लेआम हुआ है। एक वक्तव्य देने की कोई परवाह नहीं की। इसलिए, मेरा अत्यन्त विशेष संशोधन है। मेरा संशोधन ऐसे किसी वक्तव्य पर जिसे कि सरकार इसके बाद भी दे सकती है, चर्चा करने के लिए नहीं है, मेरा संशोधन यह है कि कार्य मन्त्रणा समिति को प्रस्ताव संख्या 17 के सम्बन्ध में 12 जो सम्पूर्ण स्थिति पर विचार किये जाने के लिए है, समय निर्धारित करना चाहिये।

महोदय, प्रशासन आज भी बड़े ही खतरनाक ढंग से इस विस्फोटक समस्या को पैबन्द लगा रहा है। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दूंगा और अपनी बात समाप्त कर दूंगा, मैं कहूंगा कि केवल दो दिन पहले ही हमने 14 नवम्बर की यू० एन० आई० की एक खबर मिली जिसमें

यह कहा गया कि मुरादाबाद के पुलिस अधिकारी के अनुसार मुरादाबाद में विस्फोट और छुरेबाजी की घटनाएं घटी । उसके तत्काल बाद ही यू० एन० आई० ने यह खबर प्रसारित की कि पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद ने इससे इन्कार किया है; न केवल वह इससे इन्कार करते हैं अपितु उन्होंने यह भी कहा बताते हैं कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी । मैं पूछता हूं, उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाही की गई है । जिसने यह अफवाह फैलाने की कोशिक की ? यू० एन० आई० के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है जिससे इस तरह का विस्फोटक वाकया प्रसारित किया ?

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं इस पर सख्त आपत्ति करता हूं । उन्हें केवल पांच मिनट दिए जाने चाहिये थे । उन्हें ज्यादा समय दिया गया है ।

श्री जी० एम० बनातवाला : इसलिए, यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि मैं इस सदन के प्रत्येक सदस्य से अपील करता हूं कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठें और यह देखें कि यह प्रतिवेदन कार्य मंत्रणा समिति के पास वापस भेजा जाता है और कार्य मंत्रणा समिति को इस विशेष मसले पर एक सम्पूर्ण चर्चा करने के लिये यथा सम्भव शीघ्र समय निर्धारित करना चाहिए । मुझे आशा है कि मेरा संशोधन सरकार को स्वीकार होगा ।

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर पश्चिम) : इसके समर्थन में या विरोध में विचार व्यक्त करने के लिए क्या आप दूसरे सदस्यों को अनुमति प्रदान करेंगे ?

सभापति महोदय : आपने अपना नाम नहीं भेजा है । अब कृपया माननीय मन्त्री महोदय बोलें ।

श्री वेंकट सुब्बैया : मैं यह कहूंगा कि चर्चा किए जाने के लिए शामिल विषयों में सांप्रदायिक दंगे विषय भी एक है । मैं श्री बनात वाला की भावनाओं को समझता हूं । यह मामला पहले से ही कार्य मन्त्रणा समिति के विचाराधीन है जिसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं। मैं श्री बनातवाला की भावनाओं से, जो कुछ उन्होंने इस सदन में कहा है । उससे कार्य मंत्रणा समिति को अवगत करा दूंगा ।

श्री रामविलास पासवान द्वारा उठाए गए मुद्दे के बारे में मैं कहूंगा कि इस मामले पर भी चर्चा की गई थी और चन्द्रजीत यादव जो उनकी ही पार्टी से सम्बद्ध हैं उस समिति के एक सदस्य हैं । वह विषय है पंचवर्षीय योजना के खर्चे पर चर्चा ।

दूसरा मुद्दा मेरे मित्र डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा उठाया गया था । कोई भी उन्हें एक स्वामी समझने की भूल नहीं करेगा ···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : एक अन्य ब्रह्मचारी ?

श्री वेंकट सुब्बया : मैं कैसे कह सकता हूं ? मैं आपको इस बात का प्रमाण पत्र देने का अधिकारी नहीं कि आप ब्रहमचारी हैं अथवा नहीं । उनका मुद्दा कार्य-मंत्रणा समिति के समक्ष रखा जायेगा । इस सदन के माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गये सभी मुद्दों को कार्य मन्त्रणा समिति के समक्ष रखा जायेगा । मैं श्री बनातवाला से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना संशोधन वापस ले लें ।

श्री जी० एम० बनातवाला : मुझे खेद है कि प्रतिवेदन समिति को वापस भेजना पड़ेगा।

सभापति महोदय : अब मैं श्री बनातवाला के संशोधन को मतदान के लिए सभा में रखता हूँ।

श्री जी० एम० बनात वाला : मैं मत-विभाजन चाहता हूँ।

श्री पी० वेंकट सुब्बया : क्या मैं उनसे एक निवेदन कर सकता हूँ ? इस मामले पर चर्चा हुई है और किसी भी अवसर पर कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर मत-विभाजन की मांग नहीं की गई। मैं उनकी भावनाओं का आदर करता हूं परन्तु मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि यह मामला पुन: कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। यह मद पहले से ही चर्चा के अधीन है और मैं उनसे मत-विभाजन के लिए आग्रह न करने का अनुरोध करूंगा।

श्री जी० एम० बनातवाला : मत-विभाजन का दावा किया गया है। क्या वाद-विवाद नियमानुसार चल सकता है ?

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कार्य मंत्रणा समिति के आठवें प्रतिवेदन को नियम 189 के अन्तर्गत साम्प्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में स्वीकृत प्रस्ताव संख्या 17 के अनुसार प्रतिवेदन पर शीघ्र से शीघ्र चर्चा करने की व्यवस्था के लिए समिति को पुन: सौंपा जाए।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

मत-विभाजन संख्या 1

म० प० 4 बजे

पक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव
बनातवाला, श्री जी० एम०
बर्मन, श्री पलाश
बसुदेव, श्री चित्त
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चतुर्भुज, श्री
चौबे, श्री नारायण
दास, श्री रेणुपद
घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा
गोपालन, श्रीमती सुशीला
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हन्नाम मोल्लाह, श्री
हरिकेश बहादुर, श्री

हसदा, श्री मतिलाल
हीरो, श्री एन० ई०
कश्यप, श्री जयपाल सिंह
मधुकर, श्री कमला मिश्र
मण्डल, श्री धनिल लाल
मण्डल, श्री सनत कुमार
मसुदल हुसेन, श्री सैयद
मेहता, प्रो० अजित कुमार
महालगी, श्री आर० के०
मोदक, श्री विजय
मोहम्मद इस्माइल, श्री
मुखर्जी, श्री समर
नगनगोम मोहेन्द्रा, श्री
निहाल सिंह, श्री
पाल, प्रो० रूपचन्द
परुलेकर, श्री बापूसाहिब
राय, ए० के०
राय, श्री एम० रामन्ना
साहा, श्री गदाधर
शास्त्री, श्री रामावतार
शेजवलकर, श्री एन० के०
तिरकी, श्री पीयूष
वर्मा, श्री चन्द्रदेव प्रसाद
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद

विपक्ष में

अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस
अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०
अराकल, श्री जेवियर
अरुणाचलम, श्री एम०
आजाद, श्री भागवत झा
भगत, श्री एच० के० एल०
भाटिया, श्री रघुनन्दल लाल
ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर
चक्रधारी सिंह, श्री
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चौधरी, श्री मनफूल सिंह

दाभी, श्री अजीत सिंह
डागा, श्री मूलचन्द
डामोर, श्री सोमजी भाई
दण्डपाणि, श्री सी० टी०
डूंगर सिंह, श्री
फर्नान्डीस, श्री ओरकर
गाडगिल, श्री बी० एन०
गामित, श्री छीतूभाई
गांधी, श्रीमती इन्दिरा
गहलोत, श्री अशोक
गिरिराज सिंह, श्री
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जयदीप सिंह, श्री
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जमीलुर्रहमान, श्री
जितेन्द्र प्रसाद, श्री
कैलाशपति, श्रीमती
खां, श्री जुल्फिकार अली
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुंवर राम, श्री
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
महावीर प्रसाद, श्री
महाजन, श्री विक्रम
मायातेवर, श्री के०
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री नित्यानन्द
महन्ती, श्री बृजमोहन
मोहिते, श्री यशवन्तराव
नागरत्नम, श्री टी०
नगीना राय, श्री
नारायण, श्री के० एस०
नटराजन, श्री कुमबुम एन०
नेताम, श्री अरविन्द
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पटेल, श्री अहमद मोहम्मद
पटेल, श्री सी० डी०

पटेल, श्री शान्तुभाई
पटेल, श्री उत्तमभाई एच०
पाटिल, श्री ए० टी०
पाटिल, श्री शिवराज वी०
पोटदुखे, श्री शान्ताराम
प्रधान, श्री के०
राजामल्लू, श्री के०
राम, श्री रामस्वरूप
रणवीर सिंह, श्री
राव, श्रीमती वी० राधाबाई आनन्द
राव, श्री एम० एस० संजीवी
राठोर, श्री उत्तम
राउत, श्री भोला
रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा
साही, श्रीमती कृष्णा
सेबस्तियन, श्री एस० ए० दोराई
सेठी, श्री अर्जुन
सेठी, श्री पी० सी०
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी
शर्मा, श्री कालीचरण
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सोरन, श्री हरिहर
सुब्बुरमण, श्री ए० जी०
सुखाड़िया, श्री मोहन लाल
तिवारी, प्रो० के० के०
वर्मा, श्री जयराम
वेलू, श्री ए० एम०
वेंकटसुब्बया, श्री पी०
वर्मा, श्रीमती ऊषा
विजयराघवन, श्री वी० एस०
याजदानी, डा० गोलम
जैलसिंह, श्री

सभापति महोदय : मत विभाजन का *परिणाम इस प्रकार हैं :

पक्ष में 38 : विपक्ष में 80

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के आठवें प्रतिवेदन से, जो 17 नवम्बर, 1980 को को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपना मतदान किया।

पक्ष में : श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी, श्री विजयकुमार यादव, श्री भीमसिंह, श्री सुनील मैया, तथा श्री ई० के० इम्बीचंबावा

विपक्ष में : श्री मगन भाई बरोट, श्री जी० एम० डोगरा, श्री रणजीत सिंह, श्री सुन्दरसिंह, श्री सोबेंग तेइयेंग, श्री लक्षमण वर्मा, श्री एस० बी० चव्हाण, श्री नवल किशोर शर्मा, श्री बी० एल० बैठा, जैनुल बशर, श्री सतीश प्रसाद सिंह, श्री कृष्णदत्त, श्री मधुसूदन वामरले, श्री बी० वी० देसाई, श्री दिलीपसिंह भूरिया, श्री बी० आर० नहाटा श्री सन्तोष महान देव, प्रो० सत्य देव सिंह, श्री मो० असरार अहमद, श्री एस० बी० पाटिल, श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी, श्री एम० कुडनथाई रामलिगम, श्री नाथूराम शम्पबार, श्री सैयद मुजफ्फर हुसैन, श्री काजी जलील अब्बासी, श्री आरिफ मोहम्मद खां, तारिक अनवर, श्री सेनापति गौडर, श्री के० बी० एस० मनी, श्री सुभाष चन्द्र यादव तथा श्री चन्द्र शेखर सिंह।

नियम 377 के अधीन मामले

एक देश में साम्प्रदायिक हिंसा

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नाकी) : देश के अनेक भागों में, विशेष रूप से मुरादाबाद में हाल ही में जो साम्प्रदायिक हिंसा भड़की है उस पर सरकार को गम्भीर रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। 13 अगस्त, 1980 को ईद की नमाज के समय मुसलमानों के ऊपर अकारण गोली चलने के कारण तीन महीनों से अभी तक यह शहर साम्प्रदायिकता की आग में सुलग रहा है। यद्यपि सारी स्थिति पर अनेक दीर्घावधि उपाय करने की आवश्यकता है फिर भी कुछ उपाय तुरन्त किए जाने जरूरी हैं।

लगातार झूठी तथा असत्य रिपोर्टों के कारण यह आग सुलगती रही है। खेद की बात है कि ऐसी रिपोर्टों को परचालित करने में पुलिस कर्मचारियों तथा राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों का हाथ है और इस सम्बन्ध में कड़ी कार्यवाही करने की आवश्यकता है। हाल में 25 नवम्बर, 1980 को लखनऊ से प्रकाशन तिथि के साथ पी० टी० आई० द्वारा इस आशय का एक समाचार प्रकाशित किया गया था कि पुलिस सूत्रों के अनुसार पुराने लखनऊ में एक मस्जिद के भूमिगत कारखाने से 15,000 हथ-गोले बरामद हुये थे और ऐसे बमों का प्रयोग मुरादाबाद तथा अलीगढ़ में हुआ था। समाचार बाद में पूर्ण रूप से झूठा सिद्ध हुआ। इस भद्दे ढंग से उत्तेजक कहानी परिचालित करने के लिए उत्तरदायी पुलिस कर्मियों तथा सम्बन्धित पी० टी० आई० कर्मचारियों को कड़ा दण्ड देने के लिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं।

साम्प्रदायिकता के प्रकोप के शिकार निर्दोष व्यक्तियों की दशा बड़ी दयनीय है। सरकार बिना किसी और विलम्ब के उन प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा देने तथा उनका व्यावसायिक रूप से पुनर्वास करने का कार्य शीघ्र हाथ में लें। कारीगरों की अर्थ व्यवस्था को बहाल करने के लिए

तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। और उजाड़े गये श्रमिकों की सहायता के लिये। दोषी व्यक्तियों के साथ सख्ती से निपटते हुए पीड़ित व्यक्तियों की भी वर्तमान अन्धा-धुंध गिरफ्तारियों तथा जाली मामलों से रक्षा की जाये और सभी मामलों की निष्पक्ष तुरन्त जांच की जाए। इस जांच के परिणाम-स्वरुप झूठे मामले बनाने के लिए जिम्मेवार कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाही की जाये। इसके अतिरिक्त कर्फ्यू के दौरान भी बड़ी क्षति हुई है। केन्द्रीय सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में तैनात पुलिस कर्मियों के विरुद्ध लोगों की जानमाल की सुरक्षा करने में उनकी आपराधिक असफलता के लिए तुरन्त कार्यवाही की जाये जहां कर्फ्यू के दौरान लूट व आगजनी हुई। कर्तव्य परायणता की अवहेलना के मामलों से निपटने तथा 13 अगस्त के कत्लेआम के लिए जिम्मेवार कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में निरन्तर विलम्ब विधि व व्यवस्था तंत्र के सही कार्यकरण के लिए हानिकारक है।

(दो) केरल स्थित दो रेल डिवीजनों के बारे में)

श्री विजय राघवन (पाल घाट) :* त्रिवेन्द्रम डिविजन के अन्तर्गत कुछ कर्मचारियों द्वारा की गई उस हड़ताल के परिणामस्वरूप हाल में रेल सेवाओं में रुकावट पैदा हो गई थी जिसमें तिरूनलवेली-कन्या कुमारी लाइन को त्रिवेन्द्रम डिविजन से मदुराई डिविजन के अन्तर्गत लाने की मांग की गई है।

रेलवे का त्रिवेन्द्रम डिविजन केरल के लोगों की बड़ी पुरानी मांग पर गठित किया गया था। आशंका है कि ओलवाक्कड़ डिविजन इस समय पालघाट डिविजन के अन्तर्गत की लाइनों का एक अलग डिवीजन बनाया जायेगा जो या तो कर्नाटक में या तमिलनाडू में एक पृथक डिविजन होगा कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा की गई हड़ताल से ही यह आशंका प्रकाश में आई हैं।

केरल के लोगों को आशंका है कि यदि तिरूनेवेली कन्याकुमारी लाइन को त्रिवेन्द्रम डिविजन से ले लिया गया तो इसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायेगा। क्योंकि डिविजन के रूप में बने रहने के लिये इसके अन्तर्गत मुश्किल से उतनी लम्बी रेल लाइनें हैं जो एक डिवीजन के लिए जरूरी है। त्रिवेन्द्रम डिविजन में नई आशा उत्पन्न हुई है कि केरल के वे लोग भी प्रगति करने में समर्थ होंगे जिनकी रेलवे विकास के मामले में पहले उपेक्षा की गई थी। इसके अतिरिक्त यह लाइन उस समय की अपेक्षा जब यह मदुराई डिविजन के अधीन थी यात्रियों को बहुत अच्छी सेवा प्रदान करती हैं।

बड़े खेद का विषय है कि कुछ रेलवे कर्मचारियों ने तिरूनेवेली-कन्या कुमारी लाइन को मदुराई डिविजन के अन्तर्गत लाने के लिए आन्दोलन शुरू किया।

ऐसी आशंका व्यक्त करना केरल के लोगों के लिगे बिल्कुल स्वाभाविक है कि यदि इस लाइन को त्रिवेन्द्रम डिविजन से लिया जाता है तो यह डिविजन ही समाप्त हो जायेगी।

इसलिये सरकार से यह अनुरोध करते हुए कि वह आन्दोलनकारियों के आगे घुटने न टेके मैं सरकार से केरल के लोगों को यह आश्वासन देने का अनुरोध करता हूं कि केरल के पालघाट तथा त्रिवेन्द्रम दो रेलवे डिविजन बरकरार रहेंगे जिससे कि वहां लोगों के दिमाग से यह आशंका दूर हो सके।

---

*मंत्रालय में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी अनुवाद।

(तीन) बिहार में मस्तिष्क ज्वर का फैलना

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : बिहार के कई जिलों में और खास कर पूर्वी चम्पारन जिले में एन्सिफ्लाइटिस के रोग से सैकड़ों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है तथा रोग का प्रसार जारी है। सरकार की ओर से कोई समुचित प्रभावकारी कदम नहीं उठाये गये हैं कि रोग का निवारण तथा प्रसार पर रोकथाम हो।

अस्तु, मैं इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ कि अविलम्ब ऐसी कार्रवाई की जाये कि जनता की जान बचाई जा सके। स्वास्थ्य मंत्री इस बात पर अविलम्ब कार्रवाई करें।

(चार) कन्याकुमारी स्थित विवेकानन्द शिला स्मारक

श्री आर० के० महालगी (ठाणे) : विवेकानन्द शिला स्मारक, कन्याकुमारी जहां प्रतिदिन विदेशियों समेत 3000 तथा 10,000 दर्शक आते हैं, नौका सेवाओं के कारण दिसम्बर, 1980 के प्रथम सप्ताह में दर्शकों के लिये बन्द हो जाने की सम्भावना है। कन्या कुमारी बन्दरगाह क्षेत्र जो सरकार द्वारा इस स्मारक को पट्टे पर दिया गया है पिछले चार वर्षों के दौरान स्थानीय मछियारों द्वारा उसे जबरन कब्जे में ले लिया गया है। बार-बार अभ्यावेदनों के बावजूद केन्द्र तथा राज्य सरकारें कोई कार्यवाही करने में असफल रही हैं।

मछियारे क्षेत्र में गाद निकालने के कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। उन लांच तथा नौकाओं की मरम्मत करने की भी अनुमति नहीं दी गई है जो दर्शकों को ले जाने में प्रयोग की जाती है। कन्याकुमारी में समुद्र में स्वामी विवेकानन्द ममोरिल एक चट्टान पर स्थित है जहां उन्होंने अपना शिकागों जाने से पूर्व तपस्या की थी। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने ममोरियल को लाखों रुपये अनुदान दिया है।

इसलिए मैं सरकार से दर्शकों के लिए इस स्मारक को बन्द न होने देने के लिए तुरन्त उपाय करने का आग्रह करता हूं।

(पांच) राजस्थान में बिजली की कमी

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाडमेर) : देश में अक्तूबर एवं नवम्बर, 1980 माह में बिजली के उत्पादन में वृद्धि के उपरान्त भी राजस्थान राज्य में गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर में वर्षा की कमी से पानी कम आने के कारण एवं कोटा अणु बिजली घर की प्रथम इकाई में बार-बार यान्त्रिक त्रुटियों के कारण बन्द हो जाने के कारण भयंयकर संकट हैं। इस संकट में और वृद्धि होगी जब गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर में दो माह में और पानी कम हो जायेगा। अणु बिजली घर की दूसरी इकाई ने कार्य करना शुरू कर दिया है परन्तु प्रथम इकाई के परिणामों को देखते हुए दूसरी इकाई के परिणामों के बारे में आशावादी नहीं हो सकते। अतः राजस्थान प्रान्त की कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन का भविष्य अंधकारमय है। केन्द्रीय ऊर्जा विभाग दूसरे प्रान्तों में जहां कि विद्युत के उत्पादन में वृद्धि हुई है, से विद्युत शक्ति प्राप्त कर उपरोक्त वर्णित भयंकर नाजुक स्थिति से बचा सकता है। अतः केन्द्रीय विद्युत एवं ऊर्जा विभाग का ध्यान इस महत्वपूर्ण समस्या की ओर आकर्षित किया जाता है।

(छः) इलायची के विपणन के लिए मूल पद्धति

श्री कुमबुम एन० नटराजन (पेरिया कुलम) : मेरे संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र पेरिया कुलम के

भीतर स्थित कुमबुम घाटी में केरल तथा तमिलनाडु के लगभग 70 प्रतिशत इलायची उत्पादक बसे हुये हैं। मैंने इलायची में विपणन की पूलिंग व्यवस्था को लागू करने के लिए तैयार की गई योजनाओं के बारे में पढ़ा है। मुझे भय है कि निम्न कारणों से यह उत्पादकों के हित में हानिकारक होगी :

इलायची जोते मात्रा में छोटी है।

छोटे इलायची उत्पादक एक मात्र उस आय पर निर्भर है जो इन छोटी जातों से प्राप्त होती है।

पूलिंग में इलायची की उप ग्रेडों दोनों बढ़िया और घटिया किस्म को एक साथ मिला दिया जाता है। इस प्रकार से किस्म का अपना मूल्य खत्म हो जाता है। यूनिट मुद्रा आय का कुल मूल्य अनिवार्य रूप से कम हो जायेगा। चूंकि पूलिंग प्रणाली के अधीन उत्पादक को केवल औसत मूल्य मिलेगा इसलिये बढ़िया किस्म की इलायची का उत्पादन करने में उसे कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा।

पूलिंग प्रणाली में फ्लोर मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। यह निर्यातकों को ऊंचे मूल्य के लिये सौदेबाजी करने हेतु असमर्थ कर देगा। परन्तु विश्व के अन्य इलायची उत्पादक देशों में ऐसी समस्या नहीं होगी।

इलायची की बिक्री की वर्तमान प्रणाली सार्वजनिक नीलामियां हैं। इलायची मण्डल नीलामीदाताओं पर नियंत्रण रखता है और नीलामी केन्द्रों पर सही रिकार्ड रखे जाते हैं। प्रत्यक्ष बिक्री इलायची मण्डल द्वारा केवल लाइसेंस शुदा व्यापारियों के माध्यम से की जा सकती है। इससे यह मालूम हो जायेगा कि वर्तमान प्रणाली से कर वंचन को कोई रास्ता नहीं मिलेगा।

पुलिंग प्रणाली मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों को प्रोत्साहन देगा जो लाभ का पर्याप्त हिस्सा ले जायेंगे जो सही रूप से उत्पादकों का हक है। पूल प्रणाली में अनिवार्य औपचारिकताओं के कारण छोटे जोतदार मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों की सहायता मांगने को विवश हो जायेंगे।

यदि पूलिंग प्रणाली लागू कर दी जाती है तो इलायची के मामले में फसल आने और उसकी कीमत के भुगतान के बीच का समय बहुत अधिक होगा जिससे उत्पादकों को बड़ी वित्तीय कठिनाई होगी।

इलायची के लिये महत्वपूर्ण बाजार मध्य पूर्वी देश है। जो हरी बड़ी इलायची पसन्द करते हैं। भण्डारण के कारण इलायची का रंग और आकार कम हो जाता है। इलायची के हरे रंग को भण्डारणके वैज्ञानिक तरीकों से अधिक से अधिक छः मास तक बनाए रखा जा सकता है। पूलिंग के फलस्वरूप चुनाव के समय और विदेशी बाजार में विक्रय समय के मूल्य में बहुत गिरावट आयेगी।

पूलिंग प्रणाली की पेचिदा प्रक्रिया से उत्पादकों के लिए बहुत कठिनाईयां पैदा होंगी। पूलिंग प्रणाली के प्रशासनिक तथा व्यवस्था व्यय का उत्पादकों पर अतिरिक्त भार पड़ता है। मेरी मांग है कि पूलिंग प्रणाली को लागू करने सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही बन्द कर दी जाये।

प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक

विचार किए जाने का प्रस्ताव

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

छठी लोकसभा की अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने अपने 21वें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियमों को संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखा जाये। सरकार ने समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और विधेयक को सभा में इस उद्देश्य से पुरःस्थापित किया गया है ताकि सिफारिशें अधिनियम की अंग बने। यह एक तकनीकी अधिनियम है और इसके लिए अधिक चर्चा आवश्यक नहीं है। मैं सभा से इस पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री हन्नान मोल्लाह (उल्बेरिया) : सभापति महोदय, मैं प्रादेशिक सेना संशोधन अधिनियम का समर्थन करता हूं क्योंकि इससे संसद को प्रादशिक सेना के लोगों की स्थिति तथा तत्सम्बन्धी नियमों, जो सभा में इस संशोधन विधेयक के अन्तर्गत रखे जायेंगे, पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा।

विधेयक का समर्थन करते हुए मैं सरकार के विचारार्थ कुछ प्रश्न सामने रखना चाहता हूं। यद्यपि प्रादेशिक सेना का अर्थ देश की सुरक्षा में लोगों की भागीदारी है, फिर भी इस बल की ओर सरकार का उचित ध्यान नहीं होता। इसे उचित महत्व मिलना चाहिए। लेकिन सरकार लोगों की भागीदारी से डरती है। अतः वे उस बल पर निर्भर करती है जो भाड़े के हों। सुरक्षा के लिए जन बल विकसित न करने का यही कारण है। वे भाड़े के जैसे बल पर निर्भर करते हैं जिनका गठन साम्राज्यवादियों ने किया। लेकिन प्रादेशिक सेना को सरकार की ओर से कुछ अधिक महत्व मिलना चाहिए। अतः उनके मामले पर कुछ अधिक सहानुभूति से विचार किया जाना चाहिए और उन्हें हमारे सुरक्षा कार्यों के लिये कुछ अधिक महत्व मिलना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि प्रादेशिक सेना ने कुछ अवसरों पर प्राकृतिक विपदाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। युद्धकाल में भी वे महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लेकिन उनके पास हथियार तथा अन्य सामग्री नहीं होतीं। वे महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर सकते। अतः वे अपने कर्तव्यों को उचित ढंग से नहीं निभा सकते। यदि देश को सभी युवकों के सैनिक प्रशिक्षण मिले और यदि उन्हें इस सेना में भर्ती होने के लिये कहा जाये तो एक जन सेना बन जायेगी और सुरक्षा कार्य कम खर्चीला होगा लेकिन यह जन सुरक्षा के लिए अधिक प्रभावशाली होगा। अतः इस प्रादेशिक सेना को सेना की तरह ही अच्छे शस्त्र मिलने चाहिए।

श्री शिवराज वी० पाटिल : क्या मैं एक अनुरोध कर सकता हूं ?

सभापति महोदय : अब केवल एक घन्टे का समय शेष है। अब नये सदस्य को बोलने दें।

श्री हन्नान मोल्लाह : प्रादेशिक सेना को लोगों से अच्छे सम्बन्ध रखने चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि इस सेना का उपयोग लोगों के विरुद्ध किया गया है। लोकों रेल कर्मचारियों की हड़ताल तथा डाक और तार हड़ताल के दौरान सेना का उपयोग लोगों के विरुद्ध किया जाता है। अतः वे लोगों के सही मित्र नहीं, शत्रु हो सकते हैं। इस दृष्टिकोण को बदला जाना चाहिए और इस बल का उपयोग ठीक ढंग से किया जाना चाहिए। उनकी सुविधाओं, अन्य भत्तों, भत्ते प्रक्रिया तथा दूसरी बातों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि इस बल का उपयोग राष्ट्रीय जीवन के लिये उचित ढंग से किया जा सके और इस संशोधन के आधार पर प्रादेशिक सेना की भलाई के लिए नियम बनाये जायेंगे और मुझे आशा है कि वे हमारी सुरक्षा के लिये अच्छा योगदान देंगे॥ अतः मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूँ क्योंकि इससे संसद को प्रादेशिक सेना के योगदान के बारे में चर्चा करने का अवसर मिलेगा।

श्री अजीत सिंह दाभी (कैरा) : प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 में संसद के सामने इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियम रखने सम्बन्धी प्रावधान जोड़ने सम्बन्धी, रक्षा मन्त्रालय की कार्यवाही की ओर इस सभा को विशेष ध्यान देना चाहिए।

प्रादेशिक सेना असैनिक नागरिकों का ही बल नहीं है जो देश की रक्षा के लिए रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के विचारों की तरह अपना योगदान देना चाहती है। जैसे कि आप जानते हैं, प्रादेशिक सेना अधिनियम की धारा 6 (क) के अन्तर्गत सरकार 21 या इससे अधिक वर्ष के किसी भी व्यक्ति, चाहे वह सरकारी सेवा में हो अथवा किसी जनोपयोगी सेना में, को सेवा कार्य करने के लिए कह सकती है। किसी व्यक्ति को अधिकारी द्वारा निश्चित समय तथा स्थान पर अपने आपको रिपोर्ट करने के लिए कहा जा सकता है। नियमित सेना की तरह प्रादेशिक सेना में भी कमीशन प्राप्त तथा गैर कमीशन प्राप्त अधिकारी, मैडिकल यूनिट, इनफैंटरी बटालियन आदि आदि हैं। प्रादेशिक सेना को सेना का काम भी करना पड़ता है और भारतीय क्षेत्र के किसी युद्ध क्षेत्र में नियमित सेना की सहायता भी करनी पड़ती हैं प्रादेशिक सेना जब ड्यूटी पर होती है तो उस पर सेना अधिनियम 1950 तथा इसके अधीन बने नियम तथा विनियम लागू होते हैं। इतना ही नही, यदि प्रादेशिक सेना का कोई अधिकारी अथवा सदस्य सेना अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करता है, तो उसे सेना के संरक्षण में भेजा जायेगा और उसकी सुनवायी सेना अधिकारी करेंगे तथा वे ही दण्डित करेंगे। जहां तक प्रादेशिक सेना का सम्बन्ध है, यह हमारी नियमित सेना का अभिन्न अंग है।

अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत संसद ने सरकार अर्थात रक्षा मंत्रालय के इस अधिनियम के कार्य सम्पन्न करने सम्बन्धी शक्तियां प्रदत्त की है। 14 (एएए) में कहा गया है :—

कि सरकार के पास किसी व्यक्ति द्वारा प्रादेशिक सेना में अनिवार्य सेवा करने की परिपाटी तथा अवधि निर्धारित करने की शक्तियां होगी।

इसके बाद धारा (एच) सरकार को अधिनियम के अन्तर्गत अन्य बातों सम्बन्धी व्यवस्था करने के लिये नियम की शक्ति दी गई है।

यह एक ऐसा प्रावधान है जिसके अन्तर्गत नियम बनाने के लिये संसद को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसकी व्यवस्था भी के नियम में नहीं होती। धारा 14 अन्तर्गत बनाये गए सभी नियमों की संसद छानबीन करेगी ताकि संसद निर्णय कर सके कि क्या बनाए गए नियमों से काम चल सकता है। संसद इन नियमों की छानबीन उस समय तक नहीं कर सकती जब तक अधिनियम में संसद के समक्ष नियम रखने का प्रावधान न हो।

1974 से यह सभा अपनी अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के द्वारा बार-बार रक्षा मंत्रालय को धारा 14 के अधीन बने नियमों को संसद के सामने रखने सम्बन्धी प्रावधान अधिनियम में जोड़ने के लिए कहती आयी है। लेकिन रक्षा मंत्रालय के अधिकारी इस समिति के अनुरोध को अस्वीकार करके इस संसद के प्रति अपमान प्रदर्शित करती आ रही है। इतना ही नहीं लोकसभा सचिवालय द्वारा भेजे गये पत्रों के उत्तरों में इन अधिकारियों द्वारा भाषा भी बहुत ही आपत्तिजनक होती है और कभी-कभी अपमान जनक भी होती है।

मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के 21वें प्रतिवेदन के पृष्ट 15 पैरा 49 की चर्चा करता हूं :—

"......प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 में संसद के सभा पटल पर, इस अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों की प्रति रखने सम्बन्धी प्रावधान जोड़ने के प्रश्न पर कई बार विचार किया गया है और तत्सम्बन्धी उत्तर इस मंत्रालय के ज्ञापन संख्या 28 (1) 74—डी० (जी० एस० II) दिनांक 28 सितम्बर, 1974 और 20 मार्च 1975 को लोकसभा सचिवालय को भेजे गए थे जिसमें लिखा गया था कि प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 का संशोधन करने का अभी तक अवसर नहीं आया है और इसी कारण उसमें उक्त प्रावधान का जोड़ना सम्भव न हो सका जिसकी सिफारिश अधीनस्थ विधान सम्बन्ध समिति ने की थी।"

रक्षा मंत्रालय इस प्रकार हमारी अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के निर्देश का पालन करने से इनकार करता है।

इस सम्मानित सभा को यह प्रश्न पूछने का पूरा हक है कि रक्षा मन्त्रालय सचिवालय में बैठने वाले वे कौन से अधिकारी हैं जो इस सभा को यह बताते हैं कि इस सभा को नहीं अपितु उस अवसर का निर्णय लेने का उनका अधिकार है, जब इस सदन की आवश्यकतानुसार अधिनियम को संशोधित करने की कार्यवाही की जायेगी ? केवल इतना ही नहीं, इससे तो ऐसा लगता है कि जैसे वे संसद से भी वरिष्ठ अधिकारी हैं तथा उन्होंने लोक सभा सचिवालय द्वारा बार-बार भेजे गए स्मरण पत्रों के प्रति अप्रसन्नता प्रकट की है।

मैं उसी उत्तर से पुनः उद्धृत करता हूं :

"........यद्यपि जैसी कि अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने सिफारिश की थी, प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 में कोई संशोधन नहीं किया गया है, फिर भी रक्षा मन्त्रालय ने पर्याप्त लोक महत्व के और कथित अधिनियम के अधीन बनाए गये नियमों, विनियमों आदि को सभा-पटल पर रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखा हैं।"

रक्षा मन्त्रालय में ऐसे नौकरशाह बैठे हैं जो बड़े ही ढीट पने से स्वयं यह कहते जान पड़ते

हैं कि इस सम्मानित सभा को नहीं अपितु उन्हें ही यह निर्णय लेने का अधिकार हैं कि कौन से नियम पर्याप्त लोक महत्व के हैं या नहीं ।

मैं और आगे उद्धृत करता हूँ :

"उपर्युक्त स्थिति को दृष्टि रखते हुए बनाए गए नियमों को संसद के दोनों सभा-पटलों पर रखने सम्बन्धी उपबन्ध को प्रादेशिक सेना अधिनियम में जोड़ना आवश्यक नहीं समझा गया है। इस मामले की पुनः जांच की गयी है और चूंकि स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है अतः इस अवस्था में कथित उपबन्ध को प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 में जोड़ने के लिए उसका संशोधन करने हेतु किसी प्रकार का विधायी उपाय करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं। फिर भी, भविष्य में जैसे ही अधिनियम में किसी प्रकार का संशोधन आवश्यक समझा जायेगा तो उसके अन्तर्गत बनाए गए सभी नियमों को सभा-पटल पर रखने के लिए उपबन्ध जोड़ने के लिए भी कदम उठाये जायेंगे ।"

रक्षा मन्त्रालय के अधिकारियों का हेकड़ी तो देखिए। उनका कहना है कि नियमों को संसद में सभा-पटल पर रखने के लिए वे प्रादेशिक सेना अधिनियम में उपबन्ध जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं समझते । वे कहते हैं कि वे तभी ऐसे कदम उठायेंगे जबकि वे नियमों को संसद के समक्ष रखना आवश्यक समझेंगे । इस सम्मानित सभा का इससे अधिक अवमान मैंने इसके पूर्व कभी नहीं सुना है ।

रक्षा मन्त्रालय ने दिनांक 28 अगस्त, 1978 के अपने उत्तर में यह तर्क भी दिया है कि संसद के किसी अधिनियम को संशोधित करने में सरकार और संसद दोनों में ही पर्याप्त प्रशासनिक और प्रक्रियागत कार्य करना पड़ेगा, अत: वे अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिमि द्वारा प्रस्तावित संशोधन तब करेंगे जब प्रादेशिक सेना अधिनियम में कोई अन्य बड़ा संशोधन किया जायेगा । रक्षा मन्त्रालय के अधिकारियों के इस तर्क को सुनकर बड़ी ही हंसी आती है कि केवल आठ पंक्तियों के एक छोटे और साधारण से संशोंधन से, जो कि अनेक संसदीय अधिनियमों में अक्षररक्ष: आ चुका है, काफी प्रशासनिक और संसदीय कार्य हो जायेगा । संसद में सभा-पटल पर नियमों को रखने के संसद के विभिन्न अधिनियमों में उपबन्ध, संसद को उन आदेशों में संशोधन रूपभेद या रद्द करने का अधिकार प्रदत्त करते हैं जो उन अधिनियमों के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार या शक्ति के अनुसरण में बनाए जाते हैं ।

मैं माननीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को मैं धन्यवाद देता हूँ जो संसदीय लोकतंत्र में दृढ़ विश्वास रखती हैं । उन्ही की प्रेरणा से तो रक्षा राज्य मन्त्री महोदय प्रादेशिक सेना अधिनियम को संशोधित करने वाले इस विधेयक को लाए हैं जिसे लाने की इस सम्मानित सभा की बहुत पहले से इच्छा थी । प्रधान मन्त्री महोदया ने रक्षा मन्त्रालय के अधिकारियों के इस तर्क को ठीक ही अस्वीकार कर दिया है कि यह संशोधन तभी लाया जा सकता है जबकि इस अधिनियम में कोई बड़ा, संशोधन लाया जाए । मैं उन अधिकारियों के सम्बन्ध में रक्षा राज्य मंत्री की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं जिन्होंने अपने उत्तर में ऐसी अपमान जनक भाषा का प्रयोग किया है और जो चार वर्ष की लम्बी अवधि तक इस सम्मानित सभा के आदेशों की निरन्तर अवहेलना

करते रहे हैं और संसद द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत बनाए गये नियमों की समीक्षा करने के संसद के अधिकार से उसे वंचित करते रहे हैं।

जनता पार्टी के शासन के दौरान रक्षा मन्त्रालय समेत सरकार के प्रत्येक विभाग में भाई-भतीजावाद व्यापक रूप से व्याप्त था। स्थायित्व का ही दूसरा नाम है लालफीताशाही। लालफीताशाही हृदयहीन और बेरहम होती हैं और यदि सरकार लालफीताशाही को काबू में नहीं करेगी तो लालफीताशही सरकार को काबू में कर लेगी। मुझे आशा है कि राज्य रक्षा मन्त्री महोदय इस लालफीताशाही से सावधान रहेंगे। इन शब्दों के साथ ही मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री **मूल चन्द डागा** (पाली) : सभापति जी, मुझे इस बात की खुशी है कि आप सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी के चेयरमैन रहे हैं और आज यह क्वायेंसिडेन्स है कि इस समय आप यहां पर प्रेजाइड कर रहे हैं। मुझे बार-बार कहते हुए शर्म आती है, जो उन्होंने आब्जेक्ट्स दिए हैं, मैं समझता हूँ जब डेफेन्स मिनिस्टर यहां पर बात करेंगे तो थोड़ा अफसोस जाहिर करेंगे। आज से बीस साल पहले लोक सभा ने कह दिया था और आप आज बीस साल के बाद कह रहे हैं कि हमको छठी रिपोर्ट से मालूम हुआ। आप देखें कि छठी रिपोर्ट में क्या कहा गया है।

छठी रिपोर्ट में कहा गया है :

"उन्हें आश्चर्य है कि समिति के तृतीय प्रतिवेदन (प्रथम लोक सभा) के पैरा 36-37 में की गई अधिनियमों में उनके अन्तर्गत बने नियमों को सभा-पटल पर रखने का उपबन्ध जोड़ने की उनकी सिफारिश की, जिसे यद्यपि सरकार ने स्वीकार कर लिया था, उस प्रतिवेदन को 3 मई, 1955 को सभा में प्रस्तुत करने के बाद संशोधन करने वाले विधेयकों को प्रस्तुत करते समय ध्यान में नहीं रखा गया।"

पहली लोकसभा में ही आपसे कह दिया गया था लेकिन हमारी कमेटीज की परवाह कौन करता है ?

आपकी भी जो 21वीं रिपोर्ट निकली उसमें आपने भी कहा है : "समिति को यह जानकर दुःख हुआ है कि रक्षा मन्त्रालय प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 में, सभा-पटल पर रखने के उपबन्ध को जोड़ने के महत्व को समझने में असफल रहा है। समिति को ज्ञात हुआ हैं कि समिति के निदेश का शीघ्रता से पालन करने की बजाय मन्त्रालय ने अन्यमनस्क भाव से यह उत्तर दिया है कि संसद के इस अधिनियम में संशोधन करके विधान तैयार करने में, सरकार और संसद दोनों में प्रशासनिक और प्रक्रियागत काम बढ़ जायेगा। समिति के विचार से यहां पर मन्त्रालय की प्रशासनिक सुविधा से कहीं बढ़कर औचित्य का प्रश्न है। समिति का यह भी विचार है कि अधिनियमों में नियमों को सभा-पटल पर रखने के उपबन्ध से संसद को उन अधिनियमों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में बनाए गये आदेशों में संशोधन, रूपभेद करने अथवा उन्हें समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है। अधिनियमों में सभा-पटल पर रखने के उपबन्ध को न जोड़ने का परिणाम यह होता है कि संसद को ऐसे अधिकार से वंचित करना है।

अतः समिति यह चाहती है कि 'सभा-पटल पर रखने के उपबन्ध' को शीघ्रातिशीघ्र

प्रादेशिक सेना अधिनियम में जोड़ने के लिए मन्त्रालय आवश्यक संशोधन लाए जोकि किसी भी स्थिति में 1979 के शरदकालीन सत्र के पहले होना चाहिए"।

मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि 1948 के ऐक्ट के सैक्शन (14) के अन्तर्गत आपने रूल्स एण्ड रेग्युलेशन्स बनाए उनको आपने सदन की मेज पर रखा या नहीं ? मंशा यह थी कि ब्यूरो क्रेटस को सैक्शन (14) के अन्तर्गत जो रूल्स बनाने थे उनको एग्जामिन किया जायेगा कि आया वह ऐक्ट के स्कोप में आते हैं या नहीं। आपने 1948 में ऐक्ट बना दिया और उसके बाद आज 1980 में आ रहे हैं और हमारे सामने रूल्स ले डाउन कर रहे हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री अपने आप अफसोस जाहिर करे कि यह इनकी गलती थी कि हमने कभी भी प्राधिकारियों के लिए अपने अधिकारियों का त्याग नहीं किया। संसद अपने अधिकारों का त्याग नहीं करती। उन्होंने उत्तर लिखा है कि हमें जरूरत नहीं है। सबोंडिनेट कमेटीज ने जो अपनी रिकमेंडेशन्स दी हैं, फर्स्ट रिपोर्ट फर्स्ट लोकसभा में उसमें कहा है कि जो भी रूल्स, रैगुलेशन्स और बाइ-लॉज बने वह सदन की मेज पर रखे जायें, ताकि पार्लियामेंट के लोग उसको देख सकें, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने बाय्रोलेशन किया और 1980 के अन्दर आज जब नए डिफेंस मिनिस्टर आए हैं तब उन्होंने इसको उठा कर रखा है। छठी लोकसभा में यह लिखा हुआ है कि आप मेहरबानी करके अपने कानून और अपने नियम बनाइए। ये सारे एक्ट अगर कोई पढ़े और मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा अच्छी तरह से जनरल स्पैरो साहब बतला सकते हैं, वह मिलिटरी में रह चुके हैं कि किस प्रकार से 1948 के एक्ट के बाद जो आपके रूल्स बनें, सारी गवर्नमेंट की पावर उन्होंने ले ली और वे लोगों को अपनी इच्छा से भरती करते थे। कानून इन्होंने बना लिए, जो पावर्स को इनको चाहिए थी, वह इन्होंने ले ली और इन पावर्स को लेकर इन्होंने काम किया, रूल्स एण्ड रैगुलेशन्स बनाए, यह कोई छोटा सा दोष नहीं हैं।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय आ गए हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 1980 के अन्दर अब रूल्स ले-डाउन करके क्या करेगा हमारा डिफेंस विभाग। मेरा कहना है कि पार्लियामेंट कमेटीज की जो रिपोर्टस् होती हैं, उनको कौन काम में लाता है, कोई इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। पहली रिपोर्ट, पांचवी रिपोर्ट, छठी रिपोर्ट और 30 साल के बाद हम कहते हैं कि कितने आफिसर्स बना दिए तथा 1948 का एक्ट लेकर हम 1980 में कह रहे हैं, तो कौन इसकी प्रशंसा करेगा। अध्यक्ष महोदय, मौके पर आ गए हैं और वह सेफगार्ड करेंगे कि किस प्रकार हमारे राइट्स का हनन किया जाता है। रूल्स को ले-डाउन करने का प्रोवीजन है, लेकिन इन्होंने 30 साल तक उसका वायोलेशन किया और हमें चैलेंज किया और कहा कि हमें जरूरत नहीं है संसद अधीनस्थ अधिकारियों के लिए अपने अधिकारों का त्याग नहीं करती। इन्होंने हमारे राइट्स का इन्क्रोचमेंट किया और रूल्स बना दिए।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति नियमों की जांच नहीं कर सकती और न ही संसद इन नियमों और विनियमों का अध्ययन कर सकती है। इसलिए यह बहुत बड़ा सवाल है, कोई छोटा सा सवाल नहीं है यह टेरीटोरियल एक्ट का सवाल नहीं है कि एक छोटा सा अमेंडमेंड लेकर आए हैं, यह अमेंडमेंट तो पहले भी आया, आप अपनी भूल को मानिए और जो 30 साल में आपने इतने

सारे रूल्स एण्ड रैगुलेशन्स बना दिए हैं, वे सारे रूल्स एण्ड रैगुलेशन्स मैं आपको बताऊंगा... (व्यवधान)···आपने कौन से किए थे···(व्यवधान)···मेरा सवाल यह है कि जो रूल्स और रैगुलेशन्स बने, वे मेहरबानी करके जो हमारी रिपोर्ट आए, उसके आधार पर आपको तुरन्त सदन में मेज पर रख देने चाहिए। सैकशन-14 में प्रोवीजन के मुताबिक आज 30 साल के बाद आपको इस बात का ख्याल आया—आपकी बड़ी कृपा है। इन्होंने देश का बिल्कुल बंटाधार कर दिया है, क्या इस प्रकार की डिफेंस विभाग से आशा की जा सकती थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उन आफिसर्स को विदा करो। ये आफिसर्स ऐसे हैं जिन्होंने 20 साल तक हमारी कोई बात नहीं सुनी, कोई परवाह नहीं की और रूल्ज बनाते चले गये। पार्लियामेंट ने कुछ पावर्स सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी को दी है, लेकिन इन्होंने उस को नहीं माना। सारी पावर्स खुद ले ली, रूल्ज बनाते चले गये और यह स्थिति पैदा कर दी कि हम उनको एक्जामिन भी नहीं कर सकते। 20 साल में इन्होंने जो गोल-माल किया है, मौका मिलेगा तो उसको हम एक्जामिन करेंगे और आप को बतलायेंगे कि कितने गलत काम हुए हैं।

चैकोस्लोवाकिया के संसदीय शिष्टमण्डल के स्वागत के बारे में घोषणा

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, सर्व-प्रथम मुझे एक घोषणा करनी है।

अपनी तरफ से और माननीय सदस्यों की ओर से चैकोस्लाविया की संघीय परिषद के चैयरमैन, महामहिम श्री एलोइस इन्दरा, श्रीमती लिबुजे इन्दरोवा तथा चैकोस्लाविया के संसदीय शिष्टमण्डल के माननीय सदस्य जोकि हमारे माननीय अतिथियों के रूप में भारत के दौरे पर हैं, का स्वागत करते हुए मुझे अतीव प्रसन्नता हो रही है। शिष्टमण्डल के अन्य गणमान्य सदस्य निम्नांकित हैं :

1. श्री फ्रांटिसेक टेजार, संसद सदस्य
2. श्री जोसेफ प्रचाल, संसद सदस्य
3. श्रीमती एन्टोनी बजेरोवा, संसद सदस्य
4. श्रीमती मजिया पोलेचोवा, संसद सदस्य
5. श्री जुराज टुरोसिक, संसद सदस्य

शिष्टमण्डल आज प्रातः यहां पहुँचा और भारत में सप्ताह भर रहेगा। वे लोग विशेष कक्ष में बैठे हैं। हम अपने देश में उनके सुखद और सकल प्रवास की कामना करते हैं। उनके द्वारा हम चैकोस्लोवाकिया समाजवादी गणतन्त्र एसेम्बली, सरकार और मित्रवत जनता को अपनी शुभ कामनाएं और अभिवादन प्रेषित करते हैं।

प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक जारी

श्री चतुर्भुज (झालावाड़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य रक्षामन्त्री जी जो बिल लाये हैं उसका मैं वास्तव में स्वागत करता हूं। हमारे अन्य सभी साथियों ने भी इसका स्वागत किया है। यह बिल बड़े महत्व का बिल है। हमारे डागा साहब और अन्य साथियों ने जो भाषण दिये सभी ने इस बात को कहा कि यह बिल बड़ा महत्व रखता है। समय-समय पर हमारे जितने भूतपूर्व रक्षा मंत्री

हुए हैं, चाहे बाबू जगजीवन राम जी हो, बंसीलाल जी हो या चरण सिंह हो—सब ने टैरिटोरियल आर्मी की गौरवमय गाथा गाई है, इसके शौर्य का बखान किया है, लेकिन आज प्रश्न यह है कि इसके शौर्य और रंग-रूप का बखान करने के अलावा हमने इसके लिये क्या किया है, इनकी शिक्षा-दीक्षा, ट्रेनिंग, इनकी स्वास्थ्य सेवाओं, इनके वेतन आदि के लिए हमने क्या किया ? जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था, उस समय राजस्थान, पंजाब और अन्य प्रदेशों की सीमाओं पर इस सेना ने हमारे राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा की थी। मैं ज्यादा न कह कर आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इनकी समस्याओं पर बड़ी गहनता से, गम्भीरता से, विशाल हृदय से विचार करें और वास्तव में एक व्यापक बिल लायें जिसमें इनकी सभी समस्याओं का समाधान हो सके।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आप इस आर्मी को देश की रक्षा की सैकण्ड-पंक्ति के रूप में खड़ा करना चाहते हैं तो इसमें अन्य दलों के साथ एक रूपता लाने के लिए जरूरी है कि उन सब को इसमें मिलाकर इसको ज्यादा मजबूत किया जाय। आज आपके कई दल अलग-अलग काम कर रहे हैं—जैसे होम गार्ड हैं, सी० आर० पी० है, समुद्री तट रक्षक दल हैं, भारतीय सीमा सुरक्षा दल है, रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स है, अन्य कई दल हैं, इन सबको समाप्त करके एक दल बनाना चाहिए जिससे कि हम एक मजबूत सैकण्ड-लाइन खड़ी कर सकें। हम इनको उच्च शिक्षा दें, अच्छा वेतन दें, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दें—हर तरह से इनको मजबूत बनाकर एक मजबूत सुरक्षा पंक्ति का रूप दें।

मैं अधिक न कहकर मंत्री महोदय से यही निवेदन करूंगा आप इस पर गम्भीरता से विचार करके एक व्यापक बिल सदन के सामने लायें।

श्री आर० एस० स्पैरो (जालन्धर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रादेशिक सेना विधेयक के जिसे राज्य रक्षा मन्त्री ने प्रस्तुत किया है, समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

प्रत्येक दृष्टिकोण से और हमारे देश में चारों ओर व्याप्त परिस्थितियों की दृष्टि से यह कदम बिलकुल ठीक दिशा में उठाया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रादेशिक सेना का यह प्रश्न विश्व के किसी भी देश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और यह जानकर प्रसन्नता होती है कि हमने सही दिशा में सोचना शुरू कर दिया है क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी तेजी से बदली हैं।

यह सेना, अर्थात् प्रादेशिक सेना, अपने व्यापक आधार के कारण वास्तव में, एक राष्ट्रीय सेना है। पहली बात यह है कि जब लड़ाई छिड़ जाती है तो यह आयुद्ध ओर सैन्य दृष्टिकोण से सुरक्षा की दूसरी पंक्ति बन जाती है। जैसाकि आपने देखा होगा, बहुत से देश अपनी प्रादेशिक सेना की क्षमता पर अधिकाधिक निर्भर करते हैं और वे कुछ ऐसी योजनायें तैयार करते हैं जोकि स्वयं उनके प्रदेश की रक्षा हेतु समग्र एवं अग्रिम विचाराधीन योजना से सम्बद्ध होती हैं।

इस मामले में आप किसी भी विकसित देश को ले सकते हैं। रूस को ही लीजिए। उनकी नियमित सेना में केवल अधिकारी वर्ग ही नियमित संवर्ग में सम्मिलित होता है और शेष प्रादेशिक सेना के बल पर चलता है। उन्हें एक निश्चित अवधि जैसे ढ़ाई और तीन वर्ष तक का प्रशिक्षण दिया जाता है, और इसका अर्थ हुआ कि देश भर में प्रत्येक व्यक्ति अनुशासित प्रशिक्षित और कुशल

सैनिक होता है। केवल रूस में ही नहीं, अपितु अमरीका में भी अठारह वर्ष की उम्र से लेकर भरती की आयु तक के बीच के छोटे-बड़े सभी को एक विशेष आयु सीमा में दो से तीन वर्ष तक का प्रशिक्षण देने का तरीका है।

ब्रिटेन भी अपनी सुरक्षा तैयारियों के लिए अधिकतर अपनी प्रादेशिक सेना पर निर्भर करता है। हमने भी अपनी प्रादेशिक सेना को विकसित किया है परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश में बदलती परिस्थितियों में, जैसी आज हैं, जहां तक सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भारत का सम्बन्ध है, इस विषय विशेष पर और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

महोदय मुझे विषय पर कोई बहुत अधिक नहीं बोलना है। इसकी तो प्रधान मन्त्री महोदया, जिनके पास रक्षा विभाग आजकल है, बड़ी समझदारी और चतुराई से देखभाल कर रही हैं। इस मामले में उन पर कोई सन्देह नहीं होना चाहिये। नये नियम नये प्रकार के प्रौद्योगिकी-जन्य विचार और प्रादेशिक सेना की रूपरेखा सब कुछ सभा-पटल पर रखा हुआ है। और इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं है कि इस सम्बन्ध में हमारी प्रगति बड़ी ही सन्तोषजनक होगी।

महोदय, मैं एक-दो बातों का उल्लेख करना चाहूंगा, उनका महत्व चाहे कुछ भी हो। आज का विधेयक एक विचारधारा से दूसरी विचारधारा में एक छोटा सा तकनीकी परिवर्तन मात्र है। यह विस्तार से विचार किये जाने की बात नहीं है किन्तु जैसा कि मैं कह चुका हूं कि इन बातों पर इस रूप में विचार किया जा रहा है कि हम किस तरह इनके कार्य क्षेत्र को विस्तृत कर सकते हैं। उदाहरन के लिए हमें विभिन्न प्रकार के कक्षों को बनाये रखना है। उदाहरण के लिए—मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता सकता हूं कि हमारे पास पहले से ही रेलवे बटालियनें हैं। इसलिए, यदि युद्ध के दौरान अचानक कोई बात हो जाती है तो इन लोगों द्वारा कोई भी रेल लाइन बिछाई जा सकती है। और यह काम चलाऊ कर्मचारी ढांचा वहां पहले से ही है। इसी तरह की स्थिति टैंक, सशस्त्र कारों, विमानों तथा तोपखाने के सम्बन्ध में हैं। ये कक्ष वहां पर पहले से ही हैं। सिग्नल कर्मचारी तथा इन्जीनियर कक्ष भी पहले से ही वहां हैं। हमें इन सभी अनुमानों को इस तरीके से व्यापक बनाना होगा कि वे स्वयं एक ऐसा बड़ा मजबूत ढांचा बन सकें जो आवश्यकता के समय देश की रक्षा करने के लिए दुर्जेय और महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में काम में आयें। यह मेरा नम्र निवेदन है कि और आगे जो कदम उठाये जाने हैं उनके बारे में मैं एक या दो बातें कहना चाहूंगा जिन पर हाई कमान और इस सदन को विचार करना चाहिए। अब प्रश्न यह है : हम किस प्रकार अपने देश में एक अनुशासित जीवन लाते हैं? महोदय, आज आप इस बात पर मुझसे सहमत होंगे कि हमारे देश में इस सम्बन्ध में कुछ कमी है। हमें यह बात अवश्य स्वीकार करनी चाहिए। हमें अपने आत्मानुशासन दलीय एवं राष्ट्रीय अनुशासन में भी सुधार करना है। इसलिए, हमें सभी प्रकार से और ज्यादा अनुशासित होना है। और प्रादेशिक सेना के इस माध्यम से हमें सम्भवत: अर्थोपाय निकालने हैं। इस पहलू की ओर हमें सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए।

अब मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूं। हमें नेशनल केडेट कोर को प्रादेशिक सेना की एक प्रशाखा के रूप में इसमें मिलाना होगा। एक दूसरा पहलू जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं वह यही है। हमें अपने विश्व विद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यालयों में समुचित प्रशिक्षण देना

चाहिए ताकि यह सारा का सारा कार्यकरण हमारे सम्बद्ध रक्षा उपायों के लिए पूरी तरह से व्यापक आधार बन सके। ये कुछ बातें हैं जिन्हें मैं विचार किए जाने के लिए सदन के समक्ष रखना चाहूँगा। इन शब्दों के साथ मैं हाई कमान और रक्षा मंत्रालय को यह छोटा सा विधेयक लाने के लिए, जिसका कि मैं तहदिल से समर्थन करता हूँ, बधाई देना चाहूँगा। और इस विधेयक पर बोलने के लिए समय मुहैया करने के लिए . अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूँ।

श्री नगनगोम मोहेन्द्रा (आनरिक मणिपुर : अध्यक्ष महोदय, काफी समय के बाद यह छोटा सा संशोधन लाया गया है जिसमें पुराने अधिनियम के अलोकतांत्रिक भाग को हटाने की मांग की गई है। उन मुद्दों को सविस्तार प्रस्तुत करना अनावश्यक है जिनके बारे में सदन के दोनों पक्षों के मेरे मित्रों द्वारा पहले ही काफी कुछ कहा जा चुका है।

महोदय, यह सच है कि महत्वपूर्ण अधिनियमों की कमियों का नौकरशाहों ने हमेशा ही लाभ उठाया है। अपनी स्वाधीनता के 32 वें वर्ष में हमें इस तरह के महत्वपूर्ण मंत्रालयों में नौकरशाही का प्रभुत्व जैसी बातें सुनने को मिलती हैं। इससे मेरे जैसे नए आदमी की भावनाओं को भी ठेस पहुँचती है। यह भी लगता है कि इस मन्त्रालय का कार्य सुचारु रूप से नहीं चल रहा है। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि आज हमने यहां जनरल स्पैरो जैसे व्यक्तियों सहित जिनका सैनिक कार्यनिष्पादन सर्वविदित है, इस विषय पर अनेक वक्ताओं के विचार सुने हैं। यहां अन्य ऐसे वक्ता भी है जिन्होंने इस अधिनियम में परिवर्तन किए जाने के सम्बन्ध में अपनी बातें कही हैं। अब महोदय, प्रत्येक व्यक्ति ने इस बात को स्वीकार किया है अथवा कहा है कि प्रादेशिक सेना रक्षा की दूसरी पंक्ति अथवा ऐसी ही एक संस्था है। मैं अत्यन्त एक ऐसे सुदूरवर्ती राज्य से आया हूं जहां एक लम्बे समय से गड़बड़ी चल रही हैं। कुछ समय पूर्व मैं वहां कुछ वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों से मिला जो आज कल छापा मार रहे हैं और मणिपुर घाटी में आंशिक तौर उपद्रवियों का सफाया करने के जैसे काम में लगे हुए हैं। मैंने उससे पूछा कि वे इस सम्बन्ध में कैसा महसूस करते हैं। वे इस कार्य से जो उन्हे सौंपा गया था, प्रसन्न नहीं थे क्योंकि यह उनका काम नहीं है इसलिए, इस तरह की परिस्थितियों में यहां ज्यादा बेहतर होता यदि वहां अच्छी तरह प्रशिक्षित प्रादेशिक सेना अथवा कोई अन्य अर्द्ध सैन्य शक्ति वहां होती। चूंकि प्रादेशिक सेना के सैनिकों के पास सेना की अपेक्षा आम जनता से घुलने मिलने का अवसर और समय पर्याप्त होता है और जब वे प्रशिक्षण में न हों तो उस समय के आम जनता की भावनाओं और प्रवृत्तियों को अच्छी तरह समझ सकते हैं क्योंकि सेना का प्रशिक्षण निःसंदेह प्रादेशिक सेना के सैनिकों के प्रशिक्षण से भिन्न होता है। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि वे ऐसे कल्पना लोक में रह रहे हैं कि हमारी प्रादेशिक सेनाओं की रक्षा की दूसरी पंक्ति की तुलना में सैनिक टुकड़ियों जैसा दिखाना चाहिए। मनीपुर में अथवा देश के अन्य किसी भाग में अब किए गए कार्य में से काफी कुछ कार्य उनको सौंपे जा सकते हैं। वास्तव में मैं नए मन्त्री को जिन्होंने अभी हाल में ही कार्यभार सम्भाला है, संशोधन में विलम्ब के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराता परन्तु अब जो मेरे कुछ माननीय मित्रों ने कहा है और जो कुछ कहने को बाकी था वह इस सदन के सामने लाया गया है और उनके साथ-साथ मैं भी इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री जेवियर अराकूल (एर्णकुलम) : महोदय, मैं इस सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा।

हम आपको शान्त मुद्रा में पीठासीन हुआ देखकर प्रसन्न हैं। महोदय, अनेक सदस्यों ने इस विधेयक को और पहले इस सदन के सामने न रखने के लिए अपना असन्तोष व्यक्त किया है। माननीय सदस्यों ने इस सेना की भूमिका के सम्बन्ध में भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। महोदय, यह कहा गया है वे शान्ति के समय नागरिक तथा युद्ध के समय सिपाही हैं। अब मैं 1920 के मूल अधिनियम की चर्चा करूंगा जिसके स्थान पर बाद में 1948 का अधिनियम लागू किया गया था। महोदय, एक छोटे से पैरा ग्राफ में इस सेना की भूमिका को अच्छी तरह स्पष्ट किया गया है। सेना की भूमिका होगी :

"(क) रक्षा की दूसरी पंक्ति प्रदान करना और नियमित सेना के लिए एक सैन्यवण का स्रोत प्रदान करना ;

(ख) राष्ट्रीय आपात स्थिति के समय आन्तरिक रक्षा कार्यों में सहायता करना;

(ग) विमनभेदी और तटवर्ती रक्षा के लिए जिम्मेदारी लेना;

(घ) देश के युवकों को अपने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करना।"

1948 के अधिनियम में दर्शाए गए ये चार उद्देश्य हैं। यदि इन तक इस संशोधन विधेयक को लाने में देरी हुई है तो यह बात हमें स्वयं से पूछनी चाहिए कि हम इन लक्ष्यों को कहां तक प्राप्त करने में सफल हुए हैं।

इस विषय पर बहुत सी आलोचनाएं की गई हैं और सुझाव दिये गये हैं। परन्तु समयाभाव के कारण मैं उनके बारे में चर्चा करने नहीं जा रहा हूं। 1970 में श्री के० सी० पंत द्वारा राष्ट्रीय सेवा विधेयक, 1970 पुरःस्थापित किया गया था। मुझे आशा है कि राज्य मन्त्री जो एक कमंठ व्यक्ति हैं उस विधेयक के सम्बन्ध में विचार करेंगे और इस बात को देखेंगे कि वर्तमान संदर्भ में किस सीमा तक उस विधेयक को लाया जा सकता है। यह सेना विशेष अनेक समस्याओं का सामना कर रही है। वर्तमान युद्ध और प्रौद्योगिकी का तकाजा है कि हमारे पास एक मजबूत प्रादेशिक सेना होनी चाहिए। ऐसे अनेक मामले हैं जब इस सेना को दूसरे बल में परिवर्तित कर दिया गया था। कुछ अधिकारियों को बाहर निकाल दिया गया, कुछ अधिकारी 1978 में सेवा निवृत्त हो गए थे। सौ से भी अधिक अधिकारियों को निकाल बाहर किया गया था। सेना में अनुशासन होना चाहिए। मैं इस सदन को बताना चाहता हूँ कि अनुशासन को अधिकतम महत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि समाज विरोधी तत्व इस बल में घुसने और अनुशासनहीनता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात पर निगरानी रखी जानी है।

इस बल में दो श्रेणियां हैं : एक अधिकारियों का वर्ग और दूसरी श्रेणी में वे लोग है जो भरती किये गये हैं। उनके परिवारों को अकथनीय समस्याओं और दिक्कतों का सामना करना होता है। अब समय आ गया है कि हमें इस पहलू की ओर भी ध्यान देना चाहिए और यह बात देखनी चाहिए कि उनके परिवारों को पर्याप्त संरक्षण व सहायता दी जाये। ये मुद्दे हैं जिन पर मैं चाहता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय विचार करें और देखें कि इस सदन के समक्ष आने वाले

नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। इन शब्दों के साथ एक बार फिर मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात अवश्य कहूँगा कि माननीय सदस्यों ने इस विधेयक में काफी रुचि दिखाई है और मैं उनको इस संशोधन विधेयक में रुचि दिखाने और अपने मूल्यवान सुझाव देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। यह विधेयक अत्यन्त ही साधारण तकनीकी और अहानिकारक विधेयक है। इस विधेयक में प्रादेशिक सेना बनाने की कोशिश नहीं की गई है। उस आशय का एक विधेयक 1948 में पारित किया गया था। इस विधेयक में अधिनियम में, दोनों सदनों के समक्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गए नियमों को प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है। पहले भी, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए नियमों को दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता था। यह 1977 में किया गया था और इससे पहले भी ऐसा किया गया था यद्यपि केन्द्रीय सरकार के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह उन सभी नियमों को दोनों सदनों के सामने रखे।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने अपने 21 वें प्रतिवेदन में इस बात की सिफारिश की थी कि अधिनियम में इस सम्बन्ध में एक प्रावधान होना चाहिए और इस विधेयक में इस प्रावधान की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि रक्षा विभाग के अधिकारियों में अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार नहीं किया। जो मैंने कहा वह यह था कि यदि ऐसे नियम महत्वपूर्ण हों तो उन्हें दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए था। वास्तव में नियमों को दोनों सदनों के समक्ष रखा गया था। अधिनियम की धारा 14 अत्यन्त ही साधारण है। इसमें अधिनियम में दिए गए कुछ सुझावों को कार्यान्वित करते समय अपनाई जाने वाली कार्य विधि की व्यवस्था की गई है : डाक्टरी जांच के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र, किस प्रकार का प्रपत्र होना चाहिए और किस तरह प्रपत्र को भरा जाना चाहिए आदि के बारे में अपनाई जाने वाली कार्यविधि दी गई है। धारा 14 साधारणत: अपनाई जाने वाली कार्य विधि से सम्बद्ध है और इसीलिए उस समय सम्भवतः यह आवश्यक नहीं समझा गया कि इस प्रयोजन से बनाए गए सभी नियमों को दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए, परन्तु...... .....

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : वह गलत वक्तव्य दे रहे हैं, यह समिति के दृष्टिकोण के विपरीत है। मुद्दा यह नहीं है। यह एक तकनीकी मुद्दा नहीं है। सदन के समक्ष नियमों को रखना सरकार के लिए आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने इसके लिए मेरी अनुमति ली ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : श्री डागा द्वारा जो उत्साह दिखाया गया है कि मैं उसकी सराहना करता हूँ। इससे जाहिर होता है कि इस विषय में उनकी कितनी रुचि है और मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं कह रहा था कि धारा 14 में अपनाई जाने वाली कार्य विधि की और कार्य विधि का पालन करने के लिए बनाए जाने वाले नियमों की व्यवस्था की गई है। अब उस अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने सिफारिश की थी कि उनका प्रावधान किया जाना चाहिए, सिफारिश स्वीकार कर ली गई है और हम सदन के समक्ष यह विधेयक लाए हैं। मैं यह अवश्य

कहूंगा कि सभी माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है और इससे ज्यादा और कुछ कहना मैं आवश्यक नहीं समझता। अन्त में, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक 1980 पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार विचार आरम्भ करते हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को कैसे छोड़ दिया ? हमने थर्ड रीडिंग में नाम दिया हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : आप उठे नहीं थे, मैंने सोचा शायद आपका मन बदल गया होगा।

श्री रामावतार शास्त्री : हमने नाम लिखकर दिया था, आपको बुलाना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : आप उठते तो मैं समय दे देता।

श्री रामावतार शास्त्री : आपने ध्यान ही नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने देखा नहीं, आप मेरा ध्यान दिला सकते थे।

श्री रामावतार शास्त्री : हमारा तो अधिकार आपने ले लिया, यह तो उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह तो अब हो गया। अगर आप उस वक्त कह देते तो मैं रोक देता।

श्री रामावतार शास्त्री : क्या मुझे हर बार उठना होगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने गलती से आपकी स्लिप की तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर आप उठ जाते, तो मैं आपको बुला लेता। यह तो एक पर्ची है। यह जानबूझ कर नही किया गया है।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि यह तो एक पर्ची है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : आप हमेशा के लिए यह तय कर दीजिए कि हम बोलने के लिए उठते रहें।

अध्यक्ष महोदय : इस बात को लम्बा करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको बताया है कि यह इन्टेन्शनल नहीं है। आप एक बात को तूल दे रहे हैं। यह एक पर्ची है। यह जानबूझ कर नहीं है। आप इसको स्वीकार क्यों नहीं करते हो ? यह जानबूझ कर नहीं किया गया है।

श्री रामावतार शास्त्री : मुझे इस से बहुत तकलीफ हुई है। अब वह बात नहीं उठाई जा सकेगी। आखिर यह स्लिप कैसे हो गई ?

अध्यक्ष महोदय : हद हो गई। अब हद हो गई है। मैंने कहा कि यह जानबूझ कर नहीं किया गया है। आपको इसे स्वीकार करना चाहिए। आपकी ओर से यह हास्यास्पद विलम्ब पड़ता है।

श्री रामावतार शास्त्री : यह आपत्ति की बात है। यह आपत्ति की बात क्यों नहीं है ? हम लोग अपनी स्लिप इसी लिए भेजते हैं कि स्पीकर ध्यान रखें।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी साधारण बात को आप क्यों नहीं मान सकते हैं। इसे करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं इंसान हूं। मुझमे भी गलती हो सकती है। यह बहुत सामान्य बात है। आप इसे स्वीकार क्यों नहीं करते हो ?

बंगाल कैमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन) तथा अन्तरण) विधेयक

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : श्रीमान मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि जनसाधारण के हित में बंगाल कैमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड के उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्रीमान्, माननीय सदस्यों के लाभ के लिए मैं इस कम्पनी का कुछ इतिहास, पुराना इतिहास संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहूंगा। बंगाल कैमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना आचार्य प्रफुल्ल राम ने 1901 में की थी और भारत सरकार ने 15 दिसम्बर 1977 को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन इसके मामलों की जांच हो जाने के बाद इस कम्पनी को अपने अधिकार में ले लिया था और यह कम्पनी शुरू में दो वर्ष की अवधि के लिये अधिकार में ली गई थी परन्तु यह अवधि आगे 14 दिसम्बर 1980 तक बढ़ा दी गई थी। इस कम्पनी के पास चार कारखाने हैं अर्थात् मानिकसला पानी हाटी, बम्बई और कानपुर है। यह विभिन्न किस्म की दवाईयां, फार्मास्यूटिकल कैमिकल्स तथा अन्य उत्पाद निर्मित करती है। मैंने कारखानों के स्थानों का वर्णन किया है। कम्पनी 1968-69 तक लाभ कमाती रही है। तब से निरन्तर घाटा हो रहा है। 1969-70 में 24 लाख रुपए का घाटा हुआ, उसके बाद 25 लाख रुपए, उसके बाद 51 लाख रु० उसके बाद 21 लाख रुपए उसके बाद 10 लाख रुपए तथा 1975-76 में 35 लाख रुपये का घाटा हुआ और 1976- 7 में 103 लाख रुपये का घाटा हुआ।

मंत्रिमण्डल ने 13 दिसम्बर 1977 को हुई अपनी बैठक में इस कम्पनी को अधिकार में लेने के प्रस्तावों को अनुमति प्रदान करते समय निम्नलिखित निर्देश दिया :

"इस कम्पनी को सरकारी कम्पनी में बदलने के प्रस्ताव दो महीने के भीतर मंत्रिमण्डल को प्रस्तुत किए जाने चाहिए तथा इस कम्पनी को मैसर्स स्मिथ सत्तानी स्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि० के साथ मिलाने की संभावना की भी साथ-साथ जांच की जानी चाहिए ।"

श्रीमान, यह किया गया था और अन्ततः यह मालूम हुआ था कि कम्पनी अर्थात मैसर्स स्मिथ सत्तानी स्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के कर्मचारियों ने भी मिलाने का विरोध किया और यह मालूम हुआ था कि यह आवश्यक नहीं था और इसलिए विलय नहीं किया गया था ।

पिछली सरकार को 31 दिसम्बर, 1978 की कार्यवाही से यह पता लगा था कि यदि 5 करोड़ रुपयों की तुरन्त व्यवस्था कर दी जाती है तो आगे घाटे को टाला जा सकता है । परन्तु यह भी निर्णय लिया गया था कि शेयरों के 51% की सरकारी भागीदारी को सुनिश्चित करते हुये कुछ ऋणों को इक्विटी में बदला जा सकता है । इसकी गहराई से जांच की गई थी और इस भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम (आई० आर० सी० आई०) जिसने पुनर्निर्माण योजना का सुझाव दिया था, कि परामर्श से इन दो मामलों की गहराई से विचार केबाद तथा समुचित विचार के बाद यह महसूस किया गया था कि कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करना ही ठीक कदम होगा, क्योंकि इस योजना के शेरू करने में समय लगेगा और कुछ कानूनी और अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़े सकता है । राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव सचिवों की जांच समिति को उसके विचारान पुनः प्रस्तुत किया गया था और अततः 6 जून 1979 को हुई बैठक में इसे अनुमति मिल गई थी । इसके बाद मंत्रिमण्डल की अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रस्तावों पर कार्यवाही की गई थी परन्तु सरकार बदल जाने के कारण प्रस्ताव पर केवल 16 जुलाई, 980 को अनुमति मिली और बंगाल कैमिकल एन्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरराष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1980 नामक विधेयक 12 अगस्त, 1980 को पुनःस्थापित किया गया था ।

इस समय कम्पनी का संचालन एक प्रबन्धक बोर्ड द्वारा किया जाता है । कम्पनी को नियंत्रण में लेने के समय से उत्पादन तथा बिक्री में सुधार हुआ है जो उन आंकड़ों से मालूम हो जायेगा जिनको मैं प्रस्तुत कर रहा हूं 1977-78 में उत्पादन 422.44 लाख रुपये का था, बिक्री 388.07 लाख रुपए की थी और हानि 197.53 लाख रुपए की थी । 1978-79 में उत्पादन 700.86 लाख रुपए का था, बिक्री 686.90 लाख रुपये की थी और हानि घटकर 97.74 लाख रुपए की हो गई । 1979-80 में उत्पादन बढ़कर 481/9 लाख रुपए हो गई, बिक्री 789 लाख रुपए थी परन्तु हानि 96 लाख रुपए से बढ़कर 148.23 लाख रुपए इस कारण हो गई कि मजदूरी के कारण लगभग 57 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि देनी पड़ी ।

नियंत्रण में लेने के बाद कम्पनी ने काफी वित्तीय सहायता प्राप्त की है, यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया से 90 लाख रुपए नकद ऋण तथा भारतीय औद्योगिक पुनःनिर्माण निगम से 22.50 लाख रुपए नकद ऋण, 52.50 लाख रुपए पुनःनिर्माण ! पुनर्वास, 40 लाख रुपए कार्य चालन पूंजी 'मार्जिना' तथा अनिवार्य मरम्मत और 50 लाख रुपये नवीकरण तथा तबदीली के लिए । इसलिए

कुल 173 लाख रुपये बैंठता है। सरकार ने 31-3-80 तक कार्यकारी पूंजीगत ऋण 379 लाख रुपये तक और योजना सहायता 50 लाख रुपए तक मंजूर की है। 198 -81 के लिए 70 लाख रुपए पूंजीगत कार्यों के लिए तथा 100 लाख रुपए कार्य चालन पूंजी के लिए दिए गये है।

नियंत्रण में लेने के बाद जहां तक उपलब्धियों का संबंध है मैंने बताया है कि उत्पादन में पर्याप्त रूप से सुधार हुआ है बिक्री में भी सुधार हुआ हैं, परन्तु दुर्भाग्यवश, मजदूरी बढ़ जाने के कारण तथा मशीनें पुरानी होने आदि जैसे अन्य कारणों से कम्पनी हानि पर पूरी तरह काबू नहीं पा सकी। परन्तु नियंत्रण में लेने के बाद बहुत सुधार हुए थे।

आधुनिक सुविधाओं के साथ नया 'टेबलेटिंग' अनुभाग खोला गया था। 'कैप्सूलिंग अनुभाग में अर्द्ध-स्वचालित मशीनों को लागू किया गया था। राष्ट्रीय करण के बाद इस कम्पनी के भविष्य में विस्तार के लिए प्रस्ताव हैं क्योंकि इसके पास बम्बई, कलकत्ता, और कानपुर में काफी भूमि और इसके विकास ओर अधिक अर्जन की क्षमता के लिए काफी साधन क्षमता है। इसलिए सलफ्यूरिक एसिड संयंत्र को युक्ति संरगत बनाने का निर्णय किया गया है जिसके लिए 93 लाख रुपए के निवेश की अनुमति दी गई है। "लोहिक फिटकरी" संयंत्र का विस्तार होगा। वहां उसमें "प्रक्षात्मक घोल" परियोजना होगी। "डेबसोन'। (6 से 20 टन तक क्षमता बढ़ती है।) "कैफीन" (30 से 45 टन तक क्षमता बढ़ती है) जैसी "बल्क" औषधियों में विस्तार होगा। इसलिए हमें आशा है कि इस कम्पनी के राष्ट्रीय करण के बाद इसमें न केवल अधिक उत्पादन में सुधार होगा बल्कि लाभ भी बढ़ेगा।

विधेयक में 502 लाख रुपये के मुआवजे की व्यवस्था की गई है। इसमें भूमि की बढ़ी हुई लागत शामिल नहीं हैं। मंत्रिमण्डल ने यह निर्णय लिया है कि भूमि की बढ़ी हुई लागत को हिसाब में नहीं लिया जाना चाहिए। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने तथा राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाने के तुरन्त बाद अदायगी आयुक्त की नियुक्ति की जायेगी।

एस० एस० पी० एल० के विलय के बारे में उल्लेख किया जा चुका है। जैसा कि मैंने पहले कहां कि इस पर विचार किया गया था परन्तु यह व्यवहार्य नहीं पाया गया था।

कम्पनी के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतनमानों तथा भत्तों में 1-4-79 से संशोधन किया गया है। उन्हें औद्योगिकदारों पर महंगाई भत्ता दिया गया जो प्रभाव को दूर करने के लिए 1, 30 रुपए प्रति बन्दु था।

कम्पनी ने लगभग 22.00 कर्मचारियों का नियुक्त किया है। हमें आशा हैं कि राष्ट्रीयकरण के बाद कम्पनी में सुधार होगा।

अदायगी योजना में हमने प्राथमिकतायें दी है। हमने अदायगी के लिए श्रेणियों की व्यवस्था की है और विधेयक में दी गई श्रेणियों के अनुसार ऋण दिए जायेगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्तव पेश किया गया :

"कि जन साधारण के हित में बंगाल कैमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड के उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण का तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जायेगा।"

श्री मोहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) : अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय के द्वारा जो बिल लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, पिछले 10 बर्ष से उस कम्पनी के वर्क्स इसको नेशनलाइस करने के लिए और टेक-ओवर करने के लिए आन्दोलन करते आ रहे थे । अब सरकार ने निर्णय करके इसको टेक-ओवर किया है और उसके बाद अब नेशनालाइजेशन करने जा रहे हैं । यह मांग वर्कर्स की तरफ से उठी । पिछले 10 बरस से वर्कर्स चिल्ला रहे थे और यह मांग कर रहे थे कि इसका नेशन-लाइजेशन किया जाये और टेक-ओवर किया जाए । यह आन्दोलन करते-करते, जब वैस्ट-बंगाल में वाम पंथी मोर्चे की सरकार आई, उसने वर्कर्स की इस डिमांड को फुल सपोर्ट किया, उस वक्त श्री बहुगुणा जी मन्त्री थे और इस डिमाण्ड को उन्होंने माना और उन्होंने जैसा इतिहास बताया है कि यह पुरानी कम्पनी है और यह कम्पनी डा० पी० सी० राय के नाम से मशहूर है क्योंकि उन्होंने इसको कायम किया था । उन्होंने जिस कुरबानी के साथ, मेहनत के साथ इम्पनी को खड़ा किया और जो-जो दवाइयां प्रोडयूस की वे सारे मुल्क में बहुत पोपुलर हुए—यह बात सब जानते हैं ।

आज जब यह कम्पनी सरकार द्वारा नेशनलाइज हुई है तो मुझे इस बात की खुशी है कि इतने दिनों बाद सरकार ने वहां के मजदूरों की मांग को समझा और इसको नेशनलाइज किया । मैं इस मौके पर एक बात और कहना चाहता हूँ—डा० पी० सी० राय के जमाने से, जब से यह कम्पनी स्थापित हुई, इसके वर्कर्स, हमेशा लायल रहे । इस कम्पनी पर जब जब दिक्कतें आई, वर्कर्स ने हमेशा साथ दिया, यहां तक कि वेज न मिलने पर भी वे लोग काम करने के लिए तैयार थे । कम्पनी को हर तरह से बचाने के लिए उन्होंने कोआपरेशन दिया । यहां से जो एडमिनिस्टेशन वहां गया, वर्कर्स उनसे जाकर मिले और उनसे कहा कि हमारी 6 महीने तक कोई मांग नहीं है, लेकिन हमारा स्लोगन है कि इसको वायाबल किया जाये, इसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाये, इसमें हम हर तरह का कोआपरेशन देने को तैयार है । उसी के मुताबिक प्रोडक्शन ग्रैजुअली बढ़ता गया उसके बाद मैंनेजमेंट और मंत्री जी ने भी स्वीकार किया रा-मैटीरियल की डिफीकल्टी पेश की, लेकिन हम न लोगों ने कहा कि जब तक फुल-नेशनलाइजेशन नहीं हो जाता, हम इस डिफीकल्टी का भी मुकाबला करेंगे । हमारे वर्कर्स ने इतना साथ दिया कि यहां पर वेजेज दूसरी कम्पनियों के मुकाबले आधा था, फिर भी हमारे वर्कर्ज काम करते रहे और कम्पनी को हर तरह से चलाने में मदद देते रहे । मुझे आज यह कहते हुए बड़ी खुशी है कि अब मैंनेजमेंट और वर्कर्ज ने बैठ कर वैजेज के मामले को भी तय कर लिया है और उसके बाद प्रोडक्शन बहुत जोरों पर बढ़ी है । हम से मैंनेजमेंट ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, मैटीरियल कहां से लायेंगे, गवर्नमेंट पैसा देती नहीं है, लेकिन अब फुल टेकओवर हो जाने के बाद आपने पैसे का एलाटमेंट किया है, इससे दिक्कत दूर हो जायेगी मैं आप को यह बतलाना चाहता हूं कि वर्कर्स का सब से ज्यादा कोआपरे-शन आप बंगाल कैमिकल में पायेंगे । मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि फुल-नेशनलाइजेशन के बाद आप मेहरबानी करके एक मर्तबा खुद फैक्टरी में जांय और वर्कर्स के कोआपरेशन को अपनी आंखों से देखें ।

एक बात मैं एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में कहना चाहता हूं—आप ऐसा आदमी एडमिनिस्ट्रेटर

के रूप में भेजें जो कम्पनी को आगे बढ़ाने में ईमानदारी से काम करें। जिस तरह से वर्कर्स आज प्रोडक्शन बढ़ाने में कोआपरेट कर रहे हैं उसी तरह से वह भी वहां पर काम करें। ऐसे लोग न भेजे जांय जो वहां जाकर लकड़ी लगा दें ताकि प्रोडक्शन न हो। आखिर मैं फिर कहना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय खुद एक बार वहां जा कर देखें। मैं वहा की यूनियन का प्रेजिडेन्ट हूं, आज से नहीं हूं, 15-20 साल से प्रेजिडेन्ट हूं।

मैं इस बिल का फिर से समर्थन करता हूं।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : अध्यक्ष महोदय, बंगाल कैमिकल तथा फार्मेसियूटिकल वर्क्स लि० का जो राष्ट्रीकरण किया जा रहा है मैं इसका समर्थन करता हूं। यदि इसका राष्ट्रीयकरण न किया जाता तो वास्तव में एक बड़ी विकट समस्या खड़ी हो जाती, एक तरफ दो हजार मजदूरों का प्रश्न था और दूसरी तरफ अनेक महत्वपूर्ण औषधियों के निर्माण की प्रश्न था। लेकिन इसके साथ ही एक आशंका भी पैदा होती है हम जिन-जिन बीमार या रोग-ग्रस्त कम्पनियों का अधिग्रहण करते हैं, वे घाटे में चलती हैं। जैसे कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया, आज वह बहुत घाटे में चल रहा है। इसी तरह से हम कुछ अन्य उद्योगों का भी राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, जैसे मारुति लि० है—इन सब में सरकार को पैसा लगाना पड़ता है, 5 करोड़ रुपया यहां दीजिये, 5 करोड़ रुपया वहां दीजिए, हम इनका जनहित में अधिग्रहण करते हैं, लेकिन वह जनहित नहीं रहता। उसमें आम जनता का टैक्स का पैसा लगाते हैं लेकिन उनको चलाने वाले गड़बड़ी करके चले जाते हैं, उन पर कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं की जाती। आप जितने राष्ट्रीयकृत उपक्रम चल रहे हैं उनको देखिये—प्राय: सब घाटे में चल रहे हैं और जो घाटा उन में होता है, वह सब जनता पर पड़ता है। इसलिए मेरा कहना है कि इस मामले में सावधानी बरती जानी चाहिए और जिस अधिकारी को वहां भेजे वह दलगत राजनीति से ऊपर हो ऊपर हो दलगत या पक्षपात के भाव से नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए।

कम्पनी के हित को देखते हुए, उत्पादन के दृष्टिकोण से और कम्पनी की निरन्तर प्रगति हो, इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो आवश्यक है, उतने ही लोगों को बहाल करना चाहिए, उतनी ही नियुक्तियां करनी चाहिए। यहां पर कम्पनी कर्मचारियों के बारे में जो उपबन्ध हैं, चाहे जो भी दोषी रहा हो, एक्सेस बहाली भी हो जाती है मोटीवेटेड तरीके से और कई और तरीकों से, उन सब को फिर ज्यों का त्यों सर्विसेज में मान लिया गया है धारा 14 के अन्दर। यह अच्छा नहीं है और इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। कम्पनी के अधिग्रहण में जिनका हाथ रहा हो, उसको गिराने में या मोमेंट को अवरुद्ध करने में जिनका हाथ रहा हो, उन सब की कम्पनी में बहाली की गई है, उनकी सर्विस बरकरार रखी जाती है। जब ऐसी बात है तो भविष्य में फिर इस कम्पनी की यही दुर्गति और जितना घाटा होगा, वह आम जनता को भुगतान करना पड़ेगा।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मन्त्री जी ने पहले बताया है कि इस पर कमेटियां बैठाई थीं और जांच पड़ताल हुई थी और कई ब्यौरे, रिपोर्टें प्राप्त हुई थी और उसके बाद राष्ट्रीयकरण का प्रश्न आया। मैं यह बताना चाहता हूं कि ऐसी और कम्पनियां हैं, जिनका अधिग्रहण करने से सरकार को ज्यादा मुनाफा हो सकता है, लेकिन उनको नहीं लिया जाता है। हमारे यहां बिहार में गेडे आइरन एण्ड स्टील

कम्पनी है, जो कोडरमा में चलरहीं थी। हमारे भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने बलाई लामा को यहीं पर स्थापित किया था। वह स्पंज पाइप की फैक्ट्री की और बिहार की चार फैक्ट्री की आवश्यकताओंकी पूर्ति कर सकती थी लेकिन उसका अधिग्रहण नहीं किया गया और उसको वाइंड अप कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक लिक्वीडेटर नियुक्त कर दिया। वह कारखाना ऐसा है कि बिना पूंजी लगाए आप चाहें तो एक महीने में उसको चालू कर सकते हैं। इसको देखने के लिए कोई नहीं है लेकिन जहां-जहां घाटे का व्यवसाय होगा, उस कम्पनी को अधिग्रहण कर लिया जायेगा। हमारी सरकार के कुछ वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स हैं, निहित स्वार्थ है, उनका एक ग्रुप है, जो इस तरह की कम्पनियों को अधिग्रहण करने का सुझाव देता रहता है ताकि सरकार ऐसी कम्पनी को ले जिसमें भ्रष्टाचार हो और करोड़ों रुपए का घुटाला हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन वैसी ही स्थिति हो जायेगी जैसी कि सिन्दरी फर्टीलाइजर्स फेक्ट्री की हुई है। उसकी पचासों करोड़ों रुपये की सम्पत्ति को साढ़े चार करोड़ रुपए में नीलाम कर दिया गया। इसी प्रकार से आप ऐसी कम्पनियों का अधिग्रहण करते रहेंगे। जो अच्छी कम्पनी है, जिसको चलाने से तुरन्त लाभ हो सकता है और राष्ट्र का हित हो सकता है, ऐपी कम्पनी की तरफ ध्यान नहीं जायेगा।

इसी तरह से सी० एम० आई० कम्पनी है, जो हमारे बिहार में हजारी बाग जिले में है। उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं गया है। सी० एम० आई० की करोड़ों रुपए से ज्यादा की पूंजी होगी और 100 वर्ग मील में फैला हुआ मिनरल माइका का है। उसका अधिग्रहण करना चाहिए। मैंने पहले भी 1977 में पार्टियामेंट में सरकार का ध्यान आकर्षित किया था और मजदूरों ने भी इसके लिये कहा था लेकिन उस ओर सरकार का ध्यान नहीं जाता है। केवल 80 लाख रुपए पंजाब नेशनल बैंक का बकाया है और उसके लिए उसको लिया जाता है। अगर सरकार उसका अधिग्रहण कर लें, तो 70 करोड़ रुपए और उससे भी अधिक का लाभ हो सकता है लेकिन जिन कम्पनियों में घाटा होता है, उन्हीं का अधिग्रहण सरकार करती है। इसी तरह से अगर सरकार करती रहेगी, तो आम जनता को बड़े संकटों का सामना करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी इस ओर ध्यान दें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री मूलचन्द डागा।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : श्रीमान्, मेरा नाम तीसरे वाचन में है। परन्तु मैं 20 तारीख को उपस्थित नहीं हूंगा। इसलिए कृपया मुझे 4-5 मिनट का समय दे दें, ताकि मैं अपने रचनात्मक सुझाव मन्त्री महोदय को दे सकूं। बंगाल रसायन के बारे में मुझे कुछ व्यक्तिगत अनुभव है।

उपाध्यक्ष महोदय : तीसरे वाचन की बात छोड़िये, मैं आपको आज ही अवसर दूंगा।

अब, श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके जो ये बिल आते हैं, वे सब स्टीरियों टाइप्ड बिल होते हैं। मेरे ख्याल से आप के डिपार्टमेंट में एक कापी होगी और जब भी राष्ट्रीयकरण का कोई बिल आता है, तो डिपार्टमैंट उसकी नकल करके रख देता है। राष्ट्रीयकरण करने का आधार क्या है। क्या हम यह काम करें कि जिन लोगों की मशीन खराब है, उसकी

जितना पैसा देना है, दे दें ? क्या हमारा यह काम है कि जब ये लोग देखते हैं कि कम्पनी का काम खराब है उस समय हम जा करके उसे ले लें ? आपका जो 1951 का इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एक्ट है उसकी सेक्शन 15 कहती है—

यहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि :

(ख किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान का प्रबन्ध इस ढंग से हो रहा है कि उससे उक्त अनुसूचित उद्योग या सार्वजनिक हित को भारी नुकसान होता है ।

केन्द्रीय सरकार पूरी जांच करे अथवा कराये ।

जब आपको मालूम है और आप खद देख रहे हैं कि बराबर 15 साल से इसका काम खराब हो रहा है, इसका डिटोरियेशन हो रहा है तो उस समय आपने इंडस्ट्रियल एक्ट के नीचे इसके काम में हस्तक्षेप क्यों नहीं किया । कोई भी सरकार हो, चाहे जनता की हो या कांग्रेस की हो, यह सिद्धान्त का प्रश्न है ।

आप क्या करेंगे कि इसको पांच करोड़ रुपये दे देंगे । लेकिन शेअर होल्डर्स की हालत क्या होगी ? इसमें जो मशीन लगी हैं वे शेअर होल्डर्स की कास्ट पर लगी हैं । जब कभी भी ऐसे बिल यहां आयें तो पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट साथ में आनी चाहिए । इस समय मन्त्री जी ने मेहरबानी करके सारी बातें कह डालीं और संक्षेप में कह डालीं । हम चाहते थे कि जो कुछ बातें आपने कहीं उनकी रिपोर्ट हमारे सामने आती जिससे हमें यह पता लगता कि आपके आफिसर्स ने इन्वेस्टीगेशन करके मशीनों की क्या हालत देखी. कितनी कीमत की वहां मशीनें थीं, कितनी राशि शेअर होल्डर्स की लगी थी ? इसकी लाएब्लिटीज कितनी थीं हम कुछ नहीं जानते ।

हम लोग केवल इस पर मोहर लगा देंगे । यह सारा काम जो राष्ट्रीयकरण के नाम पर होता है उसमें पूंजीपति फायदा उठाते हैं । वे बहुत होशियार होते हैं । चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे उधर बैठने वाले लोग हों उन सब पर वे छाये रहते हैं । जब कम्पनी की हालत खराब हो जाए तो उसका राष्ट्रीयकरण करवाने का तरीका वे जानते हैं । अभी यहां कहा गया कि वहां मशीनें बिल्कुल काम की नहीं हैं, वहां काफी हालत खराब है । आपने पांच करोड़ रुपया उन्हें देने का डिसीजन ले लिया है और डिसीजन लेने के बाद आप हमारे पास आये हैं । जब इसकी हालत बिगड़ रही थी, जब यह सिक हो रही थी तो उस समय सरकार ने, चाहे वह कोई सी भी सरकार हो, कोई कदम क्यों नहीं उठाया ? इसके बारे में सरकार द्वारा कोई उठाया गया कदम मालूम नहीं होता है । इसमें कहीं नही लिखा है कि शेअर होल्डर्स को पेमेंट की जाएगी या नहीं । मैंने इसे पूरा पढ़ा है । मैंने इसके बारे में एक वर्ड नहीं देखा कि शेअर होल्डर्स क्या करेंगे । उन्हें अपना धन मिलेगा अथवा नहीं, इस बारे में वे किस से मिलें ।

क्या वे बैठ कर रोयेंगे ? शेअर होल्डर्स तो कम्पनी के मालिक हैं । आप एम्पलाईज को दे देंगे और दूसरों को दे देंगे लेकिन शेअर होल्डर्स का क्या होगा ? इसमें शेअर होल्डर्स का भी अधिकार है कि वे जाने कि कम्पनी ने क्यों घाटा उठाया और उन्हें क्या मिलने वाला है ? अब आप यहां यह बिल ले आये हैं और इसको यहां से एक घण्टे में आप पास करा लेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, यह आपकी तरफ से सरकार को गाईड लाइंस होनी चाहिए कि वह सारे फेक्ट्स एण्ड फिगर्स बिल

के साथ पेश करे। तभी तो हमें मालूम होगा। क्या इस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करना उचित है अथवा नहीं।

इसकी आप हमको हिस्ट्री बतायें, आप पांच मिनट में पूरी बात बता देना चाहते हैं तथा आप कहते हैं कि यह हमारे हित में है।

आपने क्या बताया है कि तीन साल से घाटा है। अभी भी मुनाफे में नहीं है। घाटे की कम्पनी आप अपने हाथ में ले रहे हैं। मेरे ख्याल से इसमें 1980-81 में भी घाटा रहेगा। इसलिए जो कम्पनी आप हाथ में लें तो उसका आधार यह नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एक्ट की कोई अनुपालना नहीं होती है। (इति)

श्री भीमसिंह (झुन्झुनू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और साथ ही साथ मैं मन्त्री महोदय को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बंगाल कैमिकल का बिल सदन में प्रस्तुत किया।

मुझे याद है कि यह कम्पनी राष्ट्रीय आन्दोलन से जुड़ी रही है। जैसा कि डागा साहब ने कहा कि जितनी भी घाटे की कम्पनियां हैं, क्या सब की सब सरकार ले लेगी। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि दूसरी फैक्ट्रियों और इसके अन्दर काफी अन्तर है। दूसरी फैक्ट्रियां पैसा पास में रहते हुए भी दिवाला निकाल देती हैं। मुझे वह जमाना याद है, जब हम खद्दर पहना करते थे, तो हम लोग तेल इत्यादि भी वही इस्तेमाल में लाते थे, जो देश में बना हुआ होता था और अन्य चीजें भी विलायती काम में नहीं लेते थे। जिन लोगों द्वारा इस कम्पनी की स्थापना की गई, उनका ध्येय पैसा बनाना नहीं था, बल्कि भारत के लोगों की भावना के अनुकूल चीजें बनाना था। इसके शेयर-होल्डर्स पूंजीपति नहीं थे, बल्कि उनकी अपनी मेहनत की कमाई से उन्होंने यह कम्पनी खड़ी की थी। आज आप कहते हैं कि यह घाटे का सौदा है, लेकिन मैं कहता हूं कि यह घाटे का सौदा नहीं है। सरकार इस कम्पनी को अपने कब्जे में लेने जा रही है, इसलिए मैं इसको बधाई देता हूं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो शेयर-होल्डर्स हैं; उनको पैसा देने के बारे में कोई व्यवस्था नहीं है। इन शेयर-होल्डर्स को घाटा न हो, इनको लाभ मिल सके, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। तीसरी बात मैं मन्त्री महोदय से यह कहना चाहता हूं, जोकि आपकी रिपोर्ट में दिया है कि आपने 15 दिसम्बर, 1977 को इसको टेकओवर किया था और तीन साल के शासकीय मैनेजमेंट में भी इस कम्पनी को घाटा हुआ है। क्या फिर से आप इसी प्रकार का मैनेजमेंट करने जा रहे हैं, जिन डायरेक्टर्स ने पहले घाटा दिया है, क्या आप फिर दोबारा उन्हीं डायरेक्टरों को रखने जा रहे हैं, ताकि घाटा आगे चलता जाए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस ओर ध्यान दिया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करते हुए, मिनिस्टर साहब को बधाई देता हूं।

श्री जेवियर अराक्कल (एर्णाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस विधेयक का समर्थन करता हूं। उद्देश्य तथा कारण बताने वाले विवरण में इस कम्पनी को अधिकार में लिए जाने के तीन कारण बताये गये हैं। विधेयक की प्रस्तावना में भी कारणों को दोहराया गया है।

उल्लेख किया गया कि प्रथम कारण कुप्रबन्ध है। यदि किसी कारखाने में कुप्रबन्ध है, तो क्या हम उसे अधिकार में ले लेंगे ? परन्तु उद्देश्यों और कारणों सम्बन्धी विवरण में सबसे चिन्तनीय बात जांच रिपोर्ट के बारे में है। इसमें कौन से तथ्य बताये गये हैं। उक्त जांच रिपोर्ट में किन बातों का उल्लेख किया गया है ? प्रबन्ध 15 दिसम्बर, 1977 को हाथ में लिया गया था। इसलिए हमें यह जानना है और हमें बताया जाये कि जांच रिपोर्ट में कौन से तथ्य प्रकट किये गये हैं। 15 दिसम्बर, 1977 से आज तक इस कम्पनी के प्रबन्ध में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई। हमने इसमें कितना सुधार किया है ? इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है।

परन्तु तीसरी बात से मैं सहमत हूं। यह देश के लिए अनिवार्य है। मैं मानता हूं कि अनिवार्य वस्तुओं का स्वामित्व, नियंत्रण, प्रबन्ध और वितरण सरकार के हाथ में होना चाहिए। मैं इस बात पर जोर देता हूं। परन्तु मेरा प्रश्न यह है; एक निजी उद्यमी को उद्योग स्थापित करने की अनुमति देकर, यदि वह फर्म जानबूझ कर हानि उठाती है तो क्या हम इस खण्ड का लाभ उठा कर इसे अधिकार में लेंगे ? कृपया वित्तीत ज्ञापन को देखें। क्या 5 करोड़ रुपए कम राशि है ? क्योंकि इनकी बम्बई, दिल्ली या कलकत्ता में अचल सम्पत्तियां हैं, तो क्या यही अधिकार में लिए जाने की कसौटो है ? क्या हम इन 5 करोड़ रुपयों से कारखाने की स्थापना नहीं कर सकते। ये बातें मंत्री महोदय को प्रकट करनी हैं।

यदि मुझे ठीक याद है, प्रत्येक राज्य को एक भेषज तथा रासायनिक परियोजना देने की एक योजना थी। कितने राज्यों में ये स्थापित की गई हैं ? कितने राज्य अनिवार्य दवाइयों तथा अन्य वस्तुओं का निर्माण करते हैं ? क्या हमने इस पहलू पर विचार कर लिया है ? मैंने यह प्रश्न इसलिए उठाया है, क्योंकि हम पांच करोड़ रुपया देने जा रहे हैं। यदि मैं सही हूं, तो जब मैं मंत्री महोदय की प्रारम्भिक टिप्पणी को सुन रहा था, तो उसमें कहा गया था कि एक आयुक्त नियुक्त किया जायेगा। विधेयक के वित्तीय ज्ञापन के पैरा 4 खण्ड 16 में अदायगी के लिए एक केन्द्रीय सरकार के आयुक्त की नियुक्ति की व्यवस्था की गई और उसके कर्त्तव्यों तथा कार्यों का उल्लेख इस पैरा में किया गया है। हम इस कम्पनी का प्रबन्ध किस प्रकार कर रहे हैं, क्या यह प्रतिनियुक्तियों द्वारा किया जायेगा, अथवा नहीं। यदि यह प्रतिनियुक्तियों द्वारा होगा तो उसकी कसौटी क्या होगी— क्योंकि बहुत से सरकारी प्रतिष्ठानों में कुशल प्रबन्धक नहीं हैं। मैं इन सरकारी प्रतिष्ठानों के हानि-लाभों को नही ले रहा हूं। यह मामला मैं आपके द्वारा गम्भीर अध्ययन के लिए छोड़ता हूं, क्योंकि इस कम्पनी को अधिकार में लिए जाने में धन के निवेश का प्रश्न निहित है। हमारे पास अच्छे और कुशल प्रबन्धक होने चाहिए। यह मामला मैं आपके ध्यान में इसलिए ला रहा हूं ताकि सार्वजनिक हितों का संरक्षण हो सकेगा। अब इनमें अत्यावश्क वस्तुयें बनाई जा रही हैं। समाचार पत्रों के अनुसार हमारे देश में अनिवार्य औषधियों एवं अन्य वस्तुओं की कमी है—क्योंकि इस प्रकार की कुछ फर्में शुरू होती हैं तथा बाद में बन्द हो जाती हैं। मैं देखता हूं कि यह 5 करोड़ रुपए का नकद भुगतान करना होगा। इस राशि को दस वर्ष के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूतियों के रूप में रखा जाये। यदि यह 5 करोड़ रुपए उन्हें नकद दे दिये गये तो वे एक और कारखाने की स्थापना कर लेंगे। और शायद हमें 10 वर्ष बाद उसे अधिकार में

लेने के लिए एक और विधेयक पुरः स्थापित करना पड़े। इस अवैध उद्देश्य को रोकने के लिए इस राशि का भुगतान नकद किया जाये।

माननीय सदस्य श्री डागा ने हिस्सेदारों के हितों का उल्लेख किया है। उनके प्रति हम उत्तरदायी हैं। उसी प्रकार इस जनता के प्रति भी उत्तरदायी हैं ताकि ओषधियों तथा अन्य वस्तुओं को आम लोगों के लिए उपलब्ध कराया जा सके।

मेरा यही निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्र नारायण चौबे (मिदनापुर) : श्रीमान, मैं इस विधेयक का ममर्थन करता हूं, बेशक यह देरी से लाया गया है। इस विधेयक को बहुत पहले लाया जाना चाहिए था।

'बंगाल कैमीकल्स' नाम से राष्ट्रीय गौरव प्रकट होता है। भारतीयों को आचार्य पी० राय की याद दिलाती है जोकि एक महान देश भक्त, महान रसायनिक, महान राष्ट्रवादी और महान वैज्ञानिक थे। यह फैक्टरी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम के अंग के रूप में विदेशी गुलामी से छुटकारा पाने के लिये स्थापित हुई। उस समय भारत में कोई सामाण्निक उद्योग नहीं था और जब भारतीय लोक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे तब यह कारखाना स्थापित किया गया। इस प्रकार राष्ट्रीय दृष्टि से इस कारखाने को उस प्रकार नहीं देखा जाना चाहिए जैसा कि अन्य कारखानों को जैसा कुछ सदस्यों ने कहा है।

बंगाल कैमिकल्स बहुत बुरी तरह नहीं चल रही थी। परन्तु स्वतन्त्रता के प्राप्ति के पश्चात, भारतीय पूंजीपतियों द्वारा हमारे जीवन के सभी पहलुओं पर प्रहार के बाद बंगाल कैमिकल्स को ऐसे संकटों का सामना करना पड़ा। जिनका अन्य उद्योग सामना कर रहे थे। उस संकट को समाप्त करने के लिये सरकार ने 15 दिसम्बर 1977 को इस कारखाने को अधिकार में लिया। उमको अधिकार में लिया जाना भली बात है। अधिकार में लिए जाने के बाद बंगाल कैमिकल्स अच्छे परिणाम दे रही है। जैसा कि मंत्री महोदय ने स्वयं बताया है कि 1977-78 में अधिगृहीत होने से पूर्व उत्पादन 4 करोड़ रुपये का था 1978-79 में यह 7 करोड़ रुपये हो गया और 1979-80 में यह 8.5 करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार उन कर्मचारियों ने जो स्पष्टीकरण की मांग करते रहे हैं अपना कर्त्तव्य देश भक्ति की भावना से निभाया, उन्होंने सब प्रकार का समर्थन दिया तथा वास्तव में उत्पादन बड़ गया। केवल उत्पादन ही नहीं बड़ा हानि भी बढ़ गई। ऐसा क्या कुप्रबन्ध के कारण हुआ? यह राष्ट्रीयकरण का दोष नहीं है। यदि आप किसी उपक्रम को अधिकार में लेते हैं और उसके लिए उचित प्रबन्ध नहीं करते तो ऐसा ही होगा। इसलिए राष्ट्रीयकरण को, अधिकार में लिए जाने की बात को दोष न दें। वास्तव में हुआ क्या? सच्चाई यह है कि अधिकार में लिये जाने के बाद मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया। वह श्री पी० के० मैकैनीकल इंजीनियर थे। उनकी नियुक्ति रासायनिक कारखाने में की गई जो अनिवार्य औषधियों का उत्पादन करती हैं जिनका सम्बन्ध रसायन विज्ञान से है। कुछ पुरानी प्रथाएं, जोकि काफी समय से चली आ रही थी; जारी रहने दी गई। घाटे के निरन्तर बढ़ते जाने का यही कारण था।

एक बात और यह है। मैं एक उदाहरण दे सकता हैं आम तौर पर कच्चे माल की कीमत निर्मित वस्तुओं के मूल्य का 30 प्रतिशत होती है। यह 1977 में 30% थी। 1978-79 में यह निर्मित बस्तुओं का 46% हो गयी। 1979-80 में कच्चे माल का मूल्य पुनः 58% हो गया।

इस प्रकार आप फर्म से लाभ की आशा कैसे कर सकते हैं ? इस प्रकार प्रबन्धकों और नौकरशाही के कुप्रबन्ध एवं भारी मूलों के कारण फैक्टरी को हानि उठानी पड़ी। इसलिये अधिकार में लिये जाने का विरोध मत करें। यह उचित नही है। मैं एक और उदाहरण दे सकता हूं। "मटन टैलों" की खरीद में जो एक केन्द्रीय एजेन्सी ने खरीद करके एक निजी फर्म के माध्यम से खरीदी गई 2 लाख रुपये की हानि हुई। अधिकार में लिये जाने के बाद भी वही लोग जो पहले से यह कार्य करते रहे थे, इसे करते रहे। परिणाम स्वरूप इससे भी हानि हुई। मैं अधिकार में लिये जाने का स्वागत करता हूँ तथा मुझे कुछ सुझाव देने हैं। राष्ट्रीयकरण के बाद भी यदि यह उचित ढंग से नहीं चल रही है, तो कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यक्त की गई आशंकायें जारी रहेगी। कुछ लोगों ने राष्ट्रीयकरण के कदम के विरुद्ध आशंका व्यक्त की है। यदि आप वास्तव में चाहते हैं फर्म घाटे में न चले तथा इन लोगों की आशंका को दूर किया जाये तब निम्नलिखित कार्य किये जाने चाहिए :—

(i) उच्च स्तर के वर्तमान प्रबन्धक वर्ग में पूरी तरह से परिवर्तन किया जाये।

(2) कुछ ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें रासायनिक उद्योगों का अनुभव है, वहां पर लगाया जाये, किसी पार्टी बिशेष के व्यक्तियों अथवा किसी की पसन्द के व्यक्तियों को वहां पर न रखा जाये।

(3) कार्मिकों की भागीदारी होनी चाहिए। जिन कर्मकारों ने निष्ठा से कार्य किया उन्हें वहां रखा जाये।

यह फैक्टरी बहुत पहले बंद हो जाती, यदि इस फैक्टरी के देश भक्त कर्मचारी अपने कार्य को निष्ठा से न करते। इसलिये मेरा कहना है कि प्रबन्ध के स्तर पर, तथा संचालन के स्तर पर कार्मिकों की भागिता होनी चाहिए।

इस कारखाने के उत्पादन का पूर्वी क्षेत्र के अन्य कारखानों के साथ समायोजन करने की बड़ी संभावना है। पर बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। पूर्वी क्षेत्र में उत्पादों का समेकन किये जाने की आवश्यकता है। अंत में जैसा कि कई मित्रों ने बताया कि अधिकार में लिए जाने के बाद जो लोग महत्वपूर्ण स्थानों पर बैठे हुए थे तथा हानि के लिए उत्तरदायी वे उनको उन स्थानों पर न रहने दिया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे उम्मीद है कि फर्म बन जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु।

श्री रामावतार शास्त्री : (पटना) श्री हाल्दर को अवसर दिया जाये, क्योंकि वह बाहर जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हाल्दर, आप केवल 20 तारीख को यहां नहीं होंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : श्रीमान, मैंने 'बंगाल केमिकल्स' के राष्ट्रीयकरण का मामला कई बार उठाया था। पिछले सत्र में मैंने बंगाल कॅमिकल्स के राष्ट्रीयकरण का मामला नियम 377 के अधीन उठाया था मुझे खुशी है कि सरकार ने बंगाल केमिकल्स का राष्ट्रीयकरण किया है। कामरेड चौबे ने कहा है कि राष्ट्रीयकरण के बाद इस फैक्टरी को चलाने के लिए

प्रभावी प्रबन्ध किये जाने चाहिए। मैं उनके साथ पूरी तरह सहमत हूं। इस रासायनिक उद्योग को चलाने के लिए इनमें अनुभवी व्यक्तियों को लिया जाना चाहिए।

श्रीमान, मैं कुछ बातें करना चाहता हूं। कच्चे माल की सप्लाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। समुचित उत्पादन और बिक्री के लिए समुचित आयोजन होना चाहिए। अपने व्यक्तिगत अनुभव से मैं कह सकता हूं कि बंगाल केमिकल्स के बहुत से वितरक शिकायत करते हैं। कि 3-4 महीने पहले क्रयादेश देने पर भी उन्हें माल नहीं मिल पाया। मैं जानता हूं बंगाल केमिकल्स द्वारा उत्पादित कपास अस्पतालों एवं नर्सिंग होमों में बहुत लोक प्रिय है, परन्तु उन्हें वर्ष में दो तीन बार ही माल मिल पाता है।

पूर्वी क्षेत्र में उनका 'गलेस्रीन-साबुन' बहुत लोकप्रिय है। उसके वितरकों ने अगस्त में इसके लिए आर्डर दिये थे, तो भी उन्हें अभी तक कम्पनी से यह प्राप्त नहीं हो सका। औषधियां समय पर सप्लाई नहीं की जाती है। इसलिये मेरा सुझाव है कि कच्चे माल की सप्लाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। उत्पादन का इस प्रकार आयोजन किया जाना चाहिए जिससे समूचे वर्ष भर उपभोक्ताओं, एजेन्टों और वितरकों को यह सप्लाई किया जा सके।

श्रीमान, किसी समय पूर्वी क्षेत्र रासायनिक उद्योग में सर्वोपरि था; आज वह गिर गया है। इस संदर्भ में मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि वह हल्दियां पेट्रो-रसायन परियोजना को स्वीकृति प्रदान करे। अभी तक आपने उसे स्वीकृति नहीं दी। मेरा अनुरोध है कि परियोजना को स्वीकृति यथाशीघ्र दी जाये, ताकि पश्चिम बंगाल सरकार उसे स्थापित कर सके तथा पूर्वी क्षेत्र रासायनिक तथा भेषज उत्पादनों का महत्वपूर्ण केन्द्र बन सके।

श्रीमान, आप मुझसे अधिक जानते हैं कि आज हमारे देश में बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां, विशेष रूप से जीवन-रक्षक औषधियों के बाजार पर शासन जमाये हुए हैं।

श्रीमन, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या बंगाल केमिकल्स के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् सरकार वहां पर आई० डी० पी० एल० के वेतनमान लागू करेगी। मैं कामरेड चौबे से सहमत हूं कि कुप्रबन्ध के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को हटाया जाये परन्तु इसके साथ ही मैं यह चाहता हूं कि सरकार स्पष्ट आश्वासन दे कि किसी देशभक्त कर्मचारी की छटनी नहीं की जायेगी। ऐसे कर्मचारियों तथा अधिकारियों की छटनी नहीं की जानी चाहिए। इस बारे में मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस कम्पनी के उत्पादन में विविधीकरण लायेंगे ताकि यह कम्पनी देश में अति श्रेष्ठ औषधि निर्माता संस्था बन सके। श्रीमान, इसीलिए मेरा यह निवेदन है। मैं इतना कह सकता हूं कि यह कंपनी अल्प समय में ही अर्थक्षय बन सकती है, यदि उसका प्रबन्ध प्रभावी और सक्षम हो। यदि वे उचित उत्पादन के लिए आयोजन करें, यदि वे कच्चे माल की निरन्तर सप्लाई के लिए समुचित आयोजन करें तथा वे बाजार में निरन्तर अपना तैयार माल समय पर उपलब्ध करा सकें तो मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि एक वर्ष के भीतर यह कम्पनी अर्थक्षय हो सकेगी। इसके उत्पादन देश में काफी प्रसिद्ध हैं। यह औषधि निर्माण कम्पनी बिदेशी बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के साथ भली प्रकार प्रतियोगिता कर सकती है। यह मैं पूरे बल के साथ कह सकता हूं। इसलिए मेरा निवेदन

है कि मेरे तथा अन्य सदस्यों के रचनात्मक सुझावों को लागू करें। मुझे आशा और विश्वास है कि बंगाल केमिकल्स वर्क्स जिसका निर्माण महान देश भक्त तथा वैज्ञानिक आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र राय ने किया था, देश में रसायन और औषधि निर्माता कम्पनियों में अपना उचित स्थान प्राप्त करेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : दो और वक्ता रहते हैं, श्री चित्त बसु और बापूसाहिब परूलेकर। वे परसों बोलेंगे। इसके पश्चात मंत्री उत्तर देंगे। सभा परसों म० पू० 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

———

6.07 बजे म० प०

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 20 नवम्बर, 1980/ 29 कार्तिक, 1902 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र द्वारा मुद्रित साउथ मौजपुर दिल्ली-53